राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10| चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का अठारहवां दिवस |संख्या: 13

गुरुवार,

22 फरवरी 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। राम राम-सा। प्रश्नकाल। श्रीमती अलका सिंह।

तारांकित प्रश्नोत्तर

दौसा जिले में पौधारोपण का कार्य

225. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत 4 वर्षों में दौसा जिले में पौधरोपण किया गया है? यदि हां, तो कहां-कहां, कितना-कितना व इस पर कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्य का भौतिक सत्यापन कराया गया है? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी द्वारा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में आगामी वित्तीय वर्ष में कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि के कार्य कराया जाना प्रस्तावित हैं? ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) जी हां। वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक की अवधि में दौसा जिले में उप वन संरक्षक, दौसा द्वारा कराये गये पौधारोपण कार्यों का स्थलवार एवं व्यय राशि संबंधित विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' अनुसार है।

(2) जी हां। उप वन संरक्षक, दौसा द्वारा कराये गये पौधारोपण कार्यों का भौतिक सत्यापन विभिन्न स्तरों पर करवाया गया है। जिसमें प्रतिवर्ष

(वन एवं पर्यावरण मंत्री)

अन्तर रेन्ज सत्यापन, स्थानीय स्टाफ (क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ) तथा राज्य स्तर पर गठित विभाग की प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाई (उप वन संरक्षक, मूल्यांकन, जयपुर एवं अधीनस्थ स्टाफ) द्वारा वर्ष 2014-15 में अग्रिम कार्यों का मूल्यांकन एवं वर्ष 2015-16 में चयनित कार्यों का समग्र एवं आंशिक मूल्यांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त कैम्पा योजना के अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपण कार्यों का वर्ष 2016-17 में तृतीय पक्ष मूल्यांकन शुष्क वन अनुसंधान केन्द्र (AFRI) जोधपुर द्वारा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है। भौतिक सत्यापन का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ख' अनुसार है।

(3) दौसा जिले में उप वन संरक्षक दौसा अधीनस्थ क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रस्तावित कार्यों एवं राशि का स्थलवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ग' अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक, श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा सही है। सरकार चाहती है कि पौधारोपण हो ताकि पर्यावरण का संतुलन रहे। मंत्री जी भी बहुत सज्जन हैं, लेकिन विभाग जो आंकड़े देता है, वे सिर्फ कागजी आंकड़े हैं। मैंने जो प्रश्न पूछा, उसमें दौसा जिले के 4 साल के आंकड़े दिए हैं, 11 लाख पौधे, 4 करोड़ 85 लाख के लगाना बताया है। अगर इसी स्पीड से विभाग द्वारा अभी तक पौधारोपण किया गया होता तो एक इंच जमीन भी ग्रीनरी के बिना नहीं बचती, लेकिन स्थिति इससे बिलकुल उलट है। मैं अगर यह कहूं कि जंगल में मोर नाचा, किसने देखा तो वह की वह स्थिति वन विभाग की है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हमने देखा, हमने देखा।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या इसके जो मूल्यांकन की व्यवस्था आपने कर रखी है, प्रश्न में बताया है कि आंतरिक मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन... मतलब देने वाले श्रीनाथ जी, पाने वाले श्रीनाथ जी, हो गया मूल्यांकन। मेरे विधान सभा क्षेत्र दौसा जिले का ही मैं बताना चाहूंगी, इन्होंने जो बताया है, एचएडी एक पंचायत

(श्रीमती अलका सिंह)

है, जहां बताया है 3 लाख में 10 हजार पौधे। बगडेड़ा बहुत छोटा-सा स्थान है, वहां ढूंढने से भी जमीन नहीं मिलेगी वहां 7 लाख में 25 हजार पौधे! श्यालावास खुर्द शहर के पास की पंचायत है, अध्यक्ष महोदय, वहां नालें हैं, वहां 11.62 लाख में 25 हजार पौधे। मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी कि क्या वन विभाग का भ्रष्टाचार कहीं जाकर रुकेगा? इन पौधों की क्या स्थिति है? ये जीवित रहें, इसके लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? अगर इसमें कहीं कुछ गलती है जो कि निश्चित रूप से है, तो मंत्रीजी उसको ठीक करने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ क्या जांच कराएंगे और इसका मैकेनिज्म सुधरे, उसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या ने पूछा था, उसमें दौसा जिले के अन्दर 2014 से लेकर 2018 तक 3650 हैक्टेयर जो जमीन है, उसके अन्दर प्लांटेशन किया गया है। जो टोटल पौधे हैं, जिनका वृक्षारोपण हुआ है, वे 11.38 लाख हैं और जो कुल खर्चा हुआ है, वह लगभग 474 लाख रुपए डिपार्टमेंट ने किया है। माननीय सदस्या, इनकी जो रेंज है बांदीकुई के अन्दर, उसमें 2014-15 में झाजली, झाजी रामपुरा, एचएडी, पामादी और बगडेडा, इनके अन्दर जो हमने समीक्षा की थी, जो उसको चैक किया था झाजली के अन्दर जो एक्चुअली सर्वाइवल प्लांट का खाली 50 प्रतिशत हुआ है। एचएडी के अन्दर 80 प्रतिशत, पामाडी के अन्दर 83 प्रतिशत और बागडेडा के अन्दर 60 प्रतिशत। उसके पश्चात् वर्ष 2015-16 के अन्दर आपके बडाबड के अन्दर 80 प्रतिशत सर्वाइवल, मालियों की ढाणी के अन्दर 70 प्रतिशत सर्वाइवल, श्यालावास खुर्द के अन्दर 70 प्रतिशत, बड़ाबास के अन्दर 79 प्रतिशत, एचएडी के अन्दर 75 प्रतिशत, झाझीरामपुरा के अन्दर 75 प्रतिशत, कालेड़ के अन्दर 65 प्रतिशत और आखिर में 2016-17 के जो फिगर्स हैं, रामपुरा में 90 प्रतिशत और हरिपुरा में 73 प्रतिशत।

माननीय सदस्या को जो हमने कागजात दिए हैं, उसके अन्दर आप देखेंगे कि 2014-15 में झाजी रामपुरा के अन्दर सर्वाइवल रेट था 50 प्रतिशत और उसी एरिया के अन्दर जो दूसरा प्लांटेशन हुआ, उसमें 75 प्रतिशत झाजी के अन्दर ही 2015-16 में हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर

(श्री गजेन्द्रसिंह)

डिपेन्ड करता है कि मानसून कैसा हुआ। अच्छा मानसून होता है, सर्वाइवल अच्छा होता है। पूअर मानसून होता है तो उसकी मार्टेलिटी ज्यादा होती है। इसके अलावा राजस्थान में, क्योंकि पशुधन बहुत ज्यादा है, इसके अन्दर काफी नुकसान प्लांटेशन को पशुधन से होता है, टरमाइट से होता है। हमारे जो एक्सट्रीम टैंपरेचर्स हैं, सर्दियों में 0 डिग्री भी चला जाता है और गर्मियों में 50 डिग्री तक भी चला जाता है, इन सब चीजों को देखते हुए हमारे राजस्थान में दूसरे स्टेट्स के मुकाबले सर्वाइवल मुश्किल है। माननीय सदस्या को मैं आपके मार्फत यह बोलना चाहूंगा कि आपकी रेंज के अन्दर कोई भी ब्लाक है, आपकी रेंजेंज मैंने आपको बता ही दी, कोई भी ब्लाक है, आप हमारे अधिकारी के साथ पधारें और आपके सामने रैंडम चैकिंग कर ली जाएगी। अगर उसके अन्दर कोई भी दोषी पाया गया, यह आपके लोएस्ट लेवल से लेकर, रेंजर लेवल से लेकर, आपके एपीसीसीएफ लेवल तक का इसके अन्दर रेस्पान्सिबिलिटी है। अगर कोई भी अनियमितता पाई जाएगी तो आप स्वयं एक रैंडम जगह जाकर पत्थर रख दीजिए, कि भई इस ब्लाक का मुझे नाप करना है, उसका सर्किल बनाकर करते हैं, हम पूरी जांच करा देंगे। कोई भी दोषी होगा, उसको चार्जशीट किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगी?

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): हां जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्रीजी से कहती हूं कि मैं सलेक्ट नहीं करूंगी, विभाग के अधिकारी सलेक्ट करके मुझे बता दें कि जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं, उस जगह उतने पौधे जीवित हैं। मैं वहां जाकर करने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि जो 50 प्रतिशत, 70 प्रतिशत बताया है, वहां 20 प्रतिशत पौधे भी नहीं हैं। इनका मोडस आपरेंडी यह होता है कि ये जाते हैं, पौधों में आग लगा देते हैं, जैसे थोड़े दिन पहले आया था कि कोटा में वन विभाग के पौधों में आग लग गई। गिनती पूरी कर देते हैं। मैं यह पूछना चाहती हूं कि फूल प्रूफ मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि पौधारोपण के नाम पर जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं सुबबूल वो भी मान लिया जाता है कि हमने ग्रीनरी कर दी है, जबकि वास्तविकता यह है कि उनके नीचे घास तक नहीं उगती है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): जियो टैगिंग, जियो टैगिंग।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): जियो टैगिंग की व्यवस्था। व्यवस्था है वन विभाग में। अगर नहीं है तो उसको भी आप करवाएं, क्योंकि फूलप्रूफ तभी होगा। नहीं तो वास्तव में इस विभाग का यह हाल है, जंगल में मोर नाचा, हमने सबने देखा कि कुछ भी नहीं हो रहा है वहां पर। सिर्फ कागजों पर आंकड़े हैं, आंकड़ों का सत्यापन ये खुद ही कर लेते हैं और बताते हैं कि यहां 70 प्रतिशत रह गया, पिछली बार 60 प्रतिशत था, अब 40 प्रतिशत है...

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछिए, सवाल पूछिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): ...तो फूलप्रूफ क्या मैकेनिज्म है और क्या जियो टैगिंग करने का आप विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एमजेएसए के अन्दर जरूर जियो टैगिंग है और हम भी प्रयास करेंगे कि हमारे प्लांटेशन में जियो टैगिंग कराई जाए और जैसा माननीय सदस्या ने फरमाया, आपकी विशेज के अनुसार आप कोई भी ब्लाक चूज कर लीजिए, हम आपको जंगल में जो मोर नाचा है, वह नाचते हुए बता देंगे।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): मोर को नचवाइए, बहुत अच्छा होता है, बारिश आती है, लेकिन इस तरह से मत नचवाइए कि सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मंजू बाघमार।

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि वृक्षारोपण के लिए जो यह स्थान प्रस्तावित करते हैं उसका क्राइटेरिया क्या होता है? एक जो कैम्पा फण्ड आपने आंसर में लिखा है उसके बारे में भी पूछना है।

श्री अध्यक्ष: दौसा से सम्बन्धित पूछिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल): दौसा जिले का ही है और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए है। उस कैम्पा फण्ड के बारे में भी आप थोड़ा-सा बता दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी तीन बड़ी स्कीम्स राजस्थान के अन्दर हैं। एक तो नाबार्ड की स्कीम है उसके अन्दर हमने राजस्थान के आधे जिले डिवाइड कर दिये हैं। शेष बचे हुए

(श्री गजेन्द्रसिंह)

जिले JICA के अन्दर, जापान हमें फाइनेंस उसमें देता है और उसके बाद है कैम्पा की स्कीम। हम कम्प्यूटर के ऊपर जब हर डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं तो हम कम्प्यूटर के थ्रू साइज सलेक्ट कर लेते हैं और हम यह देखते हैं कि जहां पर री-फोरेस्टेशन की कमी है उस एरिया को हम प्रायोरिटी से लेते हैं। जहां तक कैम्पा का मामला है, कैम्पा का जो फण्ड है उसमें दीवार बनानी है, आपको री-फोरेस्टेशन करना है इसमें कैम्पा का फण्ड यूज होता है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री शंकरलाल शर्मा, पूरक प्रश्न।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि वन विभाग के द्वारा कई जगह वन-पार्क आदि भी विकसित किये जा रहे हैं। दौसा के अन्दर भी कई जगह ऐसी हैं जैसे नीलकंठ है, भवानी क्लब है, पूरा वन विभाग का एरिया है और इतनी सुन्दर जगह है जिसका आपने खुद ने भी अवलोकन किया हुआ है, क्या ऐसे में भी वन विभाग द्वारा दौसा क्षेत्र या दौसा कांस्टीट्युएंसी में वन पार्क बनाने का इरादा रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे डिपार्टमेंट को इस बजट में जो सबसे भारी देन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी है और मेरे ख्याल से यह कई वर्षों का रिकार्ड है कि लगभग 2500 नई नियुक्तियां, जो हमारे कर्मचारियों की कमी है वो हम अगले वित्तीय वर्ष में ले सकेंगे और इससे जो हमारे रिक्त पद हैं, जहां स्टाफ की कमी है उसकी अवश्य पूर्ति हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : तीसरा पूरक प्रश्न श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने दौसा के ब्लाक को चैक करने का बताया है तो दौसा जिले के सभी जन-प्रतिनिधियों से अचानक जितने भी ब्लाक चैक करवाते हैं वो चैक करने के बाद में वास्तव में उनमें अगर कमी होती है तो उसी तर्ज पर सारे प्रदेश में, सारे ब्लाक को चैक करवाकर आगे की कार्यवाही अपन कर पाएंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, सुझाव है। सुझाव आ गया, अगला सवाल। विचार कीजिए।

श्री किशनाराम (डूंगरगढ़): अध्यक्ष जी, एक प्रश्न पर लाखों रुपया खर्च होता है और एक ही प्रश्न में 15 मिनट हो गये।

श्री गजेन्द्रसिंह (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बहुत भारी एक्सरसाइज होगी कि हर ब्लाक को चैक किया जाए। रैंडम ब्लाक्स ले रहे हैं और माननीय सदस्य को अपने क्षेत्र में डाउट है तो हम उनका ब्लाक चैक करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री शैतान सिंह।

पोकरण में तकनीकी कर्मचारियों के स्थानान्तरण

226. श्री शैतानसिंह (पोकरण): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पोकरण में जनता को पेयजल सुलभ करवाने एवं कार्य कुशलता बढ़ाने के मद्देनजर विभाग के तकनीकी कर्मचारियों के स्थानान्तरण के अधिकार, अधिशासी अभियंता या अधीक्षण अभियन्ता को प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सुरेन्द्र गोयल): जी नहीं। प्रदेश की विद्यमान पेयजल योजनाओं के सुचारु संचालन एवं संधारण पर कुशल प्रभावी नियन्त्रण के मद्देनजर तकनीकी कर्मचारियों के स्थानान्तरण के अधिकार अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को प्रदान करना विचाराधीन नहीं है।

श्री शैतानसिंह (पोकरण): मेरे प्रश्न में था कि क्यों नहीं है, एक तो उसका जवाब नहीं आया। एक मेरा आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन था कि यह जनता से जुड़ा मामला है, पेयजल का मामला है और पेयजल का ही मैंने प्रश्न किया है जिससे आमजन प्रभावित है क्योंकि पानी अति आवश्यक है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए यदि कोई योग्य कर्मचारी है उसको क्रिटिकल एरिया में स्थानांतरित करें। यह अधिकार किसी के पास नहीं है और दो साल से प्रतिबंध भी है। सरकार इसके लिए क्या मंशा रखती है और क्यों नहीं है? इसका भी जवाब दें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि क्यों नहीं तो क्यों नहीं का तो कोई जवाब होता नहीं है पर मैं आपसे निवेदन कर दूं कि तकनीकी कर्मचारियों के पूर्व में एक यूनिट से दूसरी यूनिट में स्थानान्तरण प्रक्रिया में सहमति प्राप्त

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

करने का प्रावधान था जिसके कारण से अनावश्यक विलम्ब व परेशानी होती थी तथा इसके अलावा अत्यधिक स्थानीय दखलंदाजी के कारण निचले स्तर के कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना रहती थी जिसके कारण 2004 के स्टैंडिंग आदेश द्वारा समस्त स्थानान्तरण की शक्तियां राज्य सरकार के स्तर पर हस्तांतरित की गई हैं।

दूसरा, जैसा आपने कहा कि योग्य कर्मचारियों को हम ले जाना चाहते हैं और दूसरों को हटाना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि स्थानान्तरण पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्ध के दौरान नियमानुसार प्रशासनिक सुधार विभाग से शिथिलता प्राप्त किये बिना तुरन्त स्थानान्तरण किया जाना नियमानुकूल नहीं है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे?

श्री शैतानसिंह (पोकरण): मेरा निवेदन था कि जिले में स्थानान्तरण करने के लिए यदि सरकार नीचे पावर दे दे तो ठीक है। इसके अलावा एक जो तकनीकी कर्मचारी रिटायर हो गया और योग्य है तो उसको वापस संविदा पर लगाने का सरकार विचार रखती है क्या ताकि उसकी सेवायें ले सकें?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, संविदा पर लगाने के लिए गर्मियों में अधिकार देंगे कि संविदा पर कर्मचारी लगा सकें जो आवश्यक है। इसके अलावा जो हैण्डपम्प रिपेयर के लिए जरूरत पड़ेगी उस समय संविदा पर कर्मचारी लगाने की व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री छोटू सिंह। यह पोकरण से सम्बन्धित है।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इन 20 साल के अन्दर जितना स्टाफ था वो सेवानिवृत्त हो गया और सेवानिवृत्त होने के बाद में वो पोस्टें ही खत्म कर दीं और आने वाले समय में पेयजल की व्यवस्था दोगुनी हो गई तो क्या माननीय मंत्रीजी, उस स्टाफ की कमी के कारण किसी एन.जी.ओ. को फण्ड देना चाहते हैं या दूसरा स्टाफ लगाने की व्यवस्था करते हैं? कई तकनीकी कर्मचारी रिटायर हो गये और आज भी ऐसी व्यवस्था है कि कई फीडर बन्द हैं और उनकी जगह कोई कर्मचारी नहीं है, केवल अन-टैक्नीकल अस्थाई कर्मचारी स्विच करता है उससे मोटर हमेशा जलती है जिससे मोटर

(श्री छोटू सिंह)

जलने के कारण, पम्प नहीं होने के कारण 4-4 महीनों तक ट्यूबवैल बन्द रहता है और गांवों में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आदरणीय, मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाहता हूं कि मंत्रीजी, इस व्यवस्था को सुचारु करने के लिए क्या उपाय करेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि तकनीकी कर्मचारियों के काफी पद रिक्त हैं, मैं मानता हूं कि प्रदेश में पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु तकनीकी संवर्ग के नियमित कुल 14819 स्वीकृत पदों में से 11146 कार्मिक पदस्थापित हैं और 3673 पद वर्तमान में रिक्त हैं। इनमें से 1294 रिक्त पदों की भर्ती के लिए हमने आनलाइन आवेदन मांगे थे, आनलाइन आवेदन भी आ गये परन्तु यह मैटर हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट में सब-ज्युडिश है। ज्यों ही वहां से फैसला आएगा उसके बाद में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा प्रश्न श्री भागीरथ चौधरी। पोकरण से सम्बन्धित है। कर लीजिये, प्रश्न कर लीजिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पोकरण से सम्बन्धित है और सारी समस्या कर्मचारियों की ही है। मेरा एक निवेदन है कि जैसे मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो पेयजल की योजना चल रही है, 650 किलोमीटर पाइप लाइन डल रही है, 4 महीने से पाइप लाइन तो डल रही है पर वो सारी सड़कों को खोद रहे हैं, कर्मचारी वहां नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, इसका जवाब नहीं आएगा। इसका जवाब नहीं आएगा, आप तो सीधा सवाल कीजिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि जो सड़कों को खोद रहे हैं उनको तो वापस ठीक कर दें। अभी हमारे चुनाव में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए-विराजिए। स्थान ग्रहण कीजिये। अगला सवाल श्री सुखराम विश्नोई।

प्रदेश में बजरी खनन रोक से प्रभावित प्रधानमंत्री आवास योजना

227. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बजरी खनन पर रोक लगाने के बाद प्रदेश में बजरी 3 से 4 गुना महंगी हो जाने के कारण प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत होने वाले निर्माण सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं?

(2) क्या सरकार प्रधान मंत्री आवास योजना के मकानों के निर्माण के लिए कोई सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, खान (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह): (1) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बजरी खनन पर रोक लगाने के पश्चात् राज्य में खनिज बजरी की उपलब्धता में कमी आई है। वर्तमान में राज्य में बीकानेर, जैसलमेर, नागौर व चित्तौड़गढ़ जिलों में स्वीकृत खनन पट्टों में बजरी खनन संचालित है व इन जिलों से राज्य के अन्य भागों में बजरी का परिवहन हो रहा है। उपभोग स्थल से खनन पट्टों की दूरी के अनुसार परिवहन व्यय के कारण बजरी की दरों में भिन्नता हो रही है। बजरी की मांग के अनुसार आपूर्ति न होने के कारण राज्य में चल रहे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

(2) भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं में खनिज बजरी की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में संशोधन कर राजकीय, अर्द्धशासकीय, स्थानीय निकाय, पंचायतीराज संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा पोषित अन्य संस्थाओं के निर्माण कार्यो को संपादित करने के लिए अल्पावधि अनुमति पत्र जारी करने का प्रावधान किया है जिससे इन विभागों के ठेकेदारों द्वारा खनिज बजरी के अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त कर निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा भी छोटे आकार के खनन पट्टे दिये जाने की घोषणा की गई है जिससे आमजन को खनिज बजरी सुगमता से कम दरों पर उपलब्ध हो सकेगी। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, जवाब में

(श्री सुखराम विश्नोई)

अल्पावधि अनुमति पत्र जारी करने का प्रावधान बताया गया है। कितने पत्र जारी किये गये आज दिन तक, रोक के बाद आज तक अल्पावधि पत्र?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक 18 आवेदन आये थे, उसमें से चार पर एसटीपी जारी कर दी गई है और दूसरे में भी शीघ्र कार्यवाही करके जारी कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में दोनों जगह पंचायतों के, निकायों के, प्रधान मंत्री आवास के तमाम काम बंद पड़े हैं। क्या सरकार उन संस्थाओं को बजरी लाने के लिए जैसे मान लो, बाहर से जैसे बीकानेर से, नागौर से, चार जिलों में बजरी खनन चालू है, अनुदान देने की मंशा रखती है या नहीं रखती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने बजरी की जो शोर्टेज आई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उस संबंध में एसटीपी जारी करने का प्रावधान कर दिया है और उसके अन्दर कोई भी सरकारी काम या अर्द्ध सरकारी या कोई सरकार द्वारा जो भी अनुदानित संस्थाएं हैं, उनके लिए हम एसटीपी जारी कर रहे हैं और 15 दिन में एसटीपी जारी करने का प्रावधान कर दिया है। इसके अलावा हमने...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मेरा सवाल है, अनुदान देने की मंशा है या नहीं? जैसे प्रधान मंत्री आवास चल रहा है, प्रधान मंत्री आवास में उस पर्टीकुलर व्यक्ति को आप बजरी खनन में, लाने में अनुदान देंगे कि नहीं देंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): हम बजरी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे और उसके लिए हमने...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कहां से लाओगे? उपलब्धता कहां से कराओगे? मतलब, यह कोई प्रश्न का जवाब है क्या? मतलब, कहां से उपलब्धता करेंगे?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): ...धारा 51 में संशोधन कर दिया। एसटीपी जारी करने का प्रावधान कर दिया और चार हैक्टेयर से जो

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

खातेदार हैं, उनको सीधा खनन पट्टे जारी करने की वाकई में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): चार जिलों में ही है। चार पट्टे जारी किये, वह भी आपके प्रोसेस में है। चार में ही बजरी खनन नहीं हो रही है। आप कह रहे हो कि आपने अधिकार पत्र जारी किये हैं, वह भी चार जारी किये हैं, वह भी अभी प्रोसेस में हैं। वह भी उस संवेदक तक नहीं पहुंचे।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): उसमें भी, जब हमने जितने भी हमारे पास एसटीपी के आवेदन आयेंगे, 15 दिन के अन्दर उन सबके अन्दर एसटीपी जारी करने का प्रावधान बना दिया है।

श्री अध्यक्ष: सुखरामजी, विराजिए। विराजिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कम से कम उनसे सही जवाब दिलाओ।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया, जो आना था। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): नहीं नहीं, चार जारी किये हैं। माननीय मंत्रीजी, बता दो कि आपने जो चार जारी किये हैं, चार अल्पावधि पत्र जारी किये हैं, उन चारों की आज क्या स्थिति है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): देखिये, जो एसटीपी जारी होती है, इसमें ठेकेदार द्वारा जो 'जी' शिड्यूल है, उसके मुताबिक उसको कितनी बजरी चाहिए, उसका वह जो भी खातेदार है, उससे सीधा सम्पर्क करता है और वह रायल्टी जमा कराकर हमारे डीएमई से सीधा वह बजरी ले लेता है। आपको कितनी एसटीपी चाहिए, हम दे देंगे। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपने अल्पावधि अनुमति पत्र... आप मेरे सवाल का जवाब दो न।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, सुखरामजी, विराजिए। यह नहीं। नो नो नो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, अभी तक दोनों सवालों का मेरा जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: आप चाहेंगे, जैसा जवाब नहीं आएगा। विराजिए। मिस्टर डोटासरा, पूरक प्रश्न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सरकार की कमजोर

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

पैरवी के कारण से सुप्रीम कोर्ट में बजरी खनन के ऊपर स्टे हो गया और जिसके कारण से प्रदेश के सारे विकास काम, सारे कंस्ट्रक्शन के काम ठप हो गये और ठेकेदार इसलिए काम नहीं कर रहा है, चाहे उसने सरकारी बिल्डिंग का काम ले लिया हो, चाहे ग्राम पंचायत में या नगरपालिका में जो भी विकास के काम सरकार के हो रहे हैं, वह बजरी सप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि उसके भोगे ही नहीं पड़ता है। उसकी जो रेट है, वह आज की तारीख में नहीं है। आये दिन चौगुने, छह गुने, आठ गुने दामों में बजरी के माफिया जो है...

श्री अध्यक्ष: सवाल करो, सवाल करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...वह बजरी बेच रहा है तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि इस बजरी माफिया पर अंकुश लगाकर, जो विकास के कार्य हो रहे हैं, उनमें सरकार जो उसकी सरकारी रेट है, उसमें कोई छूट देने का विचार रखती है कि नहीं रखती है? वर्ना यह सारे विकास के काम नहीं होंगे और सरकार की कमजोर पैरवी के कारण से...

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...आज बजरी माफिया पनप रहा है। चार गुना, आठ गुना दामों में बजरी दे रहे हैं। क्या इस पर सरकार अंकुश लगाने का विचार रखती है या नहीं रखती है? अगर रखती है तो अब तक कितने लोगों पर कार्यवाही की? यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजरी की आज ये स्थिति हुई है, अगर इसकी जड़ में जाएं तो यह पैदा ही इनकी की हुई है? 2012 में, सुन तो लो आप... (व्यवधान) मैं बता रहा हूं न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सवा चार साल से क्या कर रहे हैं? आपने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं की, अच्छी पैरवी नहीं की, बजरी खनन माफिया से आप मिल गये। आपकी सरकार मिल गई और इसलिए आज ये हालात पैदा हो गये कि कोई भी काम नहीं हो रहा है कंस्ट्रक्शन का। (व्यवधान) आप फिर कांग्रेस की बात करने लग गये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): उस समय आप क्यों बोले? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज सवा चार साल हो गये, आपकी सरकार है। बजरी माफिया हावी है। वह चार गुना, आठ गुना दामों में बजरी सप्लाई कर रहा है। आपकी सरकार की कमजोर पैरवी के कारण से सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया। आप आंखें बंद करके बजरी खनन माफिया को बढ़ावा दे रहे हो और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): कुछ लोगों को खुश करने के लिए आपने ऐसा किया है। (व्यवधान) आपकी पहले की सरकार बजरी के घोटाले में थी। (व्यवधान) 5-5 हजार हैक्टेयर के कितने... (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजरी माफिया पैदा कांग्रेस ने किया है। (व्यवधान) इन्होंने जो नियम बनाया, उसको स्वीकार करो न आप। आप उससे भाग क्यों रहे हो? (व्यवधान) आपने जो पाप किया है, उसको आपको भुगतना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री फूलचन्द मीणा।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): बजरी माफिया को पैदा ही कांग्रेस ने किया है। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): चलो गलती हुई तो भी स्वीकार तो आपको करना ही पड़ेगा कि आपने की है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर नीति बनाते समय 5-5 हजार, इससे भी बड़े और कुछ लोगों को खुश करने के लिए आपने जो नीति बनाई और उसमें केवल दस्तखत किये और उनके... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कौनसी नीति बनाई? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सवा चार साल में यह नीति बनाई कि आज बजरी माफिया हावी है। आठ-आठ गुना दामों में बजरी सप्लाई की जाती है। (व्यवधान) और आपके, आपकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं, नेता बजरी खनन में लगे हुए हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): ...नीति नहीं। नीति तो हमने बनाई है कि... (व्यवधान) आपकी की गई गलतियों को दूर करेंगे। (व्यवधान) हमारी मुख्य मंत्रीजी ने...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह नीति बनाई है आपने।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सारे के सारे कांग्रेसी लगे हुए हैं उसमें।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बड़े-बड़े, 5-5 हजार वर्ग किलोमीटर के, इन्होंने 45 लोगों के हाथ में सारी की सारी बजरी का कारोबार दे दिया नीति बनाकर और उसके अन्दर भी आपने...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मंत्रीजी, वह तारीख बता दो। मंत्रीजी, मंत्रीजी, वह तारीख बता दो, पिछले चुनाव से आठ दिन पहले इन्होंने क्या किया बता दो न, आचार संहिता लगने से आठ दिन पहले क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सवा चार साल में क्या किया बजरी पर, वह बताओ आप तो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 25 नवम्बर, 2013, 25 नवम्बर, 2013।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको 163 का बहुमत मिला था, आपने बजरी माफिया से सांठ-गांठ करके सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगवा दिया। आज बजरी माफिया छह गुना, आठ गुना पैसों में बजरी रात को सप्लाई कर रहा है और आप कार्यवाही नहीं कर रहे हो। आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय डोटासराजी, बात पुरानी होने से झूठी नहीं हो सकती। जो आपने किया, वह स्वीकार करना पड़ेगा और आपके ये कारनामे ही हैं जिनका आज फल मिल रहा है। (व्यवधान) और आप कह रहे हो, वह पुरानी बात हो गई। पुरानी हो गई तो भी आपने किये तो हैं ना, यह तो स्वीकार करो कि आपने गलती की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त करता हूं, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट के अन्दर घोषणा की है, अब जितने भी काश्तकार हैं, जहां भी बजरी, जिनके भी खेतों में बजरी है या नदी के किनारे किसी भी खातेदार के यहां बजरी है तो चार हैक्टेयर के लिए हम उनको बगैर ई-आक्शन के सीधे ही बजरी खनन की अनुमति देंगे। (व्यवधान) सुनिये आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी मुख्य मंत्री तो कह चुकीं, बजट की पालना की कोई मेरी गारंटी नहीं है, तो ऐसे में हम, यह सदन कैसे विश्वास करे? मुख्य मंत्री स्वयं कह चुकी कि मेरे बजट की पालना की कोई गारंटी नहीं है। (व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मुख्य मंत्रीजी ने तो दूसरी बात की है, वह भी सुन लो। (व्यवधान) कम से कम सुनने का माद्दा तो रखो।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): भारतीय जनता पार्टी जो घोषणा करती है, वह उसे पूरी करती है। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ (संसदीय सचिव): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम उसको लागू करेंगे। समय सीमा में लागू करके लोगों को राहत देंगे।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 27 खनन पट्टे रद्द किये हैं, जो अवैध खनन का काम करते थे उन पर अंकुश लगाने के लिए। ढाई महीने में 1,301 हमने प्रकरण किये हैं, 180 एफआईआर कराई हैं और 10.73 करोड़ रुपये की पैनल्टी लगाई हैं ताकि बजरी के अवैध खनन पर अंकुश लगे और...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, आपका सत्ता पक्ष का विधायक बजरी के अवैध खनन में पकड़ा गया। उसका ट्रैक्टर पकड़ा गया। यह बजरी खनन माफियाओं ने एक सरपंच की हत्या कर दी। आप कुछ नहीं कर सके।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): ...आपके लोगों को कंट्रोल कर सके। (व्यवधान) प्रदेश के कुछ लोगों के हाथ में बजरी दे दी गई, यह आपकी नीति थी। हमारी नहीं थी। (व्यवधान) आपने 2012 में जो नीति बनाई, उसका खामियाजा राजस्थान की जनता भुगत रही है और उसके कारण से यह स्थितियां पैदा हो रही हैं। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आज साढ़े चार साल हो गये और आप दूसरी बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बंदरबांट में राजस्थान की जनता से बदला लेते हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मनोजजी, बैठो।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): ये चोर हैं, इनके खिलाफ आप कार्यवाही

(श्री मनोज कुमार)

करिए। चार साल में आपने इनको जेल क्यों नहीं भिजवाया? पूरे राजस्थान की जनता परेशान हो रखी है।

श्री अध्यक्ष: आसन की बिना अनुमति के नहीं। बीच में खड़े हो जाते हो। No, no. This is not the proper way.

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): हमने एसटीपी का प्रावधान कर दिया, हमने ठेकेदार को सीधे बजरी देने का प्रावधान कर दिया। कोई भी सरकारी काम, कोई भी सरकारी योजना का काम उसमें एसटीपी कोई लेना चाहेगा तो 15 दिन के अन्दर हम एसटीपी जारी करेंगे और कोई सरकारी काम या कोई भी काम रुकने नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। पूरक प्रश्न, श्री फूलसिंह मीणा। मंत्री महोदय, विराजिए। अब फूलसिंह जी मीणा पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि दूसरे जिलों में तो आपने खनन का दे रखा था, मगर उदयपुर एक ऐसी जगह है, जहां जयसमन्द में आने वाली नदी में रेत की भरमार है और वहां से रेत अवैध आ रही है । क्या वहां पर आप उनको भी परमिशन देने की कृपा करेंगे? ताकि वहां ट्राइबल बेल्ट में जो सरकारी आवास बन रहे हैं, या हमारे गौरव पथ बने रहे हैं और जितने भी काम अधूरे पड़े हैं। उनको पूरा करने के लिए तुरन्त प्रभाव से कोई डिसीजन ले रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कारण बजरी का नदियों में खनन बैन है और उसके अन्दर हमने, जो रिप्लेसमेन्ट स्टडी थी। उसको करवा लिया, एक्सपर्ट कमेटी से भी हमने उसका अप्रूवल लेकर और सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। कल तारीख है और हमें विश्वास है कि हमने बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखा है और निश्चित तौर पर हमें कल जो है उसके अन्दर बजरी खनन की इजाजत मिल जाएगी। ऐसी हम आशा करते हैं और उस अनुसार, जो सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा। कितनी गहराई तक और कितनी बजरी निकाल सकते हैं। उस हिसाब से सब जगह बजरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक, हम आगे काम जारी करा देंगे।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो सही है कि राजस्थान के अन्दर कांग्रेस की सरकार ने जो पाप किये, वो हम धो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मेरा सवाल यह है कि वास्तव में जिन नदियों में 10-20 साल से खनन हो रहा है। वे नदियां तीन मीटर से दस मीटर तक गहरी हो गई हैं। धरती का जल स्तर नीचे चला गया है। उन स्थानों पर बजरी के पट्टा ब्लाक नहीं बनाएं, यह मेरा निवेदन है। दूसरा मेरा निवेदन है कि क्या वास्तव में ...

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए। राय नहीं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मैं राय नहीं दे रहा हूं, स्थिति यह है कि जल स्तर नीचे जा रहा है। जैसे-जैसे आप बजरी का खनन करोगे, जलस्तर नीचे जा रहा है। हमारे पास भी पहाड़ है, पत्थरों के पहाड़ हैं, बजरी को पत्थरों से बनाने के लिए, ऐसा प्रावधान कीजिए और ये जो नदियों के अन्दर से जो बजरी निकाली जाती है उसको रोकने का क्या आप प्रयास करेंगे, मेरा यह निवेदन है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमने 56 प्लांट नये बनाए हैं और मैं सदन को इस बात के लिए सूचित करना चाहता हूं कि हमने इनकी तरह 5-5 हजार के नहीं, हमने 50-50 हैक्टेयर के बनाये हैं और आगे भी हम छोटे प्लांट बनाएंगे और उस कारण सब लोगों का...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, सवा चार साल से सो रहे थे क्या? जो आज घोषणा कर रहे हो कि हमने सर्वे करा लिया, पहले क्यों नहीं करवाया? जान-बूझकर बजरी माफियाओं से मिलीभगत करके सरकार ने जान-बूझकर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री गोरधन। जवाब हो गया। अगला सवाल पुकार लिया श्री गोरधन।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरित की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता जांच

228. श्री गोरधन (धोद): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोरधन)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धोद में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाली खाद्य सामग्री व फलों की स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच की जाती है? यदि हां, तो गत चार वर्षों में कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों की कब-कब व कहां-कहां जांच की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जांचों में अनियमितता पाये जाने पर गत चार वर्षों में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो कब व किसके विरुद्ध? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर महिलाओं, बच्चों व किशोरियों को सुविधाएं दी जाती हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी? गत चार वर्षों में दी गई सुविधाओं का केन्द्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती अनिता भदेल): (1) जी नहीं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री की जांच स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं करवाई जाती है। उक्त खाद्य सामग्री की जांच एन.ए.बी.एल. अनुमोदित प्रयोगशाला द्वारा करवाई जाती है।

(2) जी नहीं। जिला सीकर में गत 4 वर्षों में 442 पोषाहार नमूनों की जांच करवाई गई, जिसमें कोई कमी नहीं पाई गई। अत: पोषाहार वितरण करने वाले स्वयं सहायता समूह के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(3) जी हां। विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र पर दी जाने वाली सुविधाएं एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट 'अ' एवं परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक ।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप खाद्य सामग्री की जांच, आंगनबाड़ी केन्द्रों में जो जाती है। उसमें केवल एन.ए.बी.एल., उनकी जो प्रायोगिक प्रयोगशाला है, उनके द्वारा कराई जाती है। मैं सोचता हूं कि इतना बड़ा डिपार्टमेन्ट है और सीकर जिले में इतने आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, तो क्या यह संभव है कि इनके द्वारा यह जांच पूरी की जा सकती है?

(श्री गोरधन)

मेरा इसमें निवेदन यह है कि आप इसमें एक स्थानीय स्तर पर या कोई जांच का केन्द खोला जाए या फिर कोई एक टीम बनाई जाए। जो आंगनबाड़ी केन्द्रों में खाद्य सामग्री की विशेषकर जांच हो, क्योंकि वहां पर आप खाद्य सामग्री देते हैं तो यह भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस संबंध में आप आगे क्या कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। धोद के बारे में है, धोद के बारे में बता दीजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है कि स्थानीय स्तर पर, तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूंगी, क्योंकि ये वे प्रयोगशालाएं हैं, जो राष्ट्रीय परीक्षण अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड है उससे मान्यता प्राप्त जो भी प्रयोगशालाएं हैं, उनको हम अधिकृत करते हैं।

इस प्रकार से हमने पूरे राजस्थान में 5 प्रयोगशालाओं को टेण्डर करके अधिकृत किया है और वर्तमान में भी इसका नये साल के लिए टेण्डर निकाला है, जो भी प्रयोगशालाएं आएंगी, इसके अन्दर अपना आवेदन देंगी। उनको हम अधिकृत करने वाले हैं और सीकर की जो आपने बात कही है। सीकर, जयपुर, अलवर, झुंझुनूं और दौसा के लिए मैसर्स सीईजी टेस्ट हाउसिंग एण्ड रिसर्च सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर की कम्पनी है, जो नमूनों को लेकर जाती है और टेस्ट करके रिपोर्ट के साथ हमको प्रस्तुत करती है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्रीमती सोना देवी।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछा है मैंने अभी।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, दूसरा और प्रश्न।

श्री गोरधन (धोद): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से आपने बताया है कि 442 नमूने, हमने पोषाहार के लिए हैं। क्या यह सम्भव है कि 442 में से एक भी मतलब पूरे के पूरे सही पाए जाते हैं? तो शायद यह सम्भव नहीं और क्या जिस प्रकार से जांच की गई है? जांच करने में सभी सही पाए गए हैं? और दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार से आप पूरक पोषाहार देते हैं तो उनमें आप 300 दिन जो पंजीकृत लाभार्थी होते हैं। उनको आप लगातार यह पोषाहार, पूरक पोषाहार दिया जाता है तो इसमें आप क्या-क्या देते हैं? और कब-कब किस प्रकार से दिया जाता है? मंत्री महोदय बताएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): पहला जो आपने प्रश्न किया है, उसके लिए मैं इतना निवेदन करना चाहूंगी कि हमने पूरे राजस्थान भर में लगभग 21050 सैम्पल्स लिए हैं जिनमें 19886 सैम्पल्स बिलकुल ओके पाये गये हैं। सीकर की जो आपने बात कही, उसमें निश्चित रूप से सैम्पल्स, सीकर का ही नहीं है बीकानेर भी और बूंदी के भी सारे सैम्पल्स ओके पाये गये, इसी प्रकार जैसलमेर में तो 442 ही नहीं है, लगभग 21 हजार सैम्पल्स हमने लिए हैं।

इसके लिए एक कम्पनी नहीं, 5 कम्पनी हमारे पास आथोराइज्ड हैं, 5 कम्पनियां पूरे राजस्थान में अलग-अलग जिलों से सैम्पल लेकर उसका परीक्षण करती हैं और उसके बाद में रिपोर्ट देती हैं। कुछ सैम्पल, इक्का-दुक्का सैम्पल ऐसे हैं, जो परीक्षण के उपरान्त सही नहीं पाए गए तो उनके खिलाफ हमने कार्यवाही की है और उनके जो एम.ओ.यू. है स्वयं सहायता समूह से, जो विभाग ने किए हैं उनको निरस्त भी हमने किया है।

इसके अतिरिक्त, जो आपने दूसरी बात की है कि आप पूरक पोषाहार में तो, इसके परिशिष्ट 'ब' में हमने बताया है कि पूरक पोषाहार में हम क्या-क्या खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। फिर भी, मैं आपको, वापस पूछा है आपने, तो मैं वापस बता देती हूं। पूरक पोषाहार में हम 6 माह से 3 वर्ष तक के बालकों को 125 ग्राम बेबी मिक्स उपलब्ध करवाते हैं, जो प्रति सप्ताह 650 ग्राम होता है।

इसी प्रकार से 6 माह से 3 वर्ष तक के बालकों को, जो अति कुपोषित हैं। उनको 200 ग्राम है। 3 से 6 वर्ष तक के बालकों को, चूंकि ये बड़े बालक हैं और खाने लायक, इनको नाश्ता और गरम पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जाता है। इसी प्रकार से गर्भवती और धात्री महिलाओं को 155 ग्राम, उनको टेक होम राशन दिया जाता है। इस तरह से यह सामग्री उनको दी जाती है। जिस सामग्री में नाश्ते में रोस्टेड चना और गुड़ शामिल है, तीन प्रकार का नाश्ता है। इसी प्रकार से जो पूरक पोषाहार है, गरम पोषाहार में, गरम खिचड़ी और दलिया दिया जाता है। टेक होम राशन जो पंजीरी है, वो बनाकर उपलब्ध करवाई जाती है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सोना देवी, पूरक प्रश्न एक।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके

(श्रीमती सोनादेवी)

माध्यम से माननीय मंत्री महोदया जी से जानना चाहती हूं कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में धोद विधान सभा की तरह, मेरे यहां भी आंगनबाड़ी केन्द्रों में मूलभूत सुविधाएं जैसे- शौचालय आंगनबाड़ी केन्द्रों में होना चाहिए, आंगनबाड़ी केन्द्रों में चारदीवारी, बिजली कनेक्शन, पेयजल व्यवस्था बहुत सी आंगनबाड़ी केन्द्रों में यह नहीं हैं।

मैं जानना चाहूंगी कि पिछली 4 साल में सरकार के क्या प्रयास रहे? इन मूलभूत सुविधाओं के लिए। अगर वित्तीय संसाधनों की कमी है तो कब तक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने के बाद ये मूलभूत सुविधाओं की कमी पूरी की जाएगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदया। जनरल सवाल है दे दीजिए जवाब।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शौचालय और पेयजल की बात की है, निश्चित रूप से सरकार और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने विभाग को बजट दिया हुआ है।

हम भवन निर्माण भी कर रहे हैं, शौचालय भी बना रहे हैं, पानी की व्यवस्था भी कर रहे हैं, पर जहां आंगनबाड़ी केन्द्र स्वयं के भवन में है, किराये के भवन में नहीं है, वहां हम अलग-अलग स्तर पर जाकर के हमारे लक्ष्य तय हैं।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के चल रहे हैं आंगनबाड़ी भवन वहां नहीं है शौचालय। मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रही हूं। जो राजकीय आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, वहां शौचालय नहीं है, वहां पेयजल व्यवस्था नहीं है, चारदीवारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: वे जवाब दे रही हैं। जवाब दे रही हैं?

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): हां, मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगी कि आपके कोई प्रस्ताव आ जायेंगे तो हम वहां पर भी देंगे। मनाही नहीं है, पर जो प्रस्ताव हमको विभाग की ओर से प्राप्त हुए हैं उन सबमें हमने शौचालय के लिए भी पैसा दिया है, रिपेयर के लिए भी पैसा दिया है। शौचालय हमने स्वयंसेवी संगठनों से निवेदन करके भी बनवाये हैं, जहां भी हमारे पास प्रस्ताव प्राप्त होंगे, आप प्रस्ताव देंगें तो हम आपके लिए भी उपलब्ध करवाएंगे।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्रीजी कह रही हैं कि चार-चार सैम्पल लिये हैं, जहां आंगनबाड़ी केन्द्र हैं उस मौहल्ले में सैम्पल भर के वहां के मेहतरों के सिग्नेचर करा करके फिर जांच की जाए तब तो उसकी सत्यता का पता चलता है। ऐसा एक भी मौक़े पर आपने देखा क्या कोई सैम्पल लिया हुआ? मैडम, आपने कोई देखा है, प्रयोगशाला में कि मौक़े के लोगों के, उस मौहल्ले के लोगों के साइन थे फिर वहां सैम्पल लिये गये केवल मात्र प्राइवेट कंपनी है उनको जांच के पैसे मिलते हैं, एक जगह सैम्पल भर दिये, साइन फर्जी कर दिये और पास कर दिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। सवाल सही है।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो आशंका है वो बिलकुल निराधार है, निर्मूल है, क्योंकि सैम्पल जो भरे जाते हैं उन सैम्पल्स पर संबंधित स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता जो एलएस उपलब्ध कराती है उसका सिग्नेचर, उसमें होता है सेम्पल पर उसका सिग्नेचर होता है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): वो तो मिले हुए हैं सभी।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): मेरी बात पूरी सुन लो। यदि वहां कोई जनप्रतिनिधि भी मौजूद है तो उसके भी सिग्नेचर कराये जाते हैं और बाकायदा आपको देखने हैं तो मैं आपको दिखा भी सकती हूं कि वो सैम्पल भर के उप निदेशक के यहां प्राप्त होते हैं और उप निदेशक के यहां से फिर प्रयोगशाला में जाते हैं इसलिए आपकी यह आशंका निराधार है कि किसी के साइन नहीं होते हैं। बाकायदा उस सैम्पल पर नाम होता है, उसके साइन होते हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। तीसरा पूरक प्रश्न श्रीमती अलका सिंह।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में थे और फिर नगरपालिका विस्तारित क्षेत्र में आ गये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, धोद से संबंधित है क्या?

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): नहीं, जनरल क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष: वो फिर आप बात कर लेना।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): जनरल क्वेश्चन है कि विस्तारित क्षेत्र में आ गये तो वो अभी तक खाली पड़े हुए हैं उनको भरने की क्या मंशा

(श्रीमती अलका सिंह)

रखता है विभाग? पहले ग्रामीण एरिया में थे और अब विस्तारित क्षेत्र में आ गया है और वो खाली पड़ा हुआ है तब से बांदीकुई में।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): खाली क्या तो?

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): उसकी जगह।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। आप बता देना उनको।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): बता देती हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल स्पष्ट नहीं था इसलिए मैंने वापस पूछा।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। माननीय मंत्री महोदय, आप विराजिए। अगला सवाल श्री हमीर सिंह भायल।

सिवाना में नवीन एनीकट एवं बांधों का निर्माण

229. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में दिसम्बर, 2014 से 31 दिसम्बर, 2018 तक कौन-कौन से एनीकट एवं बांध स्वीकृत किये गये? उक्त में से कितनों का कार्य पूर्ण हो चुका है व कितनों का कार्य अपूर्ण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अपूर्ण एनीकटों का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नवीन एनीकट व बांध बनाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विभाग के केन्द्रीय अध्ययन दल द्वारा उक्त क्षेत्र में सर्वे किया गया है? यदि हां, तो अध्ययन दल द्वारा क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है एवं विभाग द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (डा. रामप्रताप): (1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में

(जल संसाधन मंत्री)

दिसम्बर, 2014 से अब तक कराये गये एनीकट एवं बांधों के कार्यों एवं इनके पूर्ण/अपूर्ण स्थिति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) पूर्व में स्वीकृत एनीकट एवं बांधों के सभी कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं।

(3) जी हां। सिवाना विधानसभा क्षेत्र में निदेशक केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त 27 एनीकट/बांधों के प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(4) जी हां। अध्ययन दल द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन में 27 जल संग्रहण संरचनाओं के प्रस्ताव सम्मिलित किये गये हैं, इन प्रस्तावों में से विभाग द्वारा 3 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष में से दस कार्यों के तखमीने तैयार किये जा चुके हैं तथा शेष के तखमीने तैयार कर तकनीकी उपादेयता एवं संसाधन उपलब्धतानुसार करवाये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्रीजी ने जो बताया, वैसे मेरे बाड़मेर जिले में सिवाना ही एक ऐसा क्षेत्र है कि वहां अरावली श्रृंखला होने की वजह से पहाड़ी क्षेत्र है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि बीस साल से बाड़मेर में इस विभाग का पिछले बारह-तेरह साल में कोई कार्य नहीं हुआ था। मेरे यहां नया एईएन आफिस पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से वहां खोला इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और डीपीआर बनाकर छोटे-मोटे तीन-चार एनीकट करवाये इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बार-बार धन्यवाद दूंगा आपको। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, हुकम। एक प्रश्न सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि पाली में हेमावास और बाकली बांध जो बने उस समय में इसकी सर्वे हुई वो मेरे क्षेत्र में अरतंडी, खंडब, सिवाली, गोलिया, सरोड़ी, रातड़ी, कर्मावास, सांवरड़ा तक की गयी थी। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन रहेगा मंत्री महोदय से कि जब ये अच्छी बरसात होती है, दोनों बांध भर जाते हैं तो वहां के पाली के किसानों को पानी देने के उपरांत जो पानी बचता है वो पानी वहां खाली पड़ी जमीन में छोड़ा जाता है तो जमीन भी बंजर होती है। मेरा निवेदन रहेगा माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से कि इसका आगे नहर का खाला बनाकर यह मेरे गांवों की जो पूर्व में सर्वे हुआ था, यहां तक अगर पानी दिया जाए तो किसानों को लाभ होगा और पानी जो वेस्ट हो रहा है उसकी भी बचत होगी।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने हेमावास और बाकली का जिक्र किया तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पानी की एक-एक बूंद हमारे लिए बहुत ही बेशकीमती है। आप अपने सुझाव देना, उसकी हाइड्रोलोजी दिखवा लेंगे, अगर फिजीबल होगा तो निश्चित तौर पर पर काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगे?

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। पूरक प्रश्न नंबर-1 श्री नारायण सिंह देवल। यह सिवाना से संबंधित है नारायण सिंह जी, इसी के इर्द-गिर्द सवाल कीजिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): बिलकुल हुकम। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सिवाना विधान सभा क्षेत्र में अतिवृष्टि में कई एनीकट और बांध टूट गये हैं सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में बने इन एनीकट्स और बांधों को पंचायत राज को हैंडओवर कर दिया है। कई जगह जो सिंचाई विभाग के द्वारा निर्मित बांध और एनीकट के जो ड्राइंग हैं वो पंचायत राज को नहीं मिली है और पंचायत राज के अन्दर अभी इन एनीकटों को नरेगा के तहत कराने का प्रावधान है। मेरा आपसे निवेदन है कि नरेगा में यह काम करना सम्भव नहीं है। मंत्री महोदय, खुद भी जानते हैं, पंचायत राज मंत्रीजी भी जानते हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो पूर्व में बने हुए सिंचाई विभाग के द्वारा बांध और एनीकट्स को वापस पंचायत राज से सिंचाई विभाग में हैंडओवर कर इन बांधों को जैसे रानीवाड़ा में काफी टूटे हैं इन बांधों को करने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के दो पूरक प्रश्न बन गये। इन्होंने एक तो फर्माया कि जो पंचायत राज को हैंडओवर किये हैं उनकी ड्राइंग डिजाइन पहुंची ही नहीं है, तो आप बता दें। जिनकी नहीं पहुंची है, मैं आज शाम को ही पहुंचा दूंगा। जहां तक पंचायत राज को हस्तांतरित है तो उनके लिए तो पंचायत राज ही सक्षम है, माननीय अध्यक्ष महोदय। हमारा कोई एनीकट टूटा हुआ है या और कोई कमी है तो उसका आप निवेदन करेंगे तो उसके हिसाब से काम कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री मेवाराम जैन। आप पड़ोस में हो इसलिए सिवाना के आस-पास ही रहिये बाड़मेर में नहीं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): बाड़मेर का ही तो है सिवाना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि बाड़मेर में जो क्षतिग्रस्त बांध हैं...

श्री अध्यक्ष: यह रिलेवेंट नहीं है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): जो बरसात से टूटे हैं, उनकी रिपेयर करने के लिए एक तरफ तो जल स्वावलम्बन योजना आप चला रहे हो, दूसरी तरफ जो बाढ़ में टूट गये हैं, तो उनको ठीक कराएंगे क्या, जिनकी वजह से ये पानी की योजनाएं चल रही हैं, कुएं सूख गये हैं। बालेरा बांध है, उसको आप ठीक कराने की मंशा रखते हो या नहीं?

श्री अध्यक्ष: जनरल था पूछ लिया आपने। माननीय मंत्री महोदय।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैंने पहले वाले सवाल के जवाब में ही आपसे क्लियर कर दिया। इसलिए मेरे ख्याल से सदन का समय जाया करने की जरूरत नहीं है। आप फरमा दो कोई बाकी है तो उसको ठीक करा देंगे और जो पंचायत राज के हैं वो पंचायत राज को आप बता दें।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा। सिवाना से इधर-उधर नहीं जायेंगे आप। कहां कोटा से सिवाना आ गये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिवाना में बांधों और एनीकट की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारा प्रदेश...

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह नहीं। यह रिलेवेंट नहीं है। नहीं-नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिवाना पर ही आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: सिवाना की बात कीजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बांध और सिवाना पर आ रहा हूं। आज कितना पानी व्यर्थ बह जाता है। चंबल जैसी नदी जो आधे प्रदेश को पानी दे रही है, उसका पानी बरसात में व्यर्थ बह जाता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर चंबल नदी में अगर हम एक और बांध बना दें .....

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब आयेगा कैसे, रेलेवेंट नहीं है विराजिए, बैठ जाइए, माननीय मंत्री महोदय, आपके पास जो भी जवाब हो, वैसे रेलेवेंट नहीं है।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि यह कोई बाड़मेर या सिवाना से संबंधित नहीं था लेकिन माननीय सदस्यों को मैं इस बात के लिये आश्वस्त करता हूं कि जब विभाग की डिमांड आयेगी तो जो आपकी आशंका है, इसका निश्चित तौर पर निराकरण किया जायेगा और न केवल आपकी ही आशंका का, इस चंबल के पानी का, इसके ट्रिब्यूटीज के पानी का, इंटरलिंकिंग आफ रिवर्स में, आपसे निवेदन करूंगा और पूरे सदन को अवगत कराऊंगा कि यह राजस्थान के लिये कितनी महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री रमेश

प्रश्न संख्या 230

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

अगला सवाल श्री गोतम कुमार।

बड़ी सादड़ी में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लाभार्थी

231. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनान्तर्गत कुल कितने गैस कनेक्शनों का वितरण किया गया है और कितने गैस कनेक्शन दिया जाना शेष है? ग्राम पंचायतवार नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे पात्र परिवार जो गैस कनेक्शन की सूची में सम्मिलित होने से वंचित रह गये हैं, को पुन: सूची में सम्मिलित कर गैस कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री बाबूलाल वर्मा): (1) राज्य स्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग से प्राप्त सूचना अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में जारी किए गए गैस कनेक्शनों की संख्या 17389 (आईओसीएल-1573, एचपीसीएल-3340 एवं बीपीसीएल-

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

12476) है तथा SECC सूची अनुसार 13532 गैस कनेक्शन जारी किये जाने शेष हैं। गैस कनेक्शनधारियों का ग्राम पंचायत एवं नामवार विवरण वेबसाइट www.mylpg.in एवं तेल कम्पनियों के निम्न लिंक पर उपलब्ध है:-

https://indane.co.in/ujjwalabeneficiary.php
https://myhpgas.in/myHPGas/ujjwalabeneficiary.aspx
https://ebharatgas.com>mylpg>Ujjwala Beneficiary

(2) प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ऐसे परिवार जिनका नाम पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई SECC (आर्थिक, सामाजिक एवं जातिगत जनगणना) लिस्ट, 2011 में है, उस घर की किसी भी महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, के नाम से गैस कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एक तो जो आपने संख्या बताई है 13532 कनेक्शन अभी देने के लिये बाकी हैं, उनको आप कब तक दे देंगे? दूसरा आपने जवाब में यह नहीं बताया, मैंने सवाल में आपसे सीधा यह पूछा था कि जो सूची से वंचित रह गये हैं, उनको किस व्यवस्था के अन्तर्गत आप देंगे, देंगे या नहीं देंगे, इस बारे में आपने नहीं बताया, कृपया इसका भी जवाब दें। कुछ परिवार ऐसे हैं जो बीपीएल हैं, अंत्योदय हैं, स्टेट बीपीएल हैं, ऐसे परिवार हैं जो 2011 की सूची से वंचित रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष: आपस में बातचीत नहीं, मिस्टर डोटासरा, इधर आ जाओ वह डिस्टर्ब हो रहे हैं।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): बीपीएल परिवार और स्टेट बीपीएल परिवार भी 2011 की सूची से वंचित रह गये हैं, उनको भी जोड़ने का विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: आपस में बातचीत नहीं, मिस्टर मामन सिंह, अपनी सीट पर बैठिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): कुछ गैस एजेंसीज ने उस समय तो दूर-दूर की पंचायतों में भी दे दिये, अब उनको सर्विस देने से इंकार कर रहे हैं। उस संबंध में क्या सरकार उनके गैस कनेक्शन ट्रांसफर करने का विचार रखती है या उसी गैस एजेंसी को पाबंद करेगी कि वहां जाकर सप्लाई करे, इस बारे में भी अगर संतुष्ट करेंगे तो उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना केन्द्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है और जब इसको केन्द्र सरकार ने लागू किया तो यह सोशल इकोनोमिक कास्ट सेंसस, 2011 में जब सूची बनी, उस सूची के हिसाब से इस योजना के तहत कनेक्शन जारी करने थे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस योजना के तहत कुल 5 करोड़ का लक्ष्य था। उसमें अभी लगभग 255782 कनेक्शन तो जारी किये जा चुके हैं और 2018-19 तक हम इसमें जितने भी कनेक्शन बाकी हैं, उनको भी जारी कर देंगे। इसमें माननीय सदस्य ने जो बात की कि कई बार उनकी औपचारिकता पूरी करने के लिये गैस एजेंसीज उनको बार-बार कहती रहती है और जैसे ही उनकी औपचारिकता पूरी हो जाती है तो उसमें कनेक्शन जारी कर दिया जाता है। माननीय सदस्य ने कहा कि जो पात्र वंचित रह गये हैं, इसमें मैं कहना चाहता हूं कि SECC सूची में जो नाम है और जो सर्वे में चयनित हैं, उन्हीं को ही इस योजना के तहत लाभ दिये जाने का प्रावधान है, दूसरे लोगों को लाभ दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न श्री गोतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): एक मैंने आपके माध्यम से आग्रह किया है कि जो 45 परसेंट कनेक्शन बाकी हैं, उनको आप कब तक कर देंगे? लगातार लोग एप्लाई कर रहे हैं, उनको कब तक दे देंगे, इस बारे में आपने तारीख नहीं बताई। एक मैंने आपसे जानकारी चाही थी कि कुछ गैस एजेंसीज ने उस समय काफी दूर-दूर तक कनेक्शन कर दिये, क्योंकि उनको उस समय गैस कनेक्शन करने थे, कर दिये उन्होंने लेकिन अब उनको वह सर्विस नहीं दे रहे हैं। 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर एक तहसील से दूसरी तहसील में भी कनेक्शन दे दिये। जिन्होंने कनेक्शन ले लिये उनको अब सर्विस मिले, वह मारे-मारे फिर रहे हैं, न तो वह 30-30 किलोमीटर दूर गैस एजेंसी पर जा पा रहे हैं। या तो उनको नजदीकी गैस एजेंसी पर ट्रांसफर कर दिया जाये, इसके बारे में आप थोडा सा संतुष्ट करें तो ठीक रहेगा।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी सादड़ी विधान सभा क्षेत्र में चार गैस एजेंसियां कार्यरत हैं। एक तो राजदीप एचपी गैस कंपनी है, एक मैसर्स सांवरिया इण्डेन गैस, मैसर्स शीतल भारत गैस, ग्रामीण और मैसर्स सांवरिया भारत गैस ग्रामीण वितरक।

(श्री बाबूलाल वर्मा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सभी गैस एजेंसियों की यह जिम्मेदारी है कि उनके कंज्यूमर्स को वाजिब सर्विस दी जानी चाहिये। मैं माननीय सदस्य को निश्चित रूप से यह विश्वास दिलाता हूं और आश्वस्त करता हूं कि यदि आपके पास ऐसी किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो निश्चित रूप से मेरी जानकारी में डाल दीजिए, सर्विस अच्छी से अच्छी प्रोवाइड हो, मैं इसके लिये कार्यवाही भी करूंगा और सभी गैस कंपनियों को यह निर्देश भी जारी करेंगे कि सर्विस के मामले में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरते।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, आप क्या करेंगे, बड़ी सादड़ी है?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): हां, बड़ी सादड़ी।

श्री अध्यक्ष: बड़ी सादड़ी के बारे में?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): हां।

श्री अध्यक्ष: पूछिए, पूछिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि बड़ी सादड़ी में 2011 के सर्वे के आधार पर उज्ज्वला गैस योजना के लाभ आप दे रहे हो, इन 6 सालों में बहुत सी आर्थिक स्थितियां भी बदली हैं, क्या आप केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर इन बदलती हुई परिस्थितियों में वर्तमान सर्वे करवाने की मानसिकता रखते हैं? ताकि वर्तमान परिस्थितियों में सर्वे करवाकर जो लोग वंचित हैं, उनको भी उसका लाभ दिया जा सके।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने शुरु में ही यह बात कही है कि तीन साल के लिये यह योजना लागू की गई थी और इस योजना के तहत कुल 5 करोड़ लोगों को कनेक्शन दिये जाने की योजना थी। पहले यह तीन साल की योजना पूरी हो जाये उसके बाद जो भी निर्देश होंगे, उसके हिसाब से कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं कि महिलाओं के लिये बहुत ही अच्छी स्कीम लाकर उनके जीवन को इस उज्ज्वला योजना के मार्फत आपने उज्ज्वल

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

किया है। एक सवाल करना चाहती हूं कि गैस कनेक्शन के उपभोक्ताओं के द्वारा लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि एजेंसी द्वारा उनसे अलग-अलग राशि ली जाती है।

श्री अध्यक्ष: यह बड़ी सादड़ी का है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): यह बड़ी सादड़ी में भी हो रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या हम इस पर रोक लगायेंगे? किसी से 1400 रुपये लिये जा रहे हैं, किसी से ज्यादा लिये जा रहे हैं, क्या इस पर पाबंदी लगाने का मंत्रीजी विचार रखते हैं?

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहूंगा कि इस योजना के तहत जो उपभोक्ता कनेक्शन लेने के लिये आता है उस पर 1600 रुपये का अनुदान कुछ चीजों के लिये दिया जाता है। जिसमें 1250 रुपये तो सिलेण्डर की प्रतिभूति राशि, 150 रुपये रेगुलेटर की प्रतिभूति राशि, 100 रुपये रबर पाइप के लिये, 25 रुपये डायरी के लिये और 75 रुपये प्रशासनिक शुल्क, यह तो उसको अनुदान के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा 990 रुपये चूल्हे की कीमत तथा फर्स्ट सिलेण्डर की जो रिफलिंग कास्ट है, उसके लिये उसको लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की राशि उनसे वसूल नहीं की जाती, मैं आपके माध्यम से यह सूचित करना चाहता हूं।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री जयराम जाटव। सवाल कीजिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष जी, इनका कार्यकाल पूरा हो गया। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 2008 और 2013 के बीच में राजस्थान में किसानों और ग्रामीणों को कितने घरेलू कनेक्शन कंपनी द्वारा दिये गये?

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के किसानों को अतिरिक्त पानी दिये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से नागौर नगर परिषद के आयुक्त द्वारा नियमों के विपरीत निर्माण कार्यों एवं पट्टे जारी करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से प्रदेश में सरपंच संघ द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर दिये जा रहे धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(4) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में जन सहभागिता से संचालित गोशालाओं का रजिस्ट्रेशन न होने से इनको सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से प्रदेश में एम.बी.सी. वर्ग के व्यक्तियों के जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से पण्डित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले निजी महाविद्यालयों को एफिलेशन नहीं देने एवं अधिक राशि वसूलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से प्रदेश में कार्यरत पैराटीचर्स, मदरसा पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शकुन्तला रावत, श्री धीरज गुर्जर, श्री मनोज कुमार एवं श्री सुखराम विश्नोई को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री भवानी सिंह राजावत, सदस्य की ओर से कोटा शहर में प्रस्तावित नये हवाई अड्डे का निर्माण शीघ्र किये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजस्थान विश्वविद्यालय तथा कालेजों की फीस बढ़ाये जाने से छात्रों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(3) श्री गोपी चन्द मीणा, सदस्य की ओर से पंचायत समिति साबला में सोनार मात पाल पर निढाऊवा नदी पर एनिकट एवं रायकी लिफ्ट योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

(4) श्री हीरा लाल दरांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल की उप तहसील फलासिया को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाये जाने के संबंध में।

(5) श्री राम लाल गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के गुलाबपुरा में नया महाविद्यालय खोलने तथा सैकण्डरी विद्यालय को क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(6) श्री पूराराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीनमाल की बागोड़ा व जसवंतपुरा तहसील की 11 पंचायतों को भीनमाल तहसील में शामिल किये जाने के संबंध में।

(7) श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से जयपुर जिले की तहसील रेनवाल की ग्राम पंचायत डूंगरी में अवैध खनन से स्थानीय निवासियों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(8) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा स्मार्ट सिटी के कार्यों में हो रहे विलम्ब एवं नगर निगम कोटा में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में।

(9) डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र विराट नगर की राजनौता व मैड पी.एच.सी. को सी.एच.सी. में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(10) श्री विद्याशंकर नन्दवाना, सदस्य की ओर से सब्जियों के रेफ्रीजरेशन की व्यवस्था नहीं होने के कारण दामों में उतार-चढ़ाव से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(11) श्री रमेश, सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत मोंगेपुरा तहसील मण्डरायल में हैण्डपम्प लगाये जाने में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में।

(12) श्री कैलाश चौधरी, सदस्य की ओर से रिफाइनरी क्षेत्र सांभरा, पाटोदी,

(श्री अध्यक्ष)

बाड़मेर के लिए पचपदरा से गोपड़ी-चंपाबेरी नई सड़क का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 22 फरवरी, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 53 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं :-

(1)	श्री खेमाराम	विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के 18 गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के घटिया निर्माण कार्यों की जांच करवाने के संबंध में।
(2)	श्री चन्द्रभान सिंह आक्या	नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़ को हस्तान्तरित चरागाह भूमि की किस्म परिवर्तन में आ रही बाधाओं के संबंध में।
(3)	श्री भागीरथ चौधरी	विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ की ग्राम पंचायत बोराड़ा एवं हरमाड़ा को उप तहसील घोषित करने के संबंध में।
(4)	श्री गोविन्द सिंह डोटासरा	प्रदेश में किसानों द्वारा अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करने पर दमनात्मक रवैया अपनाकर अन्याय करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, आज मेरा आपसे निवेदन है कि हज़ारों की तादाद में किसान विधान सभा का घेराव करने के लिए आ रहे हैं और...

श्री अध्यक्ष: यह तो डोटासरा जी का लिया है न।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, मैं बैठ जाऊंगा। हज़ारों की तादाद में किसान विधान सभा का घेराव करने के लिए आ रहे हैं और परसों करीब 70 से ज्यादा किसानों को पकड़ लिया, जिसमें दो पूर्व विधायक

(श्री हनुमान बेनीवाल)

भी हैं। किसानों पर दण्डात्मक कार्यवाही नहीं करके, सरकार किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करे।

श्री अध्यक्ष: इनके बोलते समय आपको समय दे दूंगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के अन्दर किसानों का अधिकार है...(व्यवधान) जयपुर कूच का उनका पहले से आह्वान है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, किसान लोकतांत्रिक तरीके से मांग उठायें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपने जो कमेटी बनाई थी और जिसको केरल भेजा था और लिखित में समझौता भी हुआ था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो 50 हजार रुपये के कर्ज माफी की बात है उसमें राइडर डाल दिया...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव लेकर आएं, सरकार जवाब दे देगी। अध्यक्ष महोदय, छपास का रोग बहुत बढ़ गया है। लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य, आप तो बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह बहुत ज्वलंत मुद्दा है, आज पूरा राजस्थान आपकी तरफ देख रहा है। अध्यक्ष महोदय, आप ऐसा आदेश फर्माएं कि किसान नेताओं को रिहा करें और प्रतिपक्ष को भी अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, इसमें गिरफ्तारी की क्या जरूरत थी? (व्यवधान) दो पूर्व विधायक गिरफ्तार कर लिए। ।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप कैसे बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): उनकी बात सुननी थी। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार जो सो रही है, उस सरकार को जगायें। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं राजस्थान के अन्दर हुई हैं। किसान आत्महत्याएं कर रहा है,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जवान आत्महत्याएं कर रहा है। उन्हें लाठी और गोली के दम पर आप दबाने का प्रयास करते हो, उन्हें कुचलने का प्रयास करते हैं। हमारी मांग है...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): कृपा करके सरकार को जवाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं आप विराज जाइए। जवाब पर्ची के माध्यम से आयेगा। श्रीमती शकुन्तला रावत।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बानसूर में गोशालाओं के रजिस्ट्रेशन नहीं होने के चलते अनुदान मिलने में परेशानी

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-50 के अन्तर्गत स्थगन प्रस्ताव से उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बानसूर में गोशालाएं जन सहभागिता से बनाई हुई हैं एवं जन सहभागिता से ही संचालित की जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से उन्हें कोई अनुदान नहीं मिल रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि निम्नलिखित सभी संचालित गोशालाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए उन्हें आफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तहसील स्तर पर ही, एस.डी.एम. स्तर पर उनको अधिकृत किया जाए, जिससे उन गोशालाओं का रजिस्ट्रेशन करवाकर उन गोशालाओं को भी लाभ मिल सके एवं अलवर एवं विधान सभा क्षेत्र बानसूर में जिन गोशालाओं का निर्माण गोचर जमीन या सिवाय चक पर हो गया, जन सहभागिता से जो गोशालाएं बना ली गई हैं।

श्री अध्यक्ष: अनिता जी, आपस में बातचीत नहीं। महिलाएं आपस में बातचीत नहीं करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभी गोशालाओं का सर्वे करवाकर, जितनी भी गोचर जमीन है, उनका भी सर्वे करवाकर गोशालाओं के नाम किया जाना चाहिए। सरकार बहुमत में है तो क्यों नहीं गायों के लिए इस तरह के नियम को बदले। अध्यक्ष महोदय, अगर कोई कंपनी खोलनी हो तो सरकार द्वारा गोचर और सिवाय चक जमीनों की किस्म बदल दी जाती है, लेकिन जो गोशालाएं बना दी गई हैं, उन गोशालाओं की किस्म बदलकर उन जमीनों को गोशाला के नाम आवंटित किया जाना चाहिए और उन गोशालाओं का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

अगर मंत्री कहें तो ऐसी गोशालाएं मेरे यहां पर बहुत सारी हैं और वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में गोशालाएं हैं। पांच-पांच, छह-छह हजार गोशालाएं हैं। पांच सौ-सात सौ, हजार गायें तो अधिकतर गोशालाओं में हैं। हरसोरा में हैं, बड़ा गांव में हैं, बानसूर में हैं, मैनपुर में, नीमूचांणा, चांदपुरा गुताशाप्रेसी.. अनेकों गोशालाएं हैं और आप कहें तो हम सात दिन के अन्दर आपको सारे कागज भिजवा दें, लेकिन उसमें यह नहीं कि, आपने यह नहीं लगाया, यह नियम नहीं है, यह कानून नहीं है, यह कागज आपने लेट भेज दिया। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि वर्तमान में जो गोशालाएं संचालित हैं, चाहे रजिस्ट्रेशन नहीं हैं, लेकिन वहां पर हजार पांच सौ की संख्या में गायें तो बस रही हैं, वहां पर कैम्प लगाकर गायों का टीकाकरण होना चाहिए। फ्री में उन्हें दवा दी जानी चाहिए और विधायक फंड से हम जो फंड देते हैं, अध्यक्ष महोदय, उनमें ऐसा कह दिया जाता है कि ये निरस्त कर दिया गया है। इन गोशालाओं की जो आडिट है, इनका आडिट रिपोर्ट में वित्तीय संसाधन सही नहीं है, यह कहकर उनको निरस्त कर दिया जाता है। छह-छह महीने तक गायें मरती रहती हैं, ओले गिरते हैं तो हमने भी उनके लिए एक बड़े हाल का निर्माण करने के लिए वहां पर पैसा आवंटित किया।

मैं सदन से मांग करती हूं, सरकार से कि इस नियम में आप सरलता लाएं और गोशालाओं की सारी जमीन को उनके नाम करें। आप इतना बढ़-चढ़ कर के जब भी कोई भाषण देते हैं तो कहते हैं साहब गौ माता है, पूजी जाती है। हमारे हिन्दुस्तान में गौ माता को पूजा जाता है। फिर उस गौ माता की आवाज बनकर मैं विधान सभा में आपसे मांग करती हूं कि इन नियमों को हटाकर के, बदलकर के आप इस जमीन की किस्म बदलें। इसमें गोशालाओं की सेवा के लिए फंड आवंटित कराएं। कब तक कराएंगे? यह भी घोषणा करें। चार साल में सिर्फ आंकड़ों में गोशाला के लिए पैसा आवंटित कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि इस संसार में बेटा हो या बेटी हो, उसकी मां ने उसको नौ महीने बराबर खून से सींचा है। जो संतान अपने मां-बाप का सम्मान नहीं करे, वह संतान नहीं और इस धरती पर पूजे जाने वाली गौ माता का सम्मान न करे, वह सरकार नहीं। मैं मांग करती हूं आपसे।

श्री अध्यक्ष: बड़े जोश से बोली हैं। उसी जोश से जवाब भी आना चाहिए।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी,...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका संरक्षण प्रदान है इसलिए।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार गौ वंश के लिए और गाय माता के लिए हमेशा बहुत ही संवेदनशील रही है और इस संवेदनशीलता को मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस जोशपूर्ण तरीके से आपने भाषण दिया।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): भाषण नहीं दिया। मांग की है।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): अगर आपने मांग की है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, झोली भी अगर फैलाएं तो मैं गाय माता के लिए फैला सकती हूं। मांग नहीं, आप मांग तो पूरी करते ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनिए।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी,...

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): भाषण नहीं है, प्रवचन है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): इतने साल तक गाय और मंदिर याद नहीं आया। अब मंदिर और गाय याद आने लगी आपको।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर जीनगर, बैठिए।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): गत सरकार के समय केवल 801 गौशालाओं को अनुदान दिया गया और वह अनुदान भी पांच वर्षों में केवल 85 करोड़ रुपए का दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2016-17 में हमने 132 करोड़ 68 लाख का अनुदान दे दिया है। वर्ष 2017-18 में 183 करोड़ 72 लाख का अनुदान अभी प्रक्रियाधीन है। इस तरह से 2017-18 तक 316 करोड़ से अधिक का अनुदान गोशालाओं को दे दिया जाएगा। इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी बजट में घोषणा की है कि 3 माह का जो अनुदान गोशालाओं को दिया जा रहा था, उसको बढ़ाकर 6 माह किया जाएगा। उसको हम बढ़ाकर देते हैं तो वर्ष 2018-19 में लगभग 400 करोड़ का अनुदान और गोशालाओं को दिया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल को देखें तो 700 करोड़ से ज्यादा का अनुदान गोशालाओं को दिया जाएगा जो कि एक रिकार्ड है। माननीय सदस्य ने गोशालाओं के पंजीयन

(श्री अजय सिंह)

के लिए कहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए राजस्थान सोसायटी एक्ट, 1958 के तहत गोशालाओं को पंजीकृत कराया जा सकता है। इसके अलावा राजस्थान गोशाला एक्ट, 1960 के तहत भी इनको पंजीकृत कराया जा सकता है। इसमें किसी तरह की कोई रोक नहीं है। आप वहां जाकर आवेदन देंगे तो पंजीयन तुरन्त हो जाएगा। आपने जो बताया है, आपके वहां पर 8 पात्र गोशालाएं हैं, जिनको अनुदान देय हैं। लेकिन उनमें से जो तीन गोशालाएं हैं, उन्होंने समय पर आवेदन नहीं दिया है। इन गोशालाओं के नाम हैं- श्री गिरधरदास गोशाला समिति, दूसरी है श्री राधाकृष्ण गोशाला, परसा का बास, तीसरी है श्री श्याम गोशाला सेवा समिति, हरसोरा। इनको अनुदान इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये पात्रता तो रखती हैं लेकिन समय पर इन्होंने आवेदन नहीं दिया। इसलिए इनको अनुदान नहीं मिल रहा है। आपने जो आवंटन की बात की है। इसके आवंटन के अलग से नियम बने हुए हैं। आपके जो तहसील क्षेत्र हैं, तहसीलदार के यहां पर, उपखण्ड अधिकारी के यहां पर अन्यथा जिला कलक्टर के वहां पर आप आवेदन दे दें। आवंटन के नियम बने हुए हैं, उसके तहत कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर। एब्सेंट। आप बोलेंगे। अच्छा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इन चार सालों में 2014-15 से लेकर 2017-18 तक आपदा राहत में 664 करोड़ रुपया हमने गोशालाओं को दिया। मेरे पास आंकड़ा था तो मैंने कहा। आपने पूरे पचास साल राज किया है न। इसका दसवां हिस्सा भी हो तो बता देना।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, चार साल के अन्दर अगर मेरे यहां दिया हो तो ये बता दें मंत्री महोदय। पचास साल-पचास साल को लेकर बैठे रहते हैं। हमें तो यह बताओ, चार साल के अन्दर क्या किया आपने? कितना अनुदान दिया? कहां दिया। मेरा सवाल था, मैंने मांग की कि गोशालाओं के लिए जमीन आवंटन में नियम-कानून क्यों? कंपनियों को आवंटन करने में कोई कानून नहीं।

श्री अध्यक्ष: शकुन्तला जी, बैठिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बानसूर से आने वाली माननीय सदस्य ने कहा। आपदा का अनुदान उन्हीं जगह जाता है, उन्हीं जिलों में जाता है, जहां आपदा घोषित की जाती है और वहां जो संचालित होने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वाली गोशाला है, उन्हीं को जाता है। कभी वह जिले 13 होते हैं, कभी 11 होते हैं, कभी 5 होते हैं। मैं केवल उन गोशालाओं को देता हूं। यह 664 करोड़ रुपया जो मैंने चार साल में दिया, जिनमें आपदा घोषित हुई। यह जो विभाग का अनुदान है, यह अलग है। यह सारे राजस्थान की गोशालाओं को है। जो लगभग 350 करोड़ रुपया इन्होंने जो दो साल में दिया। यह तो आपदा के समय जो संकट आता है, आपदा राहत से जो देते हैं, वह है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपदा राहत को तो सीआरएफ से पैसा आता है, केन्द्र सरकार से। अगर आपदा कम होगी तो कम आएगा और ज्यादा होगी तो ज्यादा आएगा। लेकिन आपके समय में कितनी गौ माताओं की हत्याएं हुई, वह भी तो बताओगे?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): गोशालाओं में गायें जन-सहभागिता से चलाई जा रही हैं। मेरी और कोई मांग नहीं है। उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए। दो-दो साल, चार-चार साल से चक्कर लगा रहे हैं। गायें मर रही हैं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): कांग्रेस ने गाय, गांव और गरीब को बर्बाद किया है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो। आपने जिस ढंग से इन गायों को मारा है और जिस ढंग से इनकी हत्या की है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हिंगोनिया गोशाला में क्या किया? आपकी सरकार की विफलता के कारण हिंगोनिया गोशाला में हजारों गायों की मौत हुई है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): हिंगोनिया गोशाला में सैकड़ों में गायें मरीं। कहां थे आप? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना करता हूं एक दिन इन्होंने जो पचास साल में गौ के लिए जो कुछ भी किया आपदा से लेकर सब प्रकार का सहयोग वह और हमने इन तेरह-चौदह साल में क्या किया इसकी एक दिन बहस हो जाए ताकि इनका भ्रम निकल जाए कि केवल गौ के नाम से पूंछड़ा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वह चलेगा नहीं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने 53 साल में गाय, गांव और गरीब को बर्बाद किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए भागीरथ जी, बैठिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कांग्रेस ने ही किया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री मनोज कुमार।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): इनका सत्यानाश कर दिया आपने।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपने कर दिया।

श्री अध्यक्ष: डोटासरा जी, आज धीरज जी नहीं आए क्या?

सीकर के पंडित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार वाले निजी कालेजों की सम्बद्धता

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): राजस्थान में पंडित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के क्षेत्राधिकार में निजी महाविद्यालय लगभग 500 से 600 के बीच में हैं। इस प्रदेश की छात्रों की परीक्षा बड़ी नजदीक है। मार्च में एक्जाम होने जा रहे हैं और आज दिन तक वीसी की हठधर्मिता के कारण 500 से 600 महाविद्यालय, जो स्वयं अपने फाइनेंस से चल रहे हैं, उनको एफिलिएशन के लिए फार्म आवेदन करने के बाद सारी प्रक्रिया अपनाने के बाद एक वीसी ने अपनी मनमर्जी से राजस्थान सरकार के और विश्वविद्यालय के सारे नियमों को ताक पर रखकर दो माह में सात बार एंडोमेंट फंड की राशि किस तरीके से ली जाएगी और किस तरीके से नहीं ली जाएगी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा 18 नवम्बर, 2017 को एंडोमेंट फंड की राशि अकादमिक कोर्स के लिए 5 लाख, व्यावसायिक कोर्स के लिए 10 लाख, 21 नवम्बर, 2017 को 20 दिसम्बर तक फंड जमा कराने में 20 प्रतिशत छूट के आदेश, 4 दिसम्बर, 2017 को अकादमिक कोर्स के लिए 3 लाख, व्यावसायिक कोर्स के लिए 3.5 लाख, 11 दिसम्बर को विश्वविद्यालय ने 4 दिसम्बर को जारी नोटिस के संबंध में नोटिस जारी किया कि एंडोमेंट फंड को लेकर कमेटी गठित की गई, वह निर्णय लेगी। 19 दिसम्बर को फंड जमा करवाने के लिए पांच महीने का समय दे दिया। 3 जनवरी, 2018 को आदेश निकाला कि राजभवन ने राज्य के सभी विश्वविद्यालय के लिए फंड के मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए समिति का गठन किया है। यह समिति जब तक निर्णय नहीं लेती तब तक सभी कार्यवाही स्थगित की जाती है और 19 जनवरी, 2018 को एंडोमेंट फंड की राशि अकादमिक कोर्स के लिए 15 लाख रुपए और व्यावसायिक कोर्स के लिए 35 लाख रुपए की राशि जमा कराने का फिर आदेश निकाल दिया। निजी महाविद्यालय के सारे संगठनों ने सीकर में

(श्री मनोज कुमार)

विश्वविद्यालय के सामने आंदोलन किया उसमें बोम के सदस्य आप ही के विधायक माननीय हमारे सम्माननीय सदस्य भी उन संचालकों की बात को लेकर विश्वविद्यालय में गए। उन्होंने सख्ती के साथ मांग रखी लेकिन निजी विश्वविद्यालय के लोग परेशान थे, इतने विचलित थे, उन्होंने विधायक महोदय के सामने भी अपनी बात रखी। आपस में यहां तक भी बोलचाल हुई, उन्होंने कहा हम बहुत बड़े गुण्ड़े हैं, विधायक महोदय को भी यह कहना पड़ा कि मैं भी बहुत गुण्ड़ा हूं, ऐसी स्थिति आपकी सरकार में, इस राज में वी. सी. के माध्यम से हो रही है। सारे विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शेखावाटी विश्वविद्यालय था, उसी से सम्बद्ध अलवर, भरतपुर, सीकर विश्वविद्यालय अलग हुए। उनकी राशि पूरे राजस्थान में यूनिवर्सिटी के लिए, एफिलिएशन के लिए, बिना किसी निरीक्षण के सारे विश्वविद्यालयों में आपने मान्यता दे दी, सम्बद्धता अभिवृद्धि कर दी । एक मात्र शेखावाटी विश्वविद्यालय के छात्र आज भी इंतजार कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से वी.सी. द्वारा जान बूझकर लोगों से लूट करने के लिए कालेज की मान्यता रोक रखी है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो-जो राशि नहीं देते उनकी विश्वविद्यालय की सम्बद्धता के नाम से रोक देते हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। जवाब आ जाए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): विश्वविद्यालय अगर नियमों से चल रहा है, पांच कमरों में आपका विश्वविद्यालय चल रहा है। आप कह रहे हो सम्बद्धता नहीं।

श्री अध्यक्ष: मनोज जी, विराजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): स्थाई मान्यता दे दी। राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध लंबे अर्से से कालेज चल रही हैं।

श्री अध्यक्ष: उच्च शिक्षा मंत्री आपको जवाब देगी, विराजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): हर वर्ष आपके एफीलिएशन की क्या प्रक्रिया है, किस नियम से कर रहे हैं, हर बार एफिलिएशन करने की कहां

(श्री मनोज कुमार)

आवश्यकता पड़ती है। अध्यक्ष महोदय, अंतिम निवेदन यह करना चाहता हूं कि एफीलिएशन, आज ही तुरन्त आदेश करें आज ही।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): उन छात्रों के हित में है और निजी महाविद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी परीक्षा हो जाए। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: मिस्टर मनोज। स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा जो बात सीकर विश्वविद्यालय के संबंध में उठाई गई, पंडित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय के संदर्भ में कुछ बातें जो इन्होंने कही हैं, थोड़ा इनको क्लेरीफाई करूं कि आप कुछ सही कह रहे हैं और कुछ सही नहीं है। क्योंकि यह विश्वविद्यालय बने, तीनों ही चाहे अलवर, भरतपुर हो या सीकर, यह तीनों विश्वविद्यालय पूर्व में राजस्थान विश्वविद्यालय से, जब हमारी पिछली सरकार थी उस समय माननीय वसुन्धरा राजे जी मुख्य मंत्री थीं तब उन्होंने इन तीन विश्वविद्यालयों की घोषणा की। तीन विश्वविद्यालयों की घोषणा होने के बाद, दुर्भाग्यवश जब इनकी सरकार बन गई तो 2008 से 2013 इन यूनिवर्सिटी में मात्र वी.सी. लगाने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया, यूनिवर्सिटी में किसी तरह की कोई...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुखराम जी, सुखराम जी ...(व्यवधान) जवाब आ रहा है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): पूरी बात सुन लें ...(व्यवधान) हां इनकी सरकार। आप भी उन्हीं में से निकलकर आए न। (व्यवधान) 2013 के बाद वापस हम सरकार में आए तो हमने तीनों विश्वविद्यालयों के अन्दर वी.सी. भी नियुक्त किए, उसके अलावा हमने क्षेत्राधिकार भी तय किया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम शुरु हो इसके लिए पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रत्येक यूनिवर्सिटी के डवलपमेंट के लिए 12.50 करोड़ रुपया दिया, जिसका कार्य बहुत शीघ्र शुरु होना है। (व्यवधान) यह फालतू बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): गलत जवाब है ...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, इस तरीके से अगर कहेंगे तो फिर मुझे जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनिए। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): उन्होंने जो प्रश्न पूछे उसके जवाब मैं दूंगी ...(व्यवधान) अगर माननीय सदस्य इस तरीके की बात करते हैं तो फिर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनिए। (व्यवधान) जवाब सुनिए। मिस्टर मनोज, जवाब सुनिए। (व्यवधान) आप बैठिए। मैं बैठा हूं यहां रैगुलेट करने के लिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, जो सवाल पूछा गया, जो बात यहां पर स्थगन के माध्यम से रखी गई, उसका जवाब हम आपको बिंदुवार दे रहे हैं। इसलिए बिंदुवार सुनने की भी क्षमता रखें। पूर्व में क्या थी यह यूनिवर्सिटी किस तरीके की थी और आज क्या स्थिति आई है, उसी के बारे में आपको बताया कि आज इन विश्वविद्यालयों में कंस्ट्रक्शन का काम शुरु हो गया है, इनमें वी.सी. और विश्वविद्यालयों का क्षेत्राधिकार भी तय किया।

श्री अध्यक्ष: श्री श्रीचन्द जी, आप बात मत करो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): क्षेत्राधिकार तय करने के अन्दर, जो इस यूनिवर्सिटी का एक्ट है उसकी एक छोटी-सी लाइन है, "Pt. Deendayal Upadhyaya Shekhawati University, Sikar, (Affiliation of Colleges by Universities) Regulations, 2018" Clause 4.10 - के अनुसार इसमें "Continuation of temporary affiliation of the program of study and the colleges itself shall be granted by the University on an year to year basis through inspection process, prescribed in these Regulations." so there is a process. उस प्रोसेस के माध्यम से एफिलिएशन उन कालेजेज को दिया जाता है। उसमें इंस्पेक्शन करने का प्रावधान है। जो इंस्पेक्शन करके यह दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी जानकारी के लिए यह बताना चाहूंगी कि पूर्व में एक यूनिवर्सिटी, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है, उसके अन्दर 850 कालेज एफिलिएटेड थे। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी हुई तो इसमें 467 प्राइवेट और गवर्नमेंट कालेज एफिलिएटेड हुए। इसी तरीके भरतपुर में सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय उसमें 126 राजकीय और निजी महाविद्यालय एफिलिएटेड है। राजश्री भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

क्षेत्राधिकार के अन्दर अलवर जिला आता है, उसमें लगभग 104 राजकीय और निजी महाविद्यालय इसके एफिलिएटेड हैं। अब जहां तक सवाल है, इन्होंने एंडोमेंट फंड के बारे में कहा कि एनडोमेंट फंड वहां पर इतना है, यहां इतना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारे विश्वविद्यालय के कम्पेरेटिव स्टेटमेंट मेरे सामने हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की बात कर रहे हैं इसमें पांच लाख रुपये आर्ट्स, साइंस, कामर्स, पर प्रोग्राम के अन्दर इसका एंडोमेंट फंड हैं। 10 लाख रुपया बीबीए, बीसीए और एलएलबी, पर प्रोग्राम इसके अन्दर एंडोमेंट फंड। इसके अलावा सारे विश्वविद्यालय हैं उनमें डिफरेंट-डिफरेंट एंडोमेंट फंड है। मैं इसमें सबका कम्पेरीजन करूं तो पंडित दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय है दोनों का एक ही एंडोमेंट फंड है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित है उसका और सीकर विश्वविद्यालय का एक ही है। इसके अलावा भरतपुर, अजमेर, सभी विश्वविद्यालय के डिफरेंट-डिफरेंट हैं कम्पेरेटिव स्टेटमेंट आप ले सकते हैं।

इनकी बात यह थी कि एंडोमेंट फंड को समय-समय पर चेंजेज किए गए। यह बात इन्होंने कही। माननीय अध्यक्ष जी, इस बात को मैं एडमिट करती हूं क्योंकि यही निजी महाविद्यालय थे जो एफिलिएशन के नाम पर बार-बार कहते रहे कि हमारे एंडोमेंट फंड बहुत ज्यादा है इसको कम किया जाए। उनकी बात को सुनते हुए हमने कम किया। माननीय सदस्य ने जो बात यहां उठाई कि इसको कम करने के डिफरेंट-डिफरेंट आदेश निकले। मैं इनको आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगी कि एक कमेटी बनाई गई है, तीन विश्वविद्यालयों के वी.सी की, उस कमेटी के माध्यम से एंडोमेंट फंड, एक ही एंडोमेंट फंड हो, सभी विश्वविद्यालयों का एक ही एंडोमेंट फंड की राशि तय हो, अलग-अलग करने से यह सारी चीजें खड़ी होती हैं कि इस विश्वविद्यालय में कम है उस विश्वविद्यालय में ज्यादा है, उसकी समानता आए, एक तो यह कमेटी के माध्यम से तय होगा।

दूसरी बात इन्होंने कही एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड एक एफ.डी. है जो एफ.डी. विश्वविद्यालय के पास रहती है। उस महाविद्यालय के द्वारा दी जाती है, उस महाविद्यालय के नाम पर होती है। विश्वविद्यालय के अन्दर वह सबमिट होती है, उसका ब्याज आता है वह ब्याज भी पर्टिकूलर उस कालेज को ही दिया जाता है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई पैसा

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

विश्वविद्यालय नहीं लेती है। वह उसी कालेज के लिए होता है, उसी कालेज के पास रहता है, उसका ब्याज भी उसी कालेज को मिलता है। यह एंडोमेंट सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि प्राइवेट कालेज, आज हम लोग देखते हैं कि दो कमरों में प्राइवेट कालेज चल रहा है, शिक्षण व्यवस्था अच्छी नहीं है, या कोई परेशानी आती है तो यह एंडोमेंट सिर्फ उसके लिए लिया जाता है कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। अगर कल को उस कालेज ने गेट बंद कर दिया और कह दिया कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो यह एंडोमेंट सिर्फ एक सिक्योरिटी राशि के लिए लिया जाता है। यह इसके बारे में क्लियर है।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, नो, मिस्टर नो। (व्यवधान) रिप्लाई नहीं आएगा। श्री सुखराम विश्नोई। जवाब देने की जरूरत नहीं है उनका। उनका जवाब देने की जरूरत नहीं। (व्यवधान) जवाब नहीं आएगा। श्री सुखराम विश्नोई। बिलकुल नहीं मिस्टर मनोज। नो, जवाब देने की जरूरत नहीं। सुखराम विश्नोई। नहीं, ऐसा नहीं होता है, बस हो गया।

प्रदेश में कार्यरत विभिन्न पैराटीचर्स को समान वेतन नहीं

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में शैक्षणिक योजना में कार्यरत पैराटीचर, मदरसा पैराटीचर, शिक्षाकर्मी, दूसरे शिक्षक....

श्री अध्यक्ष: श्री राजपाल सिंह जी...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): प्रदेश में कार्यरत हैं उन्हीं की तरह नियमित समय दे रहे हैं। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 26.10.2016 को निर्णय पारित किया, समान कार्य समान वेतन। जब उनका कार्य समान है तो उन्हें समान वेतन क्यों नहीं मिल रहा है।

इस बात को ले करके पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर राजस्थान के अलावा जो तमाम स्टेट थे, सबने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना की। परन्तु राजस्थान में ये जो पैराटीचर्स हैं, मदरसा पैरा टीचर्स हैं, केवल मात्र 7150 रुपये प्रतिमाह मानदेय ले रहे हैं। इनकी संख्या ज्यादा नहीं है, करीब 15 हजार के आसपास ये पूरे राजस्थान में सब जगह कार्यरत हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन कार्मिकों का शिक्षा विभाग ने पदनाम तय कर दिया, प्रबोद्धक के नाम से सम्बोधित किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष

(श्री सुखराम विश्नोई)

महोदय, आपके मार्फत से निवेदन है कि पिछले पांच साल से जब भी विधान सभा सत्र होता है, प्रत्येक सत्र में अपनी मेहनत का अपना मानदेय खर्च करके, ये हजारों की तादाद में यहां आ करके धरना-प्रदर्शन करते हैं, जुलूस निकालते हैं, हर-एक विधायक के घर जा करके ज्ञापन पेश करते हैं। परन्तु जो शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी जो सहायक भर्ती की वरीयता सूची है, वह निकाल करके उनकी पालना की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने जो 'समान काम समान वेतन' का आदेश पारित किया है, उसकी पालना की जाए। उसके साथ प्रबोद्धक भर्ती निकालकर पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स, शिक्षाकर्मियों को योग्यतानुसार नियमित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। इस महंगाई के जमाने में, केवल मात्र सात हजार से वे अपना परिवार पाल रहे हैं। अविलम्ब उनका नियमितीकरण किया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पैरा टीचर्स के सम्बन्ध में जो आपने बोला है, प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में छह से चौदह वर्ष तक आयु के सभी बालक-बालिका इसके साथ जुड़ें, इसके लिये पैरा टीचर्स की नियुक्ति की गई थी। मुझे बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी सरकार ने 34169 लोगों को केवल 1200 रुपये में नियुक्त किया था। 1200 रुपये महीने, और यह आपने नियुक्त किया। उसके बाद हमारी सरकार आई, उन्होंने वृद्धि भी की। उसके बाद तय किया कि इनका अलग से कैडर बनाया जाए। प्रबोद्धक कैडर हमने अलग बनाया। प्रबोद्धक कैडर को थर्ड ग्रेड के वेतनमान दिये गये। जिसके अनुसार लगभग, टोटल अब जो बाकी हैं वह 4164 बचे हैं। उस समय इल्लीजिबल नहीं थे। उन 4164 में से ...(व्यवधान) मैं सभी का बता रहा हूं, आपके तीनों बिंदुओं का उत्तर दूंगा, एक-एक बिंदु का दूंगा। 4164, उसमें से भी 2822 अनट्रेण्ड हैं, फिर भी राज्य सरकार ने तय किया कि इनको बराबर, चूंकि इन्होंने इनकी सेवायें शुरु की हैं, भले ही अपोइण्टमेंट किसी भी शासन में हुआ हो, लेकिन ये घर में न जाएं, बेरोजगार न रहें, इसके लिये इनकी नियुक्ति जारी रखी। लगातार, 2006 में भी बढ़ाया, फिर 2013 में भी खूब बढ़ा। आज की तारीख में 1200 रुपये के स्थान पर 7150, जो लोग प्रबोद्धक नहीं बन पाये, उनको सरकार दे रही है। जो प्रबोद्धक बन गये, उन थर्ड ग्रेड के हिसाब

(श्री वासुदेव देवनानी)

से तीस से पैंतीस हजार के बीच में सरकार उनको वेतन दे रही है। यह सलेक्शन, जो प्रोसेस होता है, समान वेतन-समान काम में, सलेक्शन प्रक्रिया भी होती है।

दूसरा आपने शिक्षा कर्मियों का बताया। शिक्षा कर्मी के अन्तर्गत भी, राजस्थान के दूरदराज, भौगोलिक दृष्टि से बीहड़ और मरुस्थलीय दृष्टि से, उनमें शिक्षा का विस्तार हो। इसके लिये 1984 में थोड़ी योजना केवल दूदू और किशनगढ़ में शुरु की गई। फिर इसके परिणाम देखे गये तो 1987 के अन्दर शिक्षाकर्मी बोर्ड बना करके नियुक्ति की गई। फिर इसका प्रशासनिक नियंत्रण प्रौढ़ शिक्षा विभाग को दिया गया। उस समय किसी प्रकार से, कोई भी अलग से, केवल ग्रामीण में रहते थे, इसलिये किया। उस समय इनको भी वेतनमान, वही आपके हिसाब से बहुत कम, 1200 रुपये, इस प्रकार से दिया जाता था। उसके आधार पर आज, 30.06.05 को 8532 शिक्षाकर्मी कार्यरत थे। इनमें से 3279 शिक्षाकर्मी प्रबोद्धक बन गये। जो भी उस सीमा में आते थे, हमने उनको प्रबोद्धक बना करके थर्ड ग्रेड दिया। उसके अलावा 1194 शिक्षाकर्मी लोक सेवा आयोग के द्वारा चयन में, या मृत, या परियोजना के त्याग या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आज की तारीख में केवल 4049 शिक्षाकर्मी कार्यरत हैं। इनमें भी वरिष्ठतम, वरिष्ठ, सामान्य, इसमें भी लगातार बढ़ते हुए आज वरिष्ठतम शिक्षाकर्मी को 15429 रुपये सरकार दे रही है। वरिष्ठ को 13366, और जो केवल सामान्य शिक्षाकर्मी हैं, उनको 8470 रुपये दे रहे हैं।

जहां तक आपने मदरसा पैरा टीचर्स का बताया, इनके मामले में मदरसा प्रबंधन समिति और पैरा टीचर्स के बीच में अनुबंध है। सरकार तो केवल उसमें मानदेय देती है। इसलिये ये राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। फिर भी हमारी सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए, जो कि इसमें पहले शिक्षाकर्मी का, यह बाहर से वित्त पोषित थे। वित्त पोषण में स्वीडन और ब्रिटेन के द्वारा वित्त पोषित रहने के बावजूद 2005 में बंद होने की कगार पर थे। लेकिन संवेदनशीलता के आधार पर इनको लगातार राज्य सरकार ने अपनी ओर से, यानी प्रारम्भ हुआ 2794, उसमें 90 प्रतिशत स्वीडन के द्वारा आता था, राज्य सरकार 10 प्रतिशत देती थी। उसके बाद 1998 से 2005 तक 75 प्रतिशत ब्रिटेन देता था और 25 प्रतिशत राज्य सरकार देती थी। लेकिन 2005 में संवेदनशील मुख्य मंत्री ने इनके लिये 100 प्रतिशत राज्य सरकार के द्वारा कंटीन्यू रखा और गैर आयोजना मद से दिया।

(श्री वासुदेव देवनानी)

इसीलिये हमारी सरकार संवेदनशील है। प्रश्न उठाने से पहले आज चार साल की बात मत करो। जो कुछ 50 वर्ष में या 25 वर्ष में आप लोग करके गये हो ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): उसमें लगातार हम सुधार कर रहे हैं। आगे भी इनकी बातों में संवेदनशीलता के साथ विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री धीरज गुर्जर।

एम.बी.सी. वर्ग के व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय का मैं आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने बड़ा गम्भीर विषय रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: रखो, साहब, गम्भीरता से रखो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): राजस्थान की एक ऐसी जाति, जिसने इस बात का प्रयास किया कि हमारे को भी सामाजिक रूप से लोगों के बराबर जीने का मौका मिले। हमारे को भी पहाड़ से उतरकर बकरियां और छालियां पालना छोड़कर वह समाज, जिसके आगे कभी वीर गुर्जर लगा करता था, वह समाज, जिसने मेवाड़ की रक्षा के लिये अपने बेटे के प्राणों की बलि दे दी। वह समाज, जिसने इस देश को एक करके भारत गणराज्य बनाने के लिये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संघर्ष किया, वह समाज तरस गया कि हमारी कौम का कोई बेटा कलक्टर बन जाए। वह समाज तरस गया कि हमारी कौम का कोई बेटा एस.डी.एम. बन जाए। वह समाज तरस गया कि हमारे बच्चे चपरासी से ऊपर किसी नौकरी के अन्दर लग जाएं।

जब हमने राजस्थान के अन्दर आरक्षण की मांग की तो हमारे साथ छलावा हुआ। कभी हमें कहा कि आप ओ.बी.सी. में हैं। आपको ओ.बी.सी. से एस.बी.सी. के अन्दर भेजेंगे। एस.बी.सी. से वापस ओ.बी.सी. में ले आये। अब ओ.बी.सी. से हमको एम.बी.सी. के अन्दर ले आये। अब हमारा दुर्भाग्य ऐसा हो रहा है कि राजस्थान का गुर्जर समाज अपने 73 बेटों की बलि देने के बाद भी आज इस दौराहे के ऊपर खड़ा हुआ है कि हम ओ.बी.सी. के अन्दर हैं, हम एस.बी.सी. के अन्दर हैं, हम एम.बी.सी. के अन्दर हैं।

हम तहसील कार्यालय के अन्दर जाते हैं कि वे कहते हैं कि अभी हम

(श्री धीरज गुर्जर)

आपका एम.बी.सी. का सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे। अभी गंगानगर की बात बताता हूं। गंगानगर के अन्दर दो छात्रों ने, जिन्होंने रीट-2016 में परीक्षा दी थी और अभी परिणाम आया। आपके उप चुनाव थे, तो 25 तारीख को जब आपका रिजल्ट आया, उसके अन्दर तो आपने एम.बी.सी. का एक प्रतिशत आरक्षण दे दिया। उसके बाद की जो भर्तियां थीं, जिसमें विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, जो आपके उप चुनाव हारने के बाद, जब जनता ने आपके तमाचा मारा और आपने देखा गुर्जर हमको वोट नहीं दे रहा है तो द्वेषतावश जो आपने भर्तियां निकालीं, उसके अन्दर किसी में भी एक प्रतिशत आरक्षण आपने एम.बी.सी. का क्यों नहीं दिया। उसके साथ, आज गंगानगर के अन्दर जो सी.ई.ओ., जिला परिषद है, वह दोनों बच्चों को कहता है, एक का नाम तो रतिराम गुर्जर है, एक का नाम हेमराज गुर्जर है, उनको यह बोलता है कि आपके पास एम.बी.सी. का सर्टिफिकेट नहीं है। आप एम.बी.सी. के एक प्रतिशत के अन्दर आये हो, और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिये आपको भर्ती नहीं दूंगा।

आप राजस्थान के गुर्जर समाज से क्या चाहते हैं। आपने हमको आरक्षण नहीं दिया। हमने आरक्षण मांगा तो आपने हमारे को गोली मार कर हमारे खून से राजस्थान की धरती को लाल कर दिया। जो हमारी समधिन बनी थी, उस समधिन ने हमारे खून के छापे लगाये। हमारी हालत यह हो गई कि राजस्थान के गुर्जर ने झोली फैलाई तो आपने झोली के अन्दर गोली डाल दी। आज हमारी हालत यह ...(व्यवधान) हाथ ऊंचा करने से काम नहीं चलेगा, यह गम्भीर विषय है। आज न हमें ओ.बी.सी. में मान रहे हैं, न एस.बी.सी. में मान रहे हैं। न आप हमको एम.बी.सी. के अन्दर मान रहे हो। और तो और, जो हमारे समाज के बच्चे, जिनका आर.ए.एस. के अन्दर चयन हो गया, उन आर.ए.एस. के अन्दर एक तरफ तो धौलपुर और भरतपुर के जाट समाज को आपने, जाट भी हमारे भाई हैं, लेकिन उन लोगों को आपने, अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो भर्तियां निकली हैं, उसके अन्दर ओ.बी.सी. का आपने लाभ दे दिया और दूसरी तरफ जब आपने अधिसूचना निकाली थी, उस अधिसूचना के क्रम में हमारे को आप एम.बी.सी. का आरक्षण नहीं दे रहे हो। आप क्यों नहीं दे रहे हो, आज हमारे बेटे भी आर.ए.एस. बनना चाहते हैं। जिस तरह से, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर गुर्जर समाज के साथ ये अन्याय कर रहे हैं, द्वेषता कर रहे हैं, जो सदन के अन्दर इन्होंने अधिसूचना

(श्री धीरज गुर्जर)

जारी की, उस अधिसूचना के मुताबिक हमारे को एक प्रतिशत एम.बी.सी. का मिलना चाहिये।

आपने जो आर.ए.एस. की भर्तियां निकालीं, आर.ए.एस. के जो परिणाम आए हैं उसके अन्दर हमारे बच्चों को न तो आपने, क्योंकि जब हमने एग्जाम दिया था, 2016 के अन्दर वेकेंसी निकली थी आर.ए.एस. की, उसके अन्दर एस.बी.सी. की पांच परसेंट सीटें आरक्षित थीं और उसके बाद जब परिणाम 2017 में आया तब एस.बी.सी. कोटे के अन्तर्गत हमको पांच परसेंट का लाभ नहीं दिया तो कम से कम आपको एम.बी.सी. का एक परसेंट का लाभ देना चाहिए। जिस लड़के को आर.ए.एस. बनना चाहिए वह डिप्टी बन रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए, जवाब दिलवाता हूं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): और मेरा यह भी निवेदन है कि 29.1.2018 को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया उसको 20.12.2017 से प्रभावी किया और उसके बाद जो विज्ञापन निकले हैं उसमें पांच परसेंट सीटें जो एस.बी.सी. की आरक्षित थीं उसके अन्तर्गत इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने ध्यान आकर्षित कर लिया, अब मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं। बड़ा गम्भीर मामला है, राजस्थान का गुर्जर समाज आपका आभारी रहेगा कि इतने गम्भीर विषय पर आपने इस समाज को बोलने की आजादी दी है क्योंकि यह गोलियों से हमारा मुख-बंद करना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और हालत ऐसी हो चुकी है कि हमारी कौम के जो बच्चे हैं, वह हालत यह चाहते हैं कि राजस्थान का गुर्जर चम्बल में चला जाए, बीहड़ में चला जाए और वह कभी नौकरी नहीं कर सकें और गृह मंत्री की गोलियों का शिकार हो जाए। आज हमारी हालत ऐसी है इसलिए हम यह चाहते हैं कि हमारे बच्चों की नौकरी लग जाए, कोई बाबू बन जाए, कोई तहसीलदार बन जाए, कोई एस.डी.एम. बन जाए। हमें भी कहीं नाम किसी का लगा हुआ मिल जाए कि गुर्जर समाज का यह बच्चा है। इसने पढ़-लिखकर अपने जीवन में यह किया है। जब आपने जाट समाज को भरतपुर और धौलपुर के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के, अभी आप मुझे मंत्रीजी खड़े होकर यह कह देंगे कि मामला

(श्री धीरज गुर्जर)

सुप्रीम कोर्ट के अन्दर है लेकिन जो 50 प्रतिशत के अन्दर सीमा 1 परसेंट एम.बी.सी. की है, उसके अन्दर आरक्षण का हमारा जो 50 परसेंट क्रोस नहीं हो रहा है तो फिर आप हमें 1 परसेंट एम.बी.सी. का क्यों नहीं दे रहे हो? जो रिजल्ट अभी आपके आ रहे हैं, एक तरफ 25 तारीख को जो रिजल्ट आपका आया मंत्रीजी, उसके अन्दर अध्यक्ष महोदय, इन्होंने एम.बी.सी. का 1 परसेंट हमारे को दे दिया और उसके बाद जो आया है उसके अन्दर इन्होंने एक भी भर्ती में हमारा नहीं दिया है और उसके साथ ही गंगानगर के जो दोनों बच्चे हैं, जिनको एम.बी.सी. का सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण नौकरी से वंचित हो रहे हैं और यह स्पष्ट करें कि राजस्थान के अन्दर गुर्जरों को किस प्रकार के सर्टिफिकेट पर क्या सुविधा देंगे, कौन-कौन से बनेंगे और क्या उनको सुविधाएं मिलती रहेंगी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपको बोलने का अधिकार नहीं है, महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): विराजो-विराजो। अब विराजो, आपने बहुत जोश से बोला है, थोड़ा सुनो भी अब थोड़ा सा। माननीय अध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय मंत्रीजी, जिसका खून बहता है, उसको दर्द होता है। इस कौम के बच्चों ने, हमने आपकी सरकार में जयपुर की जेल के अन्दर जेल काटी है। राजस्थान के अन्दर यह किसी हल्ले का मैटर नहीं है, राजस्थान का गुर्जर आपको देख रहा है, हल्ला मत मचाओ। राजस्थान के गुर्जरों के +++ हो आप लोग और हमारा दर्द इस बात का है कि आपने सड़कों के अन्दर जो गुर्जरों का...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपने प्रमाण-पत्र मांगा है।...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह +++ शब्द को ड्राप किया जाए। +++ शब्द नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): क्या बोलते हो?

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठो। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाइए। +++ शब्द को ड्राप किया जाए। आगे आप जवाब दीजिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

अध्यक्ष महोदय, जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने नियम-50 के तहत जो स्थगन प्रस्ताव रखा और आपने उस पर बोलने का अवसर दिया है। परंतु राजस्थान में वर्तमान में राज्य में एम.बी.सी. नाम वर्ग से कोई जातियां अलग से अधिसूचित नहीं हैं बल्कि एम.बी.सी. जातियां यथा- बंजारा, बालदिया, लबाना, गाड़िया लोहार, गाडोलिया, गूजर, गुर्जर, राइका...(व्यवधान) रैबाटी (देवासी) को OBC आरक्षण अधिनियम 2017 की धारा 2(डी) एवं (F) की अनुसूची में अंकित किया गया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एकदम गलत बात बोली है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अभी बोला है इन्होंने कि एम.बी.सी. में कोई भी नहीं रहेगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनिए, बीच में नहीं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैंने कहने के बाद तुरन्त करेक्शन भी कर दिया। मैंने करने के बाद करेक्शन भी किया है तुरन्त ही।....(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप उस अधिकारी को प्रताड़ना दो जिसने गलत जवाब लिखकर दिया है। (व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैंने एक लाइन, कहने के बाद तुरन्त करेक्शन भी कर दिया, वह भी सुनो पूरी इस बात को।

गाड़िया लोहार की जाति ओ.बी.सी. की सूची में सम्मिलित है अत: उक्त जातियों को ओ.बी.सी. के जातीय प्रमाण-पत्र ही जारी किये जा रहे हैं। वस्तुत: एम.बी.सी. वर्ग के आरक्षण का लाभ ओ.बी.सी. जाति-प्रमाण पत्र के आधार पर ही प्रदान किया जा रहा है। अत: अलग से एम.बी.सी. के जाति-प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

दूसरी बात, आपने, बात बड़ी सीधी बात है कि जब आप, मैं मोटे तौर पर आता हूं कि 2016 में, 2015 में हम एक बिल लेकर आए और उसमें एस.बी.सी. सहित पांच जातियों को लेने का, बाद में हाई कोर्ट ने उसको स्ट्रक-डाउन किया, स्ट्रक-डाउन करने के उसके बीच में जितने भी लाभ थे, उन लाभों को दिया, उनको नौकरी देने का काम हमने किया। स्ट्रक-डाउन करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में लेकर गयी तो यह सरकार लेकर गयी। आपके कार्यकाल

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

को याद करें कि हमने उन चार सालों में किस तरह की चीज की थी वह बात, उसकी बात आएगी। आप उसको लेकर गये और इस पीरियड में जितनी भी पाइप लाइन में नौकरियां थीं, उन सबको नौकरी देने का काम किया तो इसी सरकार ने किया है। आने के बाद उन सबको बेनिफिट जो 5 परसेंट का, अब सुनिए, अब उन सबको लाभ देकर जितने भी पाइप लाइन में मामले थे, उन सबको नौकरी देने का काम किया है तो इस सरकार के द्वारा किया। फिर जो एनोमलीज थीं, उन एनोमलीज को दूर करते हुए 2017 में फिर बिल लेकर आई, एम.बी.सी. का एक्ट लेकर आई, उस एक्ट के माध्यम से क्योंकि एस.बी.सी. को स्ट्रक-डाउन कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट में मामला था। हम एम.बी.सी. के माध्यम से और सदन में सबने ध्वनि मत से उसको पारित किया, उस एम.बी.सी. के कानून को, कानून बनने के बाद उसके माध्यम से हम सारे लाभ जितनी भी यह पांच जातियां हैं, उन पांचों जातियों को ओ.बी.सी. में यह लाभ मिले, इसको सुनिश्चित किया और सारे राजस्थान में यह जितनी भी सात जातियां हैं, उन सभी जातियों को जो पहले एस.बी.सी. में थे, उन सबको ओ.बी.सी. में लेने के बाद उन्हीं वर्ग की जातियों को लाभ, चाहे वह प्रवेश में होगा, चाहे नौकरियों में होगा, उन सबको लाभ देने का काम लगातार चल रहा है। केवल इतना ही नहीं, अब आप सुन लीजिए, अब सुनने का माद्दा रखो, धीरजजी, मैंने शांति से सुना है, मैंने आपकी बात शांति से सुनी है। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप तो एक परसेंट आरक्षण भी नहीं दे पा रहे हो हमारे को। जो मेरे पास वेकेंसीज की कापी है, इस कापी में कहीं भी आपने एम.बी.सी. का एक परसेंट अलग उल्लेख नहीं किया है। हम आपकी गलती की तरफ ध्यान ही तो दिलवा रहे हैं आपका। आपने गुर्जर समाज के नेताओं से, आरक्षण संघर्ष समिति से जो समझौता किया, उस समझौते का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मिस्टर धीरज गुर्जर, बैठिये। जवाब देने दीजिए। मैं अभी ....(व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आप सुनने का माद्दा रखो, केवल भाषण देना, यह कोई मंच पर नहीं खड़े हो आप। सदन में अपनी बात रखी है, मैंने भी सुनी है और जब पांच परसेंट सुप्रीम कोर्ट में लेने के बाद, हाई कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट में गया और

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

सुप्रीम कोर्ट ने जब इस बात में कहा कि पचास परसेंट के आप दायरे में दे सकते हैं तो सरकार ने अधिसूचना निकालकर एक परसेंट का जो बेनिफिट है, वह देने का काम किया और इस सबके बाद पूरा लाभ इस सारे राजस्थान में सब वर्गों में, इसमें भी जितनी चीजों को उस पाइप लाइन के बाद भी जिनका एडवरटाइजमेंट निकल चुका था, जिनका प्रोसेस हो चुका था, उनको भी एक लाइन में जहां-जहां दे सकते थे, उसको भी, उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए, उन कमियों को दूर करते हुए, वह लाभ देने का काम भी इस सरकार के द्वारा किया। केवल इतना ही नहीं, आपके आकड़े लेकर बैठ जाइए, किसी दिन इस बात पर बहस कर सकते हैं अपन, चाहे प्रवेश का मामला हो, चाहे नौकरियों का मामला हो, आपके समय में कितनी नौकरी दीं और इस सरकार ने कितनी दीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में कभी चर्चा कर सकते हैं। प्रवेश में सारी बात है, गुरुकुल योजना में हमने इन सबको जितने गुर्जर सहित इन सब जातियों के बच्चे थे, उन बच्चों को कहीं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, ऐसे गुरुकुल योजना में आपके समाज के लोगों को सम्मिलित करते हुए हमने एक टीम बनाई जिन्होंने परीक्षण किया। जिन विद्‌यालयों ने आपने चिह्नित किया, उन्हीं विद्‌यालयों में उनको कहीं कोचिंग कराने के बाद शिक्षण की व्यवस्था उसमें की। उसका पूरा का पूरा पैसा सरकार, प्रत्येक विद्‌यार्थी का पूरा वहन कर रही है। सरकार ने कहा कि स्कूटी देने की बात, साइकिल देने की बात, छात्रावास की बात, देवनारायण योजना के माध्यम से, आवासीय विद्‌यलाय वहां पहले से चल रहे थे, अब आप, धीरजजी, आप सुन लें एक बार मेरे को ....(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मंत्रीजी, एक निवेदन है। आप मेरी बात सुनें, मंत्रीजी, आपने 25 तारीख को जो रिजल्ट आया उसमें एक परसेंट एम.बी.सी. दी, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं, उसके बाद नहीं दे रहे हो। हमारे खून से मत खेलो आप। (व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपको जो अध्यक्ष महोदय ने मौका दिया, अब आप सुन लो इस बात को। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप जवाब सुनिये पहले मंत्रीजी का।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आप देंगे या नहीं देंगे। आप यह कह दो कि हम देंगे या नहीं देंगे। इसकी घोषणा करो। (व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आपने तो एक आवासीय विद्यालय के लिए पैसे का प्रावधान नहीं किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख, मुझे माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना है कि आज जरा बिजनस ज्यादा है, दो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी हैं, दो मांगें भी हैं दो विभागों की, तो इसलिए मैं यह सोचता हूं कि सात बजे तक हम सब काम निपटा दें तो यह 295 के अन्तर्गत जो है, वे सब पढ़े-लिखे मान लिये जाएं। पढ़े हुए मान लिये जाएं। लिखे तो हैं ही, लिखे हुए तो हैं ही, पढ़े हुए मान लिये जाएं। सदन की सहमति से।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए परिशिष्ट 1 देखें)

श्री खेमाराम, पर्ची से। पर्ची से। नहीं-नहीं श्री खेमाराम पर्ची से बोलेंगे। अभी पर्ची आई है खेमारामजी की, विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़। श्री खेमाराम (अनुपस्थित)।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या'। (व्यवधान). आप बैठिये। नो-नो बिलकुल नहीं। अंकित नहीं हो।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 000

श्री दर्शन सिंह (करौली): 000

श्री अध्यक्ष: नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपने बार-बार डिस्टर्ब किया है। आपने बार-बार डिस्टर्ब किया है, अब नहीं। रिकार्ड नहीं किया जाए। कोई जवाब नहीं आएगा और अंकित भी नहीं होगा।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 000

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 000

श्री दर्शन सिंह (करौली): 000

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप। श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या', आप बोलिये। श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' का ही नोट करें। आपने कह दिया, आप बैठ जाइये।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

चित्तौड़गढ़ में चरागाह भूमि के किस्म परिवर्तन में आ रहीं बाधाएं

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा जिला है। सन् 2004 में जितनी भी बिलानाम जमीनें थीं, उन बिलानाम जमीनों को हमारे तत्कालीन कलक्टर, आर.एस. गठाला साहब थे, उन गठाला साहब ने जितनी भी गोचर जमीनें चित्तौड़गढ़ जिले की थीं, उन जमीनों को गोचर के रूप में परिवर्तन कर दीं। उनको ऐसे कौन से विशेषाधिकार प्राप्त थे जिससे चित्तौड़गढ़ जिले की सभी बिलानाम भूमियों को एक ही आदेश के तहत चरागाह घोषित करने के लिये दर्ज करवा दिया? सभी बिलानाम जमीनों को चरागाह में घोषित करने से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भवन, अर्द्ध सरकारी भवन के लिये जमीनों का आबंटन नहीं हो पा रहा है। 2004 से पूर्व बिलानाम जमीनों पर काश्तकारों के कब्जे थे तथा नियमन की कार्यवाही कोर्ट में चल रही थी, लेकिन बिलानाम जमीनों को चरागाह घोषित करने से नियमन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। सरकार से निवेदन है कि चरागाह जमीन को पुन: बिलानाम घोषित करें।

अध्यक्ष महोदय, मेरे वहां यू.आई.टी. बनी है, यू.आई.टी. के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 10.07.2013 को न्यास का गठन हुआ। इस न्यास को सुदृढ़ करने के लिये भूमि की मांग करने पर जिला कलक्टर द्वारा समय-समय पर विभिन्न आदेशों में कुल 910.17 हैक्टेयर भूमि में से 304.32 हैक्टेयर चरागाह भूमि को न्यास में दर्ज की गयी। चूंकि उक्त 304.32 हैक्टेयर भूमियों को किस्म चरागाह होने से उक्त भूमियों पर न्यास द्वारा किसी प्रकार की योजना प्रस्तावित नहीं की जा सकती है। जब तक उक्त भूमियों की किस्म परिवर्तित नहीं हो जाये, क्योंकि न्यास की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, केवल मात्र भूमि को आबंटन कर ही न्यास द्वारा आय अर्जित की जाती है। अर्जित आय से न्यास द्वारा नवीन योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है एवं विभिन्न विकास कार्यों को करवाया जाता है, जो कि आय के अभाव में नहीं करवाये जा रहे हैं। न्यास द्वारा आबंटित चरागाह भूमियों की किस्म परिवर्तन किया जाना नितान्त आवश्यक है। चरागाह भूमियों के संबंध में जगपाल सिंह बनाम पंजाब सरकार, राज्य सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में दिनांक 28.01.2011 में जयपुर विकास प्राधिकरण और अटार्नी जनरल, भारत सरकार द्वारा मार्गदर्शन

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

प्राप्त किया गया, जिसके अनुसार शहरी क्षेत्र की भूमि का उपयोग मास्टर प्लान के अनुसार निर्धारित किया होना, उक्तानुसार चरागाह भूमियों को न्यास में स्थानान्तरित की हैं। उक्त निर्णय अनुसार मास्टर प्लान के अन्तर्गत आबादी की मानी जाकर नई आवासीय व्यावसायिक कालोनियों को विकसित किये जाने हेतु न्यास एक्ट में संशोधन बाबत् श्रीमान् शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-3), राजस्थान, जयपुर द्वारा कई बार नियमन किया जा चुका है। राजस्व (ग्रुप-2) 132/02.05.2016 से नगरीय पेरीफेरी क्षेत्र में स्थित भूमि को न्यास में माननीय न्यायालय के निर्णय में परिवर्तित किया जाना सम्भव नहीं होना बताया है। जिला कलक्टर द्वारा 2004 में चित्तौड़गढ़ स्थित बिलानाम भूमियों को चरागाह दर्ज किया गया था, जिन्हें पुन: पूर्व में स्थित बिलानाम दर्ज किये जाने के आदेश होते हैं तो अधिकांश भूमियों पर न्यास द्वारा अपनी स्वयं की योजनाएं बनायी जा सकती हैं एवं आय के सोर्स भी उत्पन्न हो सकेगी। न्यास के स्वामित्व की सम्पूर्ण चरागाह भूमि की किस्म परिवर्तन की क्षतिपूर्ति हेतु जिले की कहीं भी बिलानाम भूमि पहाड़ या मगरी की श्रेणी जो हो, उसे चरागाह के रूप में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शोर्ट कीजिये।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): आरक्षित करने का अधिकार जिला कलक्टर को दिया जाए, जिससे न्यास की स्वयं आवासीय कालोनियों का निर्माण किया जा सके और भूखण्डों को नीलामी में आबंटन किया जा सके। इससे होने वाली आय का शहरी विकास सौन्दर्यीकरण में उपयोग किया जा सके। राजस्थान सरकार ने अभी एक परिवर्तन जरूर किया है। ग्रामीण इलाके में कहीं सरकारी उपयोग के लिये ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात सुनिये, बहुत गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष: चित्तौड़ के बारे में बोल चुके हैं। अब राजस्थान ...(व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): मेरी हाथ जोड़कर विनती है अध्यक्षजी, मेरे वहां का एक क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था। राजपाल सिंहजी ने उसका उत्तर दिया, राजस्व मंत्रीजी ने उसका उत्तर दिया, पर उसका कुछ

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

हुआ नहीं है। राजस्थान सरकार ने एक बहुत अच्छा काम जरूर किया है कि ग्रामीण इलाके में कहीं पर भी उपयोगी चरागाह जमीनें हैं, उसकी किस्म परिवर्तन करने के लिये कहीं पर भी, जिले में कहीं पर भी हो, उसको परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार शहर में भी जिले में उसको कहीं पर भी परिवर्तन के लिये आप कर लें तो बहुत अच्छा चित्तौड़गढ़ के लिये ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप चित्तौड़गढ़ तक सीमित रहें। आपने ध्यान आकर्षित कर लिया चित्तौड़ के बारे में, अब माननीय मंत्रीजी।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): मेरी यू.आई.टी. को फायदा हो जाएगा और बहुत अच्छा काम होगा। राजस्व मंत्रीजी भी इसका जवाब दें और कृपलानी साहब भी इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। आपने बहुत सवाल कर लिये। हां, माननीय मंत्रीजी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अभी और मंत्रीजी जवाब दे देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया, उसके बारे में मैं यही कह सकता हूं कि वर्ष 2004 में तत्कालीन जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा चित्तौड़गढ़ में स्थित पूरे जिले की स्थित बिलानाम राजकीय भूमियों को उन्होंने चरागाह में दर्ज कर दिया। उसके बाद जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के इस निर्णय के विरुद्ध राजस्थान सरकार ने जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ माननीय राजस्व मण्डल में तीन रेफरेंस संख्या 3099/2017, 3100/2017 और 3101/2017 दिनांक 29.05.2017 को दर्ज किये गये। प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में भूमि की किस्म चरागाह होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेशों के कारण चरागाह भूमि को आवासीय व अन्य परियोजनाओं में उपयोग किये जाने में विधिक रूकावट आ रही है। इन विधिक अवरोधों के निराकरण का भी राज्य सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी के समक्ष भी यह मामला आया था और उन्होंने भी जिला कलक्टर महोदय को निर्देश दिये थे और जो यह राजस्व विभाग में जो अपील हमने की है, निश्चित रूप से बहुत जल्द इसका निराकरण हो जाएगा और इनकी जो समस्या है, उसका समाधान हो जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सीकर यू.आई.टी. में भी पांच साल से पैसे जमा हैं और कोई कालोनी काट नहीं रहे हो। पैसे भी नहीं दे रहे हो मंत्री महोदय। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप मिल लेना।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक मिनट, सदन पटल पर आ जाएगा।

श्री अध्यक्ष: आप मिल लेना, श्री भागीरथ चौधरी। आप मिल लेना, माननीय मंत्री भी चित्तौड़ के ही हैं। आप भी वहीं के हो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): यह तो मुझे रोज ही मिलते हैं और मैं इनको कह रहा हूं कि समाधान हो जाएगा सब तुरन्त ही, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: तब भी यहां आकर बोलने लग गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): समाधान करोगे तब तक आपकी सरकार रहेगी ही नहीं। (व्यवधान) आपकी सरकार ही नहीं रहेगी। यह आठ महीने का खेल है, कब करोगे समाधान?

श्री अध्यक्ष: श्री भागीरथ चौधरी।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मंत्रीजी, आप तो यह बताओ कि कलक्टर को कौनसा अधिकार प्राप्त है, कौनसा अधिकार प्राप्त है कलक्टर को?

किशनगढ़ की ग्राम पंचायत बोराड़ा व हरमाड़ा को उप तहसील का दर्जा

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके

(श्री भागीरथ चौधरी)

माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समिति हैं, एक किशनगढ़ पंचायत समिति और एक अराई पंचायत समिति। मेरा किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र दो पंचायत समितियों से बनता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जो अराई पंचायत समिति है, उसमें छह ग्राम पंचायतें सरवाड़ तहसील में आती हैं, उन गांव वालों को, किसानों को, आमजन को तीस-चालीस किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।

(12.58 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी से निवेदन है कि अराई पंचायत समिति में जो छह ग्राम पंचायतें, जो बोराड़ा, मनोहरपुरा, कासीर, डबरेला, बरोल एवं भगवंतपुरा, जो पंचायत समिति अराई में आते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि वहां बोराड़ा में एक उप तहसील खुल जाये तो तीस-चालीस किलोमीटर आमजन को वहां जाना पड़ता है और बहुत बड़ी वहां पर परेशानी है। जबकि हमारे बोराड़ा के अन्दर बाकी और सारी सुविधाएं हैं। ऐसे ही मेरे पंचायत समिति किशनगढ़ की जो पांच ग्राम पंचायतें हैं, हरमाड़ा, बुहारु, नलू, सुरसरा एवं त्योद, वह राजस्व ग्राम रूपनगढ़ तहसील में है इसलिये मेरा निवेदन है कि उनको भी तीस-चालीस किलोमीटर दूर जाना पड़ता है तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन है कि मेरे हरमाड़ा और बोराड़ा, यदि दो उप तहसील बन जायें और दोनों उप तहसील जैसे बोराड़ा उप तहसील बन जाये, वहां पंचायत समिति, जो अराई की है, वह तहसील अराई के अन्दर उसको सम्मिलित कर दिया जाए तो आमजन को बहुत बड़ी, जो कठिनाई हो रही है, क्योंकि उनको तीस-चालीस किलोमीटर जाना पड़ता है, यह करने से उनके आठ-दस किलोमीटर दूरी उनकी रह जाएगी। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह दोनों उप तहसील बन जाएं।

(13.00 बजे)

मुख्यालय बोराड़ा में वर्तमान में पुलिस थाना है, सामुदायिक स्वास्थ्य

(श्री भागीरथ चौधरी)

केन्द्र है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, बैंक आफ बड़ौदा की शाखा है, सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय है, एवीवीएनएल का ग्रिड स्टेशन है, गिरदावर मुख्यालय है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत मुख्यालय हरमाड़ा में वर्तमान में पुलिस चौकी है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है, सहायक कृषि अधिकारी है, दूरसंचार विभाग का उप कार्यालय है, बैंक आफ बड़ौदा की शाखा है, कृषि उपज मण्डी समिति, किसान की गौण मण्डी है, गिरदावर मुख्यालय है, एवीवीएनएल का ग्रिड स्टेशन भी संचालित है।

अत: उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि बोराड़ा और हरमाड़ा को उप तहसील बना दिया जाए और इन दोनों को तहसील अरांई और किशनगढ़ में सम्मिलित कर दिया जाए तो आमजन को बहुत सहूलियत होगी। उनको परेशानी नहीं होगी और 30-40 किलोमीटर दूर हर कार्य के लिए उनको जाना पड़ता है, उससे भी उनको राहत मिलेगी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, हमारी मुख्य मंत्रीजी संवेदनशील हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अरांई के अन्दर हर तरह की सुविधाएं दी हैं, वहां दो-दो गौरव पथ दिये, वहां कालेज खोली है, वहां आरएसईबी का एईएन कार्यालय भी खोला है। सब तरह की वहां सुविधाएं दी हैं। वहां रीको एरिया अभी-अभी सृजित किया है इसलिए मेरा निवेदन है कि बोराड़ा को उप तहसील बनाकर अरांई तहसील में उसको सम्मिलित किया जाए। इसी प्रकार हरमाड़ा को उप तहसील बनाकर किशनगढ़ तहसील में उसको सम्मिलित किया जाए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मेरा यह निवेदन है।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र के बोराड़ा एवं हरमाड़ा को उप तहसील बनाने के लिए जो बात कही, आपके मार्फत मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हरमाड़ा, तहसील रूपनगढ़ में है। तहसील रूपनगढ़ में कुल पटवार मण्डल 26 हैं जबकि मापदण्ड के अनुसार तहसील के लिए न्यूनतम 30 एवं उप तहसील के लिए 15 पटवार मण्डल होना आवश्यक है। अत: हरमाड़ा उप तहसील घोषित किये जाने के लिए निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं होते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोराड़ा के लिए माननीय सदस्य ने जो

(श्री अमराराम)

बात कही कि यह तहसील सरवाड़ में है। तहसील सरवाड़ में 54 पटवार मण्डल हैं। बोराड़ा की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 14 पटवार मण्डल एवं 03 गिरदावर सर्किल रखे जा सकते हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2014-2015 में की गई बजट घोषणानुसार राज्य में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों को समान क्षेत्राधिकार एवं प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार पुनर्गठन सृजन किये जाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था जिसका अभिलेख अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अभिलेख या रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रशासनिक आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

प्रदेश में कर्ज माफी को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से एक ऐसी आज की ज्वलन्त समस्या के बारे में, जो किसानों से जुड़ी हुई है, उसके ऊपर अपनी बात रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में करीब ढाई करोड़ से अधिक किसान 1.37 टन से भी ज्यादा फसलों की पैदावर करते हैं लेकिन उनको उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है इसलिए किसान आज प्रदेश में आत्महत्याएं कर रहा है। बहुत पीड़ित है, शोषित है। जब यह सरकार सुराज संकल्प यात्रा निकाल रही थी तो इन्होंने किसानों से बहुत-बहुत वायदे किये थे। समर्थन मूल्य के ऊपर उनकी फसलों को खरीदने की बातें की थीं। समर्थन मूल्य में मोंठ, मेहंदी, चौला, ग्वार, जीरा, धनिया, लहसुन, ईसबगोल, ग्वारपाठा, अरण्डी आदि को न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि में लाने की बात कही थी। इन्होंने किसान आयोग को और अधिक सशक्त बनाने की बात कही थी। जंगली जानवरों से फसल के नुकसान के लिए तारबन्दी में अनुदान देने की बात की थी लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश के किसान का, कि इस सरकार ने, मैं एक साल का आंकड़ा देना चाहता हूं कि 2017-18 में मूंगफली केवल इन्होंने 11.61 परसेंट समर्थन मूल्य पर खरीदी। मूंग 34.50 परसेंट खरीदा और सोयाबीन 1.12 परसेंट तथा बाजरा और मक्का बिलकुल खरीदा भी नहीं, और इस प्रकार किसान को, अगर वह समर्थन मूल्य पर खरीदते तो लाभ होता लेकिन नहीं खरीदने के कारण से जो नुकसान हुआ वह 32 अरब 53 करोड़ 46 लाख 37 हजार के लगभग केवल एक साल में किसान को नुकसान हुआ है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

किसानों ने सम्पूर्ण कर्ज माफी को लेकर आन्दोलन चला रखा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधीजी जब उपाध्यक्ष थे तो बांसवाड़ा में किसान की सम्पूर्ण कर्जमाफी की मांग को लेकर आये। हमारे कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में पायलट साहब और सबने, हमारे अविनाश पाण्डेजी ने सीकर में आन्दोलन किया। किसान महासभा आन्दोलन कर रही है। जब किसानों ने सीकर सहित प्रदेश के विभिन्न इलाकों में कर्ज माफी को लेकर आन्दोलन किया तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने किसानों से बात की और सरकार ने बात करके दो-दो, तीन-तीन मंत्रियों ने कहा कि 50 हजार के सम्पूर्ण कर्जे हम माफ करेंगे। समर्थन मूल्य में लागत का जो 50 परसेंट लाभ मिलना चाहिए, उसकी बात करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात करेंगे लेकिन समझौता करने के बाद में कमेटी-कमेटी खेलना सरकार ने चालू कर दिया और कमेटियां बना करके मुख्य मंत्रीजी से घोषणा करवायी तो केवल अल्पकालीन फसली ऋण, लघु और सीमान्त कृषकों को परिधि में डाला जिससे लघु और सीमान्त को 50 हजार का ऋण कोई देता ही नहीं है। किसी को दस हजार, किसी को बारह हजार, नोशनल शेयर होता है।

एक बाप के चार बेटे हैं, बाप के 40 बीघा जमीन है। अगर चार बेटे हैं तो लघु सीमान्त में उसको ऋण मिल गया लेकिन अब सरकार ने राइडर लगा दिया कि पटवारी, तहसीलदार से प्रमाण-पत्र लाओ। उस प्रमाण-पत्र के कारण से न तो उस बाप को लाभ मिलेगा, न बेटों को मिलेगा और जो आठ हजार करोड़ का ढिढोरा पीट रही है सरकार, वह दो हजार करोड़ भी किसानों को लाभ नहीं देना चाहती है।

आज जब किसान दुबारा इस समझौते से मुकरने से और लाभ नहीं दिये जाने से मुख्य मत्रीजी द्वारा बजट घोषणा में इस प्रदेश की सरकार द्वारा छलावा करने के कारण से विभिन्न इलाकों में सभी जिलों में आन्दोलनरत हैं। आज जब विधान सभा पर अपनी वाजिब मांगों के लिए किसान प्रदर्शन करने वाला था, 22 तारीख का सरकार को अल्टीमेटम दे रखा था तो आज से चार दिन तीन दिन पहले सरकार ने किसान नेताओं की धरपकड़ कर, उनको जेल में डालना चालू कर दिया।

आज मैं सीकर से आया था उपाध्यक्ष महोदय, चालीस जगह पुलिस का पहरा था। मेरे साथ जो चार-पांच लोग थे, उनको उतार लिया गया कि आप किसान हो। किसानों का राजधानी जयपुर में प्रवेश आज वर्जित है। आज

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। आज किसानों को अपनी वाजिब मांगों के लिए यहां पर धरना और प्रदर्शन, जिसका उनका वाजिब अधिकार, उसके लिए नहीं दिया जा रहा है। आज दो-दो, तीन-तीन पूर्व विधायक जेलों के अन्दर बिना कानून के पड़े हुए हैं। किसानों की बात उठाना, किसानों का अपना वाजिब हक मांगना, क्या प्रदेश की सरकार के लिए कोई अपराध है?

किसान ने क्या नहीं दिया? आपकी झोली में 163 सीटें डाली। आपकी झोली भर दी। आपको 25 में से 25 एमपी दिये। आपने किसानों से वादा किया था कि सम्पूर्ण 50 हजार का किसान का कर्ज माफ करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज केवल अल्पकालीन फसली ऋण और उसमें भी लघु और सीमान्त का राइडर डालकर के किसान को उसको वाजिब हक से वंचित किया जा रहा है। आज सबको अधिकार है इस प्रजातंत्र में, इस लोकतंत्र में, कि वह अपनी मांग रखे। सरकार के सामने धरने करे, प्रदर्शन कर सकता है, भूख हड़ताल कर सकता है लेकिन दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का, कि ऐसी निकम्मी सरकार इस प्रदेश में सत्तासीन हो गयी। किसानो को वह जेलों में डाल रही है। उनके साथ में लाठी-भाटा कर रही है। उनके खिलाफ तरह-तरह के झूठे मुकदमे बनाये जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कोई हो नहीं सकता। इसलिए माननीय गृह मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं चाहूंगा कि आपने किस कानून के तहत आज पुलिस का पहरा देकर के किसानों के साथ ज्यादती करने का काम किया है। किसानों को प्रदेश की राजधानी में उसके वाजिब हक के लिए जो प्रदर्शन करने चाह रहे थे, उनको रोकने का काम किया है। इस प्रकार किसान नेताओं को जेल में डालने का आपने काम किया है।

यह कौनसा कानून है, उन किसानों ने कौनसा अपराध कर दिया कि अगर वो उसके वाजिब हक की मांग करने लगा तो आपने लाठियां बरसाना चालू कर दिया, गोलियां बरसाना चालू कर दिया, उनको जेलों में डालना चालू कर दिया? तो यह बताने की कृपा करें कि किस नियम से आपने कौनसी इमरजेंसी लगायी है?

हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं, कांग्रेस शासन ने पता नहीं कब इमरजेंसी लगायी थी, वो इमरजेंसी तो घोषित थी और उस वक्त देश के लिए जरूरी थी ...(व्यवधान) लेकिन आज किसान के लिए आपने किस प्रकार से अघोषित इमरजेंसी लगाकर के किसान को अपने वाजिब अधिकारों की मांग करने के लिए आप बाधित कर रहे हो? यह बताने का कष्ट करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वो जरूरी नहीं थी। उसके लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी ने और सब ने माफी मांगी और वो सारे देश पर कलंक लगाया था। वो जरूरी नहीं थी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज यह सरकार किसानों को जेल में डालकर के उनको प्रदर्शन नहीं करने दे रही है, यह कोई अन्याय नहीं है क्या?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्री महोदय, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: अब क्या रह गया? उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं, जो कुछ कहना था सारा ही कह दिया, अब रह क्या गया?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): साहब, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: आपका नाम भी सम्मिलित कर लेते हैं कि इनके वक्तव्य में आदरणीय खींवसर से आने वाले सदस्य की भी भावना व्यक्त हो गयी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): साहब, आप कहो तो सिर्फ एक मिनट बोल दूं।

श्री उपाध्यक्ष: अगर मैं पर्ची पर ऐसे बुलाने लग गया तो इस पर्ची का अर्थ ही खतम हो जायेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्री महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाओ। देखिये मंत्रीजी का जवाब तो आप सुनें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो गम्भीर विषय उठाया, यह निश्चित है कि लोकतंत्र में हरेक को अपनी बात कहने का लोकतांत्रिक तरीके से अधिकार है। इसके लिए अपनी बात का जिस ढंग से भी वो करना चाहें कर सकते हैं, लोकतंत्र में उसकी कोई मनाही नहीं है।

लेकिन सच्चाई तो यह है कि पुलिस के लिए कई तरह की मजबूरियां हैं। मैं इसलिए बताता हूं कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 8419/16 में दिनांक 04.07.2017 को जारी अंतरिम आदेश में प्रशासन को पाबंद किया है कि जयपुर महानगर क्षेत्र में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

कार्य दिवसों के दौरान घनी आबादी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की रैली, विरोध प्रदर्शन, जुलूस आदि का आयोजन नहीं किया जाना सुनिश्चित करें।

बाद में अभी-अभी 08.12.2017 को उसमें थोड़ा सा संशोधन किया, लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया कि आखिर हमको अपनी बात कहने का हक होना चाहिए और उस हक के लिए 08.12.2017 को संशोधन आदेश में अपवाद स्वरूप राजनीतिक एवं अन्य रैलियों के कार्य दिवसों में दोपहर बाद 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच आयोजन की अनुमति होगी। प्रशासन को छूट दी गयी। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक कोर्ट ने इस आदेश के द्वारा कि कोई विभिन्न रैलियां करना चाहें, प्रदर्शन करना चाहें तो कर सकते हैं।

दिनांक 17.02 को श्री संजय माधव, संयुक्त सचिव, अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा जयपुर में महापड़ाव की अनुमति हेतु आवेदन किया। इस आवेदन में महापड़ाव हेतु न तो समय सीमा लिखी, न कुछ स्थान लिखा, न कुछ नहीं महा पड़ाव हेतु इन्होंने अपनी घोषणा की। 20 तारीख को हमने यहां से, महापड़ाव का मतलब है अनिश्चितकालीन बैठना और वो कोर्ट के इस आदेश से केवल और केवल 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में केवल प्रदर्शन और रैलियों को छूट दी थी।

इसके कारण से इस डी.बी. के फैसले का पालन करना पुलिस का उत्तरदायित्व बन जाता है और इस कारण से हमने सारे जिला कलेक्टर्स को यह सूचना दी कि इस महापड़ाव के लिए जो लोग आते हैं उनको आप समझाएं वो यहां आकर के महापड़ाव न करें। महापड़ाव में हमने उनको दोबारा भी कहा कि आपने न तो अपना स्थान बताया, न आपने समय बताया कि आप कितने घंटे प्रदर्शन करना चाहते हो और इस कारण से सभी जिला कलेक्टर्स को, जिला पुलिस अधीक्षकों को हमने निर्देशित किया कि आप वहां अपने-अपने जिले में जो भी इस प्रकार से चल रहे हैं, उनसे बातचीत करो, समझाइश करो और उन्हें कहो कि अगर आप जयपुर में महापड़ाव के लिए चलेंगे तो यह महापड़ाव सम्भव नहीं होगा।

इस कारण से हमने विभिन्न स्थानों पर, जहां से ये चलें हैं वहां से अभी तक, इस 11 बजे की लेटेस्ट सूचना से 179 लोगों को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया और उसमें से 17 लोग अपनी जमानत देकर के वो चले गये, बाकी लोग हमारे पास हैं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अगर आप चाहें तो मैं हर स्थान के आधार पर बता सकता हूं। हमने चौमूं में 59 लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है, कालाडेरा में 24 लोगों को, बारां न्यायिक अभिरक्षा में अपना कोटवाली, उद्योग नगर और खण्डेला, इनमें से 12 लोगों को भेजा है, झुन्झुनूं में हमने तीन लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है और एक जमानत पर छोड़ा है, नागौर में हमने दो को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है दो को जमानत पर छोड़ा है, बीकानेर में पांच को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है एक को हमने छोड़ा है, गंगानगर में 11 लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है, हमने हनुमानगढ़ में 11 लोगों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है और चूरू में नौ लोगों को भेजा है।

इसके बाद भी विभिन्न रास्तों से विभिन्न गाड़ियों में या साधनों से जब इन्होंने आना प्रारम्भ किया तो हमने लगभग चूरू, बीकानेर, जयपुर, इनमें अलग-अलग स्थान पर इनको रोककर के इनको समझाइश करने की कोशिश की, या तो ये अपनी गिरफ्तारी दे दें ताकि हम इनकी गिरफ्तारी करें या फिर ये अपने उसी स्थान पर जो भी इनको भाषण देना है वो देकर के अपने कार्यक्रम को समाप्त करें। अब तक हमने लगभग दो हजार लोगों को इस दृष्टि से रास्तों में रोका हुआ है, 50 गाड़ियां हैं जिनको हमने रोका है। हमने इसलिए रोका है कि जयपुर में महापड़ाव जिसका नाम है वो चार घंटे का नहीं हो सकता और इसलिए डी.बी. के फैसले का आदर करना, सम्मान करना यह पुलिस का उत्तरदायित्व है, इसके कारण से इनको रोका है और जैसे ही इनके द्वारा अगर यह कहा जायेगा कि यह महापड़ाव वाली बात नहीं है तो कोई ऐसी संगीन धाराओं में नहीं लगाया कि यहां आकर के न लगायें, उन सब को हम मुक्त करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी, यह नौबत इसलिए आयी कि आपने वादा करके, मंत्रिमण्डलीय समिति ने सम्पूर्ण 50 हजार की कर्ज माफी की बात की थी, उनके साथ में किसानों के साथ में धोखा किया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक बात करो। आपको दिमाग में यह बार-बार गलतफहमी कि तीन चुनाव क्या जीत गये जैसे कोई सर धोक लिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तीन नहीं 17, गृह मंत्रीजी, 17, आपकी स्वयं की मुख्य मंत्री ने कहा है कि हम 17 चुनाव हारे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आसन से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इनकी गलतफहमी निकालने के लिए 50 साल राज करके इन्होंने क्या दिया, उसका और हमने 16 साल में क्या दिया, इसका यहां एक डिस्कशन हो जाए कि हाउस में इसकी चर्चा हो जाए ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने जो किसान के 50 हजार रुपये के ऋण को माफ का वादा किया, आप उसको निभाइये। आप हमसे सवाल करने के लिए सत्ता में नहीं आये हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप इतना अभिमान में मत होओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने फूटी कौड़ी दी क्या अपने समय में? आपने किसान को फूटी कौड़ी दी क्या? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप सत्ता में इसलिए नहीं आये हैं कि कांग्रेस से सवाल करें। आपने किसान के साथ जो वादा किया... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): दस हजार रुपये भैरोंसिंह जी ने माफ किये और 50 हजार रुपये वसुन्धरा जी ने माफ किये। आपने फूटी कौड़ी दी क्या? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज किसान राजधानी में नहीं आ सकता, यह कौनसा कानून है? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, न तो आपने आन्दोलन किया, किसी दूसरे के आन्दोलन में, दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर कर चलाना चाहते हो ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज किसान अपनी बात रखने के लिए ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप किसान की बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपने खुद ने कुछ किया नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने क्या किया, हमने क्या

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

नहीं किया, आज किसान अपनी बात रखने के लिए राजधानी में नहीं आ सकता।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराज जाओ। क्योंकि आपने अपने विषय में अनेक विषयों को सम्मिलित कर लिया। कुछ विषय ऐसे थे जो गृह मंत्री तक सीमित थे और कुछ विषय आपने ऐसे भी उठा लिये तो यह तो अन्य किसी मंत्री के दायरे में आते हैं।

क्योंकि आपने ऋण का विषय भी उठा लिया इसलिए मैं कोआपरेटिव मिनिस्टर से निवेदन करता हूं अगर आपके पास जानकारी है तो आप इसका उत्तर दीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं भी बोल लूं?

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। एक बार पूरा सार आ जाए, फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका रहती है।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से जो विषय उठाया उसमें कर्ज माफी के बारे में भी आपने बोला है कि सरकार किसानों की बात को, किसानों की मांग को नहीं मान रही है, नहीं सुन रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी 12 तारीख को जब माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया था उसमें पहली बार किसानों के लिए एक साहसिक कदम उठाया गया जो निश्चित रूप से ऐतिहासिक कदम है और पहली बार लघु और सीमांत कृषकों के 50 हजार तक के ओवर ड्यू और आउट स्टेंडिंग ऋण को माफ करने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा की गई।

माननीय सदस्य सीकर से आते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले कभी भी किसी भी शासन में इतना अधिक दायरा नहीं बढ़ाया गया। 20 लाख किसानों को ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट सुनो तो सही।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2013 में अशोक गहलोत की सरकार ने भी जो पैनल्टी और ब्याज था वो माफ किया था।

श्री उपाध्यक्ष: एक बात और मंत्रीजी आप स्पष्ट कर दें, केन्द्र सरकार ने क्या किया था और राज्य सरकार ने क्या किया है, स्पष्ट कर दें। (व्यवधान)

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20 लाख लोगों को इससे लाभ मिलेगा। माननीय सदस्य जो सीकर जिले से आते हैं, मैं सीकर जिले का तुलनात्मक विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि वर्तमान में जो कर्ज माफी की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है, वह सीकर जिले में 1 लाख 7 हजार 452 किसानों का 465 करोड़ 48 लाख का कर्जा माफ होगा। अब आप वापस सुन लें। 465 करोड़ 48 लाख का कर्जा माफ होगा जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। आपके यूपीए के समय का आंकड़ा भी मैं आपको देना चाहूंगा। उस समय 7 हजार 188 किसानों के 15 करोड़ 58 लाख रुपए माफ हुए थे सीकर में, यह सीकर का आंकड़ा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं झुंझुनूं का भी आपको बताना चाहूंगा। झुंझुनूं में 1 लाख 18 हजार 541 किसानों का 492 करोड़ 45 लाख का कर्जा माफ होगा। यूपीए के समय मात्र 2 हजार 525 किसानों का 3 करोड़ 70 लाख का कर्जा माफ किया गया। चूरू जिले में 78 हजार 284 किसानों का 185 करोड़ 63 लाख का कर्जा माफ होगा अभी और यूपीए के समय मात्र 5 हजार 643 किसानों का मात्र 4 करोड़ 74 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले का अगर हम देखें तो इस वर्ष 92 हजार 136 किसानों का 264.84 करोड़ रुपए का कर्जा माफ होगा जबकि यूपीए के समय मात्र 10 हजार 311 किसानों का 13.76 करोड़ का कर्जा माफ हुआ था।

दौसा जिले में 92 हजार 856 किसानों का 272.44 करोड़ का कर्जा माफ होगा। यूपीए के समय मात्र 9 हजार 444 किसानों का केवल 18.74 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 30 हजार करोड़ का कर्जा है किसानों पर अकेले सीकर में और आप कर रहे हो 400 करोड़। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 30 हजार करोड़ रुपए का कर्जा है आज की तारीख में अकेले सीकर जिले में। आप कह रहे हो 400 करोड़।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपने केवल 13 करोड़ माफ किए हैं।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको आदिवासी क्षेत्र का बताना चाहूंगा। आदिवासी क्षेत्र में बांसवाड़ा और डूंगरपुर, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो डेढ़ लाख से अधिक किसानों को 409 करोड़ रुपए का इसका लाभ मिलेगा, वहां पर इतना कर्जा माफ होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा शायद सब माननीय सदस्यों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। इतना इसका दायरा बढ़ाया गया है जितना कि देश की आजादी के बाद में कभी भी इतने किसानों को लाभ नहीं मिला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): क्षमा याचना कीजिए आप।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है आप किसान की चिंता से जितनी भलीभांति आप परिचित हो, शायद यह किसान बनना चाहे पर इनको ध्यान नहीं है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 53 साल में किसानों के कितने कर्ज माफ किए यह बता दो लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। पता ही नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, हमारे क्षेत्र का भी एक सवाल। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सब तो आ गया।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): राजस्थान की कांगेस सरकार ने कितना कर्जा माफ किया? आप इनसे यह तो पूछ लें, 17 जीत गए, 17 जीत गए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने किसानों पर दमनात्मक कार्यवाही जो अभी हुई है और 22 तारीख का उनका प्रस्तावित कूच था और आज से पहले भी राजस्थान की विधान सभा के 'टी पोइंट' पर बड़े से बड़े प्रदर्शन हुए और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 50 हजार के कर्ज की जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बात कही है वह चार बीघा और आठ बीघा के किसान हैं उनका ही कर्जा माफ होगा। माननीय मंत्रीजी दूसरे जिलों का बता रहे थे, हो सकता है कि डेगाना के अन्दर तो आपने कोआपरेटिव ही दिला दी होगी। वहां माफ करा दिया लेकिन राजस्थान के किसान पर 82 हजार करोड़ का कर्जा है और आप 50 हजार करोड़ का कर्जा भी माफ करते हो तो आपको 20 हजार करोड़ का रेवेन्यू रखना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय सदस्य, आपको बताना चाहूंगा कि नागौर के अन्दर भी 74 हजार से अधिक किसानों का कर्जा माफ होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: No, I'll not accept it (...Interruptions..) Hon'ble Minister, would you like to react to this?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): No.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री ज्ञानचन्द पारख, उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पाली के पुनायता औद्योगिक क्षेत्र में पुनर्वासित औद्योगिक इकाइयों को नियमों में शिथिलता

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाली शहर के पुनायता औद्योगिक क्षेत्र स्थित अनेकों औद्योगिक इकाइयों को रीको द्वारा उत्पादन प्रारम्भ तिथि का प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने के लिए माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: उद्योग मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने पुनायता इंडस्ट्रियल एरिया के अन्दर जो रिहेबिलिटेशन हुआ था, पाली के पुनायता के आसपास एग्रीकल्चर लैंड पर residential इलाके के अन्दर तकरीबन 238 इकाइयां गैर कानूनी रूप से बिना किसी permission के काम कर रही थीं। इन सबके खिलाफ महावीर नगर विकास समिति कोर्ट में गई और हाई कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि illegally agricultural इलाके के अन्दर और illegally residential इलाके के अन्दर जो टैक्सटाइल एक्टिविटीज हो रही है, जिससे इनका पोल्यूटेड वाटर लगातार इन इलाकों में जा रहा है उनका rehabilitation कहीं और इंडस्ट्रियल एरिया में कर देना चाहिए। उस आदेश के तहत हमने पुनायता में एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया और इंडस्ट्रियल एरिया बनाकर 238 यूनिट को 270 इंडस्ट्रियल प्लाट अलोट किए।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 01.07.2009 को हमने इस इंडस्ट्रियल एरिया को डवलप्ड इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया। लेकिन जिन इकाइयों को हमने rehabilitate किया उनमें से बड़ी संख्या में इकाइयों ने जितने stipulated period में प्रोडक्शन शुरु करना चाहिए था वह प्रोडक्शन शुरु नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं रीको के द्वारा औद्योगिक इकाइयों को जो प्लाट आबंटित किए जाते हैं उनका दुरुपयोग नहीं हो, उद्योग के लिए आबंटित प्लाट रीयल एस्टेट के पार्ट में तब्दील न हो जाए, उद्योग के लिए आबंटित प्लाट का प्रोडक्टिव इस्तेमाल किस प्रकार से हो जाए इसके लिए कुछ कानून बनाए गए हैं। उन कानूनों के तहत ही कोई यूनिट प्रोडक्शन में आई है या नहीं आई है इस बात को तय करते हैं। प्रोडक्शन में आने का मतलब केवल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना ही नहीं है, बल्कि रीको इस बात को भी एंश्योर करना चाहता है कि जिस प्लाट को रीको ने आपको इंडस्ट्रियल यूज के लिए दिया है, उस इंडस्ट्रियल प्लाट का optimum utilisaition industrial purpose के लिए हो रहा है या नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदना करना चाहता हूं कि 238 यूनिट जिनको 270 इंडस्ट्रियल प्लाट आबंटित किए गए थे उनमें से केवल 89 का ही प्रोडक्शन करना वेरीफाई हुआ है। रीको के existing rules के अनुसार 89 यूनिट्स हैं जो कानून के मुताबिक अपने प्रोडक्शन में है, बाकी यूनिट प्रोडक्शन में है, यह यूनिट के लोगों का जरूर दावा है लेकिन कानून के मुताबिक अगर हम उसको एक्जामिन करेंगे तो जो पर्पज है इंडस्ट्रियल प्लाट्स को अलाट करने का उसके अनुसार यह प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं हैं। फिर भी वहां के लोगों ने जो रिप्रजेंटेशन दिया और कहा कि हम प्रोडक्शन में है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि हमारी यूनिट्स का rehabilitation हुआ है, और चूंकि rehabilitation हुआ है तो rehabilitation की एक सीमा है, इसलिए हम आपके कानूनों के तहत प्रोडक्शन को प्रोडक्शन के रूप में साबित नहीं कर पाए इसलिए हमको कुछ रिलीफ देनी चाहिए। उस रिलीफ देने के लिए हमने कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और हमने कहा कि जितनी प्रकार की समस्याओं की चर्चा वहां के उद्योगी कर रहे हैं उन सब चीजों को वेरीफाई करते हुए हमें, सरकार को रिपोर्ट प्रेषित करे और सरकार उसके अनुसार कार्यवाही कर पाएगी। अभी मेरे ख्याल से कलक्टर की कमेटी की एक मीटिंग हो चुकी है, कलक्टर ने एक deadline दी थी कि इस deadline तक जितने

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

लोगों को अपने आप को प्रोडक्शन में बताने का क्लेम करना हो वह क्लेम करे, वहां की इंडस्ट्रियल एसोशिएशन ने समय बढ़ाने की मांग जरूर की है। समय बढ़ाने की और यदि दस-पन्द्रह-बीस दिन की बात करते हैं तो समय बढ़ाने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह तो सुनिश्चित करना ही पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल प्लाट का productive optimum utilisation हो, किसी को अपना प्रोडक्शन करने के लिए जमीन चाहिए 2000 गज, चूंकि रीको की जमीन का भाव आम तौर पर बाजार की कीमत से कम होता है, इसलिए मुझे चाहिए 2000 गज जमीन लेकिन मैं अप्लाई करता हूं 10000 गज जमीन, और 10 हजार गज जमीन को लेकर मैं बैठ जाता हूं, ये industrial plot real estate के असेट में तब्दील न हो जाए इसको एंश्योर करने के लिए प्रोविजन बनाए गए हैं, ये काफी सोच समझकर प्रोविजन बनाए गए हैं लेकिन जैसा कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ चिंताओं का जिक्र किया है। उन सब चिंताओं को ध्यान में रखते हुए हमने कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मैं समझता हूं गुणावगुण के आधार पर इसके बारे में निर्णय किया जाएगा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने ऐसे प्रकरणों को बहुत गम्भीरता से लिया और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, पर उसमें कुछ पेचीदगियां हैं। उद्यमी कह रहा है कि मैंने इस तारीख को अपना उत्पादन शुरु कर दिया, पर रीको कोई और बात कहकर उस बात को मान नहीं रहा है और जहां तक भूखण्ड आबंटन की बात है, छोटा भूखण्ड दिया या बड़ा भूखण्ड दिया, पहले जितना भूखण्ड उसका था, जो गैर-औद्योगिक क्षेत्र में चल रहा था, उसकी तुलना में उसको कम साइज का भूखण्ड दिया गया है, इसलिए यह बात तो रहती भी नहीं है कि कोई बड़ा भूखण्ड लेकर उसका उपयोग नहीं करेगा, एसेट्स खड़ी करेगा, यह बात तो रहती नहीं है, क्योंकि उसकी तुलना में सबको लगभग ¼ ही भूखण्ड मिला है। अब जहां तक प्रमाण की बात है कि उसने उत्पादन कब चालू किया, यह क्लियर करना है। अगर सरकार यह क्लियर कर दे तो सारा काम आसानी से निपट जाएगा। मेरे पास कुछ प्रमाण हैं, जिनमें रीको ने खुद ने अपने 2009 के सर्वे में माना है कि 74 इकाइयां उत्पादन कर रही हैं। यह रीको की अपनी सूची है, मेरी सूची नहीं है, रीको ने

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मानी है। अब उसमें कितने भू-भाग पर उसकी इकाई बनी हुई है, वह कहीं दर्शाई नहीं है, पर उसके भी प्रमाण मिल जाएंगे, क्योंकि कई लोगों ने पोल्यूशन डिपार्टमेंट में सीटीई लगाई है, तो वहां भी उसने नक्शा पेश किया है कि मेरे ये बिल्डिंग और मशीनरी लगेगी और सीटीई लगने के बाद में जब सीटीओ लगाई तो उसमें आरओ जो होता है पोल्यूशन बोर्ड का, उसकी रिपोर्ट भी होती है जिसके बिना फाइल आगे चलती नहीं है। उसमें भी यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपके यहां यह हुआ है। उसके अलावा रीको ने कुछ नोटिस भी दिए हैं कई लोगों को कि आपने यह अतिरिक्त निर्माण किया है। एक नहीं सौ से ज्यादा नोटिस दिए हैं, जिसमें रीको मान रहा है कि आपका यह अतिरिक्त निर्माण है तो इसका मतलब निर्माण उसका पूरा है और सन् 2010 में तो रीको ने कुछ इकाइयों को इस बात का नोटिस भी दिया है कि आपका जो प्रदूषित पानी नाले में या पाइप में जाता है, उसकी क्षमता बराबर नहीं है। ऐसे कई सारे प्रमाण हैं।

मेरा उद्योग मंत्रीजी से यही आग्रह रहेगा कि आपने पहले भी उदारता दिखाई है, आपने कमेटी गठित की है। आप कमेटी को यह निर्देश दे दें कि जो प्रमाण उद्यमी पेश करें, उस पर थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक गौर करें। अब जैसे बिजली का बिल है, यह बिजली का बिल तभी आएगा, जब इकाई चल रही है। अब आपका प्रावधान यह है कि कोई न कोई गवर्नमेंट का टैक्स, उसका प्रमाण चाहिए। कपड़े पर कोई टैक्स लगता नहीं है, इसलिए वह प्रमाण तो मिलना नहीं है। बिजली का बिल अगर आप मान लेंगे तो यह पर्याप्त है या रीको ने खुद जो नोटिस दिए हैं, उनको भी आप मान लोगे कि रीको नोटिस दे रहा है, रीको प्रमाणित कर रहा है कि यह तौर-तरीका पहले से चल रहा है, रीको नोटिस दे रहा है कि इसने अतिरिक्त निर्माण किया या सैटबैक में निर्माण किया, ऐसे कई सारे नोटिस प्रमाण के रूप में मौजूद हैं। आवश्यकता सिर्फ सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन प्रकरणों का निस्तारण करने की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार आपने इन प्रकरणों के निस्तारण के लिए कमेटी बना दी तो आप निर्देश भी दे देंगे कि इनका निस्तारण किया जाए ताकि ये प्रकरण निपट जाएं। मेरा यह भी आग्रह रहेगा कि कमेटी की एक समय-सीमा आप निर्धारित कर दें कि इतनी अवधि के अन्दर-अन्दर कमेटी ये सारे प्रकरण जो आपके पास आए हुए हैं, इनका निस्तारण कर देगी। यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने 3-4 बिंदुओं पर चर्चा की है। पहला तो उन्होंने कहा कि रीको की एक लिस्ट में इन यूनिट्स को उत्पादित करते हुए दिखाया है। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ नोटिस रीको ने सर्व किए हैं कि आपका सैटबैक वायलेशन है और तीसरा इस बात पर नोटिस दिया है कि आपका गंदा पानी बाहर निकल रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में यह बात बड़ी क्लियर कर दी थी कि रीको के कानून में commencement of production का मीनिंग क्या है। प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हमारे प्रोडक्शन की डेफिनिशन से बाहर है। इसका कारण भी मैंने बताने की कोशिश की। जो मैंने 10 हजार मीटर का प्लाट लिया, 1000 मीटर के अन्दर so called प्रोडक्शन शुरु किया और अपनी यूनिट्स का कह दिया कि मेरी यूनिट्स प्रोडक्शन में हैं और प्रोडक्शन में चूंकि आपकी यूनिट्स है, इसलिए गंदा पानी बाहर आ रहा है, नोटिस हमने दे दिया। चूंकि एक 10 हजार गज के प्लाट में 100 गज में निर्माण किया है और 100 गज का निर्माण आपने डंडे पर ही कर दिया तो फिर 20 परसेंट का कंस्ट्रक्शन तो नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन 2 परसेंट हुआ, लेकिन फिर भी सैटबैक का वायलेशन हो गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि रीको के कानूनों के आधार पर आपकी यूनिट को अंडर-प्रोडक्शन मान लिया जाए। आपका यह भी कहना है कि हमने कुछ यूनिट्स ने रीको के अधिकारियों को अपने प्रोडक्शन पर होने की सूचना दी, उसकी रिसीट्स है, ऐसा माननीय सदस्य का कहना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कानून को पढ़ना चाहूंगा- "In case land is allotted with the time limit for commencing production/construction of dwelling unit/commercial establishment shall not apply to khatedar.." ...नहीं। "In case land is allotted prior to development of the area, then above period of three years would be reckoned from the date of declaring...." माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अपने कंस्ट्रक्शन की सूचना रजिस्टर्ड डाक से देनी होगी और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने उसकी सूचना कभी भी रजिस्टर्ड डाक से नहीं दी, नम्बर एक। नम्बर दो, अभी भी जिन लोगों ने प्रोडक्शन की सूचना दी, उनमें कई ऐसे लोग थे जिनका 20 परसेंट के बिल्ट-अप एरिया के अन्दर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन इन सब चिंताओं को ध्यान में रखने के कारण ही इस कमेटी का गठन हम लोगों ने, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किया था। मैं आज फिर आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि भले ही

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रीको के कानून के मुताबिक इन फैक्ट्रियों को प्रोडक्शन में नहीं माना जा सकता, लेकिन निश्चित ही certain relaxations के लिए ही हमने इस कमेटी को बनाया है। आपने कहा कि time bound declaration होना चाहिए। इस कमेटी के काम को expedite करने के लिए और 90 दिन में कमेटी उन सब चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, जिनकी चर्चा आपने की है, अपनी प्रोपर रिकमंडेशंस कर पाए, इसके लिए मैं रीको के एडवाइजर इन्फ्रा को इस काम के लिए लगाऊंगा कि 90 दिन के अन्दर-अन्दर यह कमेटी अपनी प्रोपर रिकमंडेशन आपकी सारी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री झाबर सिंह जी खर्रा राजस्व राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

सीकर के ग्राम खुर्रमपुरा व जयपुर के ग्राम खेजरोली का पुन: सीमांकन

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व विभाग का ध्यान 2 जिलों, 2 तहसीलों और 2 राजस्व ग्रामों की सीमा के विवाद की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसे हमारे गांव की सामान्य बोलचाल की भाषा में कांकड़ कहते हैं। यह वर्ष 2010 से विवाद चल रहा है...

श्री उपाध्यक्ष: पहले आपका जवाब आ जाए, फिर आप फरमाना। पहले आपका जवाब आ जाए।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा, इसका समाधान करवाएं।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी कि 2 जिलों की सीमाओं, 2 गांवों की सीमाओं के बारे में तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं, इनको यह बताना चाहता हूं कि पटवार मण्डल गांव खुर्रमपुरा, पटवार मंडारू, मुंडरू, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर तथा ग्राम पटवार मंडारू, खेजरोली तहसील चौमूं, जिला जयपुर के मध्य स्थित सीमा में त्रुटि मानते हुए सुधार के लिए जो आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि पूर्व में भी दिनांक 02.11.2010 को राजस्व कार्मिकों द्वारा सीमांकन की कार्यवाही की गई थी।

(श्री अमराराम)

इसके पश्चात् फिर 10.7.2014 को जयपुर, सीकर जिले की राजस्व टीमों एवं भू-प्रबन्ध विभाग की तकनीकी टीम द्वारा ईडीएम मशीन से मौके का सीमांकन किया गया। मौके पर उपलब्ध मुस्तकिल, मुकामात को आधार बनाया जाकर कुल जीरो स्टेशन बनाकर दोनों ग्रामों के 132 बिन्दु पर ईडीएम मशीन से सर्वे किया गया। सर्वे के उपरांत तैयार नक्शे का सुपर-इम्पोज किया जाकर फसली सर्वे शीट का मिलान किया गया। मिलान करने पर ग्राम खेजरोली के राजस्व नक्शा एवं मौके सर्वे, दोनों में कोई भी अन्तर नहीं पाया गया। गांव मूण्डरू के रकबे में मामूली 8 ऐर अन्तर आया जो कि सम्भव है। एक ऐर 100 वर्ग मीटर का होता है इसलिए करीब 800 वर्ग मीटर का फर्क आया है जो कोई ज्यादा नहीं है। क्योंकि जमीन कोई कपड़ा तो है नहीं, जमीन के नाप में इतना फर्क आ सकता है। ग्राम मूण्डरू का संवत् 2012 में भू-प्रबन्ध में कुल रकबा 11185 बीघा 6 बिस्वा था। सम्वत् 2038 में तहसील श्रीमाधोपुर का भू-प्रबन्ध हुआ जिसमें ग्राम मूण्डरू के रकबा 2828.99 हैक्टेयर है जिसमें गत भू-प्रबन्ध के मुकाबले रकबे में केवल मात्र 0.08 हैक्टेयर का अन्तर आता है जो नगण्य है। सन् 1925 की नक्शा शीट वर्तमान में प्रचलन में नहीं है ऐसी स्थिति में नियमानुसार सन् 1925 की सर्वे शीट से सीमांकन करवाया जाना सम्भव नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जयपुर जिले में सर्वे-री सर्वे का कार्य आधुनिक तकनीक से किया जा रहा है। सीकर जिले में सर्वे-री सर्वे का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। यद्यपि पूर्व में गठित सर्वे टीम द्वारा किये गये सर्वेक्षण, सीमांकन में ग्राम खेजरोली के नक्शे तथा मौके में कोई अन्तर नहीं पाया गया फिर भी यदि माननीय सदस्य की इच्छा है कि सीमांकन दुबारा किया जाए और उनकी संतुष्टि के लिए मैं आश्वस्त करता हूं कि सैटलमेंट विभाग की टीम पुनर्गठित करके ई.टी.एस. मशीन, पहले मशीन दूसरी थी, ई.टी.एस. जो आजकल माडर्न तकनीक है उस मशीन से सीमांकन की कार्यवाही की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: आप फरमाना चाहेंगे?

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व विभाग ने जो जवाब दिया वो कार्यपालिका के जिम्मेदार लोक-सेवकों ने अपनी गलती को ढकने के लिए और कुछ तथ्यों को

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

नजरअंदाज करते हुए माननीय मंत्री महोदय से जवाब दिलवाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत् निवेदन करना चाहूंगा कि 15 अगस्त, 1947, आजादी से पूर्व जो भी शासन व्यवस्था थी उस शासन व्यवस्था में वर्तमान जयपुर एवं सीकर जिले में उस समय जयपुर राज्य और सीकर रियासत थी वहां 1925 में भू-प्रबन्ध का कार्य हुआ और पहली बार वैधानिक रूप से राजस्व ग्राम की सीमाओं का निर्धारण किया गया। मैं आपके मार्फत् निवेदन करना चाहूंगा कि उस बन्दोबस्त के दौरान जो राजस्व ग्राम की सीमाओं का निर्धारण किया गया उसमें जो डेटाज इकट्ठे किये गये उसे विलेज बाउण्ड्री डेटा का नाम दिया गया। इस बात का रिकार्ड पर कहीं कोई साक्ष्य नहीं है कि आजादी के बाद 1954 में जो पहला भू-बन्दोबस्त का काम शुरु हुआ उसमें आजादी से पूर्व 1925 में भू-बन्दोबस्त का कार्य जिन-जिन राज्यों, जिन-जिन रियासतों में हुआ था उनके एक भी राजस्व ग्राम की सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया हो। ऐसी स्थिति में 1954 में जयपुर जिले के खेजरोली राजस्व ग्राम के जो नक्शे तैयार हुए उनमें कुछ त्रुटियां रह गईं। ये त्रुटि पकड़ में आई वर्ष 2010 में जब ग्राम पंचायत खेजरोली द्वारा ग्राम खेजरोली से दोनों जिलों की सीमा या दोनों ग्रामों के कांकड़ के ऊपर एक ग्रेवल सड़क का निर्माण शुरु किया गया। उस निर्माण के दौरान जब अधिकांश काम, 3/4 के लगभग काम पूरा हो चुका तो सीकर जिले के खुर्रमपुरा गांव में एक पुख्ता चिन्ह जिसके पास में एक खेली बनी हुई थी, ग्राम पंचायत खेजरोली के जो भी तत्कालीन सरपंच या ग्राम सेवक थे उन्होंने उस ग्रेवल सड़क को उस खेली की सीमा में ले जाकर अड़ा दिया और बात शुरु हुई कि यह खेली कांकड़ के अन्दर आ गई इसलिए इसको तोड़ा जाएगा। उसके बाद अब तक लगभग 5-6 बार दोनों राजस्व ग्रामों की सीमाओं का सीमांकन हो चुका है। सीकर जिले में जितने पुख्ता चिन्ह ग्राम खुर्रमपुरा में उपलब्ध हैं उनसे अगर सीमा ज्ञान होता है तो वर्तमान में जो रास्ता चल रहा था, प्रचलन में था और जो ग्रेवल सड़क बनी वो 5 से 15 मीटर सीकर जिले की सीमा में अतिक्रमित हो गई। चूंकि खेजरोली ग्राम में कोई विशेष पुख्ता चिन्ह नहीं है, यह उनके रिकार्ड पर भी है और उसके आधार पर, त्रुटिपूर्ण नक्शों के आधार पर सीमा ज्ञान होता है तो वो सीमा सीकर जिले की सीमा में 5 से 15 मीटर चली जाती है। इसमें दो बार दोनों ग्रामों के नागरिकों में झगड़ा भी हो चुका, कुछ लोगों के हाथ-पांव भी टूट चुके और दोनों ग्रामों में आज की तारीख में

(श्री झाबर सिंह खर्रा)

तनाव की स्थिति है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि या तो 1925 और 1954 में जो विलेज बाउण्ड्री डेटा कलेक्ट किये गये उनके आधार पर दोनों ग्रामों की सीमा, जिसे कांकड़ कहा जाता है, उसका निर्धारण करवाया जाए। अगर किसी कारणवश रिकार्ड पर उक्त डेटा उपलब्ध नहीं होते हैं तो जैसा नियमों में प्रावधान हैं उन नियमों के प्रावधान के अनुसार दोनों ग्रामों में उपलब्ध पुख्ता चिन्हों के आधार पर 1925, 1954 और उसके बाद 1989 में जो भू-प्रबन्ध बन्दोबस्त हुआ उन तीनों में जो अन्तर आता है उस अन्तर को चिह्नित कर और अगर दोनों ग्रामों के रकबे में किसी भी प्रकार का आधिक्य या कमी आती है तो उस आधिक्य या कमी को समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन के आधार पर कमी-बेशी करके दोनों ग्रामों के सीमा या कांकड़ का निर्धारण करवाया जाए और उसी के आधार पर रिकार्ड में जो शुद्धि होनी है, वह शुद्धि करवाई जाकर दोनों गांवों के नागरिकों में व्याप्त तनाव को दूर करवाने का कष्ट करें। इस कार्यपालिका के जिम्मेदार पब्लिक सर्वेन्ट, जिसे लोक सेवक कहते हैं चाहे वह राज्य सेवा के हों, चाहे वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के हों, उनको जमीनी हकीकत का ज्ञान नहीं है और अगर ज्ञान होता तो यह तनाव इतने दिन तक नहीं चलता। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से विनम्र शब्दों में निवेदन है कि इस विवाद के निपटारे के लिए व्यावहारिक रूप से जो मैंने सुझाव दिये हैं, 1925, 1954 और 1989 के नक्शों के आधार पर जो पुख्ता चिन्ह हैं, उनका सीमांकन करवाकर या तो अगर विलेज बाउंड्री डाटा उपलब्ध हो जाते हैं तो डाटा के आधार पर दोनों का सीमा ज्ञान हो जायेगा, सीमाएं निर्धारित हो जायेंगी, कांकड़ निर्धारित हो जायेगा और किसी कारणवश अगर वह विलेज बाउंड्री डाटा उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसके आधार पर करवाकर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर इसका समाधान करवाने के लिए संबंधित को आदेशित करें और आने वाले तीन महीने में इस विवाद का निपटारा करवायें ताकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो। धन्यवाद।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व में ही यह कह चुका हूं कि सैटलमेंट विभाग की टीम को गठित करके और वहां के स्थानीय रेवेन्यू अधिकारियों के साथ में और दोनों गांवों के मोअजिज लोगों के सामने लेखाबंदी, जहां भी बिन्दु बनेंगे, जैसे हर गांव की सीमा पर होता है, पत्थर लगा हुआ होता है या जो भी बिन्दु, जो 132 पहले भी हमने

(श्री अमराराम)

तय किये थे, लेकिन उससे भी संतुष्ट नहीं है, आपस में झगड़ा है। आपने तो 10-15 मीटर का ही कहा है और हमारे उस हिसाब से नई मशीन आई है, उस हिसाब से नाप करके, दोनों गांवों के किसानों को हम आपस में सीमाओं के कारण नहीं लड़ने देंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने तीन महीने का टाइम कहा है। मैं दो महीने के अन्दर-अन्दर ही टीम गठित करके यह नाप करवाऊंगा। धन्यवाद।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्या के समाधान के लिए माननीय प्रभारी मंत्री, राजस्व विभाग ने दो महीने में निपटाने का जो आश्वासन दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दो महीने में इस समस्या का व्यावहारिक हल निश्चित रूप से निकलेगा।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

आयोजना विभाग

श्री उपाध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री राजपालसिंह जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): और कोई होता तो डांट पड़ती।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): साहब, ये डांट राठौड़ साहब को पड़नी चाहिए थी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माफी चाहता हूं। मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार आयोजना विभाग की चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015 दिनांक 17.11.2015 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य में भामाशाह कार्ड को पहचान (प्रूफ आफ आइडेंटिटी) एवं पते के प्रमाण (प्रूफ आफ एड्रेस) के रूप में मान्यता प्रदान की गई है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.17(1)/1।भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक 6.2.2017 जिसके द्वारा भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ हस्तान्तरण हेतु कतिपय योजनाएं चिन्हित की गई हैं;

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.17(1)/21/भामाशाह/डीईएस/2016 दिनांक 24.7.2017 जिसके द्वारा राज्य में राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) अधिनियम, 2017 को दिनांक 15.8.2017 से प्रवृत्त किया गया है; एवं

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.17(1)/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक 5.12.2017 जिसके द्वारा भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ हस्तान्तरण हेतु कतिपय योजनाएं चिन्हित की गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

प्रतिवेदन एवं लेखे

दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 56वां प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड का 56वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री केसाराम चौधरी।

समिति प्रतिवेदन

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति (क्रम संख्या 1)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शिक्षा विभाग के वर्ष 2013 के आश्वासनों की क्रियान्विति से संबंधित सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2017-18 के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

याचिका

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती अनिता कटारा (अनुपस्थित) श्री हीरालाल नागर (अनुपस्थित) श्री अमृत लाल।

सलूम्बर के स्टेट हाइवे 53 कीर की चौकी से भीण्डर, सलूम्बर, कल्याणपुर एवं ऋषभदेव तक सड़क निर्माण

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के स्टेट हाइवे 53 कीर की चौकी से भीण्डर, सलूम्बर, कल्याणपुर एवं ऋषभदेव तक सड़क का निर्माण किये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर लाल शर्मा।

दौसा नगर परिषद् के शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्वामित्व की सड़कों का नवीनीकरण एवं नाला निर्माण

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नगर परिषद, दौसा के शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग के स्वामित्व की सड़कों का नवीनीकरण एवं नाला निर्माण बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

भीम में सैटेलाइट चिकित्सालय की स्थापना

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र भीम में नवीन सैटेलाइट चिकित्सालय बनाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

व्यवस्था

उद्योग विभाग का प्रतिवेदन रखने में हुई देरी के लिए सरकार कार्यवाही करे

श्री उपाध्यक्ष: पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री महोदय, अगर इन याचिकाओं का उपस्थापन करने वाले आज उपस्थित हैं और उनके उपस्थिति रजिस्टर में दस्तखत हैं तो आप आधा घंटे में आसन को इस बात की जानकारी दें, उस पर आज बहुत ही कड़ा निर्णय लिया जायेगा। पहले यह जानकारी आप दे दें।

उद्योग मंत्री महोदय, आज आपके उद्योग की मांग है और आज ही आपका प्रतिवेदन आ रहा है। जो भी इसकी वजह रही है, आसन आपको निर्देशित करता है कि उस वजह का कारण बताकर और जो भी अगर नेग्लीजेंसी है तो उस अधिकारी, कर्मचारी या अन्य कोई हो, उस पर...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके लिए मुझे निर्देशित करें क्योंकि पूर्व में हमने इसके सर्कुलर जारी किये थे और सबको यह आगाह किया था। एक बार आसन की व्यवस्था बड़ी सख्त इसके अन्दर आ चुकी है, उसके बाद भी यह इस तरह की चूक हुई है। निश्चित तौर पर मैं इस चूक को स्वीकार करता हूं और मैं आसन को आश्वस्त करता हूं कि इसकी पूरी जानकारी करके, जिस स्तर पर भी, जहां भी कमी-खामी-त्रुटि रही है, उनका उत्तरदायित्व का निर्धारण करेंगे और कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: इसको आप अगले सप्ताह ही, सदन और आसन को इस बारे में जानकारी उपलब्ध करा दें।

विधायी कार्य, पुर:स्थापित किये जाने विधेयक, राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018, श्री अमरा रामजी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान भूमि विधियां निरसन विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव। मुख्य सचेतक महोदय।

समिति का गठन

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं...

श्री उपाध्यक्ष: वित्तीय समितियों के निर्वाचन। वित्तीय समितियों के निर्वाचन।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं...

श्री उपाध्यक्ष: निर्वाचन। निर्वाचन।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के निर्वाचन के संबंध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

(1) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से जन लेखा समिति, 2018-2019 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट आप विराजो। यह बाद में आयेगा। आपका गठन वाला नैक्स्ट है। पहले निर्वाचन वाला है। वैसे मुख्य सचेतक को भी आप एक बार बुलवा लें तो...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप उनको एक बार बुलवायें तो सही कम से कम।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): (2) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति "क", 2018-2019 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(3) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231 के साथ पढ़ते हुए नियम 232(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से प्राक्कलन समिति "ख", 2018-2019 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(4) इस सदन के सदस्यों द्वारा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 233-खा(1) के द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों की संख्या में से राजकीय उपक्रम समिति, 2018-2019 के लिए पन्द्रह सदस्यों का निर्वाचन किया जाय।

(14.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव।

वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में प्रस्ताव

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:-

"राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम-232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जन लेखा समिति, 2018-2019, प्राक्कलन समिति "क", 2018-2019, प्राक्कलन समिति "ख", 2018-2019 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2018-2019, प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है ।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में मैं, यह प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230 (1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाय, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें"।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि वित्तीय समितियों के गठन के संबंध में सरकारी मुख्य सचेतक ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

वित्तीय समितियों के गठन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

आय-व्यय अनुमान वर्ष 2018-19, द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री राजपाल सिंह शेखावात ।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42 - उद्योग की प्रस्तुति

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 42-उद्योग के संबंध

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,84,71,88,000/- (रुपये छह अरब चौरासी करोड़ इकहत्तर लाख अठ्यासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 42 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र पाल सिंह जी।

मांग संख्या 43 - खनिज की प्रस्तुति

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 43-खनिज के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,54,63,87,000/- (रुपये तीन अरब चौवन करोड़ तिरेसठ लाख सतासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 43 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहन लाल जी गुप्ता।

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 42 और 43 के संबंध में, जो प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने रखे हैं। उनका मैं समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट के संबंध में और बजट के समय उद्योगों को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, निवेश को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, उसके लिए जो घोषणाएं की हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं कि उनके माध्यम से राज्य में इन्वेस्टमेन्ट का वातावरण बना है और सबसे बड़ी बात यह है कि Ease of doing business पर राज्य सरकार ने व्यापक काम किया है और बिजनस रिफार्म एक्शन प्लान में वर्ष 2015 में राजस्थान देश में एस्पाइरिंग लीडर और 2016 में अच्छा कार्य करते हुए लीडर की श्रेणी में रहा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।

हमारा राजस्थान एस्पाइरिंग लीडर और लीडर की श्रेणी में रहा Ease of doing business की दृष्टि से। कोई भी व्यक्ति अपना बिजनस लगाए, इंडस्ट्री लगाए, उसके लिए One Stop Clearance Window है। वहां जाए और 15 विभागों की 87 सेवाएं, वहां उसे उपलब्ध है और वहां जाकर के उसे आटोमेटिक क्लीयरेन्स मिल जाती है। यानी, किसी राज्य में इतना सम्भव नहीं है। हम अन्य राज्यों के बारे में सुनते हैं। यहां यह हो गया, यहां वह हो

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

गया। लेकिन हमारे राजस्थान का प्रचार और प्रसार और इन्वेस्टमेन्ट करने वालों के प्रति उत्साह सिंगल विण्डो पोर्टल पर यह बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं समझता हूं कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए, इसका प्रचार-प्रसार भी किया जाना चाहिए।

भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषित पानी के ट्रीटमेन्ट की बहुत बड़ी समस्या थी। 146 करोड़ रुपये की योजना, उसमें स्वीकृत की गई है। एफ्यूलेंट प्लान्ट लगाने के लिए। दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रीयल कारिडोर, यह काफी समय से चल रहा है, लेकिन किसानों को मुआवजा राशि न मिलने के कारण, इसकी गति काफी स्लो थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 400 करोड़ रुपया इस कार्य के लिए, किसानों के मुआवजे के लिए दिया है। इस कारिडोर के पूरा होने पर किसानों को कम्पनसेशन देने पर, निश्चित रूप से राजस्थान का एक नया विकास होगा और राजस्थान एक क्षितिज पर पहुंचेगा। यह हमारी मुख्य मंत्री महोदया का सपना है।

प्रदेश में रोजगार व स्वरोजगार सृजन करने के उद्देश्य से, पिछले 4 सालों में 192 करोड़ रुपये मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में वितरित कर, 7262 लोगों को लाभ दिया गया।

पिछले साल तीन सालों में भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत 19 हजार व्यक्तियों को ऋण वितरित किये गए। यह भामाशाह योजना के तहत है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि एक सबसे बड़ा कदम माननीय मुख्य मंत्री ने उठाया है, वह है व्यापारिक कल्याण बोर्ड का। जो व्यापार करते हैं, धन्धा करते हैं इंडस्ट्री करते हैं। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा, बीमा योजनाओं को बनाना, उनके सुझावों और समस्याओं का निराकरण करना, शिकायतों का जल्दी निस्तारण करने के लिए, व्यापारिक कल्याण निधि के 10 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। उसका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं। इस प्रकार की घोषणा बहुत ही अच्छी है, बहुत ही व्यापक घोषणा है। औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए जी.एस.टी. लागू होने के पश्चात, वैट और सी.एस.टी. पर आधारित अनुदान...

व्यवस्था का प्रश्न

अधिकारी दीर्घा में अधिकारियों की अनुपस्थिति

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उद्योग और खनिज से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मांगें हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि

(श्री मदन राठौड़)
आफिसर्स गैलेरी में जो अधिकारी आज उपस्थित रहने चाहिए थे, वे अधिकारी समय पर, यथा समय उपस्थित नहीं हैं। कृपया निर्देशित कराने का कष्ट करें।

व्यवस्था

दीर्घा में अधिकारियों की यथा समय उपस्थिति सुनिश्चित की जाए

श्री उपाध्यक्ष: Parliamentary Affairs मंत्री महोदय, यह आपके परव्यू का मैटर है। इस कक्ष को इसलिए बनाया गया है कि इस सदन की जो मर्यादा और परम्परा रही है, उसका अनुसरण अधिकारीगण भी करें। इस विषय को शिथिलता से नहीं लिया जाएगा और कल सुबह इसकी रिपोर्ट आप आसन को पेश करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा चाहते हुए, आपके निर्देशों की अक्षरश: पालना करने के लिए, मैं अभी मुख्य सचिव महोदय से बात करूंगा और भविष्य में डिमाण्ड चालू हो, उससे पहले सुनिश्चित करेंगे कि प्रिंसिपल सैक्रेटरी लेवल का अधिकारी, ए.सी.एस. लेवल का अधिकारी दर्शक दीर्घा में रहे। आज-आज के लिए हमें क्षमा करें, उपाध्यक्ष महोदय। भविष्य में गलती नहीं होगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये व्यवस्थाएं आसन से कम से कम पिछले 4 साल में 5 बार दी जा चुकी हैं और उसके बावजूद भी अगर यह हाल है तो संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपकी योग्यता के ऊपर हमें कुछ भी नहीं कहना।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 10 बार दी गई है, अधिकारी आपको मानते नहीं हैं, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, गलत बात कह रहे हैं। मुझे आपने डांटा नहीं था, पहली बार मुझे डांटा है। इसलिए मैं इसकी पालना कराता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसे गम्भीर विषय को संसदीय कार्य मंत्रीजी मजाक में मत उड़ाओ, इसीलिए तो ये अरबी घोड़े आप पर और हम पर हावी हो गये। मजाक में उड़ा रहे हो आप। सदन की....

श्री उपाध्यक्ष: यह विषय अत्यन्त गम्भीर है और मैं यह मानता हूं,

(श्री उपाध्यक्ष)

क्योंकि आपका स्वयं का एक बहुत लम्बा कार्यकाल रहा है और सदन की क्या मर्यादा होती है और हमारी क्या परम्परा है। आसन इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आसन की भावनाओं की कद्र करना और उसका अनुसरण करना, ऐसी आसन आपसे अपेक्षा करता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उचित तौर पर उपाध्यक्ष महोदय, दुबारा गलती नहीं होगी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष: श्री मोहन लाल गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि आपने उन्हें कभी डांटा नहीं तो एक बार डांट दीजिये, प्यार से डांट दीजिये तो ये मान जायेंगे और फिर अधिकारियों को कहेंगें, बातचीत करेंगें, क्योंकि वास्तव में उच्च अधिकारियों का उपस्थित रहना और बहस के समय जनप्रतिनिधियों की बात को सुनना और जो बजट घोषणाएं हैं उनको टाइम पर पूरा करना यह उनका दायित्व है। निश्चित रूप से इस दायित्व का पालन करने के लिए उनको सदन में उपस्थित रहना आवश्यक भी है। मैंने व्यापारिक कल्याण बोर्ड की बात की उसके पश्चात् जीएसटी लागू होने के बाद वैट और सीएसटी पर आधारित अनुदान अब एसजीएसटी के माध्यम से उद्योगपतियों के सभी के सीधे खाते में ट्रांसफर हो जायेंगे। अब उनको उद्योग विभाग में चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। मनोरंजन तथा पर्यटन क्षेत्र की इकाइयों पर जीएसटी लागू होने से पूर्व प्रोत्साहन के रूप में एंटरटेनमेंट टैक्स, लक्जरी टैक्स से छूट उपलब्ध थी। अब ऐसे उद्योगों को एसजीएसटी आधारित अनुदान भी दिया जाना प्रस्तावित है। मैं कहता हूं कि ये इस प्रकार के अनुदान देकर के एसजीएसटी के माध्यम से ये दे रहे हैं। कभी केन्द्र में चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जयपुर में ही यह सब काम हो जायेगा। यह बहुत-बड़ी डिमांड है हमारे माननीय सदस्यों की जो भी यहां राजस्थान में इंडस्ट्री लगे वो राजस्थान के लोगों को प्रोत्साहन दे, उनको रोजगार दे और उनको रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कराये।

एम्प्लायमेंट सब्सिडी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अपने बजट प्रस्तावों में पांच हजार रुपये की एम्प्लायमेंट

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। मैं इसका स्वागत करता हूं। अभिनंदन करता हूं और प्रत्येक श्रेणी में पांच हजार रुपये की और राजस्थान के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करने पर मोस्ट बैकवर्ड एरिया और बैकवर्ड एरियाज में जो सब्सिडी है, वर्तमान में 40 हजार और 35 हजार है उसको 45 हजार और 40 हजार रुपये कर दिया, उसका भी मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आई.टी. सैक्टर, मनोरंजन, पर्यटन क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना के लिए बहुमंजिला व्यावसायिक भवनों में स्पेस फ्लोर की खरीद या लीज पर देय स्टाम्प ड्यूटी में पचास परसेंट की छूट दिया जाना प्रस्तावित किया है। मैं इसका भी स्वागत करता हूं। क्योंकि आई.टी. सैक्टर, मनोरंजन और पर्यटन क्षेत्र की इकाइयों का बढ़ना आवश्यक है और उनको भी बहुत-बड़ी दिक्कत और परेशानी आ रही थी। इसमें माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने स्टाम्प ड्यूटी में पचास परसेंट की छूट दी है। रिप्स-2010 का आपरेटिव पीरियड 2020 तक कर दिया। यह एक बहुत-बड़ी घोषणा है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट यदि बैकवर्ड एरिया में कोई इंडस्ट्री लगाता है तो निश्चित रूप से 2020 तक विभिन्न योजनाओं का वो लाभ उठा सकता है। एमएसई सेक्टर, यह जो सैक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट की सब्सिडी की सीमा तीस परसेंट से बढ़ाकर चालीस परसेंट कर दी। यह कम बात नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिये और एमएसई सैक्टर में तीस परसेंट की सब्सिडी जो अब तक मिलती थी वो चालीस परसेंट लीजिये। इस क्षेत्र की जो सिक यूनिट्स हैं उनको राहत देने के लिए एसजीएसटी को 24 किश्तों में जमा कराने की सुविधा भी प्रदान की गई है। सिक यूनिट्स को इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट दिया जाना एक वर्ष के लिए प्रस्तावित भी है।

इसी प्रकार से कृषि आधारित उद्योगों के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने ब्याज अनुदान के लिए पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर साढ़े सात लाख रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा की है। कृषि आधारित उद्योग लगाइये। अब तक ब्याज पर पांच लाख रुपये की सब्सिडी मिलती थी, अब साढ़े सात लाख रुपये की हो गई और महिलाएं, विशेष योग्यजन, अनुसूचित जाति/जनजाति, चालीस वर्ष तक की आयु के राज्य के मूल निवासी, उद्यमियों के लिए ब्याज अनुदान पांच परसेंट से बढ़ाकर छह परसेंट किया जायेगा।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

टीएसपी एरिया में बीस लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाना भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, उसका भी प्रस्ताव रखा है। हम सब इन प्रस्तावों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और रिप्स-2014 में जो सप्लाई चैन को भी इन्होंने प्रस्ताव किया है कि उनको बढ़ाया जाए। रिप्स-2014 के अन्तर्गत न्यूनतम पहले पांच हजार मैट्रिक टन की सुविधा उपलब्ध थी और ढाई करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब उक्त भण्डारण की सीमा को कम कर दिया। अब तीन हजार मैट्रिक टन वाले भी इसका लाभ ले सकते हैं और डेढ़ करोड़ रुपये तक का इन्वेस्टमेंट करने वाले भी इसका लाभ ले सकते हैं। छोटे लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपरेशन ग्रीन के समर्थन में किसानों के द्वारा उत्पादित आलू, प्याज, टमाटर को ताजे रूप में डेस्टीनेशन पर पहुंचाने के लिए रेफर वेन कोड रिप्स-2014 में किया जाना प्रस्तावित भी है। मोस्ट बैकवर्ड एरिया में एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री मार्केटिंग सैक्टर, बायो टेक्नोलोजी सैक्टर, आई.टी. सैक्टर में पचास करोड़ रुपये से अधिक इन्वेस्ट करने वाले प्रत्येक सैक्टर के फर्स्ट प्रोजेक्ट के रिप्स-2014 में पांच करोड़ रुपये की सीमा तक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सब्सिडी दी जाएगी। अब ये इतनी बड़ी घोषणाएं उद्योगों के लिए, उसमें रोजगार के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने की हैं, मैं उसका स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं और मैं यह कहना चाहूंगा कि देश में जो औद्योगिक वातावरण बन रहा है, अभी यू.पी. में इन्वेस्टमेंट समिट चल रहा है। कितनी बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुई हैं। बड़े-बड़े उद्योगपति वहां आये हैं। हमारे यहां भी आर.आर. हुआ था और विभिन्न उद्योगपति यहां आये थे और उद्योगपतियों के माध्यम से राजस्थान में ...। कृपया डिस्टर्ब न करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट आपकी इजाजत हो तो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिसर्जेंट राजस्थान में 470 एमओयू किये थे सरकार ने, आप 62 को ही धरातल पर लाये हैं। बाकी का क्या हुआ और अब ये कह रहे हैं बहुत उद्योग-धंधों की घोषणा हो गयी। केवल 62 धरातल पर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप वाले सदस्य जब बोलें तब उनको कह दीजियेगा। यह विषय वहां वे रख देंगे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपका समय आये तब आपको बोलना चाहिए। मैं उसी पर आ रहा हूं कि अभी आपको बहस के समय हमारे उद्योग मंत्री यह बतायेंगे कि कितना परसेंट कन्वर्जन हुआ है और जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से साठ परसेंट कन्वर्जन हुआ है साठ परसेंट, आर.आर. में जो भी समझौते हुए हैं। अन्य राज्यों में इतना नहीं हुआ। कन्वर्जन का मतलब या तो वो लगने चालू हो गया या लग गये। उनका प्रोसेस चालू हो गया। एक दिन में इंडस्ट्री नहीं लगती है। एक दिन में यदि आप पेड़ लगाओगे, बीज लगाओगे तो दूसरे दिन फल आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। फल आने के लिए...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह जवाब है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका तारांकित प्रश्न संख्या 1801 का जवाब कल-परसों ही आया है कि 470 एमओयू में से केवल 62 ही धरातल पर आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आपको माननीय सदस्य की विद्वता पर कोई शंका है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): विद्वता पर शंका नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आप बड़े धैर्य से उनकी बात सुनिये। बड़ी मनन करने लायक बातें बोलेंगे वे। आप एकाग्रचित्त होकर उनकी बात सुनिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पैन का उद्योग लगाने वाला जरूर बोलना आप हर बार की तरह। हर वर्ष की तरह पैन का उद्योग कैसे लगायें हिन्दुस्तान में वो जरूर बोलना।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ये जो साठ परसेंट कन्जर्वन हुआ है, ये आफिशियल आंकड़े हैं और अन्य राज्यों में कितना कन्वर्जन हुआ है वो माननीय उद्योग मंत्री बतायेंगें। मैं नहीं बताना चाहता हूं। मेरे पास फीगर है, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता हूं, उद्योग मंत्रीजी बतायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये जो बाड़मेर रिफाइनरी बन रही है, इसमें राजस्थान को जो चालीस हजार करोड़ रुपये का फायदा हुआ है वो हमारे कांग्रेस के माननीय सदस्यों को दिख नहीं रहा है क्या? चालीस हजार करोड़ रुपये का फायदा और कितने लोगों को फायदा मिलेगा। आप लोग रोजगार देते या नहीं देते अगर रिफाइनरी लगाते तो राजस्थान की जनता को चालीस हजार करोड़ रुपये का नुकसान होता? अब इसके बारे में आप जब अपना जवाब प्रस्तुत करें तब बोल दीजियेगा, लेकिन बाड़मेर रिफाइनरी से कितना फायदा

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

हुआ है इसके लिए आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आप लोगों को सोचना चाहिए और मैं समझता हूं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट राजस्थान में इंडस्ट्री लगाता है, राजस्थान में अपना पूरा इन्वेस्टमेंट लाता है, रोजगार देता है तो हमको उनका स्वागत करना चाहिए। इंडस्ट्री का मतलब है इन डस्ट दैन ट्री। पहले आप मिट्टी के नीचे जाइये, बीज लगाइये, पानी दीजिये, हवा खिलाइये और धूप खिलाइये और उसके बाद में खाद-बीज देने के बाद में फल की इच्छा रखिये। मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय आप प्लीज...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप कितनी दफा मिट्टी के नीचे गये हो, आप भी तो महाजन वर्ग से आते हो, कितनी दफा मिट्टी के नीचे गये? वो बता दो।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, अब आप बताइए हिन्दी के व्याकरण में तो संधि विच्छेद होता है लेकिन इंडस्ट्रीज का अंग्रेजी का संधि विच्छेद तो इन्होंने ही किया है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे विद्वान उद्योग मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से जीएसटी काउंसिल में हमारे राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है, अपने तर्कों के आधार पर माननीय मुख्य मंत्री महोदया के निर्देशानुसार केन्द्रीय सरकार में जिस प्रकार से हमारे उद्योगों की मांग थी कि विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी कम की जाए, वह कम करवायी है, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह अन्य राज्यों के उद्योग मंत्री भी बोलते हैं कि आपके यहां के उद्योग मंत्री अपनी बात को तर्क सहित रखते हैं और उन्होंने मार्बल पर, मार्बल मूर्तियों पर, रजाइयों पर, एग्रीकल्चर सैक्टर की विभिन्न वस्तुओं पर टैक्स कम करवाया है, और भी कम करवा रहे हैं। अभी 8 तारीख को मीटिंग है, जो जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान कर रहे हैं ताकि हमारे यहां इंडस्ट्री पनपे, हमारे यहां उद्योग धंधे पनपे और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान हो, रोजगार मिल सके, इस प्रकार का जो काम किया है, उसके लिये भी धन्यवाद अदा करना चाहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां रीको, आरएफसी, राजसीको और लघु उद्योग निगम, इनके माध्यम से इंडस्ट्रीयल ग्रोथ को हम लोग बढावा देते हैं। आज रीको की जो कार्यप्रणाली है उसके संबंध में मैं माननीय

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें कोई एक बहुत बडी तोप है, उसका क्या नाम है, बहुत बड़ी समिति है, इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट समिति इस प्रकार की समिति है, उसको इतने असीमित पावर दे रखे हैं, हमारे पीयूसी की मीटिंग में भी हमने यह कहा था कि आपको असीमित पावर नहीं दिये जा सकते हैं। आप किसी की भी रेट को कम कर दें, किसी भी रेट को ज्यादा कर दें, किसी के क्षेत्र को कम कर दें, किसी भी क्षेत्र को बढ़ा दें, किसी भी क्षेत्र की समय सीमा बढ़ा दें, किसी भी क्षेत्र की समय सीमा कम कर दें। किसी भी प्रकार के असीमित पावर किसी भी समिति को नहीं दिये जा सकते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी एक उच्च स्तरीय समिति है, उसकी पावर को कम करके राजस्थान सरकार के आप मंत्री हैं, आपके पास एजेंडा आना चाहिये पास होने के लिये। आज रीको सरकारी संस्था है, हालांकि उसको स्वायत्तता प्रदान की गई है लेकिन इसमें शेयर्स राजस्थान सरकार के हैं और राजस्थान सरकार के मंत्री को मालूम नहीं है कि कौन-कौन से प्रस्ताव आ रहे हैं, कौन-कौन से प्रस्ताव जा रहे हैं, he is the chairman और मैं समझता हूं कि इस प्रकार का प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय के अनुमोदन के पश्चात् ही उस उच्च स्तरीय समिति में लाया जाना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी औद्योगिक क्षेत्रों में गोदामों को बदलने की अनुमति प्रदान की गई। 150 परसेंट रेट, 150 परसेंट प्लस 25 परसेंट की रेट की गई। फिर 75 परसेंट प्लस 25 परसेंट की रेट की गई। फिर 50 परसेंट प्लस 25 परसेंट पेनेल्टी की रेट की गई। फिर 25 परसेंट प्लस 25 परसेंट की पेनेल्टी की रेट की गई, क्या है यह? यह हमारे अधिकारियों को असीमित अधिकार देने का प्रभाव है कि हम कोई भी रेट, किसी भी प्रकार से बढ़ा दें, कम कर दें और कोई नहीं आये, अब 25 परसेंट में कैसे आ जायेंगे। जब तक हम कानून का डंडा नहीं लगायेंगे, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्रों में गोदाम चल रहे हैं, उन गोदामों की राशि को, पेनेल्टी की राशि को आपने एक बार कर दिया, उसके बाद दोबारा कम कर दिया, तीसरी बार कम कर दिया, चौथी बार कम कर रहे हैं, इसका मतलब कोई न कोई प्रोब्लम है। बिहाइंड द सीन कोई काम कर रहा है। उस सीन को देखिए और जो रेटें आप तय करते हैं उस पर आप पहले ही सुविचारित करके और उस पर निर्णय लेने के बाद ही घोषणा कीजिए और उसको राज्य सरकार तक पहुचाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अलवर, भिवाड़ी में बहुत बड़े

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

औद्योगिक क्षेत्र लगे हुए हैं, जापानी औद्योगिक क्षेत्र लगा है। आखिर उसकी प्रगति क्या है, उत्पादन हो रहा है, कितना उसमें एम्प्लायमेंट हुआ, कितना उस उत्पादन का लाभ मिल रहा है और कितना उस उत्पादन के द्वारा एम्प्लायमेंट मिल रहा है। आजकल रोबोट पद्धति हो गई, रोबोट ही सारे काम कर रहा है। आखिर ऐसे उद्योग धंधे कैसे लगेंगे और किस प्रकार से लगेंगे जहां एम्प्लायमेंट कम हो। एम्प्लायमेंट दिलाने की दृष्टि से भी इस जापानी औद्योगिक क्षेत्र को विजिट करें कि आप लोगों ने कितना एम्प्लायमेंट दिया है और कितना एम्प्लायमेंट देने का आपने वादा किया था। महिन्द्रा सेज में भी यह वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों से ज्यादा को रोजगार देंगे, आज क्या स्थिति है, कितने लोगों को रोजगार दिया गया है और हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी सुविधा उनको दी गई है, उसके बाद भी वह एम्प्लायमेंट जनरेट नहीं कर पाते हैं। यह हमारी कुछ कमियां हैं। माननीय उद्योग मंत्री महोदय से भी कहना चाहूंगा कि आप जाकर महिन्द्रा सेज का निरीक्षण कीजिए। क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या-क्या परेशानियां आ रही हैं, उसको भी देखिए। आखिर बहुत बड़ी जमीन हमने महिन्द्रा सेज वालों को दी है। उस जमीन के माध्यम से कितना एम्प्लायमेंट दे रहे हैं, कितना एम्प्लायमेंट देने का वादा किया था, कितनी इंडस्ट्री लगाने का वादा किया था, यह आप जरा देखिए।

रीको में जो कार्य व्यवस्था है, उस कार्य व्यवस्था के लिए उद्योगपति चक्कर ही खाता रहता है। उसकी कोई जमीन दबी हुई है, उसको कोई एक्स्ट्रा जमीन चाहिये, उसको कोई एक्स्ट्रा लैंड चाहिये, उसको परसंटेज आफ रेट में कमी चाहिये, ज्यादा जमीन चाहिये, कार्नर की जमीन चाहिये, उसकी इंडस्ट्री पर कोई विवाद है, इन सब चीजों के बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह अनुरोध है रीको के सामने अधिकारी चक्कर ही खाते रहते हैं और चक्कर खाते-खाते उनके पैर घिसते रहते हैं, फाइल यहां से आती है हैड आफिस, हैड आफिस से फाइल जाती है नीचे, नीचे से ऊपर और कुछ डिसीजन नहीं हो पाता है। मैं समझता हूं कि आज की यह जो स्थिति है इसमें लोगों को चक्कर खाना पसंद नहीं है। आप डिसीजन लीजिए, उद्योगों के पक्ष में डिसीजन लीजिए, रीको के पक्ष में डिसीजन लीजिए, जो भी डिसीजन लीजिए उसको त्वरित करके, उसको पूरा सुनकर, अधिकारियों की आदत होती है हां सुन लिया, आपका रिप्रजंटेशन दे जाइए, मार्क कर दिया नीचे वालों को, आप

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

सुनिए तो सही। उस व्यक्ति की सुनिए और उस व्यक्ति की सुनकर, उसके पाइंट लिखकर फिर उस पर जवाब मांगिए। लेकिन हमारे रीको के अधिकारियों की यह कार्य पद्धति ठीक नहीं है। किसानों की जमीन का मुआवजा तक नहीं दिया गया। जमीन ले ली और मुआवज़ा तक नहीं दिया, मुआवजे के लिये चक्कर काट रहे हैं। मैं माननीय उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि जिन-जिन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, पूरे राजस्थान में कैम्प लगाकर उन किसानों को मुआवजा दीजिए। जमीन उनकी थी, आपने उद्योग धंधे स्थापित करने के लिये रीको को दे दी और उसके बाद वह चक्कर खा रहे हैं। जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है, आप कृपया उस जिम्मेदारी को निभाते हुए इस क्षेत्र में काम कीजिए।

मैं यह कहना चाहूंगा कि बैंक ऋणों के लिये कोई व्यक्ति चक्कर न काटे। हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी ने स्टार्ट अप की योजना चालू की है। स्टार्टअप की योजना के तहत जो अपना उद्योग धंधा लगाना चाहते हैं, मैं यह कहना चाहूंगा कि आप स्टार्टअप के लिये एक करोड़ रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण दीजिए। कोई भी एक आदमी नई चीज लगायेगा तो उसको पैसा चाहिये, जमीन चाहिये, बिजली चाहिये, कच्चा माल भी चाहिये, मैं समझता हूं कि मैन, मैटेरियल के हैंडल में उसका काफी पैसा खर्च हो जाता है। यदि आप ब्याज मुक्त ऋण देंगे तो निश्चित रूप से स्टार्टअप को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

हमारे यहां पर्यटन सर्किट चलता है। हमारे यहां पर बहुत पर्यटक आते हैं, धार्मिक पर्यटक भी आते हैं, विदेशी पर्यटक भी आते हैं, देशी पर्यटक भी आते हैं, इनके लिए पूरा राजस्थान भरा पड़ा है। वहां पर जो होटलें हैं, इन होटल वालों ने एक मंजिल बना ली, दो मंजिल बना ली, तो नगर निगमों में चक्कर ही खाते रहते हैं। राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि इनको उद्योग का दर्जा दिया जाए। उद्योग का दर्जा दे दिया तो फिर वे क्यों चक्कर खाते रहते हैं। उनको इंटरेस्ट की सब्सिडी भी मिल सकती है, उनको कन्वर्जन की विभिन्न प्रकार की राशियों में भी छूट मिल सकती है और कन्वर्जन के लिए जरूरत ही नहीं है। जब आपने उद्योगों को छूट दे दी, उद्योगों का दर्जा दे दिया और पर्यटन इकाई घोषित कर दी तो उसमें कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है, चक्कर खाते रहते हैं। मैं समझता हूं कि हमारा पर्यटन सर्किट डवलप हो।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

मार्बल खरीदने के लिए काफी लोग आते हैं। मार्बल सर्किट डवलप हो, स्टोन सर्किट डवलप हो और कृषि पर आधारित जो उद्योग धंधे हैं, वे लगें। कृषि बहुत बड़ा सैक्टर है और कृषि में कन्वर्जन की बहुत बड़ी गुंजाइश है। मैं समझता हूं कि जो-जो कृषि उत्पादन क्षेत्र हैं। वहां पर भण्डारण हो और नए प्रोडेक्ट बनाने वाली औद्योगिक इकाइयों को हम प्रोत्साहित भी करें। अगर उनको प्रोत्साहित करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा। वहीं किसान को भी फायदा मिलेगा और किसान को अपनी उपज का दुगुना-तिगुना मूल्य भी मिल जाएगा, अगर उद्योग-धंधे स्थापित होंगे तो। हम कृषि आधारित उद्योग-धंधे स्थापित करने के लिए निश्चित रूप से काम करें। बीकानेर में जो ड्राइ पोर्ट की मांग है, उसको भी हमें निश्चित रूप से पूरा करना चाहिए। बीकानेर हमारा बहुत बड़ा नमकीन और खाद्य आधारित उद्योग है, वहां पर मेगा फूड पार्क एवं एग्रो एंड फूड पार्क टैस्टिंग लैबोरेट्री की स्थापना के लिए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, You have crossed... Parliamentary Affairs Minister after the conclusion of Hon'ble Member's speech, you and the Mukhya Sachetak in Speaker's chamber.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सर, यह विषय कहां से आ गया?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, ये सचेतक महोदय सब माननीय सदस्यों को हिदायत देते हैं और शायद खुद को नियमों की जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आप चिंता मत करिये, अब मैं इनको मुख्य हिदायत दिला दूंगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं बीकानेर के संदर्भ में बोल रहा था। बीकानेर में नमकीन और खाद्य आधारित मेगा फूड पार्क और एग्रो फूड पार्क टैस्टिंग लैबोरेट्री की स्थापना होनी चाहिए। एग्रो फूड पार्क राजस्थान के कई क्षेत्रों में बन सकते हैं और मैं समझता हूं कि एग्रो फूड पार्क की स्थापना की दृष्टि से एग्रीकल्चर के लिए आपने जो सम्मेलन किया, उनको बताया कि कृषि जिंसों पर किस प्रकार से उद्योग धंधे लग सकते हैं? उनको लगाने का आपने जो प्रयास किया है, वह भी सार्थक है, अच्छा है, सराहनीय है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में आई.टी. हब बन सकता है,

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

जोधपुर में बन सकता है। कोटा में इस प्रकार का कार्य चल रहा है। मैं समझता हूं कि आई.टी. हब की स्थापना के लिए हमको निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए, इससे हमारे युवाओं को बहुत सारा रोजगार मिलेगा और बाहर के देश जो यहां पर अपना आई.टी. हब बनाना चाहते हैं, उनका भी हमको बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में मूर्तिकार बहुत हैं। मैंने अभी आपकी तारीफ भी की है कि आपने जीएसटी में तर्क की दृष्टि से बहुत सारी चीजों का टैक्स कम कराया है। भगवान की मूर्तियों पर टैक्स, यह ठीक बात नहीं है। जयपुर में बनी हुई मार्बल की भगवान की मूर्तियां पूरे विश्व भर में पूजी जाती हैं। कम से कम भगवान पर तो टैक्स जीरो कर दीजिए, यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह जी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 43 - खनिज और मांग संख्या 42 - उद्योग पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका ह्रदय से आभारी हूं। जैसे पूर्व में माननीय सदस्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि औद्योगिक दृष्टि से राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की नेचर, राजस्थान की प्रकृति उद्योगपतियों को सूट करती है।

(14.35 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

उनके हित में है। उनकी भावना के अनुसार यहां एक माहौल बनता है। यहां भूमि पर्याप्त है, संसाधन पूरे हैं और सरकार का पूरा सहयोग रहता है कि हमारे यहां पर उद्योगपति आयें और उद्योग लगाएं। उसी का परिणाम है कि हम यदि गत वर्षों की चर्चा करेंगे तो राजस्थान में उद्योगपतियों ने उद्योग लगाने के लिए प्राथमिकता दी है। हम चार साल की बात करें। जिस रिसर्जेंट राजस्थान की बात कर रहे थे, भारत और भारत के बाहर के उद्योगपतियों ने भी राजस्थान को चुना और मैं उद्योग मंत्री को बधाई देता हूं कि आपने जो एमओयू हुए थे, उनमें 60 परसेंट को प्रोग्रेस में लाकर कन्वर्जन का काम किया है। आने वाले समय में जितने भी एमओयू होंगे, राजस्थान की प्रकृति के हिसाब से वे राजस्थान में अपना उद्योग लगायेंगे।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार के गत चार वर्ष में वसुंधरा जी के राज की चर्चा करें तो 2015-16 में टोटल आउट-ले 71405.78 था, जिसमें जनरल सर्विसेज के लिए 785.83 परसेंट प्रोविजन रखा और रिप्स (RIPS) के लिए 316.20 यानी जनरल सर्विसेज का 40.27 परसेंट का रिप्स के लिए प्रोविजन रखा। हम 2016-17 को देखें तो 99693.30 करोड़ रुपये का प्रोविजन इसके लिए था और जनरल सर्विसेज के लिए 829 था, उसमें से रिप्स 327.26 करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा। इस तरह से 2017-18 की बात करें तो, वह 81 हजार 157 करोड़ और 2018-19 की बात करें तो 107865.40 करोड़ रुपये का प्रोविजन रखा, जिसमें से जनरल सर्विसेज के लिए 2766 करोड़ और रिप्स (RIPS) के लिए 781 करोड़ रुपये रखा।

राजस्थान में जब हम बात करें तो जैसे माननीय मोहनलाल जी सदस्य महोदय बता रहे थे कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री और हमारे उद्योग मंत्री ने पूरा एन्वायर्नमेंट दिया और बहुत-से मामले, जिनमें विद्युत शुल्क में 50 परसेंट से लेकर 100 परसेंट तक, मण्डी शुल्क में 50 परसेंट, भूमि कर छूट में 50 परसेंट, स्टाम्प ड्यूटी में 50 परसेंट, भूमि रूपान्तरण में 50 परसेंट, मनोरंजन टैक्स के रूप में भी 50 परसेंट, विलासिता के रूप में जो टैक्स लगता है, उसमें 100 परसेंट। यही नहीं, बहुत सारे उद्योगों को आइडेंटिफाई करके कि इन-इन सैक्टर में और इन्वेस्टमेंट होगा तो हम और छूट देंगे, यह हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री की सोच है कि राजस्थान में उद्योग आयेगा तो हमारे यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और इन छूटों के साथ-साथ और प्रोविजन भी किये, जिसमें सब्सिडी का जो प्रोविजन किया, उसमें इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी, लैंड है। मैं एम्प्लायमेंट सब्सिडी की बात करना चाहता हूं।

माननीय पूर्व वक्ता ने अपनी बात में कहा था, जो उद्योग लगेगा उसमें रोजगार मिलेगा। रोजगार लेने वाले व्यक्ति के लिए एम्प्लायमेंट में सब्सिडी का प्रोविजन किया कि महिला, एससी-एसटी और विकलांग व्यक्तियों के लिए अगर एग्रो-प्रोसेसिंग और एग्रो-मार्केटिंग के सैक्टर में कोई एम्प्लाई है तो 37500 की छूट है और अन्य व्यक्तियों को 30000 की वार्षिक छूट है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बधाई देता हूं कि आपने हर सैक्टर में पांच-पांच हजार और बढ़ाने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, हम इंडस्ट्रियल कोरिडोर की बात करें।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

उसमें बहुत सारे उद्योग आएंगे। हमारे राजस्थान की यशस्वी सरकार ने प्रयास किया है कि आने वाले समय में वहां पानी की आवश्यकता होगी तो हमारे 13 जिलों को जोड़कर के इंडस्ट्रियल कोरिडोर को जोड़कर के 37 हजार करोड़ रुपए की पेयजल, सिंचाई और पानी की व्यवस्था के लिए केन्द्र सरकार के पास योजना भेजी है। अन्य उद्योगों के लिए पर्याप्त बिजली हो इसलिए हमने अपने ऊर्जा के स्रोत को बढ़ाया है। हमें एक अच्छा वातावरण मिले तो पूरे राजस्थान में जब गत दिनों सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय बता रहे थे 49 हजार करोड़ रुपया उन्होंने सड़कों पर खर्च किया। स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे किया, एमडीआर को स्टेट हाईवे किया। गांव को गांव से जोड़ा, शहर को गांव से जोड़ा, महानगर को जिले से जोड़ा। इस तरह से एक अच्छा वातावरण उद्योगपति को मिले। यह हम सब किसके लिए कर रहे हैं। यहां पर हम क्यों उद्योग लगवाना चाहते हैं? हम किसान की जमीन लेते हैं। कंसेशनल रूप में उद्योगपति को जमीन देते हैं। जिन टैक्स की चर्चा पहले हो चुकी मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। बहुत सारे टैक्सेस में रिबेट देते हैं। एक भावना रहती है कि हमारे यहां का पढ़ा-लिखा नौजवान जिसको रोजगार की आवश्यकता है, उसको रोजगार मिलेगा। हमारे व्यापारी को व्यापार करने का अवसर मिलेगा। हमारे यहां सम्पन्नता बढ़ेगी। हमारी झोपडी में रहने वाला व्यक्ति भी पक्के मकान में रहने का सोच रखकर के काम करेगा। यह सब बातें लोकप्रिय सरकार के मन में रहती हैं विकास के समय, उद्योग को लाते समय। लेकिन दूसरे पक्ष को हमको सोचना पड़ेगा कि किसान जिसकी जमीन इंडस्ट्री में गई है, उसकी हालत क्या है? उसके बेटे की हालत क्या है? उस उद्योग में काम करने वाले मजूदर का बेटा जो इंजीनियर बन गया उसकी हालत क्या है? हम देखेंगे की कहीं न कहीं हमारी तरफ से कानून बनाते समय ऐसी त्रुटियां रही हैं जिसका आने वाले उद्योगपति ने भरपूर फायदा उठाया। पैसा कमाया और हमसे ज्यादा जिसने प्रलोभन दे दिया, उस दूसरे स्टेट में उद्योग को लेकर चला गया।

हमने बंद उद्योगों को चलाने के लिए भी सब्सिडी दी। वापस वह आने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसको इस धरती से, मातृभूमि से, राजस्थानी होने का गर्व नहीं है। राजस्थान भूमि से उसका अटैचमेंट नहीं है। वह व्यापारी है, व्यापारी की तरह से आया है। इसलिए हमें इस उद्योग नीति के बारे में सोचना पड़ेगा कि जिसको राजस्थान सरकार इतनी सुविधाएं देती है,

(श्री रामहेत सिंह यादव)

सब्सिडी देती है। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है माननीय मंत्री महोदय, मैं कहना चाहता हूं एक नौजवान नौकरी कर रहा है किसी फैक्ट्री में, सरकार उसको 30,000 रुपए सब्सिडाइज्ड कर रही है, उसको रिपेमेंट की व्यवस्था कर रहा है। जिस व्यक्ति को 30,000 रुपए की सब्सिडी उस उद्योग में मिल रही है, वह है कौन? कोई बिहारी आ जाएगा, गढ़वाली आ जाएगा, गुजराती आ जाएगा, बंगाली आ जाएगा। वह यहां उद्योग में काम करेगा। मेरे अलवर के किसान का बेटा जो इंजीनियर है, वह तो रात को भूखा सोता है और बंगाल से आने वाला व्यक्ति अलवर का कलाकंद खाकर के मौज करता है क्योंकि उसको यहां रोजगार मिला है। माननीय मंत्री महोदय, आपसे आग्रह करना चाहता हूं अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में राजस्थान की स्थिति भी अन्य स्टेटों के बराबर हो जाएगी। इसलिए और कुछ नहीं करें, बिजली फ्री दें, पानी फ्री दें, हमारे किसानों की जमीन सस्ती रेट पर उनको दे दें। लेकिन नौजवान जो उस फैक्ट्री में नौकरी करता है, सरकार जिसको सब्सिडाइज्ड कर रही है। उस सब्सिडी में शर्त लगाएं कि सब्सिडी उसी के एवज में दी जाएगी जो राजस्थान का मूल निवासी है, डोमिसाइल होल्डर है। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उद्योगपति भी सोचेगा कि यहां उद्योग लगाना है तो यहां के व्यक्ति को रोजगार देना पड़ेगा। पालिसी में हमारा विचार होना चाहिए कि हमारे नौजवान को रोजगार मिले।

दूसरी बात मैं कहता हूं जहां उद्योग लगता है, उस गांव की क्या हालत है? सिक्योरिटी की नौकरी नहीं है। देश जिस फौजी पर गर्व करता है, नौकरी करके आता है। 18 साल की उम्र में भर्ती हो गया। 35 साल में रिटायर हो गया। एक राइफल का हथियार वह सेना में रहते हुए बनवाता है कि मैं चौकीदार की नौकरी करूंगा तो मुझे चार हजार मिलेगा। उद्योगपति उस फौजी को चौकीदार की भी नौकरी नहीं देता। उसकी चिंता कौन करेगा? उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। जिस गांव के खेत में फैक्ट्री लगी है, एक्वीजिशन के समय यह होता है कि वहां का श्मशान, कब्रिस्तान, स्कूल की जमीन, स्कूल का ग्राउण्ड सबको एक्वायर कर लिया जाता है। ठेठ उस किसान के घर तक उद्योगपति की बाउंड्री पहुंच जाती है। उसके हाथ इतने लम्बे हैं। उसका प्रशासन पर पूरा दखल रहता है। वह अपनी फैक्ट्री अलाट कराकर के चला जाता है। उस पर फैक्ट्री लगा देता है। रोजगार के लिए कुटीर उद्योग करने की आवश्यकता है। हमको ऐसी पालिसी बनानी पड़ेगी कि जहां भी औद्योगिक

(श्री रामहेत सिंह यादव)

क्षेत्र है, कोई गांव आए तो उसके जो पैरीफेरी होता है, जो लालडोरा है उसको कम से कम आधा किलोमीटर दूर रोकना पड़ेगा। हम यह नहीं कहते आप किसान की जमीन मत लो। आप किसान की जमीन लीजिए। किसान की दस बीघा जमीन लेते हैं, आठ बीघा का मुआवजा दीजिए और जो लालडोरा गांव के पास में है, उस दस बीघा का जो डवलमेंट लैंड है, उसको वहां दीजिए ताकि वह चक्की लगाएगा, बिजली का काम करेगा, फ्रिज ठीक करने का काम करेगा, कोई कुटीर उद्योग करेगा, कोई मोची का काम करेगा, कोई बार्बर का काम करेगा। उसको कुटीर उद्योग का काम मिलेगा। लेकिन हमारी पालिसी में ये डिफेक्ट है कि हम जहां उद्योग लगा रहे हैं, वहां के रहने वाले व्यक्ति की, मैं तो गांव का गरीब हूं, झोपड़ी में रहता हूं। मेरे बाप के पास कुछ था नहीं। मैं तो वहां नाई की दुकान करता हूं। उद्योगपति आ गया, मेरी तो जमीन भी नहीं गई, मोची की जमीन नहीं गई, कुम्हार की जमीन नहीं गई। उसके बारे में उद्योगपति चिंता करता है क्या? इसलिए ऐसा भी सोचना पड़ेगा कि जिसकी जमीन नहीं जाए, वह वहां का रहने वाला है, उसको उजाड़ रहे हो। उद्योग लगाने से उसको बसाने की भी चिंता करनी पड़ेगी। हम स्थानीय लोगों को उद्योगों में, हमारे कोरियाई जोन आ गया, जापानी जोन आ गया और दूसरे जोन आ जाएंगे। चाइनिज जोन आ जाएंगे तो हमारे यहां का किसान जो फैक्ट्री लगाना चाहता है।

मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं पिछली दो योजना से मैं इस राजस्थान की विधान सभा में सदस्य हूं। दूसरा टर्म है। नौ साल से मैं लगातार कह रहा हूं। साढ़े नौ साल हो गए आज मैं फिर आपसे कहता हूं मैं किशनगढ़बास से आता हूं मेरे यहां पर सरकार की जमीन पड़ी है रूदगिदावड़ा बरसिंहपुर के अन्दर 733 हैक्टेयर राज की जमीन है। हम हर बार कहते हैं कि आप इसको उद्योग के लिए ले लीजिए। लोगों ने कब्जा कर लिया। बहुत दिमागदार प्रशासनिक अधिकारी आते हैं। कब्जे के आधार पर कोई 50 बीघा अलाट किसी को कर जाता है, कोई पुरानी काश्त समझकर के 20 बीघा अलाट कर जाता है। आदेश कर जाता है। पन्द्रह-पन्द्रह दिन में सब-डिवीजन कोर्ट किशनगढ़बास से आदेश हुए हैं कि कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किया जाता है। हम कह रहे हैं आप ले लो उद्योग लगाओ। हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकारी जमीन है पैसा नहीं देना पड़ेगा। एक तरफ आप जबरदस्ती एक्वायर कर रहे हो। किसान जमीन नहीं देना चाहता।

(श्री रामहेत सिंह यादव)

हम कह रहे हैं आप हमारी जमीन ले लो, सरकार की है। आप उसमे उद्योग नहीं लगाना चाहते, बड़ी विचित्र बात है। मेरे पास कागज है। समय कम है। अधिकारी ऐसी-ऐसी टिप्पणी करके भेजते हैं।

दूसरा, हमारे खैरथल में औद्योगिक क्षेत्र है। 1980 में औद्योगिक क्षेत्र बना उसी साल वहां 100 परसेंट उद्योग लग गए। वहां पर आयल मिल लग गई। उसके बाद कई सरकारें आई और चली गई। वहां का व्यापारी कहता है कि हम और उद्योग लगाना चाहते हैं, हमको जमीन दीजिए, रीको इण्डस्ट्री एरिया का प्लाट दीजिए। एक तरफ अनाज मण्डी है, दूसरी तरफ पटरी है, पटरी का फाटक बंद रहता था जिस पर आरओबी आज तक नहीं बना। अब आप अंदाजा लगाइये, मान लीजिए 1500 ट्रक भी लैफ्ट से राइट आते हैं, मण्डी से इण्डस्ट्री एरिया में आते हैं तो कितनी परेशानी होती है। मण्डी के साइड में सिवाणा एक गांव है, जिस पर अभी सात मीटर चौड़ी सड़क पटरी के साथ बनने वाली है। वहां पर रेलवे स्टेशन है। सारी सुविधाएं हैं, 100 बीघा से अधिक जमीन है। आप इसको ले लीजिए, लोग इस पर कब्जा कर लेंगे। छोटे-छोटे प्लाट बनाकर, इण्डस्ट्रीयल जोन डिक्लियर करके इसमें, वहां के लोकल व्यापारी हैं जो उद्योग लगाना चाहते हैं, काटन का उद्योग लगाना चाहते हैं। पिछले दिनों माननीय मुख्य मंत्रीजी के जन संवाद में हमने भेज दिया। लोगों ने कहा कि हमको प्लाट चाहिए, जमीन कैसे एक्वायर करेंगे बोलो, बोले सरकार की जमीन है। वहां की ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव लिखकर एसडीएम, कलक्टर को भेज दिया, रीको कहता है कि हमारे पास तो उसका प्रस्ताव नहीं आया। हम फ्री में जमीन दे रहे हैं उस पर रीको कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। नया औद्योगिक क्षेत्र नहीं तो हमारे लोगों को रोजगार, उद्योग लगाने का अवसर कब मिलेगा? मैं कहना चाहता हूं कि इस औद्योगिक नीति को थोड़ा सा ठीक करें। यहां के लोकल लोगों को रोजगार मिले इसकी व्यवस्था करें। यही नहीं, मैंने दो उद्योगों के लिए कहा है सिवाणा और बिसिंहपुर में, मैं चाहूंगा कि कम से कम सिवाणा को इण्डस्ट्रीयल एरिया घोषित करने के लिए अपनी रिप्लाई में घोषणा करेंगे ।

जो-जो किसान है, जिसकी जमीन उद्योगों में गई, आपने कब्जा ले लिया, आपने रैफरेंस कर दिया। जिनको मुआवजा नहीं मिला वह 20-20, 30-30 साल से लोग घूम रहे हैं। हमारे यहां बहुत सारे जिलों में कस्टोडियन लैंड है। कई बार इस बात की चर्चा आती है, नियमों में इस तरह का हो गया, गैर

(श्री रामहेत सिंह यादव)

खातेदार हैं लेकिन खातेदारी नहीं मिली। कस्टोडियन लैंड के गैर खातेदारों को आज तक रीको ने पेमेंट नहीं किया, 10-10 साल से उनके खेत पर उद्योग लगा हुआ है, वह किसान कहां जाएगा? ऐसे खातेदार को मुआवजा मिलता है, आप कहते हैं इसमें है। लैंड रेवेन्यू एक्ट में प्रोवीजन है कि उनको मुआवजा कैसे दें, तो जैसे खातेदार के नियम हैं, वही है। कस्टोडियन लैंड पर भी वही लागू होते हैं। बहुत सारे काश्तकार ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला। ऐसे काश्तकारों की जानकारी कराकर, उनको मुआवजा दिलाने की बात करें।

दूसरी मांग खनिज की है। खनिज की मांग के बारे में मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरह से खनन माफिया, बजरी माफिया है, अलवर जिला भी खनन माफियाओं के कब्जे में है। वहां पर क्रेशर लगे हुए हैं, उनके लिए पत्थर चाहिए, आपने लीज दी है, लीज में से पत्थर ले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लीज के आसपास के सारे एरिया को उखाड़कर पीस दे, रोड़ी बना दे, ग्रिट बना दे और उनको भेज दे। यही नहीं राजस्थान के बार्डर एरिया हरियाणा में चाहे बावल हो, धाराडा हो, नूह हो, तावडू हो, चाहे झिरका फिरोजपुर हो, राजस्थान का पत्थर जाता है और वहां पर क्रेशर लगे हुए हैं, क्योंकि वहां कुछ नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदय, एक दुर्भाग्य की बात है जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। किसान जाता है, उसको क्रेशर चाहिए घर के लिए ट्रैक्टर भर लेता है, वहां का मुनीम कहता है कि कच्ची पर्ची लेगा या पक्की पर्ची । वह पूछता है कि कच्ची और पक्की में क्या अंतर है तो बताया जाता है कि कच्ची पर्ची में तो 200 फीट ग्रिट है जो 12 हजार है और पक्की पर्ची लेगा तो 15 हजार की है। वह तीन हजार बचाने के चक्कर में कच्ची पर्ची लेकर आ जाता है। माइन्स विभाग की टीम तैयार रहती है, जैसे ही वह राजस्थान में घुसता है उसके ट्रैक्टर को जब्त कर लिया जाता है। मैं इस विधान सभा में कह चुका हूं, पिछले 9 साल से कह रहा हूं, आप रात को किशनगढ़ से तिजारा होकर, भिवाड़ी होकर नहीं जा सकते। किशनगढ़ से कोटकासिम बोरणी होकर नहीं जा सकते। हम कहते हैं कि माइन्स विभाग है, फोरेस्ट, पुलिस, ट्रांसपोर्ट है, सब मिलकर संयुक्त रूप से टीम बनाइये। एक बहुत अच्छा जवाब, आरटीओ डिपार्टमेंट और माइन्स डिपार्टमेंट कहता है कि हम तो ट्रकों को जब्त करते हैं, उनको पजेशन देते हैं तो पुलिस हमसे कब्जा नहीं लेती ट्रैक्टर का, उस ट्रक को जब्त नहीं करती इसलिए हमारे पास कोई बाड़ा नहीं है, कोई मशीन नहीं है

(श्री रामहेत सिंह यादव)

पुलिस कापरेट नहीं करती। पुलिस सरकार का अंग है, माइन्स सरकार का अंग है।

एक एनजीटी की घटना बताता हूं। एनजीटी भोपाल में शिकायत हो गई। शिकायत होने के बाद पुलिस और फोरेस्ट विभाग ने जवाब दिया हमने अवैध खनन को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। एक झौंपड़ी में रहने वाला, दोंगडा के मेव को ऊंट सहित उठाकर बंद कर दिया। एनजीटी को रिपोर्ट दे दी। वह हाई कोर्ट से 6 महीने बैल पर छूटा है, झौंपड़ी में रहता है। मैं इस विधान सभा में माननीय मंत्री को कहता हूं, अधिकारी को भी कह दिया कि कोटपूतली से रोजाना कम से कम 500 ट्रक मेरे खैरथल किशनगढ़ कस्बे से होकर कोटकासिम होकर जाते हैं। सारी सड़क को खा गए। वहां पर कोई कार्य नहीं, क्योंकि वह कहते हैं कि पुलिस कापरेट नहीं करती। माननीय खनिज मंत्री महोदय, संयुक्त टीम बनाइये, सी सी टीवी कैमरे लगाइये और जो भी अवैध खनन करता है उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करिए, ऊंट गाड़ी और ट्रैक्टर वालों पर।

एक खोल और होता है, चाहे वन विभाग हो या माइन्स विभाग हो, उनके पास गांव के कितने ट्रैक्टर हैं, सबके नम्बर और मालिक की आर सी की फोटोकापी है, जब उनको कुछ लगता है तो दो-चार लोगों को भर देते हैं और हमारे जैसा कोई नेता सिफारिश करे, भाई आपके एम एल ए साहब और फलां व्यक्ति शिकायत करते हैं, वह हमारे पीछे लगा देते हैं। जो लीगल है उसको तंग नहीं किया जाए। आपको यह लगता है वहां के लोकल लोगों की माइन्स नहीं है। आप सोसाइटी बनाइये न। जीएसस की सोसाइटी है ऐसे ही माइन्स सोसाइटी बनाइये। जो पहाड़ देना है, मान लीजिए पूरे गांव के 50 घर हैं तो आप दस सोसाइटी बनाइये, पांच-पांच को मैम्बर बनाइये और 50 परसेंट आप उनको दीजिए और 50 परसेंट आक्शन कीजिए। वहां के लोगों को भी काम मिलेगा। लेकिन सरकार ऐसा सोचती नहीं है। आपको इस बारे में दुबारा सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे इलाक़े, हमारे ज़िले के उद्योग में भी नौकरी नहीं मिले और फोरेस्ट व माइन्स विभाग भी हमारे किसानों के साथ ज्यादती करे इससे जन भावना भड़केगी तो निश्चित रूप से उग्रता बढ़ेगी। हम नहीं चाहते कि राजस्थान का, हमारे ज़िले का माहौल खराब हो। आप सख्ती से पेश आएंगे, अच्छी पालिसी बनाकर, टीम बनाकर, अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे जिससे औद्योगिक क्षेत्र में अच्छा वातावरण मिले,

(श्री रामहेत सिंह यादव)

वहां के लोगों को रोजगार मिले यही कहते हुए, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री निर्मल कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण मांग संख्या 42 उद्योग, मांग संख्या 43 खनिज पर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि किसी भी प्रदेश में विकास की धुरी होते हैं तो यह दोनों विभाग होते हैं। राजस्थान जैसा प्रदेश जिसकी जियोग्राफी बहुत कठिन है, संसाधन भी सीमित हैं, आबादी भी सीमित है, उसमें इन दोनों विभागों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।

मैं उद्योग के बारे में कहना चाहूंगा। सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी, उद्योग माननीय मंत्रीजी के नेतृत्व में पिछले तीन-चार साल में आई टी के प्रयोग से लगातार सुधार हो रहा है, और जो नये व्यापारी हैं उनको इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह बैठकर आराम से वह अपना काम कर सकते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि इस विभाग में अगर वर्तमान में अगर आर्थिक मंदी भी आती है तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि नया व्यापारी एकदम से नया उद्योग लगाने में हिचकिचाता है।

(15.00 बजे)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे देश में ही नहीं, विदेश में भी, पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा कहीं नाम है, उद्योग जगत में, व्यापार जगत में, तो वह मारवाड़ियों का है। एक कहावत है, 'जहां न पहुंचे बैल गाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी'। अभी हमारे कांग्रेस के लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार ने रिसर्जेण्ट राजस्थान का बहुत बड़ा इवेंट किया, लेकिन यह नहीं हुआ वह नहीं हुआ। मैं उनको पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में 50 साल से ज्यादा राज आपने किया। यह पहली सरकार है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2007-08 में भी कोशिश की थी कि व्यापारियों को राजस्थान में वापस लाया जाये। हमारे खून, हमारी इस धरती के जन्मे हुए व्यापारी विदेशों में डंका बजाते हैं, दूसरे राज्यों में डंका बजाते हैं। किसी भी सरकार ने आज तक इनको यहां बुलाकर बात करने की कोशिश नहीं की। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि पहली बार रिसर्जेण्ट राजस्थान करके सबको राजस्थान

(श्री निर्मल कुमावत)

के अनुकूल माहौल में, वापस अपने घर से, अपने परिवार से, अपनी जन्मभूमि से जोड़ने का काम किया। कोई भी काम होता है तो उसमें समय लगता है। वर्तमान की जो पूरे विश्व की आर्थिक मंदी है या अन्य चीजें हैं उनका भी इम्पैक्ट इस पर पड़ता है। केवल बातें करने से काम नहीं होता है। अगर 50 साल पहले यह पालिसी बनाते होते तो आज राजस्थान उद्योग जगत में नम्बर-वन होता, गुजरात नहीं होता।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी उद्योग को लगाने के लिये पर्याप्त मात्रा में स्किल डवलपमेंट हुए अनुभवी व्यक्ति भी चाहिए, चलाने वाले। उसमें भी राजस्थान सरकार ने जो कीर्तिमान स्थापित किया केन्द्र सरकार के माननीय नरेन्द्र मोदीजी के नेतृत्व में, माननीय वसुंधराजी के नेतृत्व में, वह भी काबिल-ए-गौर है कि हमने लाखों लोगों को, हमारे दोनों मंत्री यहां बैठे हैं, लाखों लोगों को आपके सान्निध्य में स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट से जोड़कर इन निजी उद्योगों में भी उनको काम करने की अपोर्च्युनिटी मिली है, मौका मिला है, चाहे वे खुद का, स्वयं का उद्योग लगाएं, चाहे स्टार्ट-अप से जुड़ें या अन्य कम्पनी से जुड़ें या सरकार की किसी कम्पनी से या नौकरियों से जुड़ें।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि उद्योग विभाग अपने आपमें कोई पूरा विभाग नहीं है। आप किसी भी व्यापारी को आने के लिये एक प्लेटफार्म देते हैं। सरकार की आपकी कम्पनियां हैं, रीको है, डी.एम.आई.सी. है, डी.एफ.सी.सी. है, दुनिया भर की हमारी कम्पनियां हैं, दर्जनों कम्पनियां हैं। उसके बाद में भी सैकड़ों तरह की कम्पनियां हैं। उसके बाद में भी सैकड़ों तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। आजकल एन.जी.टी. का भी जोर है, पोल्यूशन का भी जोर है। गांव वालों का भी विरोध होता है। पोलिटिकल विरोध भी होता है। तो, तमाम तरह की कई समस्याओं के बाद में जाकर एक उद्योगपति वहां स्थापित होता है। राज्य हित में कई बार सरकार को कठोर फैसले भी लेने होते हैं। जनहित में हो सकता है उसका इम्पैक्ट गलत भी जाए, मगर मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि पिछले सालों में बड़े-बड़े उद्योग हमारे यहां काफी आये हैं। उससे सरकार की आमदनी में भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अगर आमदनी नहीं होगी तो हम जिस गरीब का विकास करने की बात करते हैं तो मैं समझता हूं, उसके लिये पैसे के संसाधन सरकार के सीमित होते हैं, पैसा नहीं मिल पाता है।

(श्री निर्मल कुमावत)

मगर मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से टेक्नोलोजी वाले युग में बड़े-बड़े उद्योगों को हम अच्छी राहत देते हैं, पैकेज मिलता है, उतने लोगों को वे एम्प्लायमेंट दे नहीं पाते हैं। आटोमेटिक प्लाण्ट्स आते हैं। हो सकता है, वे हमें प्रोडक्शन अच्छा करके दें, मगर लोकल लोगों की उसमें भागीदारी कम होती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जितने भी स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज हैं, छोटे उद्योग हैं, उनका अगर हम जी.डी.पी. में देखें तो पर-कैपिटा जी.डी.पी. उनकी बहुत ज्यादा आती है, डिस्ट्रिब्यूट करने में। बड़े उद्योगों का इसमें बहुत ज्यादा कण्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो, मेरा आपसे अनुरोध है कि छोटे उद्योगों को, किस प्रकार से राजस्थान हब बने, उसके लिये बहुत महत्वपूर्ण काम करने की आवश्यकता है। (व्यवधान) जितने भी लोग हैं, जो छोटे स्तर पर व्यापार करना चाहते हैं, उनको और ज्यादा सहूलियत हम किस प्रकार से दें, राजस्थान की दृष्टि से, मैं उम्मीद करुंगा कि मंत्री महोदय, आप इसके लिये पालिसी में जरूर कुछ न कुछ आज अपने श्रीमुख से डिक्लीयर करेंगे।

जो छोटे बीमार उद्योग हैं, मैं किसी भी बड़े की बात नहीं करूंगा, जो छोटे उद्योग हैं उनकी बात करूंगा, उनको किस प्रकार से जीवित रखा जाए। हम नया बनाएंगे, आ जाएगा, लगेगा, वह ठीक है। जो हमारे पुराने, मृतप्राय: होने वाले हैं उनको किस प्रकार वापस आक्सीजन मिले, उनके लिये भी आप लोग काम करेंगे। मैं इन्हीं उम्मीदों से आपको निवेदन करना चाहूंगा।

इसके अलावा जो हमारा पब्लिक अण्डरटेकिंग सैक्टर है, उसको भी रिव्यू करने की आवश्यकता है। आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको जयपुर जिले में ही हमारे सांभर साल्ट लिमिटेड, एक बहुत बड़ी भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की कम्पनी है। हम सब लोग उससे जुड़े हुए हैं। हमें गर्व होता है कि आजादी से पहले अगर कहीं नमक उत्पादन होता था, कहीं पहली बार बिजली आई थी तो जयपुर से पहले सांभर में आई थी। मगर आज दुर्भाग्य की बात है कि जितनी आटोनोमी हमने हमारी कम्पनियों को दी है, जितने हमने दुनिया भर के बोर्ड और निगम बनाये हैं, उस आटोनामी का कहीं न कहीं हमें नुकसान भी हुआ।

माननीय सभापति महोदय, इतनी बड़ी कम्पनी है, इसी सदन में मैंने पिछले कार्यकाल में भी मामला उठाया था कि अवैध नमक की खेती वहां होती है। हजारों-करोड़ रुपये का उस पर आरोप लगा। अभी हाल ही में लूणकरणसर

(श्री निर्मल कुमावत)

से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के माध्यम से पूछा था, तीन सौ करोड़ रुपये सालाना का ब्राइन वहां पर चोरी हुआ। हमने कम्पनी दे दी। भारत सरकार के अधीन है और 40 परसेंट हिस्सेदारी राजस्थान सरकार की है। दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान सरकार का एक भी प्रतिनिधि उस कम्पनी में नहीं है। किसी को फुर्सत भी नहीं है कि उसको हम देखें कि कम्पनी क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। हमें हमारी रायल्टी भी मिल रही है या नहीं मिल रही है। लीज मनी भी मिल रही है या नहीं मिल रही है। यह एक सोचने का विषय है कि राजधानी क्षेत्र में हम बैठे हैं। इतना बड़ा उद्योग हमारे पास में है। उसके बोर्ड डाइरेक्टर्स बैठकर कानून से परे अवैध फैसले ले लेते हैं। जिस चीज की लीज उनके पास नहीं है उसको सब लैट करने का अधिकार किसने दे दिया। यह भी हमारे बीच में हुआ है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी के सान्निध्य में पर्यटन मंत्रीजी यहां बैठे हैं। पहली बार सांभर क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र से जोड़ने का काम आपने किया है। हैरिटेज प्रोपर्टी की भरमार है। करोड़ों रुपये लगाकर आपने सर्किट हाउस वहां तैयार किया। आपने रेलवे ट्रेक्स को ठीक किया, बर्ड वाचिंग के लिये ठीक किया कि लोग वहां आएं। सांभर साल्ट की जो प्रापर्टी है, कम से कम 40 करोड़ से ऊपर राजस्थान सरकार, केन्द्र सरकार का लगा। उस पूरी प्रापर्टी को बोर्ड ने फैसला करके एक मिनट में निजी आदमियों को सबलेट कर दिया। कम्पनी हित में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यह सब चीजें देखने की बात है।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि 1960 के बाद में, राजस्थान सरकार की इसमें पूरी हिस्सेदारी थी, 1960 में आपका हिन्दुस्तान साल्ट से एम.ओ.यू. हुआ था और कम्पनी बनी थी। इसके बाद में इसको पूरा रिव्यू करने की आवश्यकता है। जब प्राइवेट सैक्टर में लोग प्रोफिट में जा रहे हैं तो सरकारी सैक्टर की कम्पनी प्रोफिट में क्यों नहीं जा सकती। पूरी आटोनोमी हमारे पास है। इसमें मैं तो मांग करूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से और आपसे भी कि राजस्थान सरकार इसको पूरा अण्डरटेकिंग करे। यह प्रोफिट वाली कम्पनी है, किसी सफेद हाथी की जैसे काम नहीं करेगी। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय मंत्री महोदय, आपकी कार्य शैली के बारे में भी दो बातें

(श्री निर्मल कुमावत)

निवेदन करना चाहूंगा। जब आप यू.डी.एच. मंत्री थे तो बिना पैसे के पूरे राजस्थान को जगमग करने का काम अगर किया है तो आपने किया है। एल.ई.डी. लाइटें, हमें आज अगर हर नगरपालिका क्षेत्र में, अगर गांव-गांव में देखने को मिल रही है, और मुझे पता है कि आपने इसी सदन में आश्वासन दिया था कि राजस्थान सरकार का एक रुपया लगे बिना इस कम्पनी को बिजली के सरचार्ज से ही हम पूरा पैसा चुकाएंगे। आज वह सपना साकार हो रहा है। इसी के साथ हमें स्मार्ट-सिटीज भी खूब मिली थीं और उस सैक्टर में खूब काम हुआ था।

अब आपके लिये चुनौती का समय है। मैं कोई आपकी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। मगर इन बोर्ड, निगमों से, जब पूर्व के हमारे सदस्य ने जो बातें बताईं, जब चाहें तब ऊंटपटांग फैसले कर लें। किसान की जमीन, चाहे इण्डस्ट्रियल एरिया वायबल है या नहीं है, सस्ती दर पर उसको एक्वायर कर लें, सस्ती दर पर उद्योगों को दे दें और बाद में इण्डस्ट्री सिक हो जाये, यह कहां का न्याय है, सभापति महोदय। सरकार के हित में हमारा काम करने का मानस है, सरकारी कम्पनियां हैं। आप खुद, स्वयं मंत्री हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी, पूरी कैबिनेट है। जहां जनहित की बात आये, वह सरकार तक जाये। स्वयं फैसला कर लें और जहां काले कारनामे हों, और अपने-आप में गरदन कटने की बात आये तो बचाने के लिये यह विधान सभा सदन मिल जाता है। यह चलने वाली बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सब को रिव्यू करने की आवश्यकता है। उसमें चाहे जे.डी.ए. हो, चाहे आपका रीको हो, चाहे आपकी डी.एम.आई.सी. हो, तमाम एजेंसियों को जन हित में, राजस्थान के हित में रिव्यू करने की सख्त आवश्यकता है। मैं इतना ही निवेदन करके इस बारे में अपनी बात खतम करना चाहूंगा।

माननीय मंत्री महोदय, केवल एक बात खनिज के बारे में कहना चाहूंगा। कई तरह की बातें होती हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी भी राज्य के लिये नोन-टैक्स रेवेन्यू कम होना, यह चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर सरकार इसके लिये गम्भीर भी होगी और आप अपने स्तर पर प्रयास भी कर रहे हैं। कानूनी अड़चन भी आप दूर करेंगे। इतना ही कहना चाहूंगा कि खनन क्षेत्र से हमें बहुत अच्छा पैसा, राजस्थान सरकार को आमदनी होती है और जनता का हक है। मगर आपने डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी बनाई है, खनन क्षेत्र में जो सड़कें खराब होती हैं, मगर उस कमेटी को भी रिव्यू करने की

(श्री निर्मल कुमावत)

आवश्यकता है। उसमें सही, प्रोपर तरीके से अभी तक फैसले नहीं हो पाये, करोड़ों रुपये हमारे खर्च ही नहीं हो पाये। क्योंकि कमेटी डिसीजन नहीं कर पा रही है। इसका खामियाजा गांव वालों को भुगतना पड़ता है। आबादी क्षेत्र में सीधा-सीधा पी.डबल्यू.डी. का नियम बोलता है कि एक बार गांव की सड़क बन गई तो 10-11 साल पहले आप उसके रिन्युअल का पैसा नहीं देते। उन गांव वालों की क्या गलती है। डम्पर आपके चलते हैं, ओवर लोड चलते हैं, मैं किसी का यह नहीं कह रहा हूं कि वे नहीं चलें। इन पर्टिकूलर सैक्टर्स में तो कम से कम आप इसको रिव्यू करके अगर आपका डिपार्टमेंट इन रोड्स को मेन्टेन करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पी.डबल्यू.डी. करे तो कोई आपत्ति नहीं है। उनका अहित नहीं हो, गांव वालों को आक्रोश नहीं हो और प्रोपर तरीके से हमारा रेवेन्यू भी पूरा आये और लोगों को राहत मिले, मैं इन्हीं बातों के साथ, पुन: दोनों माननीय मंत्री महोदयों से निवेदन करूंगा कि इन बातों पर आप गौर करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, उद्योग की बहस पर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, फिर किशनगढ़ बास से आने वाले माननीय सदस्य और फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने महत्वपूर्ण कंट्रिब्यूशन किया है।

अनेक बातें जो उन्होंने कही, मैं नहीं चाहता कि उनमें से किसी को रिपीट करना पड़े पर मैं माननीय मंत्रीजी के ध्यान में यह लाना चाहूंगा कि आजकल सरकारी कम्पनियां बहुत हैं। शत-प्रतिशत सरकारी संस्थान भी बहुत हैं। रीको है, आर.एफ.सी. है, जयपुर विकास प्राधिकरण है, इनमें आपके रीको और आर.एफ.सी. में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट के लिए जो भी आई.डी.सी. बनी हुई है, अनेक बार देखा गया कि आई.डी.सी. में कोई निर्णय हुआ, चाहे रीको के बोर्ड में मामला गया और रीको के बोर्ड में मामला जाने के बाद में वह निर्णय फाइनल हो जाता है। मैं माननीय मंत्रीजी, आपसे यह पूछना चाहता हूं कि रीको सरकार की कम्पनी है, सरकार के मंत्री आप हैं, यह बड़ी अजीब बात है कि हमारे नौकरशाह, हमारे आई.ए.एस. अधिकारी, वह राज्य सरकार बनकर चाहे जो निर्णय ले लेते हैं और माननीय मंत्रीजी को अनेक बार पता भी नहीं होता है कि क्या निर्णय लिया गया है। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर न सिर्फ

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आप बल्कि अन्य माननीय सदस्य भी जो बात सुन रहे हैं, माननीय मंत्रीगण, मेरा निवेदन होगा, माननीय सभापति महोदय, कि इस पर कोई मूलभूत रूप से जब तक माननीय मंत्रीजी के ध्यान में बोर्ड का निर्णय नहीं लाया जाए, हाईएस्ट बॉडी का निर्णय न लाया जाए और उसकी एप्रूवल मंत्रीजी से नहीं हो, तब तक उस निर्णय को क्रियान्वित करने का कोई अधिकार अधिकारियों को नहीं है और आज है तो कल नहीं रहना चाहिए, यह मेरा नम्र निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, कुछ कटमोशंस मैंने पेश किये हैं। माननीय मंत्रीजी का ध्यान मैं बीकानेर के एक फूड पार्क की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। बीकानेर की सेरेमिक इंडस्ट्री की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। बीकानेर का नमकीन भुजिया, पापड़ और पचासों तरह के उत्पाद हिन्दुस्तान भर में जाते हैं, प्रसिद्ध हैं, अनेक बहुत बड़े-बड़े लोग, हल्दीराम नाम है, भीखाराम चांदमल नाम है, बंशीलाल नाम है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज भी दूसरे 200 लोग मेरे ध्यान में हैं कि जो मेगा फूड पार्क बने, उनको जमीनें मिलें, न सस्ती और न महंगी, मध्यम श्रेणी के मूल्यों में तो बीकानेर का नमकीन व्यापार आज जितना है उससे माननीय मंत्री महोदय, दस गुना हो जाएगा।

मैं हवा में यह बात नहीं करता आपको ग्राम खारा और कानासर, यह दो लोकेशन अर्ज करता हूं कि खारा और कानासर के बीच में जो एरिया है, लैंड एक्विजिशन में जो भी प्रावधान है अभी तक, आखिर तो अपन 25 परसेंट जमीन काश्तकार को देकर 75 परसेंट जमीन अवाप्त करते रहे हैं। उसी प्रक्रिया से यदि आप खारा और कानासर के बीच की जमीन को अवाप्त करें और वहां पर मेगा फूड पार्क बनायें और दस करोड़ रुपये का इंवेस्टमेंट सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट में करें तो निश्चित रूप से बीकानेर शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि और नए उद्योगों के लगने के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

माननीय मंत्री महोदय, बीकानेर का सिरेमिक उद्योग, आज जिस स्थिति में है उसको रामगढ़ की गैस चाहिए। आज हम गुजरात को कम्पीट कर सकते हैं बशर्ते कि सस्ती गैस रामगढ़ की हमारी सेरेमिक इंडस्ट्री को उपलब्ध हो। अब राजस्थान सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करती है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर की सेरेमिक इंडस्ट्री

(श्री मानिक चन्द सुराना)

को बढ़ावा देने की दृष्टि से, माननीय सभापति महोदय, कि राज्य सरकार रामगढ़ गैस को गजनेर और बीकानेर लाने का काम करे और इसके लिए जितनी इंडस्ट्री आज है सेरेमिक की उससे दस गुनी ज्यादा इंडस्ट्री बीकानेर में लगने की सम्भावना बनेगी।

माननीय सभापति महोदय, लूणकरणसर क्षेत्र में एक औद्योगिक क्षेत्र की कमी है। आपका इंडस्ट्रियल एरिया पूरा भर गया है और उसके पीछे 209 बीघा जमीन पड़ी है। उसका खसरा नम्बर-730/975 है और मेरा निवेदन है कि वह मामला जो हाई कोर्ट में लम्बित है इस संबंध में और जिसमें राज्य सरकार के जीतने की पूरी सम्भावना है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट और चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस मुकदमे में शानदार पैरवी करे ताकि 209 बीघा जमीन राज्य सरकार को बारानी उपलब्ध हो और वह बारानी जमीन जब उपलब्ध होगी, राज्य की है, सिवायचक है तो निश्चित रूप से इंडस्ट्रियल, मंडी और रीको, दोनों के बिलकुल संलग्न यह 209 बीघा जमीन है और यह 209 बीघा जमीन हमारे मंडी के विकास के लिए, हमारे उद्योग के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा, उसका नम्बर मैं आपको दूंगा रिट का कि आप और राजस्व मंत्रीजी बात करके इसकी उचित पैरवी हाईएस्ट लेवल पर जोधपुर हाई कोर्ट में करें।

माननीय सभापति महोदय, एक प्रकरण है सांभर साल्ट लिमिटेड का।

(15.16 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांभर साल्ट लिमिटेड, यह आपकी सरकारी कम्पनी है। यह भारत सरकार का उपक्रम है। यह उपक्रम, सन 1961 से राजस्थान सरकार की इसमें भागीदारी है। सन 1961 में इसमें वी.टी. कृष्णमचारी का अवार्ड हुआ और वी.टी. कृष्णमचारी साहब ने अपने अवार्ड में जो निर्णय किया उसके फलस्वरूप 60 परसेंट भागीदारी भारत सरकार की है और चालीस परसेंट भागीदारी आपकी है और यह 99 वर्ष की लीज आपने सांभर साल्ट को दी है जो कम्पनी वर्तमान में बहुमत शेयर भारत सरकार का होने के कारण भारत सरकार का उपक्रम है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब से उद्योग विभाग के ध्यान में यह आया है, वी.टी. कृष्णमचारी रिपोर्ट जुलाई 1961 में आ गयी। 2010 में

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सांभर साल्ट की भूमियों पर अतिक्रमण होने लगे। लोगों ने गैर-कानूनी केबल डाल दिये विद्युत के और बोर-वैल बना लिये और बोर-वैल के पास ही पाइप लाइनें लगा दीं। एक दो किलोमीटर की नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 5-5, 6-6 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइनें लगा दीं और सांभर साल्ट के एरिया से बाहर उसका दोहन करके गैर-कानूनी नमक बनाया जा रहा है। विनोद कपूर की रिपोर्ट के संबंध में सरकार अवगत होगी ही लेकिन मैं पुन: सरकार को अवगत कराता हूं कि आपके उद्योग विभाग के आदेश- 10.3.2010 से मैसर्स सांभर साल्ट लिमिटेड के अधीन भूमि पर निजी नमक उत्पादकों द्वारा किये गये अवैध कब्जे, चोरी कर, पानी के दोहन हेतु खोदे गये ट्यूबवैल, बोर-वैल व अवैध पाइप लाइनों के संबंध में जांच कराये जाने हेतु विनोद कपूर, सचिव, जस्टिस एन.एन. माथुर आयोग को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसकी रिपोर्ट आपको आ गयी, माननीय मंत्री महोदय, 2011-12 में, अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात लिखी गयी है, वह यह है कि- लेक की परिधि पर स्थित निजी नमक उत्पादनकर्ताओं द्वारा सांभर झील में अवैध रूप से बोर-वैल खोदे जाते हैं तथा पाइप लाइन डालकर झील क्षेत्र से लवणीय पानी से नमक उत्पादन हेतु चोरी की जाती है, यहां तक कि कई स्थानों पर चार-पांच किलोमीटर तक लम्बी पाइप लाइनें डाली जाती हैं। यह विनोद कपूर की रिपोर्ट है। यह उद्योग विभाग की खुद की रिपोर्ट है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि यह रिपोर्ट वर्ष 2010-11 की है और आज 2018 आ गया। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर कुछ लोग एन.जी.टी. में गये और 5 सितम्बर को एन.जी.टी. ने एक आदेश पारित किया, उस आदेश को मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह आर्डर का पार्ट है एन.जी.टी. के, 5 सितम्बर, 2017, यह भोपाल बैंच का आर्डर है।

"In addition to the above, the Tribunal had noted from the compliance report and the observations made in the Virendra Kapoor's reports..." जिसका मैंने हवाला दिया है "with regard to the unauthorized electricity connection for drawing power for illegal manufacturing of salt in the Sambhar Lake. We have been informed that while directions have been issued to the Company namely Ajmer Vidhyut Vitran Nigam Ltd. by the Rajasthan Lake Development Authority so far disconnection has not been affected. He may bring the matter to the notice of the Chief Secretary, the State of Rajasthan who should take immediate necessary steps to ensure compliance of the directions issued for disconnection of all illegal electrical connections so that all such cables etc. which

(श्री मानिक चन्द सुराना)

are laid unauthorisedly are disconnected. This task be completed within two weeks." मैं निवेदन करना चाहता हूं 20 सितम्बर को भी बैठक हुई है एन.जी.टी. की और उस बैठक में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अजमेर विद्युत वितरण निगम ने कहा, वह सुनिये "As directed in our last order dtd. 05.09.2017, Managing Director, Ajmer Vidhyut Vitran Nigam Limited, is present. He has submitted that they have already started disconnection of unauthorized electricity which was being used for drawing brine from Sambhar Lake for illegal manufacturing of salt." अब नीचे वह कहते हैं कि "It has been stated that there are 848 transformers around the Sambhar Lake of which 582 are in Nawan and 266 in Roopnagar area and they have removed 24 transformers till date." 848 ट्रांसफार्मर्स में से 24 ट्रांसफार्मर्स हटाकर, उनको यह कहा गया कि हमने इल्लीगल कनेक्शन को हटाना शुरु कर दिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्होंने दो महीने में फिर इनको हटाने के आदेश दिये और आर्डर में जो उन्होंने लिखा सदन की जानकारी के लिये कहूंगा "The Sambhar Lake which was said to be the wet land of International importance was completely neglected as a result the Sambhar Lake is now almost dead because of large scale unauthorized salt manufacture in and around Sambhar Lake" यह 20 सितम्बर का आर्डर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 5 सितम्बर को जब आर्डर दे दिया उन्होंने कि इल्लीगल कनेक्शन को काटो और 848 ट्रांसफार्मर्स की मौजूदगी अजमेर विद्युत वितरण निगम बता रहा है। अब इस परिस्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन और पर्यावरण विभाग के ए.सी.एस., जो भी उस वक्त थे, उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है 4.10 को और 9.10 को एक आदेश जारी होता है, जो आदेश पढ़कर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे शर्म भी आती है और महसूस होता है कि प्रशासन कितना शक्तिशाली है। पैरा-4 में वह लिखते हैं, यह ए.सी.एस. साहब की अध्यक्षता में मीटिंग है, जिसमें आयुक्त उद्योग भी उपस्थित थे, लिखते हैं सांभर झील के संरक्षण के हित में झील की सीमा में स्थापित सभी बोरवैल एवं विद्युत कनेक्शन मय केबल्स, जिनका उपयोग ब्राइन दोहन के लिये किया जाता रहा है। अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खास तौर से सुनें। चाहे उनकी अनुमति हो या नहीं हो, उन सबको तुरन्त प्रभाव से बंद कर दिया जाए और हटवा दिया जाए। यह इल्लीगल कनेक्शंस काटने का आदेश है और जो विधिक कनेक्शंस हैं, इसी आर्डर में साफ लिखा है कि विधिक कनेक्शंस हों, चाहे

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अविधिक हों, सब काट दिये जायें। वह तीन हजार गैर-कानूनी इल्लीगल बोरवैल कनेक्शंस वह तो कटे नहीं और यह सांभर साल्ट लिमिटेड, जो आपका उपक्रम है, आप उसमें 40 परसेंट के भागीदार हैं, आपके सारे कनेक्शंस महीने भर में काट दिये गये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह तो भला हो हमारे श्रीमत् पाण्डे साहब का, जो चेयरमैन हैं विद्युत वितरण निगम के, कि उन्होंने ए.सी.एस. महोदय को यह ध्यान दिलाया अपने पत्र 29.11.17 के द्वारा "Meanwhile, the MD of M/s Sambhar Salts Limited has represented that the connections which have been disconnected were earlier legal connections and were issued only after seeking permission of Central Ground Water Board. Moreover, in the order of the NGT dated 20.09.2017 it has been mentioned that only the illegal connections within and around M/s Sambhar Salts Limited should be disconnected." और अंत में उन्होंने लिखा "Therefore, I would request you.." ए.सी.एस., वन एवं पर्यावरण महोदय को चिट्ठी है "Therefore, I would request you to kindly provide guidance in the matter for reconnection of the disconnected electric connections of M/s Sambhar Salts Limited." एक श्रीमत् पाण्डे जैसे उच्चाधिकारी, जो चेयरमैन है डिस्काम के, उनको भी आदेश अटपटा लगा और उन्होंने लिखा कि क्या उनके विधिक कनेक्शंस वापस कर दिये जाएं। कोई निर्देश नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और कम्पनी रोती रही। कम्पनी ने पत्र दिया कि हमारी जो सहमति दिखायी गयी है, उनका पत्र है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तारीख है 7.11.17 का, कि हमारी कोई सहमति नहीं है और हमारा निवेदन है कि इसको रीकंसीडर करिये और इसको संशोधित करिये। उन्होंने यह वर्डिंग्स लिखी है, यह संशोधन किया जाए, यह लिखा है उन्होंने। सांभर झील के संरक्षण के लिये झील क्षेत्र की सीमा में निजी नमक उत्पादकों द्वारा स्थापित सभी बोरवैलों एवं विद्युत कनेक्शंस मय केबल्स, जिनका उपयोग ब्राइन दोहन के लिये किया जा रहा है, उन सबको तुरन्त प्रभाव से बंद कर दिया जाए और हटा दिया जाए। जबकि उसमें लिखा था कि एम.डी. भी सहमत हैं कि विधिक कनेक्शंस काट दिये जाएं। क्या भारत सरकार का कोई एम.डी. अपने होश-हवास में, सांभर साल्ट एक भारत सरकार की कम्पनी के, जो 80 बोरवैल चल रहे हैं और जिसकी परमिशन, किसी छोटे-मोटे ने नहीं, सेंट्रल वाटर ग्राउण्ड बोर्ड ने दी है, वह कह सकता है कि मेरे विधिक कनेक्शंस काट दिये जायें, वह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। श्रीमत् पाण्डे, चेयरमैन वापस लिख रहे हैं और आज तक विधिक कनेक्शंस वापस नहीं हो रहे हैं। विधिक कनेक्शंस

(श्री मानिक चन्द सुराना)

वापस न होने का तात्पर्य यह है कि कानूनी काम बंद, सांभर साल्ट लिमिटेड को ताला और तीन हजार गैर-कानूनी कनेक्शंस के द्वारा जो सांभर साल्ट की मृत्यु की जा रही है, गैर-कानूनी दोहन करके, उन मृत्यु करने वालों को तो रामराज बख्शा गया और जो कानून के राज को स्थापित करने वाले हैं, उनको मृत्यु दण्ड बख्शा गया।

मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन आदेश केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण, जल संसाधन मंत्रालय के पेश करता हूं। पहला आदेश है 8 नवम्बर, 2017 का, जिसमें कहा गया है कि कम्पनी, यह दो-दो साल का वैलिड आर्डर है, 8 मई 2017 "The firm may extract additional 928 Millions and not exceeding इतना मिलियन from the proposed ten tube wells." ट्यूबवैल निर्धारित हैं, इतना ब्राइन निकालेंगे, ट्यूबवैल से उसकी तादाद दी हुई है और यह कहा हुआ है कि इसकी अवहेलना की तो यह रद्द हो जाएगा और दो साल की अवधि है। फिर 2016 में आदेश हो गया, 2016 में जो आदेश हुआ, उसमें पहले की अपेक्षा करीब साढ़े तीन गुणा ब्राइन निकालने का आदेश हुआ। यह आदेश हुआ 20, पहले वाला 15 ट्यूबवैल से था, यह 20 ट्यूबवैल से है और इसमें 3703 क्यूबिक मिलियन सलाइन ग्राउण्ड वाटर निकालने का आदेश है। मैं निवेदन करूंगा तीसरा आदेश 17 का है।

2017 का जो आदेश है, वह अभी 19 तक चालू है। It is operative upto 2 years, 22.10.19, और इस आदेश में लिखा है कि 14812 मिलियन क्यूबिक प्रत्येक दिन, 300 दिन के लिए। आप निकाल पायेंगे? टू प्रपोज्ड 80 टयूबवैल्स यानी पहले 15 थे, फिर 20 हुए और फिर 80 हो गये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह मिनिस्ट्री आफ वाटर रिसोर्सेज के नीचे सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर आथोरिटी है। इस आथोरिटी के बिना एक भी क्यूबिक मीटर ब्राइन निकाला नहीं जा सकता। आपके वन एवं पर्यावरण सचिव को क्या अधिकार था कि सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर आथोरिटी के 19 तक वैलिड आर्डर के बावजूद भी उन्होंने उनके विधिक कनेक्शंस अपने 09-10 के आदेश के द्वारा काटने का आदेश दिया।

माननीय मंत्री महोदय, मुझे पीड़ा इस बात की है कि यह तो भारत सरकार के उपक्रम के साथ हो रहा है। साधारण जनता के साथ तो क्या-क्या हो सकता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये 16

(श्री मानिक चन्द सुराना)

फोटोग्राफ्स आपकी अनुमति से हाउस की टेबल पर या माननीय मंत्रीजी को इसलिए दे देता हूं कि आज भी कितने-कितने लम्बे केबल्स डालकर बोरवैल्स के द्वारा पाइप लाइन्स लगाकर सांभर साल्ट के तीन हजार अनाधिकृत कनेक्शंस तो चल रहे हैं और अस्सी बोरवैल जो सेन्ट्रल वाटर आथोरिटी से परमिटेड हैं, वह बन्द कर दिये गये।

मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप पर्यावरण मंत्री, सम्भव हो तो विद्युत मंत्री, आप तो पधारें ही पधारें, क्योंकि उद्योग आपका विभाग है, पब्लिक अण्डरटेकिंग्स की रक्षा करना आपका दायित्व है, इसलिए आप जाएं और देखें कि आज भी एनजीटी में इन्होंने 09 जनवरी को झूठ कहा कि हमने सब कनेक्शन काट दिये लेकिन आज भी तीन हजार इल्लीगल कनेक्शन चालू हैं। आप अपनी आंखों से देखें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से माननीय मंत्रीजी को....

श्री उपाध्यक्ष: आप टेबल करवा दें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं टेबल कर दूंगा अभी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वयं जाकर देखें और सम्भव हो तो पर्यावरण मंत्रीजी को ले जाएं। एसीएस अधिकारियों और नौकरशाही को असीमित अधिकार न दें और सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर आथोरिटी के आदेशों की अवहेलना राजस्थान में न हो और दूध का दूध हो और पानी का पानी हो। सांभर साल्ट की रक्षा करिये। सांभर साल्ट की लूट हो रही है। उसकी रक्षा करना आपका दायित्व है। मैं माननीय उपाध्यक्षजी की अनुमति से आपके ध्यान में ला रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने भाषण में इस सम्बन्ध में कोई ठोस बात कहने की कृपा करेंगे। इस सांभर साल्ट की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करके अन्त में मैं मेरे वक्तव्य को समाप्त करता हूं। आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 42 और 43 खनिज एवं उद्योग, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है जो प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग और खनिज के माध्यम से प्रदेश का विकास होगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश आगे बढ़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, उद्योग में यहां रिसर्जेन्ट

(श्री मेवाराम जैन)

राजस्थान के नाम पर आयोजन हुआ और बाहर से मारवाड़ियों/उद्योगपतियों को विदेशों से बुलाया गया 2015 में। कुल तीन हजार करोड़ के 470 एमओयू हुए। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में उद्योग लगे, निवेश यहां आये, परन्तु इन 470 एमओयू में सिर्फ 62 निवेश का क्रियान्वयन हुआ। वह भी यहां पहले लगाना चाह रहे थे, उनका ही हुआ और 119 उसमें प्रस्तावित हैं। 470 में से 119 के अलावा का अता-पता भी नहीं है, उसके बारे में अभी तक कुछ बात नहीं है। 4567 को रोजगार मिला। इस प्रकार अगर हम उद्योग लगाने की बात करें, करोड़ों रुपया लगाकर यहां आयोजन हुआ और कितने उद्योग स्थापित हुए, उपाध्यक्ष महोदय, यह आपके सामने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यहां खनिज और क्रूड आयल, इन मदों से राजस्थान को बहुत बड़ी रेवेन्यू मिली और मिलती आ रही है। आज खनिज के बारे में ...(व्यवधान) वह भी बताऊंगा। सारे मैं ही बताऊंगा तो फिर आप क्या करोगे? आपकी सारी यह टीम बैठी है, कुछ तो यह भी बतायेगी आपको। तो मैं कहना चाहूंगा, बात कर रहे थे मिनरल्स की, आज हालत क्या है, आपने शुरुआत में जो खानें आवंटित कीं, आपको निरस्त करनी पड़ीं। कैसे निवेश आये, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जैसलमेर में सीमेंट प्लांट लगाने के लिए आपने प्रयास किया लेकिन वह भी आज तक आप लगा नहीं पाये।

रिफाइनरी के बारे में तो आप बार-बार जोरदार चर्चा कर रहे हो कि हमने यह किया, यह किया, हमारे ऊपर जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रिफाइनरी प्रदेश का बहुत ही बड़ा विकल्प था जिसमें लाखों लोगों को राजस्थान में रोजगार मिलता। बहुत बड़ी उससे आय होती, अगर वह समय पर लगती। चार साल तक उसको हम एमओयू में समय लगाते गये। हमारे ऊपर आरोप पर आरोप लगते गये कि आपने यह किया, यह किया। इतने पैसे ज्यादा लगा दिये। सिर्फ आंकड़े बताने से तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर चार साल पहले यह शुरु हो जाती तो आज यह स्थिति होती कि रिफाइनरी पूरी हो जाती और उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलता और राज्य सरकार को कितनी बड़ी रायल्टी मिलती। उससे हम वंचित रहे। आप कह रहे थे कि पानी हमारा, बिजली हमारी, जमीन हमारी तो 26 परसेंट से ज्यादा आपने हिस्सेदारी तो नहीं ली। वही 26 परसेंट जो हमसे एग्रीमेंट हुआ था, वह की वह रहा। सैकिण्ड बात, कि हमने चालीस हजार

(श्री मेवाराम जैन)

करोड़ की सेविंग कर ली, हमने कम पैसों से ली है। उपाध्यक्ष महोदय, जो चर्चा हम पैसों की कर रहे हैं, यह जो रिफाइनरी का एमओयू हुआ, राजस्थान सरकार और केन्द्र सरकार के बीच हुआ, तीसरा कोई ठेकेदार तो था नहीं, जो बीच में कोई पैसे खा रहा था या उसको ये पैसे मिल रहे थे। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का मामला था। दोनों आपकी ही सरकार हैं। इसमें यह भी नहीं कि कोई तीसरी हो तो उसमें वह अनुचित लाभ ले जाये। सिर्फ चार साल देरी करने से राजस्थान की जनता को इससे नुकसान हुआ और फिर वही आप पहले कहते आये कि वाइबल नहीं, क्रूड आयल कम है, दुनियाभर की बातें हुईं। आपने चार साल बाद में किया। फिर भी मैं धन्यवाद ही देना चाहूंगा कि अब भी यह काम आगे बढ़े और इसका काम हो परन्तु मुझे नहीं लग रहा है कि आगे यह काम होगा। हालात यह हैं कि रिफाइनरी पर काम शुरु हो गया लेकिन मैं अभी पता कर रहा था कि चारदीवारी का काम होना है, बजरी तो है ही नहीं, चारदीवारी बनेगी कहां से? अन्दर कोई मिट्टी का रोड का काम शुरु किया है, एक बाथरूम था, वह तो उठाकर ले गये, पता ही नहीं।

और वहां धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। यह आप स्वयं वहां पता कर लें। इसको करने में समय लगेगा और जिस तरह से अब चल रहा है, मेरे ख्याल से यह बहुत ही डिले होगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रिफाइनरी समय पर लगती, उसके साथ में उसको प्रोडेक्ट्स, कैमिकल्स, पैट्रोकैमिकल्स हब्स हैं, उसकी पैट्रोकैमिकल यूनिवर्सिटी है, यह सारे लगते तो इसमें आज कितने लोगों को रोजगार मिलता। अब कब जाकर यह रिफाइनरी तैयार होगी और अन्य प्रोडेक्ट्स, जो पैट्रो कैमिकल हब्स और काम्प्लैक्स लगना है तो इसमें कितनी देरी होगी और कितना नुकसान होगा?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो रिफाइनरी का तेल है, बाड़मेर में जो क्रूड आयल है, बाड़मेर तहसील में करीबन-करीबन इसका 80 परसेंट है और कुल मिलाकर जितना क्रूड आयल है यह बाड़मेर में हैं, रिफाइनरी पचपदरा में खुल रही है। अच्छी बात है, हम भी कह रहे हैं कि वहां हो और जल्दी शुरु हो पर यह पैट्रोकैमिकल काम्प्लैक्स है या यूनिवर्सिटी है ये बाड़मेर में खुलें क्योंकि यह तेल तो टोटल बाड़मेर तहसील का है और बाड़मेर विधान सभा क्षेत्र में निकल रहा है और वहां के लोग भी यह चाहेंगे कि

(श्री मेवाराम जैन)

हमारे यहां भी कुछ विकास के कार्य हों और हमें भी यहां रोजगार मिले। कम्पनियां बाहर से आ रही हैं, बड़ी-बड़ी कम्पनियां बाहर से काम कर रही हैं, वहां के लोगों को इसमें कोई रोजगार अभी भी नहीं मिल रहा है। वहां जो भी इन्वेस्ट हो रहा है बाहर की कम्पनियों का हो रहा है। जिस तरह से अपन युवाओं के लिए रोजगार की बात कर रहे थे, केयर्न एनर्जी से लाखों रुपये सी.एस.आर. फंड के भी आ रहे हैं, उनको कोई चैक करने वाला नहीं, कहां लग रहे हैं। वास्तव में सही जगह लगे, चिकित्सा में लगे, शिक्षा में लगे, रोजगार में लगे, उसका कोई पता नहीं। कमेटी बनी है, उसमें कौन मैम्बर हैं, इसका पता नहीं।

जिस तरह से अभी अखबारों में और पहले आपने सुना होगा तेल चोरी का बड़ा खेल हुआ, करोड़ों रुपये का क्रूड आयल चोरी हुआ, एफ.आई.आर. दर्ज हुई। उससे पहले 2014-15 में भी चार एफ.आई.आर. हुई, उसमें अगर ठोस कदम उठाया होता तो दोबारा जो हजारों करोड़ का नुकसान हुआ यह नहीं होता। अभी जो केस दर्ज हुए और एस.ओ.जी. इसकी जांच भी कर रही है तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत कहना चाहूंगा कि यह जांच भी आगे नहीं बढ़ी है जिस तरह से बढ़नी चाहिए सिर्फ ट्रकों के ड्राइवर हैं उनको ही इसमें मुलजिम बनाया है। बड़े-बड़े जितने भी हैं, कैयर्न एनर्जी के अन्दर इनके कार्यालय में कहीं भी है उनके जहां भी तेल के कुएं खुदे हुए हैं, कहीं भी चले जाओ, एक आदमी भी बगैर पूछे अन्दर कहीं फटक सकता है, अन्दर आ सकता है तो आप कहेंगे कि यह उनकी मिलीभगत के बगैर चोरी हुआ है। सारा खेल जो हुआ है बड़े अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है और इसमें एक भी अधिकारी को इन्वाल्व नहीं किया है। पता नहीं किस तरह से, कहां, कैसा कोई प्रभाव है, किस प्रकार का कोई दबाव है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ियों में भी मालिक कौन है, सिर्फ ड्राइवरों को किया जा रहा है, तो इसकी निष्पक्ष जांच हो। और, उपाध्यक्ष महोदय, जो गृह मंत्रीजी ने यहां आश्वासन दिया था बिलकुल ही सही जांच होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरती जायेगी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको भी देखा जाए, राज्य हित में है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लघु उद्योग कैसे बढ़े। आपने देखा होगा कि जी.एस.टी. में जिस तरह से छोटे उद्योग हो,

(श्री मेवाराम जैन)

कपड़ा उद्योग हो, चाहे अन्य उद्योग हो, जी.एस.टी. और नोटबंदी की वजह से जितने उद्योग बंद हुए हैं, जितने उद्योगों का नुकसान हुआ है, जितने मजदूर बेरोजगार हुए हैं, हम एक तरफ कह रह हैं कि उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, यहां उद्योग लगें, नये आयें, नये की जगह पुराने तो बंद हो रहे हैं तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस पर भी विचार करना होगा कि ये उद्योग कैसे पनपें, इसको अपन कैसे बढ़ावा दें, इसके बारे में अपने को सोचना होगा।

हमारे उधर बार्डर एरिये में लघु उद्योग में लूम है, छोटे-छोटे कशीदाकारी का है जिसमें हजारों महिलाएं और गरीब तबके के लोग हैं, इसमें उनको रोजगार मिलता था और बाहर फोरेन में भी जाता है, अपन निर्यात करते हैं। तो उनको हम सब्सिडी दें, उसको हम आगे बढ़ाएं तो उनको भी रोजगार मिलेगा। नये रोजगार, बढ़िया रोजगार तो यहां कोई आयेंगे नहीं और हालात ऐसे हैं, आपने देखा ही है कि कोई उद्योग लगाना भी चाहेगा तो आपके यहां कोई लगायेगा नहीं, आपके अधिकारियों के पास फाइल वहीं अटकी रहेगी, एक से पचास कमियां आयेंगी, वो बारह महीने रोता रहेगा और आखिर में कहेगा कि, भई, हमें नहीं लगाना है। तो यह हालात हैं। बड़े उद्योग आयेंगे नहीं, छोटे वाले उद्योगों को अपन नहीं संभालेंगे और उसको प्रमोट नहीं करेंगे, उनकी मदद नहीं करेंगे तो यह बेरोजगार और बढ़ते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी है, रीको एरिया है, चाहे अन्य है, उनके अन्दर भी बुरे हाल हैं। वहां सड़कें टूटी हुई पड़ी हैं, रोड़ लाइटों के बुरे हाल हैं। मैं बाड़मेर की ही बात कर रहा हूं वहां जब इतना तेल, खनिज, लिग्नाइट पदार्थ है वहां भी एक रीको एरिया, एक चौथा फेज जो वहां पहले प्रस्तावित था कुर्जा रोड़ पर तो वहां वो घोषित हो और वहां उद्योग लगे, इंडस्ट्रीज लगें तो बाड़मेर की जनता को भी इसमें फायदा हो।

हमारे गैस भी खूब हो रही है। गैस बाड़मेर में निकल रही है फायदा दूसरे जिलों को होगा, बाड़मेर में लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे को कुछ न कुछ इसमें फायदा मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर में हमारे कवास के पास में जिप्सम के छोटे-छोटे क्लस्टर हैं, उसके अन्दर भी पहले

(श्री मेवाराम जैन)

सरकार ने घोषणा भी की कि हम लाइसेंस देने जा रहे हैं, आवेदन भी ले लिये, सब-कुछ प्रक्रिया भी पूरी की परन्तु अभी तक उनको लाइसेंस नहीं मिले जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है।

हमारे यहां नमक उद्योग की भी बात करें, अभी मेरे से पूर्व भी बात की कि नमक उद्योग किस तरह से पनपे हमारे पचपदरा में और रेडाणा में, वहां भूमि चयनित है, उद्योग लग सकता है, अगर वहां उद्योग लगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां के एरिये का विकास भी होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां लिग्नाइट के अथाह भण्डार हैं, वहां हजारों बीघा भूमि अवाप्त हुई। शिवकर-कुड़ला प्रोजेक्ट, जालीपा प्रोजेक्ट, कपूरड़ी यह बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं। एशिया में सबसे ज्यादा भूमि अवाप्ति बाड़मेर तहसील में हमारे यहां हुई। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह शिवकर-कुड़ला लिग्नाइट अवाप्ति की जमीन आज से तीन-चार साल पहले अवाप्ति हो गयी, अवार्ड भी जारी हो गया, अवार्ड जारी होने के बाद बेचारे किसान कह रहे हैं कि हमें पैसे दो अब सरकार कह रही है न तो हमारे पास पैसे, तो उन बेचारों ने क्या बिगाड़ा है? वो कह रहे हैं या तो हमें जमीन वापस दे दो या हमारे को पैसे दे दो। अब यह सरकार पता नहीं उसको क्यों ले बैठी है, तीन-तीन साल से न तो पैसे दे रही है न जमीन दे रही है। वो न बेच सकते, न अन्दर कोई कमरा बना सकते, न कोई सुविधा मिल सकती। तो इस तरह से ये क्यों ले बैठे? मुझे तो यह बात भी समझ में नहीं आ रही है। इस पर कोई न कोई निर्णय लें, उन बेचारे किसानों ने क्या बिगाड़ा। लें, तैयार हैं, नहीं लें तो छोड़ दें, एक निर्णय करें। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी इसमें थोड़ा मंत्री महोदय से कहें कि इसमें सहयोग करें।

लिग्नाइट के लिए जो इतनी भूमि अवाप्त हुई, उसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें कोई एक-दो ऐसे गांव हैं, स्कूलें हैं जो बिलकुल छोर में है। अब लाखेटाली गांव है जो जालीपा-कपूरड़ी लिग्नाइट में आबादी के बिलकुल कोर्नर में है, अब इसमें हमने कहा कि उसको मुक्त करो, नहीं कर सकते हो तो आप इनको उसके पास में बसाओ। कम से कम 250-300 मकान बने हुए हैं, उसमें रह रहे हैं, उनको न किसी तरह की सुविधा मिल रही है। या तो उसको शिफ्ट करें या फिर उनको वहीं छोड़ दें।

(श्री मेवाराम जैन)

वहां स्कूलें हैं, उनको अवाप्त कर लीं तो स्कूल के लिए जिन दानदाताओं ने जमीन दी है जिन्होंने स्कूल बनाई है, वहां के बच्चे कहां जाएंगे? इसके लिए वहां एक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुम्हारों की बस्ती, चक धौळका है, उसको मर्ज नहीं करके उसके पास में जमीन किसान देने को तैयार है, वहां शिफ्ट की जाए ताकि उनको तकलीफ न हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज बजरी के हालात क्या हैं? किस तरह से बजरी में खेल चल रहा है, आप कहेंगे कि हमारी सरकार के बारे में यही बात करेंगे, चार साल में चाहे सर्वोच्च न्यायालय में हो, कहीं भी हो, अच्छी तरह से पैरवी करते तो आज ये हालात नहीं होते। बीस रुपए किलो बजरी, इतने भाव में कौनसा काम होगा पंचायत में, सारे काम बंद, सरकारी काम बंद, प्राइवेट कोई मकान बनाना चाहता है तो वह काम बंद। हालात ये हैं कि भूमाफिया, बजरी माफिया इसके साथ में पुलिस और माइनिंग, तीनों ही मिलकर, अब आप दिन में फोन करो, रात को आपके ट्रक आ जाएगा और उसके पैसे कितने लेंगे वह पता है कि बीस रुपए किलो बजरी पड़ती है। बाकी जो बजरी के अन्दर जो खेल खेला जा रहा है अब वह कह रहे हैं कि मैं सुरक्षा दूंगा, सुरक्षा देने के लिए तैयार नहीं, उप चुनावों के बीच में खनन उद्यमियों को राहत का एलान, करोड़ों के बकाया पर छूट दे दी। अभी पता नहीं क्यों किया? रिजल्ट रहा वह आपके सामने है। पाबंदी के बाद पचास खानों का कर दिया आबंटन। ट्रांसफर और समायोजन, अब पता नहीं इसके पीछे इनकी क्या मंशा थी? खान क्षेत्रों में दो साल से 11 सौ करोड़ रुपए जमा और खर्च हुए 96 लाख, ...(व्यवधान) 11 सौ करोड़ रुपए जमा हुए इसमें और खर्च हुए इसमें 96 लाख। अब बताओ इसमें क्या है, समझ में हमें नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से चाहे उद्योग हो चाहे माइनिंग की बात करें चाहे मिनरल्स की बात करें, इसमें जिस तरह से काम हो रहा है राजस्थान का विकास ठप है, न तो कहीं उद्योग लग रहे हैं न कहीं निवेश आ रहा है, आवश्यकता है इस पर सरकार को गम्भीरता से सोचने की। बजरी के लिए आप नहीं करेंगे तो, बजरी का तो इसलिए नहीं होगा कि सबको मिल रहा है अपने आप, गरीब जनता पिस रही है। जनता को कोई राहत पहुंचाने वाला नहीं है, कोई गरीब अपनी कुटिया बनाएगा, कोई कुटिया बनाएगा, प्रधान मंत्री आवास की बात आप करते हैं तो

(श्री मेवाराम जैन)

वह किस तरह से बनाएगा? आप रिफाइनरी की बात करते हैं कि काम करेंगे, काम करोगे किस तरह? यह बता रहे हैं कि फुल स्पीड से काम चल रहा है, चलेगा किसमें? बजरी है नहीं आपके पास, आप ला नहीं सकते, एक गाड़ी लाओ, एक ट्रैक्टर कोई गरीब अपना मकान के लिए ले भी आता है तो उसको पकड़कर एक लाख रुपए की पैनल्टी एक ट्रैक्टर की। (व्यवधान) अब हालात क्या हैं कि एक-एक लाख रुपए हैं, अब बताओ गरीब क्या करेगा? मजबूरी में वह नहीं लाएगा तो क्या करेगा, लाएगा तो या तो उनको पैसे दो, नहीं पैसे दो तो जूत उनके एक लाख का और अन्दर और डालेंगे। तीस दिन का खेल खेला जा रहा है, इसमें एक दिन एकाध ट्रक पकड़वा देते हैं और उनतीस दिन आप ट्रक फ्री चलाओ। तो यह खेल पता नहीं कितने दिन खेला जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे, किसी तरह से इसकी व्यवस्था करे ताकि जनता में असंतोष नहीं फैले और विकास के जो काम हैं वह रुके नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कहूंगा कि इनके पास समय कम बचा है, अगर सोच लें, अब भी जनता के हित में, चाहे रिफाइनरी का मुद्दा हो, चाहे कैमिकल उद्योग की बात करें, जितने भी प्रदेश में इनको अगर समय रहते हुए ध्यान देंगे तो ठीक है वरना तो हालात क्या होंगे इसका आपने रिजल्ट थोड़े दिन पहले देखा ही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोपाल कृष्ण।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका आभार और धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

बजट 2018-19 की मांग संख्या 42 और 43, उद्योग और खनिज के सम्बन्ध में आज चर्चा हो रही है। उद्योग के बारे में मैं पहले बात करता हूं। वैसे तो उद्योग अगर राजस्थान भर के बारे में बात करें तब तो बहुत समय लगता है और बहुत बातें कहनी पड़ती है इसलिए मैं अपना बीकानेर तक ही सीमित रखूंगा। बीकानेर के अन्दर वैसे तो हम चाहें कितना ही बोलें, हमारे मंत्रीजी ऐसे हैं राजपाल सिंहजी, इसका जवाब थोड़े से में देकर निपटा देंगे और कभी चाहे तो ज्यादा भी लम्बा कर सकते हैं लेकिन मेरे से पहले, मैं माननीय

(श्री गोपाल कृष्ण)

सुरानाजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बीकानेर के बारे में मेगा फूड पार्क के बारे में, भुजिया वगैरह के बारे में आपको बहुत कुछ कहा और मोहनलालजी गुप्ता, माननीय सदस्य ने भी इस तरह की बात की। मैं नहीं समझता कि जयपुर में बैठे हुए बीकानेर की बात भी कहेंगे लेकिन उनका भी धन्यवाद मैं करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका उद्देश्य और माध्यम रीको है। खास तौर से उद्योगों को जमीन देने का रीको एक catalytic की तरह काम करता है ऐसा आप कहते हैं, अब नहीं करता। (व्यवधान) करता है catalytic, करता है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): catalytic दो तरह के होते हैं।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): catalytic, केवल प्रजेंस जरूरी होती है। (व्यवधान) हां वह कुछ भी नहीं करता तो इसलिए वह कुछ भी नहीं करता, रीको कुछ भी करता है, नहीं करता है, मैं यह कहता हूं कि जहां रीको का आप इंडस्ट्रियल एरिया बनाए हुए हैं उसकी दशा को सुधारें थोड़ा, दशा जरा ठीक नहीं है। सड़कों के हिसाब से भी, साफ-सफाई के हिसाब से भी, गंदे पानी की निकासी के हिसाब से भी। मैंने अभी एक 295 के प्रस्ताव में भी यह कहा था कि गंदा पानी निकलता है और एक जगह इकट्ठा हो जाता है, बीमारियों की जड़ हो जाती है वहां पर। इस तरह का अगर साफ-सफाई और ठीक ढंग से आपके रीको के प्लांट ढंग से नहीं होंगे तो वहां के रहने वाले और आपके जितने भी उद्योग धंधे लगे हुए हैं उन पर बुरा असर पड़ेगा। खैर, मैं इस बात को देखता हूं कि बीकानेर शहर यह जाना जाता है, भुजिया के लिए, पापड़ के लिए और रसगुल्लों के लिए भी। (व्यवधान) जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि बहुत से लोग भुजिया पापड़ की बात करते हैं लेकिन रसगुल्ले वहां इतने बनते हैं कि अगर बंगाल की पापूलेशन और बीकानेर शहर की पापूलेशन को कम्पेयर करें तो उस Comparison में जितना कोलकाता के अन्दर, बंगाल के अन्दर रसगुल्ला बनता है उसके Comparatively छोटी जगह पर, थोड़ी पापूलेशन की जगह पर बहुत ज्यादा बनता है और रोज करोड़ों रुपए के रसगुल्ले यहां से बाहर जाते हैं। इसकी automatic machines भी लगी हुई हैं। मशीनें लगी हुई हैं जिसके कारण से भी भुजिया की भी automatic machines लगी हुई हैं। भुजिया भी आपके बड़ी तादाद में करोड़ों की बिक्री यहां रोज की जाती है। तो यह एक ऐसा उद्योग है जिसको आपका कम से कम सहयोग और रियायतें देने की

(श्री गोपाल कृष्ण)

आवश्यकता है। आप इसमें क्या रियायतें दे सकते हैं, यह मैं आपको नहीं कह सकता क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है कि क्या कह दें, क्या नहीं कह दें आप। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि हमारे छोटे से शहर में पहले तो मैंने ऐसा देखा है पचास-साठ साल पहले, हर गली के घुबारिये के अन्दर एक भुजिया वाला बैठा रहता था और उस चौक के अन्दर जितने भी लोग होते थे, रात को बारह-एक-डेढ़ बजे तक गपशप लगाते थे और एक-एक आने के, दो-दो आने के भुजिये लेकर के अपना चबाना भी करते रहते थे और गपशप भी मारते रहते थे, इस ढंग का माहौल था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भुजिया हम बीकानेरवासियों के रग-रग में घुसा हुआ है। रसगुल्ला, बीकानेर के रग-रग में घुसा हुआ है। यह बीकानेर में रसगुल्ला क्यों बना, इसका एक कारण है कि बीकानेर में आज से साठ-सत्तर साल पहले, दो इंच बरसात से ज्यादा बरसात नहीं होती थी, वहां का अधिकतर लोगों की जो आमदनी थी वह animal husbandry के कारण थी, इसलिए milk cattle रखते थे साथ में। बरसात नहीं होती थी लेकिन जो थोड़ा बहुत घास उग जाता था उससे गायें चर लेती थीं और उसको वह दुह लेते थे इसमें उनका कोई खर्चा-वर्चा नहीं लगता था। तो मिल्क का प्रोडक्शन वहां पर इतना ज्यादा होने लगा कि धीरे-धीरे जब यहां डेयरी बनी तो एक लाख लीटर मिल्क रोज बीकानेर से बाहर जाता था।

(16.00 बजे)

उसकी जगह पर यह देख लीजिए, तभी लोगों ने जब सरप्लस मिल्क पहले से मिल रहा था तो रसगुल्ले भी वहां पर ज्यादा मिलने लगे और सस्ते भी मिलने लगे। सस्ते होने के कारण और दूध की अधिकता होने के कारण वहां ज्यादा रसगुल्ले, भुजिया और यह सब कुछ बनने लगा। लेकिन जैसा सुराना जी ने भी अभी आपसे अपने वक्तव्य में कहा कि बीकानेर में मैगा फूड पार्क लगाना ज्यादा उचित रहेगा। वहां पर यदि मैगा फूड पार्क लगाएं और फूड टैस्टिंग लैबोरेटरी जब तक नहीं लगाएंगे तब तक कोई चीज स्टैंडर्डाइज्ड नहीं मिल सकती। स्टैंडर्डाइज्ड तभी हो सकती है, जब आपकी एक सुव्यवस्थित और अच्छी प्रकार की मशीनरी के साथ टैस्टिंग लैबोरेटरी वहां पर लग जाए और लोगों को यह सुविधा मिल जाए कि यह दूध अच्छा है, यह चीज जो बनी है, वह अच्छी है। लेकिन जैसा कि सुराना जी ने आपको यह भी बात बताई

(श्री गोपाल कृष्ण)

कि कानासर और खारा के बीच में जो जगह है, वह अगर आप मैगा फूड पार्क के लिए सुरक्षित करें और वहां पर यह बना दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जैसे उल्टे बांस बरेली को। उल्टे बांस बरेली का मतलब यह है कि बीकानेर में रसगुल्ला बनता है, रसगुल्ले का जनक बंगाल है, लेकिन बंगाल के अन्दर बीकानेर से बना हुआ रसगुल्ला रोजाना करोड़ों रुपए का जाता है। तो उल्टे बांस बरेली का हुआ न। यह देखिए आप। बंगाल में ही नहीं, असम में, त्रिपुरा और सेवन सिस्टर्स, सभी में जाता है और भुजिया पापड़ भी उसी ढंग से मशहूर हैं। जहां बीकानेरी भुजिया लिख दिया, समझ लीजिए, तो वहां पर लोगों की चाहत बढ़ गई और शुद्धता व स्वाद का प्रतीक बन गया, अगर उसके ऊपर बीकानेरी भुजिया लिख दिया तो। इसलिए, टैस्टिंग लैबोरेटरी बहुत जरूरी है, लेटेस्ट टैक्नोलोजी से सुसज्जित। इस तरह से लोगों को स्टैंडर्डाइज्ड खाने की वस्तुएं उपलब्ध हो सकें, ऐसा यदि आप करवा दें तो बहुत मेहरबानी होगी।

उसके बाद में, एक बात जो पहले भी अपने बजट में शायद निकाला हुआ है कि बीकानेर में ड्राई पोर्ट खोला जाएगा, ड्राई पोर्ट स्थापित किया जाएगा, लेकिन आज तक ड्राई पोर्ट नहीं खोला गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि ड्राई पोर्ट की जो बात कही गई है, बजट के अन्दर भी कही गई है, उसको कब तक पूरा कर देंगे, इसकी भी बात कहिएगा, अगर कह सकें तो और अगर इसको स्थापित कर सके तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यह सूखी जगह है, जहां पर रेल और दूसरे वाहन वगैरह की उपलब्धता कम है और पास में कोई नदी, समुद्र कुछ भी नहीं है, इसलिए अगर ड्राई पोर्ट मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ड्राई पोर्ट की आवश्यकता भी है और यह जरूरी है। ड्राई पोर्ट के लिए हम सभी लोगों ने बार-बार आपसे निवेदन किया है। बीकानेर में ऊन उद्योग भी बहुत पनपने वाला उद्योग है। एक समय था, जब एशिया में बीकानेर ऊन की सबसे बड़ी मण्डी थी। एशिया में उससे बड़ी कोई मण्डी नहीं थी। धीरे-धीरे यह कम होती गई है, क्योंकि यहां सिर्फ ऊन के धागे बनते हैं और बदोई और दूसरी जगह जैसे पानीपत जैसे शहरों में कालीन बनने के लिए भेज दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें विकसित करने के लिए, इनके आय स्रोत बढ़ाने के लिए यदि कालीन बनाने का काम यहां पर शुरु कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा।

एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराजा गंगा सिंह जी के

(श्री गोपाल कृष्ण)

समय में जेल के अन्दर जो कालीन बनते थे, वे इतने गुणवत्तापूर्ण बनते थे कि एक दफा गंगा सिंह जी खुद विदेशों से कालीन लेकर आए और यहां के लोगों को दिखाया कि वहां कितने अच्छे कालीन बनाते हैं। तुम यहां नहीं बना सकते? जब यहां के लोगों ने उन्हें बताया कि महाराजा साहब, जरा इनको पलट कर देखिए, ये कहां के बने हुए हैं। जब उन्होंने देखा तो वे कालीन बीकानेर के बने हुए थे तो उन्होंने कहा, तुम इतना अच्छा बनाते हो। कालीन बहुत बरसों से गंगा सिंह जी के जमाने से बहुत अच्छा यहां पर बनता था। यह उद्योग वास्तव में बड़ा विस्तारित था, इसलिए कालीन के लिए आपको भी थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करनी चाहिए और कालीन बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। व्यापार वैलफेयर बोर्ड भी अगर आप बनाएं तो लोगों को सलाह देने के लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस बात के लिए हम धन्यवाद देंगे आपको कि लोगों को वोकेशनल गाइडेंस मिलता रहेगा। अगर वोकेशनल गाइडेंस लोगों को मिलता रहे तो बीकानेर, जिसे पिछड़ा हुआ मानते हैं, जब कोई बीकानेर जाता है नौकरी के लिए तो वह देखता है कि वहां न जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन वहां जाने के बाद में सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और इसलिए वैलफेयर बोर्ड की स्थापना जल्दी से जल्दी हो सके तो वह आप कर दें।

बीकानेर सौर ऊर्जा के लिए भी बड़ा उपयोगी है, क्योंकि बीकानेर राजस्थान के पश्चिमी भाग में ऐसी जगह है, जहां 365 दिनों 95 परसेंट से ज्यादा हमेशा सूरज उगता रहता है। सूरज की वहां पर कोई कमी नहीं है, इसलिए सौर ऊर्जा का वहां सफलतम उपयोग हो सकता है। कुछ तो लगे हैं, लेकिन सरकार यदि उसमें सहयोग दे तो निश्चित रूप से और अच्छा रहेगा। उसके साथ ही पवन ऊर्जा भी, क्योंकि बीकानेर में बड़ी आंधियां चलती हैं। बड़े तेज प्रवाह से वायु चलती है तो पवन ऊर्जा भी वहां पर बन सकती है और वहां पर उद्योग के लिए यह बड़ा जरूरी है कि ऊर्जा की आवश्यकता है। आपको सौर ऊर्जा भी मिल सकती है, पवन ऊर्जा भी मिल सकती है। सरकार अपना आशीर्वाद इस पर बनाए रखे तो उद्योग हर तरह का सुलभ तरीके से पनप सकता है। उम्मीद है कि कुछ रियायतें खाद्य पदार्थों, जिसके लिए बीकानेर विख्यात है, के लिए देंगे और इसके लिए भी देंगे।

अब मैं थोड़ा-सा खनिज उद्योग के बारे में भी कहना चाहूंगा। बीकानेर खनिज सम्पदा से भरा पड़ा है। यहां चाइना क्ले, फुलर्स अर्थ व अन्य खनिज,

(श्री गोपाल कृष्ण)

जैसे लिग्नाइट के असीम भण्डार हैं। जिस समय लिग्नाइट का एक्सप्लोरेशन हो रहा था और उस समय पूछा गया तो उन्होंने कहा, एक-एक लिग्नाइट की सीमा 90 मीटर तक की मिलती है और यहां लिग्नाइट का असीम भण्डार है। आपके पलाना में लिग्नाइट थर्मल बेस में बिजली भी बनने की बात हो रही और वहां बनती भी है। उसके अलावा यह फुलर्स अर्थ, जो है, ये मेट आपके फेस लोशन के लिए काम आता है। फुलर्स अर्थ, पीली मिट्टी, मेट जिसको बोलते हैं। यह फेस को लिफ्ट करने के लिए काम आता है। इसीलिए, खनिज सम्पदा से भरपूर है बीकानेर। इसको काम में लेना चाहिए और इसके लिए भी सिरेमिक्स टैस्टिंग लैब लेटेस्ट उपकरणों से सुसज्जित स्थापित करें तो निश्चित रूप से जैसा कि सुराना जी ने कहा, यहां सिरेमिक्स का उद्योग 10 गुना बढ़ सकता है। सिरेमिक्स का हब बनना चाहिए यहां पर और जहां तक हो सके, हमारे खनिज मंत्रीजी ने भी एक अच्छा काम यह किया है कि अब सभी लाइसेंस आन लाइन दिए जाएंगे। सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए और उसके साथ में इन सब चीजों का बीकानेर को भी लाभ मिलना चाहिए। एक बात जो सुराना जी ने कही, उस बात को मैं फिर रिपीट करूंगा कि गैस पाइप, जो रामगढ़ से, बाड़मेर, जैसलमेर से गैस पाइप के जरिए बीकानेर के उद्योगों को दी जाए। हरेक को पाइप के जरिए गैस दी जाए तो हमारे उद्योग और जल्दी पनपेंगे और पनपने के साथ बीकानेर का निश्चित रूप से इंडैक्स उद्योग के अन्दर आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री उपाध्यक्ष: श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 42, उद्योग और मांग संख्या 43 खनिज पर चर्चा हो रही है। उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। किसी भी प्रदेश में अगर उद्योग विकसित होता है और एक अच्छा वातावरण किसी प्रदेश में उद्योगों के लिए हो, उस प्रदेश की तरक्की, चाहे बेरोजगार युवकों के बारे में हो चाहे सरकार में मिलने वाला टैक्स हो, चाहे किराये के मकान का हो, चाहे दुकान हो, उद्योग लगने से हर तरह से वो प्रदेश तरक्की करता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में शाहजहांपुर, नीमराना, जापानी जोन, गिलोठ, बहुत लम्बा-चौड़ा इण्डस्ट्रियल एरिया है। इसके बाद में डीएमआईसी, दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर में 42 गांव रिजर्व किये थे और उनमें से 10 गांवों की

(श्री धर्मपाल चौधरी)

जमीन सन् 2012 में एक्वायर करने के लिए कार्यवाही चालू की। सन् 2015 में भूमि का अधिग्रहण हो गया। मार्च, 2012 से चालू होकर 2015, तीन साल जब पूरे हो रहे थे तो आनन-फानन में उस जमीन का अधिग्रहण किया और तीन साल अब 31 मार्च को पूरे होने जा रहे हैं पर आज तक उस भूमि का सरकार के द्वारा मुआवजा नहीं दिया गया। उस समय के माननीय उद्योग मंत्रीजी ने यहां विधान सभा में, इस पवित्र सदन में इस बात को कहा था कि दो महीने के अन्दर-अन्दर हम इस मुआवजे को बांट देंगे। आज तीन साल के बाद में 5 गांवों को इसमें से डी-एक्वायर कर दिया और 5 गांवों की जमीन लेने के लिए सरकार ने मुआवजा बांटने की बात कही। 5 गांव वो डी-एक्वायर किये जहां पर कीमत ज्यादा थी। उन गांवों को छोड़ दिया और उन गांवों की जमीन को लिया जहां पर डी.एल.सी. रेट कम थी और मुआवजा कम देना पड़ा। इसके बाद तीन साल निकलने के बाद भी उन गांवों के लोगों को, जिनकी जमीन एक्वायर कर रहे हैं, उस पर रीको महकमा ब्याज नहीं देना चाहता। रीको से अगर आपने कोई जगह खरीदी और उस पर यदि आपने समय पर कार्य चालू नहीं किया तो ये ब्याज सहित इतनी पैनल्टी लगाते हैं कि खुद लेने के बाट अलग हैं और देने के अलग। अब कहते हैं कि जमीन तो उस किसान के पास ही थी पर जिस समय जमीन एक्वायर की उस समय और आज के समय में 40 से 50 परसेंट जमीन में मंदी आ गई। वो किसान बेचारा उस समय बेच देता पर उसकी रजिस्ट्री बन्द कर दी। 400 करोड़ रुपये सरकार ने मुआवजे की राशि सुरक्षित की है पर मुआवजा इन 5 गांवों में भी लगभग 600 करोड़ रुपये बंटेगा और जब ये 1 अप्रैल से बांटेंगे तब भी वो राशि पूरी नहीं हो पायेगी। ऐसे में इस चुनाव में भी वहां के दो गांवों के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया और एक-एक वोट सरकारी कर्मचारियों का डला बाकी पूरे गांव के लोगों ने वहां बहिष्कार किया। मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि किसान का नुकसान करने से सरकार को कोई फायदा नहीं हो सकता। आज जिन 5 गांवों की जमीन इन्होंने नहीं ली वहां पर जमीन के भाव का मुआवजा लगभग 3 करोड़ रुपये था, कहीं 3 करोड़, कहीं डेढ़ करोड़ और आज वहां पर 50 लाख रुपये भी जमीन का भाव नहीं रहा। उनको तब जमीन बेचने नहीं दी, उनकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई इसलिए ऐसे में सरकार को उन लोगों को भी राहत प्रदान करनी चाहिए।

अब चूंकि वहां पर कुछ गांवों की जमीन एक्वायर हो गई, कुछ की

(श्री धर्मपाल चौधरी)

नहीं हो पाई इसलिए रिवाइज्ड जो मास्टर प्लान बने तो जिन किसानों की जमीन सरकार ने नहीं ली है उन गांवों की जमीन को सरकार आर. जोन में रखे। क्योंकि सरकार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए रिवाइज्ड प्लान में उनको आवासीय योजना, आर. जोन में डिक्लेयर करे और जिन 5 गांवों की जमीन ले रहे हैं उनको मय ब्याज पैसा सरकार दे।

यही नहीं, इसी तरह मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में दूसरा गांव कोलीला जोगा है जिसमें भी 2012 से जमीन एक्वायर करने की कार्यवाही चली और 2015 में जिन लोगों ने 25 परसेंट जमीन मांगी उनको आज तक वो स्थान नहीं बताया कि आपको तीन साल बाद जमीन कहां मिलेगी। यह रीको महकमा उन किसानों को भी ऐसी जगह जमीन देना चाहता है जहां आखिरी छोर पर उस किसान को जमीन का कुछ नहीं मिल सकता। किसान की जमीन जहां एक्वायर हुई है, किसान से जहां जमीन ली है उसके स्थान पर सही स्थान पर किसान को जमीन मिले तो किसान का हित हो सकता है। यह रीको ऐसा विभाग है जो विभाग बना तो इसलिए था कि अच्छा औद्योगिक वातावरण कर उद्योग विकसित हो और नो लोस नो प्रोफिट पर इस रीको विभाग को चलायें लेकिन आज यह संस्था पैसे कमाने की मशीन के रूप में काम करने लग गई। प्लाट बच जाते हैं तो नीलामी के माध्यम से देना और खुद के क्षेत्र में जहां भी रीको का एरिया है जैसे गिलोठ एरिया है जिसमें अभी तक शुरु नहीं हुआ पर दो बार तो उस एरिया में सड़कें बन चुकी हैं, ऐसा घटिया सड़कों का काम हुआ है। जो नीमराना औद्योगिक क्षेत्र है उसमें भी सड़कें दो साल में दो बार बना दी गई। जो गन्दे पानी की निकासी के लिए नाले का काम किया था वहां बार-बार कहने के बाद भी वह सड़क क्षतिग्रस्त है पर उस सड़क को बनाने का काम नहीं करते क्योंकि बहुत लम्बे समय से वहां अधिकारी जमे हुए हैं और एक भ्रष्टाचार का अड्डा वहां पर चल रहा है। उसके लिए भी माननीय मंत्रीजी को ध्यान देकर उसकी जांच करवानी चाहिए।

स्वच्छ भारत का सपना लेकर देश के प्रधान मंत्री चले हैं और आज नीमराना के अन्दर जिस तरह का पोल्यूशन है और वहां पार्को की पोजीशन यह है कि वहां पर बाहर यू.पी. और बिहार से लोग आकर काम करते हैं और इतनी गन्दगी उन पार्को में है कि वो लोग लेट्रिन भी उन पार्को में जाते हैं। बार-बार वहां कहने के बाद भी, मीटिंगों में जाने के बाद भी इस विभाग के कान पर जूं नहीं रेंगती। इसलिए हमारा कहना यह है कि अगर इनमें सही

(श्री धर्मपाल चौधरी)

मुआवजा और सही काम नहीं किया तो आने वाले समय में ये किसान आंदोलन करेंगे। हम बहुत बार विभाग को पत्र लिख चुके हैं और माननीय कलक्टर महोदय के माध्यम से भी बहुत बार पत्र भेज चुके हैं कि आपने अगर समय रहते काम को ठीक नहीं किया, किसानों के हित की बात नहीं की और इनको सही समय पर मुआवजा और मुआवजे पर ब्याज नहीं दिया तो आने वाले समय में जो किसानों का आंदोलन होगा, वह सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए सरकार को पहले ही इन बातों पर ध्यान देना चाहिए।

मांग संख्या-43 खनिज विभाग के बारे में बात करना चाहूंगा। खनिज विभाग में अवैध खनन का डिस्ट्रिक्ट अलवर में सबसे ज्यादा काम होता है क्योंकि हरियाणा के अन्दर जिस तरह से पत्थर जाता है और जिस ढंग से चल रहे हैं, उनकी जांच करके, कि कहां-कहां अवैध क्रेशर हैं, माननीय मंत्रीजी, क्या उन पर कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं और ऐसे कितने अवैध क्रेशर हैं, जिन पर अभी तक कार्यवाही की और कितनी ऐसी अवैध खानें हैं जिनके ऊपर आपने कार्यवाही की?

आज वहां पर छोटा किसान है, ऊंटगाड़ी से या ट्रैक्टर से अगर घर में मिट्टी डालने के लिए भी ले जाता है तो उनको पुलिस पकड़ने के लिए तैयार रहती है, विभाग भी पकड़ने के लिए तैयार रहता है और जो हजारों की संख्या में गाड़ियां अवैध खनन के रूप में जा रही हैं, क्योंकि वह बड़े लोगों की हैं, वह बड़े माफियाओं की हैं, उनको पकड़ने की कार्यवाही होती नहीं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि उनके खिलाफ भी आप कार्यवाही करें। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बनवारीलाल जी सिंघल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-42 उद्योग पर मैं अपनी बात रख रहा हूं। मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी हैं, उद्योग पर रखी हैं, खनिज पर रखी हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर भी रखी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं, यह राजस्थान युवाओं का प्रदेश है और यह भारत युवाओं का देश है। अमेरिका के राष्ट्रपति भी अपने देश के युवाओं से कहते हैं, बच्चों पढ़ो, नहीं तो भारतीय आ जायेंगे। यह भारत प्रतिभाओं का देश है।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों रिसर्जेन्ट राजस्थान के द्वारा 321 लाख करोड़ के एमओयू राजस्थान की सरकार के साथ देश और दुनिया के उद्योगपतियों ने किये, उनमें से अनेक उद्योग राजस्थान में स्थापित हुए और बहुत उद्योग स्थापित होने की दिशा में हैं। मैं इस विषय में यह कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे श्रम मंत्री भी हमारे जिले से आते हैं लेकिन कहीं, शायद किसी छोटी-मोटी शंका के लिए पधार रहे हैं...

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): मैं तो यही बैठा हूं आपके पास में।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): हां, लघु शंका, मतलब छोटी शंका। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले दिनों अनेक उद्योगों में जाकर उनको प्रत्यक्ष रूप से देखने का काम किया और बड़ी पीड़ा के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राजस्थान में बड़े-बड़े उद्योग तो आकर स्थापित हो रहे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी जमीन भी ले रहे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी मशीनरी भी ला रहे हैं लेकिन उन उद्योगों का राजस्थान को क्या लाभ हो रहा है, इनको उनके अन्दर जाकर देखने से पता लगता है। बाहर से देखने पर वह उद्योग सुन्दर भी दिखते हैं। ऐसा भी लगता है कि राजस्थान उद्योगों का प्रदेश है लेकिन मेरे राजस्थान का युवा, वह बी.टेक करके निकलता है, वह दूसरी दक्षता के साथ निकलता है, उसको रोजगार देने की दिशा में राजस्थान के इन उद्योगपतियों के पास कोई काम नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोबोटिक पैटर्न पर आज 100 परसेंट फैक्ट्रीज को, जो इण्डस्ट्रियलिस्ट बाहर से आता है, वह रोबोटिक पैटर्न पर फैक्ट्रीज को लगा रहा है। मैंने अनेक उद्योगों में जाकर देखा, मानव श्रम की आवश्यकता नहीं है। एक-एक हजार वस्तुएं, एक-एक हजार आइटम एक दिन में बनाने वाला व्यक्ति एक फैक्ट्री में केवल 25 आदमी रखता है। 50-50 हजार वाहन बनाने वाले, दुपहिया वाहन बनाने वाला व्यक्ति 100-200 लोगों से काम चलाता है। मैं यह कहना चाहता हूं, राजस्थान में यदि इस तरह से रोबोटिक पद्धति से उद्योग लगते रहे, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जिन्होंने 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, केवल सरकारी नौकरियों के आधार पर हम राजस्थान के हर युवा को नौकरी नहीं दे सकते। राजस्थान का

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

उद्योग उसकी बहुत बड़ी आपूर्ति करता हो सकता था, लेकिन जिस तरह से यह रोबोटिक पैटर्न हमारे राजस्थान में लागू हुआ है, राजस्थान का उद्योगपति बड़ा प्रसन्न होकर हमसे कहता है, देखिये आप, हमने किस तरह के रोबोटिक पैटर्न पर पूरा उद्योग लगाया है। आदमी की आवश्यकता ही नहीं है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने स्वयं देखा है कि हाथ वहां है तो केवल लोहे का है। व्यक्ति है तो लोहे का है। उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। कम्प्यूटर से वहां कमांड मिलता है और जो भी वस्तु बननी है, वह बनकर बाहर आती है। मेरे राजस्थान के युवा को किस तरह से उद्योग मंत्रीजी, आप खपायेंगे राजस्थान के उद्योगों में, यह बड़ा यक्ष प्रश्न हमारे सामने खड़ा है।

आज युवा विभिन्न प्रकार के ट्रेड में बी.टेक करके निकलता है। जब वह नौकरी मांगने के लिए जाता है तो किसी भी इण्डस्ट्री में जाकर आप देख लीजिये। लोग कहते हैं, बी.टेक के लिए कोई रोजगार हमारे पास नहीं है। आईटीआई को रोजगार दे सकते हैं, पोलीटैक्नीक को रोजगार दे सकते हैं। माननीय उद्योग मंत्रीजी, आज उच्च शिक्षा मंत्रीजी भी यहां बैठी हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग भी आपके पास है। मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान के बी.टेक युवा के लिए अगर हमारे राजस्थान में रोजगार नहीं है तो क्यों इतने सारे प्राइवेट कालेजेज को, क्यों इतने सारे तकनीकी कालेजेज को हमने अनुमति दे रखी है? आज राजस्थान का युवा बड़ी उम्मीद लेकर, राजस्थान के प्राइवेट कालेज में इंजीनियरिंग करने के लिए जाता है और जब वहां प्रवेश लेता है तो उसके माता-पिता की आंखों में चमक होती है। मेरा बेटा चार साल के बाद बी.टेक करके निकलेगा। मेरी बेटी चार साल के बाद बी.टेक करके निकलेगी। इतनी इण्डस्ट्री राजस्थान में देश भर की, दुनिया की आ रही हैं। इनमें मेरा बेटा या बेटी नौकरी करेंगी। इसमें अच्छे पैकेज पर जायेगा और जब वह वहां से बी.टेक करके निकलता है और किसी उद्योग में जाकर बात करता है, अपना केरिकुलम लगाता है, अपना बायोडाटा देता है तो वहां पता लगता है कि बी.टेक के लिए किसी भी प्रकार का हमारे पास कोई रोजगार नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे उद्योगों को माननीय उद्योग मंत्रीजी, राजस्थान में अनुमति देने की मैं समझता हूं, कोई आवश्यकता नहीं है। जिनका राजस्थान के, प्रदेश के युवाओं के विकास में कोई योगदान नहीं है। आज हमारा वह युवा जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, वह या तो कोरेक्स या दूसरी कफ सीरप की शीशियां पी रहा है या एंकोलाम

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

की टेबलेट खा रहा है या वह आयोडेक्स को ब्रेड पर लगाकर खा रहा है या वह डिप्रेशन की स्थिति में आ रहा है। हमारे इस राजस्थान की तस्वीर को, जो ऐसा राजस्थान है जिसको देश और दुनिया देखने के लिए लालायित रहती है। लोग दुनिया भर से यहां आते हैं। इस राजस्थान को देखते हैं और जब हमारा युवा, उनको नशे की हालत में सड़क पर घूमता दिखता है तो उसकी फोटोग्राफी करके ले जाकर अपने देश में क्या इस राजस्थान की तस्वीर प्रस्तुत करता होगा, यह हमारे सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। इसको गम्भीरता से लीजिये उद्योग मंत्रीजी। राजस्थान के युवा को सबसे पहले उसकी स्किल के आधार पर उसको लें। उसके बाद राजस्थान में अगर उसके लिए युवा उपलब्ध नहीं है, राजस्थान में अगर उसके लिए मानव श्रम उपलब्ध नहीं है तो वह दूसरे प्रदेश के किसी भी युवा को उस उद्योग में रोजगार दे। सबसे पहले जमीन हमारी है, पानी हमारा है, संसाधन हमारे हैं। उन सब पर अधिकार हमारा है। हम लोग देखते रह जायें और दूसरे लोग आयें, उनमें अपना रोजगार प्राप्त करें और हमारा युवा नशे की हालत में सड़कों पर घूमता रहे। कर्ज के नीचे दब जाये और वह कर्ज, जिनके माता-पिता ने बैंक से कर्ज लिया है। एक बार उद्योग मंत्रीजी, ऐसे बच्चों की नब्ज पर हाथ रखकर देखने का काम करेंगे तो माता-पिता का मकान नीलाम होने की स्थिति है। माता-पिता की कोलेट्रल सिक्योरिटी के बदले में उनके कर्जे के तले दबने की स्थिति है। माननीय उद्योग मंत्रीजी, इन व्यवस्थाओं को सुधारने की आवश्यकता है।

देश के प्रधान मंत्रीजी का, यह जीएसटी लगाने के पीछे मुझे लगता है, जो उनका मानस रहा होगा, इस प्रदेश और देश के युवा को रोजगार देने की मंशा हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी की रही होगी क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से एक उद्योगपति सुबह कच्चा माल लाता है, शाम को तैयार करके अपनी गाड़ी में पटक कर डालकर बेचकर आता है। इस सब व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए, उसकी सब-इन्वेन्ट्रीज को तैयार रखने के लिए, उसको कम्प्यूटराइज बिजनस करने के लिए, उसको नई तकनीक से बिजनस करने के लिए राजस्थान और देश के युवा को रोजगार देने के लिए मैं समझता हूं, देश के प्रधान मंत्रीजी ने इस जीएसटी को लागू किया है। आज अगर हम देखें तो ऐसा उद्योगपति जिसका कच्चा माल वहीं मिलता है और तैयार माल भी वहीं बिक जाता है, उसको तो किसी प्रकार के खाते-बही रखने की आवश्यकता ही नहीं थी। उसको तो किसी भी प्रकार से कोई ऐसा उपक्रम करने की, कम्प्यूटर

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। माननीय उद्योग मंत्रीजी, यह रोबोटिक पैटर्न केवल इतना नुकसान ही नहीं कर रहा कि हमारे प्रदेश के युवा को रोजगार नहीं दे रहा। और भी दूसरे लोगों के रोजगार पर इसने अपने लोहे के हाथ चलाकर, उन लोगों का भी गला दबाने का काम किया है।

हम देखते थे, अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में जब हजारों फैक्ट्रीज रोजाना चलती थीं तो हजारों की तादाद में ही रोजाना बसें सड़कों पर दौड़ती थीं। आज वह सड़कें सूनी नजर आती हैं। एक भी बस, उन बसों से हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। उन बसों के चलने से जो मजदूर जाता था, वह वहां से छोटा-मोटा सामान खरीदता था। दुकानदार को अपना व्यापार मिलता था। मजदूर को अपना काम मिलता था, किसी टेलर को काम मिलता था, किसी दूध दही वाले को काम मिलता था। आज ये सब कुछ शान्त होने की स्थिति आई है। एक फैक्ट्री जिसमें तीन हजार मानव श्रम हो सकते थे, वो सौ-पचास आदमियों से काम चला रहे हैं और लोहे के हाथों से काम चला रहे हैं।

पिछले दिनों माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक फैक्ट्री में गया था, उस फैक्ट्री में कार्यक्रम था, बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर, हमारे अलवर के हम सभी विधायक थे, वहां। उपाध्यक्ष जी, वहां जो आर्केस्टा उस कार्यक्रम में बुलाई गई थी, वो आर्केस्टा भी मानव नहीं थी, वो आर्केस्टा भी रोबोटिक थी। लोहे के ड्रम बजाने वाले थे, लोहे की मशीन मैकेनाइज तरीके से सारे साज-बाज बजाने वाले थे। हम इस राजस्थान को किस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। उद्योग मंत्रीजी बड़े गम्भीर चिन्तन का विषय है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से 15 लाख रोजगार की घोषणा की है, सरकारी नौकरियों की भी घोषणा की है, लेकिन जब तक उद्योगों में हम सीधे-सीधे हमारे युवाओं को रोजगार देने की स्थिति में नहीं आएंगे, तब तक इस राजस्थान का भला नहीं होगा।

(16.31 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

कुटीर उद्योगों की यदि हम बात करें तो आज इन बड़े उद्यागों ने राजस्थान के कुटीर उद्योगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। आज कुटीर उद्योग की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अभी देश में बातचीत चल रही है नीरव मोदी भाग गये, 11 हजार 600 करोड़ रुपया लेकर, अभी एक रोटोमैक पैन, लिखते-लिखते लव हो जाए, वो गायब हो गये। ये सब क्यों हो रहा है।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

उद्योग मंत्रीजी, गम्भीर चिंतन का विषय है। कांग्रेस हमारे विपक्षी साथी हम पर आरोप लगाकर दूर होना चाहते हैं। अगर नींव इन घोटालों की पड़ी तो कांग्रेस के शासन में पड़ी और आज अगर उनको पकड़कर जेल के अन्दर डालने का काम, अगर किया जा रहा है तो प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन में किया जा रहा है। इसके पीछे मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं। माननीय उद्योग मंत्रीजी, खनिज मंत्रीजी, जब इस राजस्थान का युवा देश के प्रधान मंत्री की मुद्रा योजना के तहत देश के प्रधान मंत्री की स्टार्ट अप योजना के तहत, देश के प्रधान मंत्री के स्टैण्ड अप योजना के तहत एक बैंक में सपने लेकर जाता है कि आप मुझको दो लाख का लोन दीजिए, तीन लाख का लोन दीजिए, पांच लाख का लोन दीजिए। मुद्रा योजना में प्रधान मंत्रीजी ने मेरे लिए व्यवस्था की है तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि उद्योग मंत्रीजी, हमारे पास भी वे युवा आते हैं, आपके पास भी युवा आते होंगे, फलां बैंक मुझको लोन नहीं दे रहा है। हम बैंक से बात करते हैं तो बैंक के अधिकारी सीधे-सीधे कहते हैं साहब, गारन्टी क्या है कि पेमेन्ट हमारा वापस आएगा। कौन देखता है गारन्टी 11600 करोड़ वापस आएगा कि नहीं? कौन देखता है कि 3500 करोड़ वापस आएगा या नहीं? यह बड़े उद्योगपति जब बैंकों में जाते हैं पलक पावड़े बिछाकर बैंक के लोग इनका स्वागत करते हैं। इनका लोन पास करने के लिए इनके प्रतिष्ठान पर जाते हैं, इनके घर पर जाते हैं, होटल में जाते हैं और जाकर आराम से इनके साथ बैठकर चाय-पानी और अन्य दूसरे पेय पदार्थों का सेवन करके, इनको आराम से उस लोन को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। मेरे देश और प्रदेश का युवा जब 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख का लोन लेने के लिए, 50 हजार का लोन लेने के लिए जाता है तो उसको ऐसी हिकारत भरी नजरों से बैंक के लोग देखते हैं कि ये कोई भिखारी हमारे सामने आया है। इस व्यवस्था को दूर करना पड़ेगा।

उद्योग मंत्रीजी, यह स्टार्ट अप योजना, मुद्रा योजना, स्टैण्ड अप योजना, इन सबको आप खड़ा करना चाहते हैं, देश के प्रधान मंत्री के सपनों को अगर साकार करना चाहते हैं । इन बैंक के लोगों को बुलाकर इनकी क्लास लेनी पड़ेगी और इनको पाबन्द करना पड़ेगा, इनको टारगेट करना पड़ेगा कि आपको बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के, बिना किसी भी प्रतिभूति गारंटी के आपको इन युवाओं को लोन देने का टारगेट दिया जाता है। जब तक आप टारगेट नहीं देंगे।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

मैं आपको उदाहरण सहित कहना चाहता हूं उद्योग मंत्रीजी, मेरे अलवर जिले के आदरणीय ज्ञानदेव जी आहूजा साहब के विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ का एक कुम्हार लड़का है। उसकी कलाकृति को अगर आप देखेंगे, तो राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल एस.एम.एस. हास्पिटल में, धन्वंतरी ओपीडी के बाहर जो 14 फुट ऊंचा एक हुक्का रखा है, वह उसी लड़के का बनाया हुआ है। वो लड़का आज इतना बड़ा कलाकार है कि वो देश और दुनिया की किसी भी वस्तु का आप फोटो दीजिए, मिट्टी से उसको बनाकर देगा। राष्ट्रपति अवार्डेड है, लिम्का बुक आफ रिकार्ड में वह दर्ज है। केवल आज उसके पास अगर नहीं है तो केवल पदमश्री नहीं है और अगर उसका नाम नहीं है तो गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्डस में नहीं है, जिसके लिए वह लड़का प्रयासरत है। लेकिन एक विडम्बना आप देखेंगे तो वह लड़का कहता है कि अगर मुझे एक भट्टी मिल जाए, क्योंकि वह पोल्यूशन फ्री काम करना चाहता है। इस देश के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से मिलता है, दुनिया के राष्ट्रपति से मिलता है, वो कहता है इस देश की मुख्य धारा में आने के लिए अगर मुझे पोल्यूशन फ्री भट्टी बिजली वाली मिल जाए तो मैं भी इस देश की मुख्य धारा में साथ चलकर अपने काम को और आगे बढ़ा सकता हूं और मैं यह बड़े दर्द के साथ कहता हूं कि हमारे राजस्थान की सरकार की व्यवस्था में विधायक कोष से, सांसद कोष से या किसी भी, ऐसे एन्टरप्रिन्योर को बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने कोष से दूं उसको 4 लाख रुपया, आप अनुमति दिलाइए, 5 लाख रुपये, उसको एक भट्टी मिले, ताकि ये छोटे-छोटे एन्टरप्रिन्योर, जिनका हम नाम लेते हैं, जिनको ले लेकर हम वोट भी मांग लेते हैं कि हम कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का काम करेंगे, लेकिन जब मौका आता है तो हम लोग उनकी मदद करने की स्थिति में नहीं होते।

माननीय उद्योग मंत्रीजी, उस लड़के के हुनर को आप देखेंगे तो पेपर जैसा पतला मिट्टी का आइटम वह बनाता है, 1 इंच का हुक्का भी वह बनाता है, 15 फुट का हुक्का भी वह बनाता है। जिस पर इस समाज की बुराइयों को उकेर कर, वो समाज को संदेश देना चाहता है। चाइनीज दीया बिकता है, हम लोग संदेश देते हैं लोगों को, हमारे कुम्हार को कहते हैं यह भी हमारा कुटीर उद्योग है, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने अबकी बार बाल काटने वाले का, मिट्टी के दीये बनाने वाले का भी ध्यान किया है, इस बजट के माध्यम से। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देता हूं और मैं

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

उन अधिकारियों को भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इन छोटी-छोटी चीजों की तरफ माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। लेकिन इन सबको बचाने के लिए, हमको आज हमारे वर्तमान युवा को दक्षता की ओर ले जाना पड़ेगा।

आज हमारे जो स्किल डवलपमेन्ट के प्रोग्राम हैं माननीय उद्योग मंत्रीजी, क्या वो कागजों पर ही चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। हमने उनको सबको प्राइवेट सैक्टर में पकड़ा दिया। प्राइवेट सैक्टर की स्थिति, मैं आपको बता देना चाहता हूं बड़े स्पष्ट तरीके से आज स्थिति यह है कि चाहे वह आरएस-सीआईटी का कोर्स हो आपका, चाहे आपका स्किल डवलपमेन्ट का कोर्स हो, केवल सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हैं।

आज सरकार के स्तर पर भी जिलेवार, तहसीलवार, उपखण्डवार आप स्किल डवलपमेन्ट के सेन्टर खोलिए। लोगों को स्किल करिए और उसके बाद, आज जैसा हमारे उद्योगपति कहते हैं कि हमारे पास स्किल्ड लोगों का घाटा है स्किल्ड लोग नहीं आते हैं, जब स्किल डवलपमेन्ट सेन्टर नहीं है तो स्किल्ड लोग कहां से तैयार होंगे। जब स्किल्ड लोग तैयार नहीं होंगे तो इन बेरोजगारों की फौज को लेकर, एक दिन विस्फोट की स्थिति, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जानी है, क्योंकि आज अगर कोई चोरी में पकड़ा जाता है तो युवा, कोई नकबजनी में पकड़ा जाता है तो युवा, नशाखोरी में पकड़ा जाता है तो युवा, चैन स्नैचिंग में पकड़ा जाता है तो युवा, हमारे अलवर में अगर बी.टेक के स्टूडेंट्स चैन स्नैचिंग में पकड़े जाते हैं तो बड़ी शर्म आती है लेकिन पता लगता है कि अपना कर्ज उतारने के लिए, अपनी उदरपूर्ति करने के लिए, उन्होंने ऐसा घिनौना काम किया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि स्किल डवलपमेन्ट के कामों को प्रधान मंत्रीजी की योजना के मुताबिक, प्रधान मंत्रीजी की इच्छा के मुताबिक, माननीय उद्योग मंत्रीजी आप तो स्वयं बहुत उदार भी हैं और बहुत क्षमतावान हैं, बहुत विद्वान हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी विद्वता का लाभ इस राजस्थान को मिले। एक विद्वान उद्योग मंत्री राजस्थान को मिला है तो इस विद्वता का लाभ मिले। हम सब लोग 5-5 साल के लिए चुनकर आते हैं, 5 साल तक आएं। हर साल 30-40 सीटिंग की बात होती है, बैठे और चले जाएं और क्षेत्र में घूमें, इसका नल, इसका पानी, इसकी बिजली।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

आज देश अगर मांगता है तो युवा के लिए रोजगार मांगता है। इन चुनावों में, मैं कहता हूं आपको हमारे धर्मपाल जी ने कहा डी.एम.आई.सी. के कारण से लोगों ने वोट नहीं दिया या वोट डालने नहीं गये। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं मैंने 30 से 35 हजार युवाओं से उनके कोचिंग में जाकर बातचीत की। अगर सबसे बड़ा कोई दर्द था तो वह यही था कि युवाओं को रोजगार के लिए सरकार के पास ठोस योजनाएं नहीं थीं। युवाओं को रोजगार देने के लिए, युवा केवल नौकरी की तरफ देखें, हम ऐसे उसको क्यों छोड़ दें, युवा को रोजगार की तरफ ले जाने का काम करें। युवा की यह स्थिति कर दें कि वह अपनी इच्छा के मुताबिक काम का सलैक्शन करे, वह छांटे कि मुझे इस उद्योग में जाना है या उस उद्योग में जाना है। उद्योग बन्द होते जा रहे हैं। नये उद्योग जो लग रहे हैं, उनमें आदमी की आवश्यकता नहीं है। जब आदमी की आवश्यकता नहीं है तो इन उद्योगों की भी क्या आवश्यकता है।

श्री सभापति: आप केवल उधर ही देख रहे हैं, इधर भी देखो कभी-कभी।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): आपका तेज कुछ ज्यादा है, सभापति महोदय। मैं इस राज्य के कुटीर उद्योग लगाने वालों की ओर से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जैसा अभी गोपाल कृष्ण जी ने भी कहा, मेरे साथ भी हुआ। मैं भी एक बार अमृतसर घूमने गया था, तो अमृतसर गोल्डन टैम्पल के बाहर से जूतियां बड़ी सुन्दर लगीं, मैं खरीदकर ले आया। सभापति जी, जब मैं उन जूतियों को पहनकर बड़ा इठलाता हुआ अपने क्षेत्र में गया तो मेरे शहर के एक चर्मकार उद्योग करने वाले एक व्यक्ति ने कहा, जूती बड़ी सुन्दर है कहां से लाये आप, तो मैंने भी बड़े रौब के साथ कहा कि मैं यह अमृतसर से गोल्डन टैम्पल के बाहर से लाया हूं। उसने कहा चलिए आप मेरे घर आइए। मेरे ही शहर के दिल्ली दरवाजे के बाहर रहने वाले हैं और वो जूती उन्होंने दिखाई और कहा कि हम ही अमृतसर भेज रहे हैं, हम 400 की बेच रहे हैं वहां से 1400 की आप लेकर आ रहे हैं। ऐसे उद्योगों को आप आगे बढ़ाने का काम करिए।

बहुत हुनर है लोगों में, बहुत दम है लोगों में, लेकिन योजनाएं नहीं हैं। हम बड़े-बड़े उद्योगों के लिए योजना लेकर आ जाते हैं रिसर्जेन्ट राजस्थान भी हुआ तो बड़े उद्योगपति उसका लाभ लेकर चले गए। हमारे देश का युवा, हमारे प्रदेश का युवा, हमारी युवती, हमारी बहन, हमारी बेटी, उसको भी कम

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

से कम हम मुख्य धारा में लाने के लिए कुटीर उद्योगों की तरफ ध्यान दें। आज राजस्थान में अनेक ऐसे उद्योग हैं, जिनका अचार, पापड़, बड़ी मंगौड़ी आप तो नमकीन और बीकानेरी रसगुल्ले की बात करते हैं कि आपने बंगाल से तो रसगुल्ला छीन लिया और मैसूर से आपने नमकीन, भुजिया, पापड़ छीन लिया। लेकिन राजस्थान का अचार, भुजिया, पापड़ ये बहुत मशहूर है।

मैं आपको यह कहना चाहता हूं उद्योग मंत्रीजी, जैसे अभी धर्मपाल जी अपना दर्द बता रहे थे राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने पिछले दिनों भूमि अवाप्ति कानून के तहत इस व्यवस्था को करने की कोशिश की थी, वह भूमि अवाप्ति कानून, 2013 राजस्थान में लागू नहीं हो सका...

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): हो गया।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): हो गया, यथास्थिति लागू है न, लेकिन हम जो अमैन्डमेन्ट करना चाहते थे, वो अमैन्डमेन्ट नहीं... राजस्थान का कानून नया नहीं बना, इसलिए वो कानून में शामिल नहीं हो सका कि राजस्थान के जिस भी किसान की भूमि की अवाप्ति हो, उस किसान परिवार के एक युवा को या परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार, उसको कम से कम एक व्यक्ति को उसमें रोजगार मिले।

यह व्यवस्था करने की बात इस राजस्थान में हम लोग करते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था भी की जाए कि जिस किसान की जमीन अवाप्त हो रही है, जिस किसान को बेरोजगार करने का काम राजस्थान की सरकार, जमीन को अवाप्त करेंगे तो बेरोजगार तो हो ही जाएगा वह। अगर उसकी जमीन ली जा रही है तो उसके परिवार के एक व्यक्ति को कम से कम रोजगार देने का काम राजस्थान की सरकार करे। ऐसा मेरा आपसे माननीय उद्योग मंत्रीजी निवेदन है आप तीखी निगाहों से मत देखो। थोड़ा-सा तो जरा नरम...।

श्री सभापति: मेरी निगाहें तीखी होती ही नहीं हैं। मैं तो आपकी तरफ देखकर समझ रहा हूं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): थोड़ी-सी नरमी बरतो।

श्री सभापति: आप समाप्त करें।

श्री हीरालाल (निवाई): सभापति महोदय, सिंघल साहब आपकी तरफ नहीं देख रहे थे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं इसीलिए नहीं देख रहा था, साहब। मैं इनकी तरफ देखूंगा, ये मेरी तरफ देखेंगे, तो वो टाइम का मिलान हो जाएगा।

श्री सभापति: आप मेरे से जितने दूर रहोगे उतने ही आराम में रहोगे।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): साहब, ऐसा है, हम आपसे उचित दूरी बनाये हुए हैं।

श्री सभापति: हां, उचित दूरी बनाये रखो।

श्री हीरालाल (निवाई): सभापति जी, आप आसन पर बैठे हो तो आपको देख-देखकर इनके भाषण में भी जान आ रही है।

श्री सभापति: जी। विराजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय सभापति जी, चूंकि आपका इशारा समय के लिए हो रहा है, मैं अपनी बात को समाप्त करने के लिए अब दूसरी मांग खनिज पर बात करूं। (व्यवधान) सामान तो बहुत है।

श्री सभापति: सामान दूसरों के लिए भी तो छोड़ो, ज्यादा इकट्ठा करना ठीक नहीं है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मेरा यह कहना है माननीय खनिज मंत्रीजी, राजस्थान की सरकार ने बड़ी चिन्ता करते हुए, आपने बड़ी चिन्ता करते हुए इस राजस्थान में बजरी खनन को सरल करने का काम किया है। जिस किसान के खेत में बजरी निकले उसको आप पट्टा दे देंगे, लेकिन मेरा यह कहना है खान मंत्रीजी, आपने अभी खनन पट्टे जारी करने की जो सीमा बनाई है, आपने कहा है कि पहले पांच सौ हेक्टेयर के पट्टे दिये जाते थे और आप पचास हेक्टेयर के पट्टे देंगे। मेरा यह मानना है कि अगर हम पिछली बार को देखें तो जब पिछला राज था भारतीय जनता पार्टी का 2003 से 2008 तक, उस राज में राजस्थान में शराब माफिया को तोड़ने का काम हुआ था। पूरे राजस्थान का, पूरे जिले का ठेका एक-एक व्यक्ति लेते थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपसे में बात नहीं करें माननीय सदस्य, आप बोलें जो आपको ज्ञान है, वो बोलें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मेरा यह कहना है आपसे कि बड़े-बड़े ब्लाक नहीं बनाकर माननीय मंत्रीजी, छोटे ब्लाक बनायें। अगर लोगों में कम्पीटिशन होगा बजरी वालों में भी तो निश्चित तौर पर एक तो जो बजरी

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

में मिट्टी मिलायी जाती है वो बजरी में मिट्टी मिलाकर ये गुणवत्ता समाप्त नहीं होगी। दूसरा मेरा यह कहना है कि जब ज्यादा खननकर्ता होंगे, ज्यादा पट्टेधारक होंगे तो उनमें रेट का कम्पीटिशन भी होगा और जिस तरह से राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है कि बजरी महंगी है इसके कारण से मुख्यमंत्री जनआवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना दोनों प्रभावित हो रही हैं। आराम से अगर बजरी मिलेगी तो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि आज ये मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आवास योजना या लोगों की दूसरी किसी भी तरह की आवासीय योजनाओं का काम प्रभावित होने से आम मजदूर पर फर्क पड़ा है। लोगों ने हमको कहा है कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे।

श्री सभापति: अभी तो माननीय सदस्य, सारा खनन बजरी में ही हो रहा है।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): मैं वो ही बजरी खनन की बात कर रहा हूं, माननीय सभापति जी।

श्री सभापति: आ गया उसमें, सारा खनन उसी में है तो आ ही गया आपका सारा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): आज तो बोलने वाले बहुत कम हैं आज तो जल्दी राइडर लगा रहे हो आप। मैं और दूसरे खनन की बात नहीं कर रहा, मंत्रीजी।

माननीय सभापति महोदय, अलवर जिले में बहुत दिन से...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सिंघल साहब, एक मिनट। अलवर लोक सभा चुनाव के बारे में भी बोल दो।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): हां, बोल रहा हूं। अलवर लोक सभा चुनाव के बारे में ही बोल रहा हूं, हनुमान बेनीवाल जी। भारतीय जनता पार्टी को यह अवसर मिला है। अवसर यह मिला है कि 1102 करोड़ रुपये के काम तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुए हैं। 6665 करोड़ रुपये के काम अलवर जिले में हुए हैं और उसके बाद नाराजगी निश्चित तौर पर पब्लिक की हो रही है और वो नाराजगी के कारण हमने ढूंढे हैं, जिनको हम यहां सदन में रख रहे हैं। उन नाराजगी के कारणों में एक बजरी भी रही है। उन नाराजगी के कारणों में रोजगार भी रहा है। उन नाराजगी के कारणों में नेगेटिव वोटिंग भी रही है।

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

अगर सामने वाला पक्ष यह समझ ले कि ये वोट उनके पक्ष में हुआ है तो इससे बड़ी गलतफहमी इनकी कोई नहीं हो सकती। यह निश्चित तौर पर हमारे खिलाफ नेगेटिविटी का वोट इनको मिला है और उस नेगेटिविटी के वोट को अगर ये समझ लें कि ये वोट हमारे पक्ष में गया है तो आने वाले 2018 के चुनाव में हम सब लोग वास्तव में रिपेयर मेंटीनेंस करके वापस अपने चुनाव में जाकर और फिर अपने लक्ष्य को हासिल करके फिर हम यहीं होने वाले हैं, आप वहीं होने वाले हो। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री हरिसिंह जी रावत।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 42 व 43 पर विचार

श्री हरिसिंह रावत (भीम): सभापति महोदय, आज मांग संख्या-42 और दूसरी खनिज विभाग की उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं जिला राजसमन्द से आता हूं और राजसमन्द जिला हमारे खनिज का एक भण्डार रहा है और मैं समझता हूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रायल्टी अगर कोई देता है तो वह मेरा जिला है और उसी संबंध में कुछ जो हमारी विसंगतियां हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा।

(श्री हरिसिंह रावत)

सभापति महोदय, हमारे वहां पर रायल्टी जो 15 साल पहले साधारण रूप से ली जाती थी वह 15 साल से जो प्रारम्भ की है वो एक व्यक्ति या एक ही ठेकेदार के अन्तर्गत होता है और वो रायल्टी वसूली जाती है उसी के अन्तर्गत। वो ठीक था, लेकिन जब से जीएसटी लागू हुई है तब से हमारे जो माइनिंग ओनर हैं...

श्री सभापति: माननीय बनवारी लाल जी सिंघल साहब, आप विराजें। तब तक बैठेंगें जब तक आपके बाद के वक्ता का समय समाप्त नहीं हो जाता।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सबको ही सुनूंगा, साहब।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): इसमें हमारे जीएसटी लगने से वित्तीय भार एक्स्ट्रा लगा है। मैं समझता हूं कि उसमें भारी अनियमितता हुई है। इसमें कुछ संशोधन करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, आज जो रायल्टी लगती है हमारे मार्बल पर वो 265 रुपये पर टन लगती है और जीएसटी लागू होने के बाद 18 परसेंट जुड़ गई और 10 परसेंट डीएमएफटी के माध्यम से ली जाती है, तो इस प्रकार ये पूरी रायल्टी 346 रुपये हो जाती है तो मैं समझता हूं कि इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। इसमें एक जब जीएसटी लागू हुई है तब से एक फार्मेट दिया जाता है माइनिंग ओनर को जिसको हम ई-रवन्ना कहते हैं उस ई-रवन्ना के माध्यम से सभापति महोदय, क्या होता है कि मार्बल एक कोई फैक्ट्री प्रोडक्ट नहीं है और न उसका कोई ऐसा मापदंड है कि कोई ब्लाक बना है तो साहब, ये ब्लाक पचास टन का है ऐसा कोई अनुमान नहीं होता है। वो ब्लाक जब माइन्स से रवाना होकर जो ढलान होता है करीबन दस-बीस किलोमीटर नीचे आकर जब उसका वेमेंट होता है। सपोज, उस गाड़ी का अस्सी टन का निर्धारित वेट है और वेमेंट जब होता है तो पता चलता है कि इसमें सौ टन है तो बीस टन जो एक्स्ट्रा वेट होता है उसके लिए हमारे जो भी माइनिंग के अधिकारी हैं या रायल्टी के जो ठेकेदार हैं वो बोलते हैं कि इसको हम अलाउ नहीं करेंगें। अब आप बताइये कि अगर सौ टन का कोई ब्लाक है अगर पेमेंट पर पता लगा तो वो कोई ऐसा तो है नहीं कि इसको काट दे। अगर काट दिया तो उसका जो भी रूप है खतम हो जाएगा। जो उसकी क्वालिटी है वो खतम हो जाएगी, तो मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को यह

(श्री हरिसिंह रावत)

बोलना चाहता हूं, यह तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि चलो जो वेट है, कोई चालीस टन का भी होता है, बीस टन का भी होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जो होता है न उसके बारे में बात करना चाह रहा हूं। एक उदाहरण दे रहा हूं तो उसमें जो बीस टन ओवरलोड है या तो आप उसकी रायल्टी एक्स्ट्रा ले लें या उसको ऐसा तो है नहीं कि काटकर आप छोड़ देंगे तो रायल्टी अगर एक्स्ट्रा ले लेंगे तो मैं समझता हूं कि सरकार को रायल्टी मिलेगी या उसमें ऐसा वेल्यु एडिशन जोड़ दें तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो 20 परसेंट जो एक्स्ट्रा है उस पर ओवरलोड का या तो आप एक्स्ट्रा चार्ज ले लो, ताकि माल भी सुरक्षित हो जाएगा और माइनिंग ओनर खुश होगा। आज इस वजह से माइनिंग ओनर इतने नाराज हैं सभापति महोदय, वे बोलते हैं कि हम तो माइनिंग करना ही बंद कर देंगे। दूसरा जीएसटी के जो नियम है वो जीएसटी भी ठेकेदार वसूल कर रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से खनिज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जब रायल्टी के लिए पैसा माइनिंग ओनर दे रहा है तो क्यों नहीं जीएसटी का पैसा भी उन्हीं से वसूल किया जाए, ताकि कम से कम उनको बेनिफिट मिलेगा। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस पर भी थोड़ा गौर फरमायें ताकि माइनिंग का अच्छा चलेगा।

दूसरा एक लफड़े की बात करते हैं, सभापति महोदय, क्या होता है कि कई माइन्सों में क्रेक्स निकलती हैं ब्लाक्स में, क्रेक निकलने के बाद या बेढंग का होता है, उसमें यह गारंटी नहीं होती है कि इसमें कितना माल निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसको लफड़ा बोलते हैं, उस लफड़े पर भी 265 रुपये रायल्टी लगती है। मैं खनिज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह भी एक विचारणीय बिन्दु है जब आप फ्रेश गुड्स पर भी 265 रुपये पर टन ले रहे हो और लफड़े पर भी 265 ले रहे हैं, लफड़े में क्रेक्स होते हैं, उसमें 25 परसेंट से ज्यादा नहीं बैठता है, मैं समझता हूं कि अगर उसमें आप 50 रुपये पर टन रायल्टी रखोगे तो मैं समझता हूं कि ठीक रहेगा। सभापति महोदय, लफड़े से छोटे-छोटे कटर वाले अपना पेट पालन करते हैं और मेरे जिले में कम से कम हजार से पन्द्रह सौ छोटे कटर वाले लोग हैं जिनका इससे जीवन उपार्जन होता है। अगर इसकी रायल्टी में 265 की जगह 50 रुपये पर टन कर देंगे तो उनको भी राहत मिलेगी और लफड़े का भी सही उपयोग हो जायेगा। क्योंकि

(श्री हरिसिंह रावत)

जो लफड़े निकलते हैं उनमें कोई बड़े ब्लाक्स नहीं होते हैं, उनमें छोटी-छोटी टाइल्स निकलती है और टाइल्सों की रेट भी 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये से ज्यादा नहीं होती है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पर भी थोड़ा विचार कीजिए और इसकी रायल्टी को कम करने का प्रावधान रखिए ताकि जो छोटे उद्योग वाले हैं उनको फायदा मिल सके।

सभापति महोदय, हमारा पूरा गुड्स जो आजकल मोरू और थानगर, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज वालों ने वहां फैक्ट्री डाल दी है। पहले तो हमारे यहां से ग्राइंडिंग माल जाता था, वह आजकल सीधे वहां जाता है जिससे धीरे-धीरे हमारी यहां की ग्राइंडिंग मिल्स बंद होती जा रही हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से खनिज मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पहले जो हमारे ब्यावर में, चाहे हमारे क्षेत्र जवाजा या हमारे जिले राजसमंद में जो हमारी ग्राइंडिंग फैक्ट्री लगी हुई हैं कम से कम उनकी रोजी रोटी चले इसके लिये इस पर बैन लगाये। खनिज मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं खनिज मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी रायल्टी वहीं लगे और जो हमारी रीको इंडस्ट्रीज है, राजसमंद में भी है और मेरे बग्गड़ में भी बहुत जल्दी सैंक्शन होने वाली हैं, जिस प्रकार किशनगढ़ में मार्बल का हब बना है, मैं समझता हूं कि अगर उसी तरह की फैक्ट्री राजसमंद और बग्गड़ में लग जाये तो हमारे यहां की जनता को रोजगार का फायदा मिलेगा और बाहर जो रॉ मैटेरियल जाता है उसका यही फिनिश गुड बनेगा तो रायल्टी या अन्य टैक्सेज के रूप में राजस्थान को मिलेगा, इस पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय, दूसरी कुछ और विसंगतियां हैं, माइनिंग लीज पर सरकारी जमीन पर 30 मीटर का जो प्रावधान था, अब नये नियम के अन्तर्गत इन्हें खतम कर दिया गया है, इसे पुन: प्रारम्भ किया जाये ताकि जो 30 मीटर की स्ट्रिप लैंड होती है उसकी रायल्टी मिलेगी और उसको वाइड एरिया मिलेगा तो मैं समझता हूं कि इससे माइनिंग आनर को फायदा मिलेगा, यह भी एक विचारणीय बिन्दु है। जैसे पहले अलाटमेंट में स्ट्रिप और गैप के अलाटमेंट हुआ करते थे, उस प्लान में ले लिया जाए ताकि उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके। डीजीएमएस, खान सुरक्षा विभाग छोटे-छोटे खान वालों को नो इयूज देते हैं कि बेंच बनाओ, छोटी खानों के लिये बेंच बनाना सम्भव नहीं है। मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह नियम इन छोटी

(श्री हरिसिंह रावत)

माइन्सों पर न लगायें, अगर यह छोटी माइन्सों पर लगा तो मैं समझता हूं कि आपकी यह माइन्सें बंद हो जायेंगी और जो आपको रायल्टी मिलती है और गरीबों का जीवन उपार्जन का जो साधन है, वह भी खतम हो जायेगा।

सभापति महोदय, मैं कुछ उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे भीम में रीको इंडस्ट्रीज सैंक्शन हुई हैं और बग्गड़ में भी सैंक्शन हुई हैं। अगर इस रीको इंडस्ट्रीज को तत्काल प्रारम्भ करे तो मैं समझता हूं कि जितनी भी माइन्स हैं, फेल्सपार, क्वार्टज हैं, यह हमारे यहां से हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और मुम्बई तक जाता है, अगर हमारे यहां फिनिश गुड्स की रीको इंडस्ट्रीज प्रारम्भ कर दी जायेगी तो हमारे यहां बड़े-बड़े उद्योग धंधे लगेंगे और उद्योग धंधे लगने से हमारे आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ-साथ हमारे क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा। हमारे यहां पर रेलवे लाइन प्रारंभ होने वाली है। मावली-मारवाड़ रेलवे लाइन जो मेरे यहां से गुजर रही है, मैं समझता हूं कि अगर हमारे यहां रीको इंडस्ट्रीज प्रारम्भ कर दी जाये तो यहां पर काफी उद्योग धंधों को प्रचार-प्रसार मिलेगा। मुम्बई-दिल्ली कोरीडोर जो हमारी एक बहुत ही महती योजना है, उस योजना को भी अगर वाया भीम-बग्गड़ होकर इसको चालू किया जाये ....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मुम्बई-दिल्ली कोरीडोर को अगर मेरे यहां रीको इंडस्ट्रीज में परिवर्तन करें तो मैं समझता हूं कि मेरे क्षेत्र का भी चहुंमुखी विकास होगा।

इसके साथ-साथ मैं अंत में हमारी मुख्य मंत्रीजी को और हमारे खान मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने डीएमटी का पैसा जो हमें दिया है जिससे हमारा चहुंमुखी विकास हो रहा है, साथ-साथ जो आपने चार हैक्टेयर की माइन्स की सैंक्शन दी है, जो भी प्राइवेट खातेदार है, वह अलाटमेंट करा सकता है जिससे उसको अपनी रोजी रोटी मिल सकेगी। सभापति महोदय, मुझे समय दिया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत धन्यवाद, श्री शंकर सिंह जी रावत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, मांग संख्या 42 और 43 पर आपने बोलने के लिये मौका दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: इसमें रावत लिखा हुआ नहीं है, इसमें शंकर सिंह ही

(श्री सभापति)

लिखा हुआ है, मैंने रावत बोल दिया। आप कह रहे थे कि ज्योतिष के हिसाब से रावत लिखना जरूरी है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): धन्यवाद साहब। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने उद्योग धंधों पर बहुत अच्छा ध्यान दिया है, वास्तव में उद्योग में जो रोजगार के अवसर घट रहे हैं, उसको बढ़ाने का मौका मिलना चाहिये, उसके लिये मैं भी निवेदन कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, अभी उद्योग मंत्रीजी भी कहीं पधारे हुए हैं, जो उद्योग लगाये हुए हैं, मिनरल व्यवसाय के उद्योग अजमेर जिले में सबसे ज्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, राजसमंद में भी हैं, अन्य जिलों में भी मिनरल व्यवसाय के उद्योग लगे हुए हैं और हजारों की संख्या में ब्यावर में भी लगे हुए हैं। उनके ऊपर एक संकट का बादल आया है। पहले रॉ मैटेरियल वहीं पर पीस कर वह पाउडर गुजरात जाता है लेकिन अभी गुजरात के लोग वहां से सीधे, माननीय मंत्री महोदय, आप सुन ही नहीं रहे इस बात को, माननीय सभापति महोदय, जो रॉ मैटेरियल राजस्थान से यहीं ग्राइंडिंग होकर गुजरात जाता था, वह रॉ मैटेरियल आजकल सीधा यहां से गुजरात जाने लगा है इससे हजारों की संख्या में जो प्लांट लगे हुए हैं वह सारे बेरोजगार हो जायेंगे। सबने लोन पर ले रखे हैं, वह सब उद्योग धंधे चौपट हो जायेंगे। जितना रॉ मैटेरियल वहां जा रहा है, प्लांटों में जो लाखों की संख्या में जो गरीब मजदूर लगे हुए हैं, वह भी बिलकुल बेरोजगार हो जायेंगे और हमारी सरकार को जो टैक्स मिलता है, गुजरात में सीधा जाने से वह टैक्स भी हमारी सरकार को 50 परसेंट कम मिलता है। इन तीनों बातों को बचाने के लिये मैं माननीय उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। जो खानों के द्वारा डाइरेक्ट माल वहां जा रहा है, मेरा खनिज मंत्री महोदय से आग्रह है कि जो कच्चा माल सीधा गुजरात जा रहा है, उस पर रोक लगाने के लिये निश्चित तौर पर आप कोई भी रास्ता निकालेंगे। आपसे वार्ता हुई तो आपने बताया कि ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन नियम सरकार ही बनाती है और सरकार ही कोई न कोई रास्ता निकाल कर हमारे उद्योगों को बचाने के लिये, हमारे लाखों गरीब बेरोजगारों के रोजगार को बचाने के लिये निश्चित तौर पर आप उन पर रोक लगाने की व्यवस्था करेंगे, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है।

हमारी सरकार ने मार्बल के वेस्ट के ऊपर तो रायल्टी हटाई है, उसी प्रकार काले पत्थर और चुनाई के पत्थर का जो वेस्ट जाता है, इस पर भी जो

(श्री शंकर सिंह रावत)

रायल्टी लग रही है उसको हटाने के लिये भी मेरा माननीय खनिज मंत्री महोदय से आग्रह है इससे छोटे-छोटे उद्योग वाले पनप जायेंगे।

हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है वह बहुत तारीफ योग्य है। इस मांग पर जो मैंने अपनी मांग रखी है, माननीय खनिज मंत्री महोदय और माननीय उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन है कि आज जब रिप्लाई देंगे तो हमारी दोनों मांगों को मद्देनजर रखते हुए उन बेरोजगारों को बचाने के लिये अपनी बात कहेंगे, धन्यवाद।

(17.00 बजे)

श्री सभापति: श्री विवेक धाकड़।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, इस सदन ने जो दो दुखद घटनाएं देखी हैं, उससे बात प्रारम्भ करना चाहूंगा। स्वाइन फ्लू से हमारे सम्माननीय..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, डिमांड पर बहस हो रही है, उद्योग और खनिज पर बात करें।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): सर, आपका आदेश। कल्याण सिंह जी साहब का देहांत हो गया था, बाहर इसको लेकर कुछ चर्चाएं चल रही थीं, इसलिए निवेदन कर रहा था। ठीक है सर, सारी। आपका आदेश। सबसे पहले उद्योग पर बात करना चाहूंगा। रिफाइनरी पर काफी चर्चा और परिचर्चा हो चुकी है। उस मैटर पर सिर्फ यह निवेदन है कि रिफाइनरी के लिए जो रॉ-मैटीरियल है, वह क्रूड आयल है। मेरा कंसर्न यह है कि जो क्रूड आयल की कंपनी है, उसमें अपर हैंड सैक्टर केयर्न एनर्जी का है। अभी जब इंटरनेशनल रेट्स से यह डील होता है तो मेरी जानकारी में एक-दो वैल्स का प्रोडेक्शन बंद कर दिया था। दो विशेष चीज हैं। यह गवर्नमेंट की बाडी है और इस रिफाइनरी का कम्पीटिशन पंजाब के भटिण्डा में जो रिफाइनरी है, जो कि गवर्नमेंट की है और मेरा ऐसा मानना है कि जामनगर में जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है, वह प्राइवेट कंपनी की है, उससे इसका कम्पीटिशन है।

इसके साथ, इंडस्ट्री और रिफाइनरी के बाद जो बाई-प्रोडक्ट की सब्सिडियरी इंडस्ट्रीज हैं, जो कि प्राइवेट सैक्टर द्वारा लगायी जाएंगी और जो गवर्नमेंट की रिफाइनरी है, जिस पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, उसके लिए रॉ-मैटीरियल निर्बाध रूप से कंटीन्युअस जिस वाल्यूम में चाहिए, रिफाइनरी के

(श्री विवेक धाकड़)

लिए और बाई-प्राडक्ट इंडस्ट्री के लिए, उसकी सुनिश्चितता सरकार कराए, क्योंकि उसमें छोटे पार्टनर के रूप में राजस्थान सरकार भी केयर्न एनर्जी में पार्टनर है, यही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

इसके बाद, रिफाइनरी का क्रेडिट लिया जा रहा है। चाहे उसका प्रारम्भ यूपीए गवर्नमेंट ने किया, चाहे कोरसपोंडेंस उसके द्वारा शुरु हुई। माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा जिले में है। वहां पर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री का शिलान्यास हमारी सम्माननीय यूपीए की चेयर पर्सन सोनिया जी गांधी द्वारा, पूर्व मुख्य मंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब द्वारा और केन्द्र में रेल विभाग में कुछ समय के लिए मंत्री रहे डा. सी.पी. जोशी साहब द्वारा मेमो कोच फैक्ट्री के रूप में हुआ। बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। वह बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। चार साल में न तो उस पर कोई बात की गई, न कोई प्रावधान किया गया। वह इंडस्ट्री पूरे राजस्थान के लिये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकती थी। उसको पता नहीं कहां पर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उस पर विचार होना चाहिए। किसने क्या किया?

अजमेर में कोच फैक्ट्री है, वह कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा बनायी गयी। उसकी स्थिति धीरे-धीरे सिक यूनिट की तरह हो रही है। नयी कोच मैमो फैक्ट्री का कहीं कोई जिक्र नहीं है। यह सोचने का विषय है। दूसरा मेरा निवेदन है कि बिजोलिया और माण्डलगढ़ क्षेत्र में रीको एरिया जो कि माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आता है, वह डवलप किया गया है, परन्तु रेट वाइज और साइज वाइज वहां की जो इंडस्ट्रीज हैं, उसके लिये वायबल नहीं है, उस पर पुनर्विचार किया जाए। पर्टीकुलर सैक्टर और इंडस्ट्री को देखते हैं। चूंकि हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और एग्रीकल्चर काश्तकार खुद के दम पर कर रहा है। एग्रीकल्चर जोन के लिए विशेष स्टोरेज और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने के लिए और पैकेजिंग के लिए विशेष ध्यान दिलाया जाए। काछूला और बरलयास उप-तहसील जो कि माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में हैं एवं कोटड़ी एसडीओ हैडक्वार्टर, यहां पर इसके आस-पास चाइनाक्ले और सोफ्स्टोन के बहुत बड़े भण्डार हैं, उसके लिए इन पर्टीकुलर एरिया में इंडस्ट्रियल एरिया डवलप किया जाए, ताकि आज के समय में जहां इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलिस्ट मार्केट के हिसाब से कष्ट में हैं। मार्केट सही नहीं चल रहा है। उसमें सरकार की तरफ से सहायता प्रदान की जाए।

(श्री विवेक धाकड़)

एक चीज निवेदन करना चाहूंगा, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड एनडीए के टाइम पर प्राइवेट ग्रुप वेदांता को दे दिया गया। उसको लास में बताया गया। उससे अटैच चित्तौड़ में एक घोसूंडा डैम बना है। नाम तो डैम है, पर वह इर्रिगेशन या पोर्टेबल वाटर के लिए नहीं, इंडस्ट्रीज यूज के लिए था। वह इंडस्ट्रियल यूज का पानी चंदेरिया में जो जिंक स्मैल्टर है, जो भीलवाड़ा के हुडा से रॉ-मैटीरियल निकल रहा है, उसका स्मैल्टर प्लांट जो कि चित्तौड़ के चंदेरिया में एस्टेब्लिश हुआ, उसकी वॉटर सप्लाई के लिए वह डैम बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम पर हिंदुस्तान जिंक एक गवर्नमेंट बॉडी थी। इसलिए जो सारा एक्पैंडीचर गवर्नमेंट द्वारा वहन किया गया, वह ठीक था। इसमें मेरा निवेदन है चूंकि यह प्राइवेट सेक्टर का हो गया और बैलेंस शीट में वेदांता ग्रुप अभी काफी प्राफिट में, उस स्थिति में जब हम प्राइवेट कन्सर्न को उसको दे रहे हैं तो वह अपना खुद का सोर्स अपने असैट से डवलप करे। इसका कुछ पार्ट ओजलिया का खेड़ा जो कि मार्बल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा सेंटर है, रीको का एरिया है, उस घोसूंडा डैम के पानी का कुछ पार्ट उसको और कुछ पार्ट भीलवाड़ा जिले में हमीरगढ़ जो कि कपड़ा इंडस्ट्री का हब है, उसको दिलाया जाए, ताकि सब चीज बैलेंस हो और सारी इंडस्ट्रीज में डीसेंट्रलाइज्ड तरीके से सरकार की तरफ से सभी को लाभ मिले।

बजट में जो सी.ई.टी.पी. की घोषणा की गई, यह मैटर बार-बार आ रहा है, रिसर्जेंट राजस्थान में भी कहा गया। पाली, बालोतरा में एफ्यूलेंट डिस्पोजल के कारण जो यूनिट्स बंद हुई थीं, उसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से रीको और पोल्यूशन बोर्ड का जो 50-50 परसेंट का शेयर है, वे तुरन्त प्रभाव से प्लांट स्थापित हों। वह भार इंडस्ट्रियलिस्ट पर नहीं पड़े, ताकि वहां एंटरप्रिन्योरशिप डवलप हो सके, ऐसा मेरा निवेदन है।

एक चीज और आयी थी। हमारे एक सम्माननीय सदस्य ने ड्राई पोर्ट की बात करी, उसी समय मुझे याद आया, क्लिक किया, भीलवाड़ा में भी एक ड्राई पोर्ट स्थापित हुआ और वहां पर मिनरल डिपोजिशन हैवी कंसाइनमेंट है और साथ ही सिंथेटिक का बहुत बड़ा क्षेत्र है। उस ड्राई पोर्ट को और अच्छे डवलप किया जाए ताकि भीलवाड़ा जिले की और चित्तौड़ की दो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज को वहां लाभ मिल सके। एक चीज और आई थी, किस रूप में लिया जाता है। राजस्थान, बिहार और झारखण्ड अलग होने के बाद मेरे हिसाब से

(श्री विवेक धाकड़)

सबसे बड़ा मिनरल डिपोजिशन का है और राजस्थान की पूरी इकोनोमी.. आगे जो हम रोजगार की बात कर रहे हैं। हमारे सम्माननीय सदस्य ने कहा, वह सारा ट्यूरिज्म मिनरल और माइंस पर निर्भर करता है और कहीं न कहीं हमें इसको सोचना पड़ेगा कि रॉ-मैटीरियल की वैल्यू कम रहती है। वैल्यू एडेड करके एंड यूजर के पास जो चीज जा रही है, उस रूप में अगर बनायेंगे। अगर वह राजस्थान में ही डवलप होगी, इसका छोटा-सा एग्जाम्पल दूंगा कि क्वार्टज और फैल्सफार का बहुत बड़ा डिपोजिशन राजसमंद और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और वहां सिर्फ क्रशिंग प्लांट डवलप हुए है। अभी हमारे किशनगढ़ के रावत साहब ने कहा। क्रशिंग प्लांट्स डवलप हुए हैं। भीलवाड़ा में गेल की पाइप लाइन आ गई। इंडस्ट्रियल यूज, प्रोसेस हाउस और टाइल इंडस्ट्री के लिए उस गेल की पाइप लाइन का मुआवजा देकर सरकार की तरफ से कांदा में प्लांट एस्टेब्लिश हो गया। मेरा निवेदन है कि इन चार साल में तो नहीं परन्तु अब अगर चार-छह महीने में आप सोचे तो वह टाइल इंडस्ट्री जो मोरवी में प्रोडक्ट जा रहा है, मोरवी में जो रॉ मैटीरियल क्रश होकर जा रहा है, वहीं पर टाइल इंडस्ट्री डवलप हो सकती है। चूंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत बढ़ जाता है। उसका लाभ कहीं न कहीं इंडस्ट्रीज, जहां इतना बड़े आनलाइन ट्रांजेक्शन होने लग गए या इतना कट थ्रोट आउट मार्केट डवलप हो रहा है, उस मार्केट में कास्ट कटिंग अगर इंडस्ट्रियलिस्ट की होगी तो कहीं न कहीं वह बिल्डिंग इंडस्ट्री, जो आज बिल्डर्स दयनीय स्थिति में चल रहे हैं और जो कंजूमर्स हैं वह पैसा वहां पास-आन होगा। ऐसा मेरा मानना है उसको फायदा मिलेगा।

इसी प्रकार यूपीए के टाइम पर जिंदल का प्लांट भीलवाड़ा में एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद आयरन ओर के दो बड़े प्लांट्स स्पार्क सेल वहां पर प्रपोज्ड थे। इन चार सालों में उस पर कोई प्रगति देखने को नहीं मिल रही है। मैं तो यह कहूंगा कि उन आयरन प्लांट्स के साथ-साथ उन्होंने बहुत बड़ा इन्वैस्टमेंट दो-पांच-दस करोड़ का नहीं, 6000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के उन्होंने प्रपोजल्स दिए थे। साथ में जिंदल में जो पेलेट प्लांट का था, उसको भी देखा जाए। यहां से सिर्फ रॉ मैटीरियल ही नहीं ले, उनके प्लांट्स भी वहां एस्टेब्लिश हो, इसको देखा जाए। चूंकि डिपार्टमेंट-वाइज जो लिस्ट आई है उसमें शिक्षा, कला, संस्कृति लिखा हुआ है।

टूरिज्म को भी मैं इंडस्ट्री मानते हुए टूरिज्म इंडस्ट्री के हिसाब से जो हैरिटेज होटल में पहले फोरेन टूरिस्ट आते थे, वहां डोमेस्टिक और डेस्टिनेशन

(श्री विवेक धाकड़)

वेडिंग के हिसाब से जो चीज चाहिए, उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी-सी स्मूथ की जाए ताकि वह भी डवलप हो सके। सैंड ड्यून सफारी जो दुबई में था, उसकी तर्ज पर यहां वैस्टर्न राजस्थान में जो प्रपोज किया गया था, वह प्रपोजल मैंने शायद दो साल पहले पढ़ा था, वह अब तक कहीं वर्क-आउट नहीं हुआ है। उसको भी वर्क-आउट कराया जाए। जो फ्रेट डैडीकेटेड कोरीडोर बन रहा है दिल्ली से मुम्बई के बीच में, उसमें जो पाइंट दिया गया है, वह हमारे मावली का दिया गया है। उसकी कनेक्टिविटी भीलवाड़ा से इस ढंग से की जाए कि वहां पर उस चीज से इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कोई दिक्कत नहीं हो और उसकी कास्ट व टाइम दोनों बचें।

दूसरा, पोकरण राजस्थान का न्यूक्लियर टैस्ट के लिए विख्यात है। दोनों गवर्नमेंट में आदरणीय इंदिरा जी के नेतृत्व में प्रथम टैस्ट हुआ था और परम सम्माननीय वाजपेयी साहब के समय दूसरा टैस्ट हुआ था, उनके कार्यकाल में। यहां पर रेडियोएक्टिव रिएक्टर्स के लिए जो यूरेनियम चाहिए, उसकी भी यहां पर सम्भावना है। काफी टाइम से उसके बारे में देखा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण वह है। यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर जो इनमें सैंक्शन लगी थी वह हमारे मनमोहन सिंह साहब और सोनिया जी के प्रयासों से वह सैक्शन वेवआफ होने का धरातल तैयार हुआ था। यूरेनियम रेडियोएक्टिव व पावर प्लांट्स के लिए यह बहुत जरूरी है। उस पर भी ध्यान दिलाया जाए।

मांग संख्या 43 खान विभाग पर मेरा निवेदन है, सारी चीज बजरी पर चल रही है तो बजरी से शुरुआत करते हैं।

श्री सभापति: बजरी का इतना खनन हो चुका है।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): सर, मेरा उसमें दूसरे उससे निवेदन है। मेरे मांडलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सबसे लम्बा एरिया बजरी का जा रहा है। बनास की बजरी सबसे क्वालिटी की बजरी मानी जाती है। मेरा निवेदन यह है कि बजरी एक सरफेस मिनरल है। पहले हमको उसको देखना पड़ेगा कि उसका जो माइनिंग आपरेशन है, एक तो नैचुरल डिपोजिशन है सरफेस पर है, बहुत सीमित संसाधनों से, सीमित खर्च से वह खनिज निकाला जाता है। उसमें जो खेल चल रहा है वह इस वजह से चल रहा है कि उसकी लागत जो है वह तो कम है और उससे कमाई बहुत ज्यादा हो रही है। अगर यह बीच का जो गैप है, यह अगर ट्रांसफर हो जाएगा स्थानीय लोगों के बीच में, ट्रांसपोर्टर के बीच

(श्री विवेक धाकड़)

में और एंड-यूजर उपभोक्ता के बीच में तो यह समस्या मेरे हिसाब से समाप्त हो जाएगी।

श्री सभापति: अब यह कहां जा रहा है इस समय।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): अभी तो ठेकेदार के पास जा रहा है। सेंट्रलाइज्ड जो ठेकेदार है, उसके पास जा रहा है। वह मर्जी आए जो रेट ले रहा है, मर्जी आए जिससे रायल्टी ले रहा है, मर्जी आए जितनी रायल्टी ले रहा है। सारा पैसा तो उसके पास जा रहा है। वह अगर ट्रांसपोर्टर और स्थानीय सहभागिता में चला जाएगा तो उसका वज़न थोड़ा कम हो जाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): मेरा इसमें यही निवेदन है कि इसको इस ढंग से बनाया जाए। अभी सुबह माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि एसटीपी का हो रहा है। इसमें गर्वनमेंट और प्राइवेट वर्क्स सारे हैल्डअप हो रहे हैं। मानसून सीजन हम मानते हैं जून, बहुत-बहुत बड़े वर्क्स पैंडिंग हैं। बजरी एक ऐसी चीज है जो फाउण्डेशन से लेकर लास्ट फिनिशिंग तक ये काम में आती है तो एसटीपी के लिए डीएमजी आफिस से किया जाए क्योंकि मैं वहां जानता हूं खातेदारी में सैंड स्टोन के खनन के लिए किस तरीके से नीति बनाने के बाद खान विभाग से लाइसेंस बनाने में कितनी मुसीबत आती है, समस्या आती है। एसटीपी को थोड़ा-सा इस ढंग से बनाया जाए, वहां कैम्पस लगाने पड़ें या डीएमजी का प्रतिनिधि वहां आए। यह विदिन 15-20 डेज हो जाए ताकि बजरी वहां पर रैगुलर सप्लाई हो जाए और दो-तीन महीने में वह काम दिख जाए। दूसरा मेरा निवेदन है कि खातेदारी भूमि पर माननीया मुख्य मंत्री ने जो कहा कि ओपन आक्शन नहीं करके प्रीमियम पर खातेदार को अलाट किया जाए। बजट भाषण के बाद उनको मैंने धन्यवाद भी दिया। कंसर्न भी किया कि जब एक तरफ हम यह नीति बनाने वाले, इसके लिए प्रयास करने वाले इंजीनियर कन्हैया लाल जी धाकड़ और नीति बनाने वाले हमारे सम्माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब, उनके निर्देशों पर यह नीति बनी। उनके लिए कई योजनाएं आदरणीय सुंदर सिंह जी भण्डारी साहब की तो, इसको बिना प्रीमियम के ही रखा जावे क्योंकि यह बहुत छोटे स्तर पर खनन होता है और बहुत अल्प समय के लिए होता है। मैकेनाइज्ड होने के बाद एक या दो साल लीज चलती है। इसमें स्पेसिफाई किया जाए, इसमें अप-टू फोर

(श्री विवेक धाकड़)

हैक्टेयर लिखा हुआ है। वह डिस्क्रिशन आते ही माइनिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा-सा मामला, उसको दे देते है कोमा का अधिकार तो फिर घोटाला शुरू हो जाता है। उसको शुरु से ही स्पेसिफाई कर दीजिए कि जीरो टू फोर हैक्टेयर ताकि स्पेसिफिकेशन होने के बाद उनका डिस्क्रिशन खत्म हो जाए। पार्शलिटी नहीं हो। एक-आधा हैक्टेयर वाला भी अगर डिमांड करे तो उसको वह मिल जाए।

मार्बल खंडे पर माननीया मुख्य मंत्री महोदय ने रायल्टी माफ की है और जिस तर्क पर उन्होंने रायल्टी माफ की है, पहले तो उनका धन्यवाद, उन्होंने रायल्टी माफ की। मेरा निवेदन है उन्होंने यह कहा था कि बाउंड्री वाल बनाने के लिए, कच्ची दीवार बनाने के लिए आम आदमी इसका उपयोग करता है और नीयरबाई एरिये में इसका उपयोग होता है तो मेरा ऐसा निवेदन है कि बहुत हार्ड पत्थर होता है, बहुत भारी पत्थर होता है, सैंड स्टोन और कोटा स्टोन में भी जो कि तीन या चार जिले प्रभावित करेगा। सैंड स्टोन का डिपोजिशन भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, जोधपुर, धौलपुर और करोली में, कोटा स्टोन बांरा, झालावाड़ जिले में है। उसी तर्ज पर जो तर्क है उनकी भी रायल्टी माफ कराने का श्रम करावें।

श्री सभापति: धन्यवाद। समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): सर, एक मिनट में बिलकुल समाप्त कर रहा हूं। सैंड स्टोन पत्थर की कटिंग पर खर्च अधिक आ जाता है। रिसर्च एंड डवलपमेंट पर खर्च इसका बढ़ाया जाए और कटर प्लांट्स जो लग रहे हैं उन पर सब्सिडी और बिजली बिल की छूट दी जाए ताकि उनको बढ़ावा मिले। एक चीज और मैं निवेदन करना चाहूंगा। इसी से रिलेटेड है। एक सिलिकोसिस की बीमारी जो खनन क्षेत्र से जुड़ी हुई है। सिलिकोसिस की बीमारी का सर्टिफिकेट इश्यू होने पर एक लाख रुपए का मुआवजा प्रस्तावित है। अगर ऐसे व्यक्ति की डैथ हो जाती है तो एक लाख के बाद एडिशनल तीन लाख का मुआवजा उसके परिवार को क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है। मेरे पास 13 ऐसे एक्जाम्पल्स हैं विथ सर्टिफिकेट्स, इनकी डैथ हो गयी और सिलिकोसिस से डैथ के सर्टिफिकेट्स उन लोगों को इश्यू नहीं हुआ। एक जगह तो ऐसा हुआ, गवर्नमेंट हास्पिटल में वह भर्ती हुआ, गवर्नमेंट हास्पिटल में उसकी डैथ हुई। सिलिकोसिस के कारण हुआ पर टीबी की एक टैक्निकल

(श्री विवेक धाकड़)

मेडिकल लैंग्वेज डालकर उनको सर्टिफिकेट्स इश्यू नहीं हुआ और इस तरह से तीन-तीन लाख के तेरह कैसेज तो मेरे सामने ही हैं। मैं आपके आदेशानुसार अगर आप फरमा दें तो ये मैं टेबल पर नजर कर दूंगा और बाउंड्री वाले जो फोटोज हैं, वह भी कर दूंगा। आपने बोलने का मौका दिया, माननीय सचेतक साहब ने एक्स्ट्रा टाइम दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद विवेक जी, विराजिए। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मांग संख्या 42 व 43 खनिज व उद्योग पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। सभापति महोदय, राजस्थान की गिनती उन प्रमुख राज्यों में होती है जहां पर सबसे ज्यादा खनिज संसाधन है। लेकिन दुर्भाग्य से इतने खनिज संसाधन होने के बावजूद भी राजस्थान में आज तक न तो नये उद्योग लगे और न ही राजस्थान में ऐसी कोई मजबूत खनिज नीति बनी जिससे आम किसान का, आम जवान का फायदा हो सके।

सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने एक नारा दिया था कि रिसर्जेंट राजस्थान हम कर रहे हैं तो राजस्थान में बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी। एक साल तक राजस्थान का जवान रिसर्जेंट राजस्थान की तरफ देखता रहा कि रिसर्जेंट राजस्थान कितना बड़ा होगा, कितने एमओयू होंगे, कितने उद्योग यहां लगेंगे, कितना निवेश होगा। दुर्भाग्य से 2003 से 2008 के दौरान भी रिसर्जेंट राजस्थान की बात चली थी और हुआ था। दुबारा जब रिसर्जेंट राजस्थान हुआ तो इसके अन्दर उद्योगपति, औद्योगिक घराने व एनआरआई इस कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा रहे। प्रदेश की प्रगति के लिए निवेश का आपका प्रयास था वह असफल रहा। 300 करोड़ रुपये से अधिक का खर्चा रिसर्जेंट राजस्थान के अन्दर हुआ। मुख्य मंत्रीजी ने बाहर भी रोड शो किए। जापान यात्रा भी की और देश के प्रमुख स्थानों पर घूमे। कई लोग यहां रिसर्जेंट राजस्थान में हिस्सा लेने आए थे। 300 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद 3 लाख 37 हजार करोड़ रुपये के एमओयू इसके अन्दर हुए। तीन वर्षों में केवल 10 हजार करोड़ का ही निवेश हो पाया, यह सरकार की बहुत बड़ी असफलता की ओर इंगित करता है। केवल तीन से चार फीसदी सक्सेज रेट रही। सौलर में आपने 1 लाख 90 हजार के एमओयू किए लेकिन निवेश मात्र

(श्री हनुमान बेनीवाल)

एक हजार करोड़ का, यानी केवल आधा परसेंट। माइनिंग सेक्टर में 76 हजार करोड़ के एमओयू हुए लेकिन निवेश मात्र 1500 करोड का हुआ, यह हाल तब है जब प्रदेश खनिज भण्डारों में एक अग्रणी राज्य है।

सभापति महोदय, यहां पर तेल खनिज के सबसे अधिक भण्डार हैं। देश का 27 प्रतिशत तेल अकेले बाड़मेर ज़िले से निकलता है। राज्य की स्थिति केन्द्रीय स्तर पर इतनी कमजोर है कि यहां के प्रपोजल पर केन्द्र सीरियस नहीं है। बाड़मेर के गैस व क्रूड भण्डार स्थापित होने के बावजूद नीलामी के लिए नहीं खोले गए। राज्य सरकार के पत्रों पर केन्द्र कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। रिफाइनरी लगने में दस वर्ष लग गए। सभापति महोदय रिफाइनरी राजनीति की भेंट चढ़ गई। पहले कांग्रेस सरकार ने जाते-जाते सोनिया गांधी से उद्‌घाटन करा दिया और वह पत्थर चोरी हो गया, थाने में उसकी एफआईआर दर्ज हुई थी। अब दुबारा रिफाइनरी को लेकर आप आखिरी साल में वहां आए और बहुत बड़ी सभा भी वहां पर करने का प्रयास किया था लेकिन उतनी बड़ी सभा नहीं कर पाए जितनी बड़ी सभा मैंने वहां की थी, प्रधानमंत्री जी की सभा उससे कम रह गई। सभापति महोदय, रिफाइनरी की तरफ देखते हुए दस साल हो गए।

श्री सभापति: आपकी सभा रिफाइनरी के लिए हुई थी क्या?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हां, मैसेज देने के लिए। मेरी भी रिफाइनरी के लिए हुई थी। मैं भी रोजगार, कर्ज माफी के लिए सभा कर रहा था। दस वर्षों से राजस्थान के युवाओं को एक उम्मीद थी। मैं बाड़मेर जिले के अन्दर भी गया, वहां गांव-गांव घूमा लेकिन मुझे विकास नजर नहीं आया। सबसे ज्यादा कोयले का, वहां राज वेस्ट कम्पनी है, कहने में तेल निकाल रही है लेकिन वहां जवानों को रोजगार में प्राथमिकता नहीं है। मेरी सरकार से मांग रहेगी कि जहां भी उद्‌योग धन्धे स्थापित हों सबसे पहले वहां के लोकल, ज़िले के लोगों को, उस पंचायत के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान निकल सके।

सभापति महोदय, आपने बताया कि एमओयू के अन्दर 40 हजार करोड़ का हमने फायदा किया। तो आप यह बताओ कि पिछला जो एमओयू हुआ था उसमें 40 हजार करोड़ रुपये ज्यादा कैसे हो गए। अगर ज्यादा हो गए तो ज्यादा करने वाले अधिकारी कौन थे, आपने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही

(श्री हनुमान बेनीवाल)

की। बजट में बिन्दु संख्या चार में मुख्य मंत्रीजी ने 40 हजार करोड़ की लागत कम करने की बात कही। परन्तु आज तक सार्वजनिक एमओयू नहीं हुआ है। पहले लागत ज्यादा किस प्रकार थी, अब कैसे कम की, इसके अन्दर कौन जिम्मेदार थे, इस पर सरकार ने कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस नुकसान की कोई बात नहीं कर रहा है वह राजस्थान के युवाओं को हुआ है, जो 2008 से निकलने वाले तेल के बावजूद रोजगार से दूर है। जबकि देश का 27 प्रतिशत तेल बाड़मेर से निकल रहा है। सभापति महोदय, उस नुकसान की कोई बात नहीं कर रहा जो रिफाइनरी नहीं लगने से डिस्काउंट रेट पर निजी कम्पनियों, रिलाइंस व एस आर को क्रूड तेल देने से हुआ। क्रूड तेल का बहुत बड़ा घोटाला भी बाड़मेर में हुआ। इसके अन्दर बहुत से राजनेताओं के नाम भी आए। अगर इसकी पूरी सीबीआई जांच होती तो निश्चित रूप से बहुत लोग सलाख़ों के पीछे होते।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्रीजी ने वहां कहा कि केन्द्र सरकार को 50 हजार करोड़ का नुकसान रिफाइनरी स्थापित करने से होगा। यानी 50 हजार करोड़ का भार केन्द्र पर पड़ेगा। आप तो कह रहे हो कि हमने 40 हजार करोड़ का फायदा कर लिया, लेकिन 50 हजार करोड़ का नुकसान केन्द्र सरकार को होगा, अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा यह प्रधान मंत्रीजी ने रिफाइनरी के वहां पर घोषणा की थी। सभापति महोदय, इस नुकसान-फायदे के दावों के बीच युवाओं के साथ पिछले दस वर्षों से छलावा किया जा रहा है। हर बार चुनावी वर्ष में रिफाइनरी का उद्घाटन कर भ्रमित किया जा रहा है। अब यह रिफाइनरी कब लगेगी, लगेगी जब हम मानेगे। सभापति महोदय, रीको केवल लैंड बैंक की मशीन बन गया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जब सृष्टि पर कोई संकट आता है तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और माहेश्वरी चार देवियां एक साथ बैठती हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, अभी सदन में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है।

श्री सभापति: सृष्टि पर बोला है मैंने।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सृष्टि पर, पूरी धरती पर। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब बच गई सृष्टि। (व्यवधान) बच गई।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, रीको केवल लैंड बैंक बनाने की मशीन बन गया है। उद्योग लगाने के बजाए जमीनों की खरीद फरोख्त एक मात्र उद्देश्य रह गया है। सरकार से मेरी मांग है कि रीको के प्लाटों के संबंध में सरकार श्वेत पत्र जारी करे। रीको एरिया में कुल कितने प्लाट हैं, कितने समय से खाली हैं, किन लोगों को आबंटित हैं तथा किन उद्देश्यों के लिए, किन शर्तों पर, किन दरों पर आबंटित किए गए। रीको एरिया में 60-70 फीसदी प्लाट खाली है। इसके बावजूद उद्योगों में विकास के लिए किसानों से जबरदस्त जमीन एक्वायर की जा रही है। नागौर ज़िले के अम्बूजा को पांच हजार बीघा से ज्यादा जमीन आपने दे दी लेकिन तीस साल से वहां उद्योग नहीं लगा। आपने सदन के अन्दर यह घोषणा की थी कि अम्बूजा की लिमिट हम इस बार नहीं बढ़ाएंगे, उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन कार्य जारी है।

मंत्री महोदय, आज जब आप उत्तर दें तो कम से कम इस बात का तो दे दें कि अभी क्या आपने उसकी लिमिट बढ़ा दी, बढ़ा दी तो फिर वह कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं अगर नहीं बढ़ाई है तो उन अधिकारियों पर कार्यवाही करें जो सदन में आपकी घोषणा के बावजूद भी वहां कंस्ट्रक्शन कार्य करा रहे हैं, इससे हजारो-लाखों लोगों को रोजगार के अन्दर संकट आ रहा है। अगर पहले काम चालू हो जाता तो नया उद्योग विकसित होता और लोगों को वहां पर रोजगार मिलता। औने पौने दामों के अन्दर किसानों से तो जमीन ले ली लेकिन जो जमीन दस हजार रुपया बीघा आपने एक्वायर की उस जमीन का भाव आज बीस लाख रुपये है। इस तरह पिछले तीस साल से यह खेल चल रहा है।

उद्योगों को सब्सिडी पैकेज देने में भारी अनियमितताएं की जा रही हैं। सरकार किसानों को सब्सिडी या कर्ज माफी पर तो रोज वित्तीय भार के आंकड़े गिनाती है कि अगर किसान का कर्जा माफ करेंगे तो इतने रेवेन्यू का सरकार पर अतिरिक्त भार आएगा। लेकिन उद्योगों को पैकेज द्वारा कितनी सब्सिडी दी गई इस पर कोई चर्चा नहीं है। आप श्वेत पत्र लाओ, कितनी सब्सिडी उद्योग लगाने के नाम पर उद्योगपतियों को दी गई है।

सभापति महोदय, इसी क्रम में आपको बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट सब्सिड़ी के नाम पर अल्ट्राटैक सीमेंट को अधिकारियों ने मिलीभगत, नियमों के विपरित 87 करोड़ की सब्सिडी घोटाले को अंजाम दे दिया। फर्जी नोटशीट

(श्री हनुमान बेनीवाल)

पर अल्ट्राटैक सीमेंट को 75 प्रतिशत इंटरेस्ट सब्सिडी दी, जिसका वित्त विभाग को 2012 में मालूम चलने के बावजूद भी, अफसर छह साल तक फ़ाइल को दबाकर बैठे रहे। अब ए सी बी में परिवाद दर्ज होने के बावजूद फाइलें प्रस्तुत नहीं की जा रही हैं। शायद सम्भव है कि अफसर फाइल चोरी करवा दें, या चोरी हो चुकी होगी।

सभापति महोदय, एक और उदाहरण रीको चैयरमेन व एमडी का अपने पद के दुरुपयोग का बताना चाहूंगा जिसमें दोनों अधिकारियों ने नियमों के विपरीत ढाई गुणा ज्यादा आवास मद रेंट के नियम बोर्ड बैठक में पारित कर लिए, जबकि रूल्स में ऐसा सम्भव नहीं है। गाड़ी खरीद के घोटाले में 98 फीसदी पेमेंट के बाद भी मोबाइल वैन डीलर से नहीं उठाई और दस साल तक गाड़ी डीलर के गैराज में खड़ी-खड़ी कबाड़ हो गई। डीलर ने 18 लाख रुपया किराया भी मांग लिया और जब गड़बड़ी सामने आई तो फाइल चोरी करवा दी। अधिकारी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मंत्रीजी, इसमें आपको निश्चित रूप से कार्यवाही करनी चाहिए।

सभापति महोदय, रीको का ही एक मामला है। इस कहानी की शुरुआत 1996 के अन्दर होती है, जब ओम कोठारी फाउण्डेशन ने कोटा में कालेज खोलने के नाम पर 40 हजार स्क्वायर मीटर, दस एकड़ भूमि आबंटन के लिये प्रार्थना पत्र लगाया था। रीको ने इंद्रप्रस्थ इण्डस्ट्रियल एरिया, कोटा में 40 हजार स्क्वायर मीटर भूमि आरक्षित कर दी, फेज में आबंटित करने के आदेश पारित किये। पहले फेज के अन्दर 20 हजार स्क्वायर मीटर कालेज खोलने के लिये रियायती दरों पर आबंटित की तथा दूसरे फेज के अन्दर 20 हजार स्क्वायर मीटर भूमि के लिये, फेज-एक, 01.04.97 तक पूरा करने की शर्त रखी गई।

सभापति महोदय, इसके बाद सन् 2001 में ओम मैटल्स एण्ड मिनरल्स द्वारा 42453 मीटर जमीन, 20 हजार मीटर आरक्षित सहित अपने पक्ष में आबंटित करवा ली, जिसमें शर्त थी कि 20 हजार मीटर भूमि पर कालेज, तथा दूसरी 20 हजार मीटर भूमि पर कालेज के लिये कालोनी में स्टाफ के रहने की जगह होगी तथा शेष 2453 मीटर खुला सुविधा क्षेत्र होगा। कम्पनी द्वारा चालाकीपूर्वक, सभापति महोदय, यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। लोकायुक्त ने रिपोर्ट दी है, चालाकीपूर्वक लोक सेवकों से सांठगांठ कर 20

(श्री हनुमान बेनीवाल)

हजार मीटर भूमि जो स्टाफ कालोनी के लिये आबंटित थी, पर निजी प्लाट, बंगले व विला बनाकर बेच दिये। जिसकी नक्शा मंजूरी 03.02.2006 को तथा 04.09.2007 को दो चरणों में दी गई, जो कि रीको के भूमि निस्तारण 1979 के नियमों के विरुद्ध थी, जिसका लोक सेवकों द्वारा जान बूझकर उल्लंघन किया गया।

सभापति महोदय, 2011 में लोकायुक्त ने इस मामले की जांच प्रारम्भ की। लोकायुक्त ने इस जांच के अन्दर श्री सी.पी. कोठारी, निजी व्यक्ति, 11-12-2000 से 30-11-2012 तक रीको के डाइरेक्टर पद पर रहे। लोकायुक्त ने अपनी जांच में कहा कि कोई निजी व्यक्ति सौ प्रतिशत पब्लिक फंडिंग वाली संस्था का डाइरेक्टर कैसे बन सकता है। जबकि उसका एक भी रुपया नहीं लगा हो, वह जनता की गाढ़ी कमाई की संस्था पर पद-स्थापित हो, उसका वह नहीं बन सकता। लोकायुक्त ने अपनी जांच में कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री सी.पी. कोठारी को निजी स्वार्थों को साधने के लिये रीको जैसे सार्वजनिक संस्था का डाइरेक्टर बनाया गया। रीको के डाइरेक्टर पद पर रहते हुए सी.पी. कोठारी ने साजिश पूर्वक नियमों को दरकिनार कर 42453 स्क्वायर मीटर भूमि का आबंटन अपनी निजी कम्पनी मैसर्स ओम मैटल्स व मिनरल्स के नाम करवा दी। लोकायुक्त के समक्ष की गई कोई भी कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 के अन्तर्गत एक न्यायिक कार्यवाही है। शिकायतों की जांच-पड़ताल के सम्बन्ध में लोकायुक्त को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां प्राप्त हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट, साहब।

सभापति महोदय, 01-01-2015 को राजस्थान लोकायुक्त एक्ट, 1973 की धारा 12(1) के तहत मुख्य मंत्री को एफ.आई.आर. करने की सिफारिश कर जांच सी.बी.आई. या ए.सी.बी. से कराने को कहा। सिफारिशों में श्री सी.पी. कोठारी को रीको का निदेशक नियुक्त करने से सम्बन्धित समस्त लोक सेवकों, मंत्री, अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध एफ.आई.आर. करने तथा मैसर्स ओम मैटल्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड को इंद्रप्रस्थ इण्डस्ट्रियल एरिया, कोटा में भूखण्ड आबंटन करने के मामले की डील करने वाले रीको के लोक

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सेवकों, आबंटन के समय रीको के नियुक्त रहे निदेशकों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने तथा जांच सी.बी.आई. या ए.सी.बी. को सुपुर्द करने की सिफारिश की गई।

सभापति महोदय, सिफारिशों में आबंटित भूखण्ड को तुरन्त प्रभाव से कब्जे में लेकर अवैध कब्जेधारियों पर भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर भूमि को मूल स्वरूप में बहाल करने को कहा गया। सिफारिशों में आबंटित भू-खण्ड पर किये गये अवैध निर्माण को कब्जेधारियों के खर्चे पर हटाने के लिये राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने को कहा गया।

सभापति महोदय, इसमें मैं इतना सा निवेदन आपसे करूंगा कि राजस्थान के अन्दर मजबूत लोकायुक्त नहीं है। मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड के अन्दर, जिस तरह लोकायुक्त को एफ.आई.आर., जिस तरह ए.सी.बी. अपनी जांच भी करती है और एफ.आई.आर. भी दर्ज करती है और चालान भी करती है। यहां लोकायुक्त सिफारिश कर सकता है। लेकिन लोकायुक्त के पास वह शक्तियां नहीं हैं। इसलिये मैं सरकार से मांग करूंगा कि मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अन्दर बने। लोकायुक्त ने जब एफ.आई.आर. करने के, जब जांच रिपोर्ट के अन्दर आपको कह दिया कि यह फर्जीवाड़ा है, मुकदमा दर्ज करो, तो मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप जवाब दें तो इसके अन्दर इस मामले में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट, सभापति महोदय, दो मिनट। आप विराजें हैं, दो मिनट तो बोलने दें, साहब।

श्री सभापति: खूब बोल लिये, खूब बोल लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट। बस, मैं माइनिंग पर आ जाता हूं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): हो गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कालूलालजी, ठीक ट्रैक पर बोल रहा हूं न!

खनन विभाग अपने निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हर वर्ष कर रहा है। सभापति महोदय, दूसरी ओर, अवैध खनन दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। अभी थोड़े

(श्री हनुमान बेनीवाल)

दिनों पहले ही एक सरपंच की हत्या हुई। इससे पहले भी अवैध खनन को लेकर कई अधिकारी और कई जन प्रतिनिधियों पर हमले हुए। कई बार पुलिस दल पर भी हमले हुए।

सभापति महोदय, 45 हजार करोड़ का खान घोटाला, राजस्थान के अन्दर इसकी गूंज रही, पूरे देश के अन्दर। सभापति महोदय, एक भी व्यक्ति दोषी नहीं होता, सब वैसे-के-वैसे हैं। इस तंत्र की वजह से सरकार तो बदल जाती है पर राज उन्हीं लोगों का रहता है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: पढ़कर नहीं बोलते, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हैं जी?

श्री सभापति: पढ़कर नहीं बोलते।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): थोड़ा तो कुछ देखूं इसके अन्दर।

श्री सभापति: देख सकते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सारे ही देख रहे हैं। अब सभी देख-देखकर ही कर रहे हैं। मैं वैसे ही बना रहा हूं, साहब।

सभापति महोदय, राज उन्हीं लोगों का रहता है, जो एक काकस, वे ही अफसर रहते हैं, राज बदल जाते हैं। वे ही लोग आते हैं और वैसा ही चलता है। सभापति महोदय, कोटपूतली के अन्दर अवैध खनन की बात करना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शांत रहें। आपस में वार्ता नहीं करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, पी.एम.ओ. व राज भवन के दखल के बाद 212 करोड़ की राजस्व पैनल्टी आडिट टीम द्वारा लगाई गई। एन.जी.टी. के आदेशों से इस अवैध खनन पर रोक लगी है। इस प्रकार प्रतापगढ़ में 2.60 करोड़ का रेड-ओकर का अवैध खनन अधिकारियों की मिलीभगत से चलता रहा। प्रदेश में 21660 मिलियन टन लाइम स्टोन, 20419 पोटाश, 2190 ग्रेनाइट, 5720 लिग्नाइट और 1231 मिलियन टन मार्बल के भण्डार होने के बावजूद विकास नहीं होने की वजह केवल अवैध खनन रहा है।

सभापति महोदय, मैं बजरी पर कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहूंगा। बजरी घोटाला एक ऐसा चर्चित विषय है, जिसने राजस्थान को पूरे देश के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अन्दर प्रसिद्ध पर ले आया। एक नम्बर का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार बजरी घोटाले के अन्दर हुआ। माफिया पर कोई अंकुश, सभापति महोदय, नहीं लगा। क्योंकि ढांचागत भ्रष्टाचार के तहत सरकार के सबसे ऊपरी लोगों का सीधा सहयोग व माफिया को संरक्षण रहा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। बजरी पर बहुत चर्चा हो गई है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट, सभापति महोदय, आप विराजें हैं, दो मिनट का टाइम तो दे दें हमारे को।

श्री सभापति: मैंने इतना दे दिया न।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो इस पर ही बोलूंगा। बाकी डिमाण्ड पर बोलूंगा नहीं, दो-तीन मिनट में ही।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो-तीन मिनट में ही।

सभापति महोदय, जो बजरी का ट्रक तीन हजार का आता था, वह तीस हजार के अन्दर चला। सभापति महोदय, जो माइनिंग पालिसी लेकर आये, एक ट्रक अगर अवैध पकड़ा जाए तो सवा लाख की पैनल्टी काटते हैं। अगर एक ट्रैक्टर ट्राली बजरी की या पत्थर की पकड़ी जाए तो उस पर 27 हजार की पैनल्टी काटते हैं। तो जो लोग अपना पेट भरते हैं, कई बार, अपने खेत के अन्दर, खातेदारी के अन्दर अगर वे इल्लीगल माइनिंग करके पेट भरते हैं तो उन पर भी इतनी भारी पैनल्टी सरकार लगाती है तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि किसानों को उनके खातेदारी खेतों के अन्दर पट्टे जारी करें। जो लोग लगातार सैण्ड-स्टोन निकालते हैं, कई वर्षों से ऐसी खानें, सभापति महोदय, जहां सैण्ड-स्टोन पीढ़ी-दर-पीढ़ी निकलता है तो वहां क्वेरी लाइसेंस सरकार जारी करे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है।

सभापति महोदय, बजरी के मामले में इतना-सा निवेदन करूंगा कि सरकार के संरक्षण के बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना सम्भव नहीं है। बजरी माफिया पर कोई कानून लागू नहीं होता। मुख्य मंत्री ने अपने बजट के धन्यवाद भाषण में कहा था कि बजरी खनन की नीति पिछली कांग्रेस के समय बनी थी। इसलिये घोटाले हुए और रोक लगी। पर यह तो बताएं कि साढ़े चार वर्षों तक बिना पर्यावरण की अनुमति के खनन क्यों जारी है। लीज

(श्री हनुमान बेनीवाल)

की अवधि 2013 से क्यों नहीं तय की गई। जबकि खनन पट्टे 2013 तक कार्यरत थे। 500 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान 2013 से लीज अवधि तक हुआ।

सभापति महोदय, राजस्थान का ही पड़ोसी राज्य है। भा.ज.पा. की ही सरकार है। मध्य प्रदेश के अन्दर, जहां बजरी खनन में छोटे-छोटे पट्टे काटकर किसानों व भू मालिकों को खनन करने की अनुमति दी गई। जबकि राजस्थान में एक ग्रुप विशेष का एकाधिकार रहा, जिसका लक्ष्य सीमेंट की भांति बजरी को कट्टों में सप्लाई कर एकाधिकार करने का है।

सभापति महोदय, अब मैं एक मिनट के लिये खान महाघोटाले पर आना चाहूंगा। लोगों में यह भ्रम है कि घोटाला 2015 तक ही था, अब खानें निरस्त हो चुकी हैं। परन्तु मैं आपको जिम्मेदारी से यह बताना चाहूंगा कि घोटाला अब भी जारी है तथा कोर्ट के माध्यम से इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। वंडर सीमेंट, जो कि इस घोटाले का भागीदार था, उसको हाई कोर्ट में सरकार द्वारा कमजोर तथ्यों व पैरवी द्वारा पहले सिंगल बेंच में फायदा दिया।

श्री सभापति: पढ़ें नहीं, माननीय सदस्य, समाप्त हुआ आपका।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब डी.बी. में अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया। जबकि विभाग के डाइरेक्टर व कमेटी ने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त हो गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बस दो मिनट, साहब, अब दो मिनट तो बोलने दें। आज कोई ज्यादा नहीं हैं, साहब।

श्री सभापति: खूब बोल लिये आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट, साहब। मैं दो मिनट माइनिंग पर बोल देता हूं।

वंडर सीमेंट की ओर से हाई कोर्ट में दायर रिट का जवाब पेश करते समय खान विभाग ने कम्पनी के पक्ष में असत्य तथ्यों के आधार पर प्राथमिक निर्धारण और एरिया कम करने के तथ्य को कोर्ट के सामने नहीं रखा और न ही आबंटित चरागाह जमीन के बारे में बताया। यह तथ्य साबित करते हैं कि कम्पनी को एक एल.ओ.आई. जारी करने में फर्जीवाड़ा हुआ। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त हुआ, माननीय सदस्य। श्री श्रीराम भींचर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट तो दो साहब, ऐसे क्या?

श्री सभापति: हो गया, हो गया।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, एक पाइंट आफ इन्फार्मेशन है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): लास्ट, दो मिनट। गुर्जर साहब, एक मिनट। दो मिनट दो, साहब, कम से कम आप विराजे हो तो इतनी मेहरबानी तो करो हमारे ऊपर। दो मिनट बोलूंगा मैं।

श्री सभापति: हो गया आपका।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट, लास्ट दो मिनट।

श्री सभापति: एक मिनट में आप खतम करो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): लोकायुक्त ने सीमेंट कम्पनियों की जांच में फर्जी प्राथमिकता निर्धारण करने, फर्जी आकड़े तैयार करने के कारण विभागीय अधिकारियों को नोटिस से जवाब मांगा है। विभाग में वह अधिकारी जिनके साइन, प्राथमिकता निर्धारण प्रक्रिया में बयान दिये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं पढ़ने को अलाउ नहीं कर सकता। नहीं, थोड़ा-थोड़ा, पूरा नहीं पढ़ सकते।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): थोड़ा तो पढ़ूंगा मैं, इसके अन्दर लोकायुक्त की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, साहब। निर्धारण के समय ब्लाक को लेने से किसी कम्पनी ने मना नहीं किया तथा ऐसा कोई साक्ष्य भी रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है, सिर्फ निदेशक, खान के कथन से यह माना गया कि इसके अलावा सभी कम्पनियों ने ब्लाक लेने से, वंडर के अलावा सभी कम्पनियों ने ब्लाक लेने से मना कर दिया। लोकायुक्त जांच में एक कम्पनी प्रतिनिधि जो प्राथमिकता निर्धारण के समय मौजूद था, उसने कलकत्ता से आकर बयान दिये, हमने ब्लाक लेने से मना नहीं किया। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त हुआ। श्री श्रीराम भींचर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): फिर हाई कोर्ट के समक्ष यह तथ्य क्यों नहीं रखे गये? माननीय सभापति महोदय, हाई कोर्ट ने भी जिरह के समय सरकारी वकील को लो-प्रोफाइल का दर्जा दिया। (व्यवधान).

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री श्रीराम भींचर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, सरकारी वकील को समय लेने का मौका दिया तथा जांच सी.बी.आई. से कराने की .... (व्यवधान)

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-42 और मांग संख्या-43 पर आपने जो समय दिया, आपके माध्यम से...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय,...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, सरकार ने जान-बूझकर वहां पर मजबूत पैरवी नहीं की और सी.बी.आई. जांच करने से मना कर दिया गया। अब विभाग के सभी अधिकारियों द्वारा डी.बी. में अपील करने के बावजूद...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराज जाएं। विराजें। मैं पढ़ने को अलाउ नहीं करूंगा, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट तो करो साहब, मैं तो लोकायुक्त की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं।

श्री सभापति: नहीं, मैं पढ़ने को अलाउ नहीं कर सकता। कोई रिपोर्ट भी जब तक पेश नहीं हुई है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हो गयी। पेश हो गयी जब ही तो हमारे पास आई है, साहब। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराज जाएं। आप भी विराजें श्रीरामजी, एक बार विराजें। मैं खड़ा हूं, आसन पैरों पर है। देखिए, सदन के संचालन के कुछ नियम हैं और जब मैं वहां पर बैठकर व्यवस्था के प्रश्न उठाता हूं तो मैं साफ कहना चाहूंगा माननीय सदस्य किसी चीज का रेफरेंस दे सकते हैं लेकिन किसी चीज को सदन में पढ़ना और पढ़कर भाषण देना अलाउ नहीं है इसलिए आपको पर्याप्त समय मिल गया, आपको समाप्त करने के लिए मैंने कह दिया, मैंने दूसरा नाम पुकार लिया इसलिए अब इसके बाद में बुलाना सम्भव नहीं है। आपको पूरा समय दे दिया, आप विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरे इलाके की तो एक-दो बात कह दूं, साहब? मेरे इलाके की। माफ करो मेरे को, क्यों लड़ रहे हो मेरे से? (व्यवधान)

श्री सभापति: हां, अब आप समाप्त करो। समाप्त करें आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं मेरे इलाके की दो बात कह दूं?

श्री सभापति: हां, बोलिए-बोलिए, एक मिनट में आप समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब कह दिया न, क्यों कर रहे हो कालू लालजी आप? यह हमारे खींवसर विधान सभा क्षेत्र में, एक मिनट मंत्रीजी, आप नोट करो, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा। खींवसर विधान सभा क्षेत्र में डी.एम.एफ.टी. के तहत 2013 से 2018 तक, माननीय सभापति महोदय, 50 करोड़ से ज्यादा की रायल्टी प्राप्त हुई है। वहां कुछ सड़कें हैं मेरे उस इलाके की, जिनकी मैं मांग करूंगा कि मंत्रीजी, हमें नागौर जिले से सबसे ज्यादा खनिज की रायल्टी मिलती है और मेरे इलाके से नागौर में सबसे ज्यादा खनिज की रायल्टी मिलती है लेकिन वापस पैसा डवलपमेंट के अन्दर, आप वहां पर पैसा नहीं देते हैं तो मैं मांग करूंगा कि खींवसर क्षेत्र के माणकपुर, बावंडा, टाडावास, भेड़-चावंडिया और इन क्षेत्रों में सड़कें बनाई जाएं और माणकपुर, बावंडा, टाड़ावास, इससे 200 से अधिक जो चूने के भट्टे लगे हैं, माननीय सभापति महोदय, सरकार ने, मुख्य मंत्रीजी ने यह तो कह दिया कि चार हैक्टेयर तक खातेदारी के अन्दर पट्टे दे सकते हैं लेकिन जहां पर प्रतिबंध है, जो लाइम स्टोन है, उसको आप सीमेंट ग्रेड के लिए जो आरक्षित कर रखा है, उसमें छूट दें और किसानों को लाइम स्टोन की खनिज के पट्टे वहां पर जारी करें, हमारे इलाके का विकास करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं फिर दुबारा आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, आपने व्यवस्था दे दी, इनका बंद करके दूसरे को पुकार लिया, उसके बाद भी बोले जा रहे हैं। श्रीरामजी, आप बोलिये। श्रीराम भींचर खड़े हों। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री श्रीराम भींचर। कृपया आप बैठ जाएं। कृपया हनुमानजी, विराजें। श्री श्रीरामजी भींचर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय,...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब मैंने उनका नाम पुकार लिया, आप विराजें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, एक पाइंट आफ इन्फार्मेशन है। अपने सदन के कुछ माननीय लोगों ने एक नाम दिया,

(श्री धीरज गुर्जर)

उससे पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा पड़ा है कि इस सदन में भूत है। जनता ने इनको मार-मार कर भूत बना दिया उप चुनाव में इसलिए सदन में इनको भूत दिख रहे हैं। मेरा एक आपसे निवेदन है कि...(व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मुझे यह लगता है कि माननीय सदस्य भूत बनकर ही आए हैं। आप यहां भूत बनकर आए हो।...(व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अन्दर, ऐसा अंधविश्वास है, जो सदन में हम शपथ लेते हैं कि प्रदेश के अन्दर अंधविश्वास को नहीं फैलने देंगे, वैज्ञानिक रूप से काम करेंगे।...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराज जाएं, माननीय सदस्य। विराजिए। विराजिए। ऐसे बोलेंगे तो अंकित नहीं होगा, विराज जाएं।

माननीय सदस्यगण, बिना अनुमति के पाइंट आफ इन्फार्मेशन अगर इस प्रकार उठाएंगे तो पाइंट आफ इन्फार्मेशन का जो कहीं लिखा हुआ नहीं है और वह आसन अपनी इच्छा से देता है तो उस पर आघात पड़ेगा।

जहां तक भूतों का सवाल है, बिना आसन की अनुमति के भूत ही बोलते हैं, एक और, हर आदमी का शरीर पंच-महाभूतों से बना हुआ है। पंच-महाभूत, पांच-पांच भूत एक-एक आदमी के सिर में है, शरीर में है इसलिए भूतों की चिंता मत करें। श्री श्रीराम भींचर। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इसका मतलब, कालू लालजी भूत हैं? सबसे ज्यादा यह बिना अनुमति के बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: सबके शरीर में पांच-महाभूत से बना शरीर है यह। श्री श्रीराम भींचर।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 42-उद्योग और मांग संख्या 43-खनिज पर आपने मुझे बोलने का जो मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

(17.45 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धराजी राजे और भारत के प्रधान मंत्री

(श्री श्रीराम भींचर)

माननीय श्री नरेन्द्र मोदीजी को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि बजट से पहले मार्बल और ग्रेनाइट पर काफी टैक्स का भार था और वह भार बढ़ते-बढ़ते काफी हो गया था और वह जी.एस.टी. के रूप के अन्दर जो लागू किया गया जो 15-16 परसेंट से बढ़कर एकदम से 28 परसेंट हो गया था और उस 28 परसेंट टैक्स होने की वजह से मार्बल की एसोसिएशंस ने, जनता की मांग पर राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने और भारत के प्रधान मंत्री ने इस जी.एस.टी. के टैक्स को 28 परसेंट से घटाकर 18 परसेंट किया, इसके लिए मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीया वसुन्धराजी राजे को और भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी को धन्यवाद देता हूं कि आपने जनता की इस मांग को स्वीकार करके और जनता को बहुत बड़ी राहत दिलवायी है।

इसी प्रकार प्रेशस स्टोन पर 3 प्रतिशत टैक्स लगता था, वह भी जनता पर बहुत बड़ा भार था, उस पर भी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने इस बात को पहचाना और 3 प्रतिशत जो यह टैक्स लगता था उसको 3 प्रतिशत से कम करके पाइंट टू फाइव किया है, इसके लिए मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को एक और धन्यवाद दूंगा कि जो खातेदारी की जमीन थी, अगर कोई खातेदार अपनी जमीन पर खान आबंटन करवाना चाहता था तो उसके बाद में नियमों में कुछ परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के बाद में नियम ऐसे बने कि जिससे वह खातेदार अपनी खातेदारी की जमीन में खान अलाट नहीं करवा सकता लेकिन अभी 12 तारीख को जो बजट पेश हुआ, इस बजट के अन्दर राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने इस बात को समझा, जनता की तकलीफ को समझा और उन्होंने जो खातेदार अपनी खातेदारी जमीन के अन्दर चार हैक्टेयर तक कोई खान आबंटन करवाना चाहे तो उसकी छूट दी, इसके लिए मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद।

एक जो बजरी के एकल पट्टे दिये हुए थे और उसकी वजह से जनता पर बहुत बड़ा भार पड़ रहा था लेकिन इस बजट के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने इस बात की छूट देते हुए कि एकल पट्टे जो बजरी के दिये गये हैं, उनको नहीं देकर छोटे-छोटे पट्टे दिये जाएंगे जिससे हर आदमी को इसका कोई ज्यादा अधिक भार नहीं पड़ेगा या एक आदमी जो एकल पट्टे का मालिक है, वह

(श्री श्रीराम भींचर)

ज्यादा लूट नहीं कर पाएगा तो इसकी भी मुख्य मंत्रीजी ने इसकी छूट दी है, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं।

इसी प्रकार खनन के दौरान मलबा/ओवरबर्डन पर 10 रुपये प्रति टन की रायल्टी लगती थी जबकि यह मलबा/ओवरबर्डन किसी काम का नहीं होता है लेकिन फिर भी उस पर 10 रुपये प्रति टन की रायल्टी लगती थी, इस पर भी इस समस्या को मुख्य मंत्रीजी ने समझा और उन्होंने अभी जो बजट पेश किया 12 तारीख को, इसके अन्दर उन्होंने छूट देते हुए 10 रुपये प्रति टन जो इस पर मलबा और ओवरबर्डन पर जो रायल्टी ली जाती थी, उसको सम्पूर्ण रूप से माफ किया, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि 'सुराज संकल्प यात्रा' के दौरान माननीय मुख्य मंत्रीजी जब मकराना आई थीं और उस वक्त माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैंने एक मांग की थी कि हमारे मकराना के अन्दर जो खान से बड़े-बड़े पत्थर निकलकर जब वह फैक्ट्री के अन्दर आते हैं और फैक्ट्री में आने के बाद में जब वह ड्रेसिंग होते हैं तो उसमें छोटे-छोटे इस तरह के खण्डे और चीपें निकलती हैं जो किसी काम की नहीं होतीं और उस पर 28 रुपये प्रति टन के हिसाब से रायल्टी ली जाती थी। इस बात को मैं बार-बार मुख्य मंत्रीजी से, सम्माननीय मंत्रीजी से और माननीय प्रमुख शासन सचिव से मैं बार-बार इस बात की मांग करता था। और इस पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रमुख शासन सचिव महोदय को इसके लिये मकराना भी भेजा कि आप मकराना जाकर वहां की स्थिति को समझें और उन्होंने मौके की स्थिति देखकर इस बात को देखा कि यह जो छोटे-छोटे खण्डे और चीपें निकलती हैं, यह कोई काम में नहीं आती है। यह उन लोगों के काम में आती है, जो गरीब लोग होते हैं, वह अपने कच्चे मकान बनाने के हिसाब से या खेतों में आवारा पशुओं के द्वारा जो नुकसान होता है, उस फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिये जो कच्ची दीवार बनाते हैं, वह उसके लिये काम में लेते हैं। इसके लिये मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारी मकराना की जनता की मांग पर व मेरे द्वारा इस बात की बार-बार मांग करने पर इस बात को मुख्य मंत्रीजी ने समझा और उन्होंने 12 तारीख को मकराना-बोरावड के एक कुमारी पत्थर, जो मेसेनरी स्टोन के नाम से जो 28 रुपये प्रति टन की रायल्टी लगती थी, इस पर मुख्य

(श्री श्रीराम भींचर)

मंत्रीजी ने इस सम्पूर्ण रायल्टी को माफ किया है इसलिये मैं मेरी ओर से और मकराना की जनता की ओर से राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।

मैं इस संबंध में उद्योग मंत्रीजी से भी एक मांग करना चाहूंगा। बजरी के बारे में इश्यू तो बार-बार आ रहा है और कई सदस्यों ने इस बात को उठाया है। इस संबंध में मैं एक निवेदन करूंगा कि हमारे रीको इंडस्ट्रियल एरिया, जो बिदयाद के नाम से है, वहां पर कुछ ऐसे प्लाट्स हैं, जहां पर अतिक्रमणियों ने वहां पर अतिक्रमण कर रखा है और उन्होंने कोर्ट के अन्दर स्टे भी ले रखा है। लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि आज 20-20, 25-25 साल हो गये और इसके बाद भी वह कोर्ट से स्टे नहीं हटा पाये। इसलिये माननीय मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि इस तरह के जो अवैध लोग वहां पर बैठे हुए हैं, उन लोगों ने वहां पर अतिक्रमण कर रखा है, आप अविलम्ब कोर्ट के अन्दर अपना पक्ष रखकर आप इस स्टे को वेकेट करवायें ताकि सरकार की वह जमीन वापस पुन: सरकार की स्थापित हो सके।

इस संबंध में मैं एक विशेष तौर से, क्योंकि मकराना एक औद्योगिक क्षेत्र है और वहां पर हजारों की संख्या के अन्दर मार्बल की चिराई मशीनें भी हैं, हजारों की संख्या के अन्दर मार्बल खानें भी हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार के अन्दर चाहे किसी भी विभाग का जो कानून बनता है, वह एक तरह से समान होता है, लेकिन मुझे इस बात का आश्चर्य है कि राजस्थान के अन्दर अभी जो खनिज नीति बनी हुई है, इस खनिज नीति के अन्दर हमारे मकराना का जो मार्बल है, इस पर पूरे राजस्थान से हटकर खनिज नीति बनी हुई है। राजस्थान के अन्दर चाहे कहीं भी जो पत्थर निकलता है, चाहे वह किसी भी तरह का है, उस पर रायल्टी खान पर ली जाती है और हमारे मकराना के अन्दर वह रायल्टी खान पर पत्थर की नहीं लेकर हमारा जो फिनिष्ड गुड्स होता है, उस पर ली जाती है, यह बात है। इसलिये मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है, माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर जो नीति बनती है, तो एक समान बनती है और हमारे मकराना के व्यापारियों के साथ यह जो नीति अलग से हटकर, राजस्थान में अलग हटकर बनी हुई है, इसलिये मेरा निवेदन है कि जो सम्पूर्ण नीति राजस्थान के लिये बनी हुई है, राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार पत्थर पर रायल्टी ली जाती है, उसी प्रकार हमारे मकराना

(श्री श्रीराम भींचर)

के अन्दर भी खान का पत्थर निकलता है तो उसी पर रायल्टी ली जाये, फिनिष्ड गुड्स पर नहीं ली जावे। इसका कारण है कि एक व्यापारी मकराना के बाहर की मंडी से जब पत्थर खरीदता है तो उसके रायल्टी नहीं लगती है। और वही व्यापारी मकराना के पत्थर को खरीदेगा तो उस पर अलग से रायल्टी लगेगी, इसलिये वह व्यापारी यह सोचेगा कि राजस्थान के अन्दर जो दूसरी मंडियां हैं, वह लूटपाट नहीं करती हैं और मकराना के व्यापारी इस तरह की रायल्टी लेकर और हमारे साथ लूटपाट कर रहे हैं, इसलिये वह व्यापारी मकराना में आने से बंद हो जाएगा और बंद होने से पूरे भारत के अन्दर नहीं, बल्कि विश्व के अन्दर मकराना का पत्थर संगमरमर के नाम से जो पहचाना जाता है, आज संगमरमर पत्थर अगर कहीं है तो सिर्फ मकराना के अन्दर है। मकराना के अलावा राजस्थान का चाहे कहीं का पत्थर हो, चाहे भारत के अन्दर कहीं हो, चाहे विश्व का कोई भी पत्थर हो, अगर संगमरमर पत्थर है तो वह सिर्फ मकराना का है। बाकी जितने भी पत्थर हैं, वह ओवर आल स्टोन है। इसलिये मेरा निवेदन है कि नियमों के अन्दर यह जो विसंगतियां हैं, इसको आप समझें और आप दूसरे स्थानों पर जो रायल्टी पत्थर पर ली जाती है, उसी प्रकार हमारे मकराना के पत्थर पर भी रायल्टी ली जाये, फिनिष्ड गुड्स पर नहीं ली जाए।

मैं एक निवेदन यह भी करूंगा कि मकराना की खानें बहुत पहले आबंटित हुई थीं। आज से करीब 400-500 साल पहले हुई थीं और यह स्टेट के जमाने से ही आबंटित हुई थीं। यह एक छोटे-छोटे चकले और खरल बनाने के हिसाब से यह खानें आबंटित हुई थीं, न कि कोई मार्बल स्लैब वगैरह निकालने या बड़े-बड़े पत्थर निकालने के हिसाब से नहीं हुई थीं। छोटे-छोटे हथकर्घा उद्योग के रूप में हुई थीं। लेकिन उसके बाद जब आगरा का ताजमहल बना या कोलकाता का जो विक्टोरिया मेमोरियल बना, उसके बाद में मकराना के संगमरमर की जब पहचान बनी तो उसके बाद में छोटे-छोटे उद्योग लगना शुरु हुये, बार-बार मशीनरी के अन्दर डवलप हुआ और आज जो डवलपमेंट हुआ, यह निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि आज बहुत बड़ा मशीनरी युग आ गया है, जिससे यह काफी डवलप हुआ है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह जो मकराना की छोटी-छोटी खानें हैं, यह हैक्टेयरों में नहीं होकर, यह बीघों में नहीं होकर यह बहुत छोटा-छोटा एरिया है। 200×200 का एरिया, 100×100 का एरिया, आज से 400 साल पहले जो 200×200 फुट के

(श्री श्रीराम भींचर)

हिसाब से आबंटन हुआ था, उस वक्त एक परिवार था, लेकिन आज यह स्थिति है कि वह एक परिवार नहीं होकर आज उस परिवार के अन्दर 50-50 मैम्बर हो गये। अब आप यह अंदाज लगाइये कि जब 200×200 का एरिया था, उस वक्त एक आदमी था और आज उस परिवार के अन्दर 50 भी हो गये, 100 भी हो गये तो आप अंदाज लगाइये उनको एक-एक फुट का एरिया उनके हिस्से में आ रहा है। और एक-दो फुट के हिसाब से आ रहा है तो आप यह अंदाज लगा लो कि उस परिवार का कैसे गुजारा चलता होगा, बात यह है। यह भी मेरा निवेदन है।

इसके साथ ही, मकराना की जो खानें हैं, इनकी भिन्न प्रकार की स्थिति है। मकराना के अलावा जितनी भी खानें अलाट होती हैं, वह हैक्टेयरों में होती हैं, बीघों में होती हैं, 18-20 बीघा से कम नहीं होतीं, लेकिन जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि मकराना का एरिया बहुत छोटा-छोटा है और मकराना की खानों से 90 डिग्री के अन्दर खनन नहीं हो सकता। मकराना की खानों से 90 डिग्री में खनन नहीं होकर, उसका खनन पूर्व की ओर, जिसको अगुवाड भी बोलते हैं, उस तरफ मकराना की खानें दौड़ती हैं और आखिरी खान 100-150 फीट या 200 फीट के नीचे खान जाएगी तो उस वक्त वह 90 डिग्री नहीं होकर वह जीरो भी हो जाएगी। इसलिये मेरा खान मंत्री से निवेदन है कि आप मकराना की जो भूगर्भीय स्थिति है, आप इसको समझें और उसके अनुसार इस बात को समझकर और अलग से इसकी नीति बनायें।

इसके साथ ही, मकराना की खानों को सुरक्षित करने के लिये मेरा एक निवेदन है कि यह मकराना की खानें अभी सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षित इसलिये नहीं हैं कि ऊपर जैसा मैंने बताया कि 90 डिग्री में काम शुरु होता है और नीचे जाकर अगवाड की तरफ, पूर्व की तरफ दौड़कर खानें रेंगकर एकदम आगे 100-100 फुट दौड़ जाती हैं। अब ऊपर का एरिया तो 90 डिग्री में है, लेकिन नीचे जाकर वह जीरो हो गया। अब वह खानें बारिश के समय में गिरती हैं और बार-बार कई मजदूर वहां पर मरते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि खानों को सुरक्षित करने के लिये कोई इस तरह का नियम बनाया जाये जिससे वहां पर खानों में काम करने वाले श्रमिक की मौत नहीं हो और मौत होने से आपको मालूम है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां खान मालिक पर लाखों रुपये का काफी भार पड़ता है और लाखों रुपये उसको देना पड़ता है।

(श्री श्रीराम भींचर)

इस तरह से खानें चाहे कहीं की हों, चाहे कितना भी लम्बा-चौड़ा एरिया हो, लेकिन सारी खानें समान नहीं होतीं। आज मकराना के अन्दर जो खानें हैं, दस प्रतिशत बड़ी मुश्किल से वह ठीक होंगी, बाकी 90 प्रतिशत खानें अपने परिवार का गुजारा भी नहीं चला पातीं।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आज खानों का जो एरिया है, आने-जाने का जो रास्ता है, आज मकराना की मार्बल खानों से सरकार को बहुत बड़ी आमदनी होती है। लेकिन आज कम से कम 40-50 साल पहले खानों पर जाने का जो रास्ता था, वहां पर उस समय सड़कें बनी थीं, लेकिन आज यह स्थिति हो गयी कि वहां पर सड़क का कोई नामो-निशान नहीं है। सरकार को इतनी आमदनी होती है रायल्टी के माध्यम से, लेकिन 40-50 साल के बाद मैंने आज तक वहां कोई सड़क बनी हुई नहीं देखी। इसलिये मेरा खनिज मंत्रीजी से निवेदन है कि मार्बल खानों तक जाने के जो रास्ते हैं, वहां पर 40-50 साल पहले जो सड़कें बनी थीं, उन सड़कों पर सरकार को जो पैसा मिलता है, एनवायरनमेंट का पैसा भी मिलता है तो इसलिये आप वहां पर सड़कों का निर्माण करायें ताकि आने-जाने में खान मालिक को, ट्रक गाड़ी वाले को सुविधा मिल सके।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि मकराना से परबतसर रेल लाइन थी और वह रेल लाइन काफी समय पहले वहां से शिफ्ट होकर अलग बिछा दी गयी है और वहां पर रेल लाइन भी चालू हो गयी है।

(18.00 बजे)

लेकिन रेल लाइन के नीचे जो जमीन है, वह करोड़ों रुपये की जमीन है और उस जमीन को पड़ोस के जो खान मालिक हैं, वह वहां पर अवैध खनन कर रहे हैं और खूब मजे कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, खनिज मंत्रीजी से निवेदन है, मुख्य मत्रीजी से मेरा निवेदन है कि रेल लाइन के नीचे, रेल लाइन हटने से जो जमीन खाली हुई है, उस जमीन को सरकार, विभाग खान मालिक को, जिसके पड़ोस में आयी हुई है, उसको अलाट करे, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का फायदा होगा और आज जो अवैध खनन हो रहा है, वह भी रुक जायेगा। इसके लिए आप व्यवस्था करें।

एक और मैं निवेदन करूंगा खान नम्बर 106/1 के अन्दर कई बार,

(श्री श्रीराम भींचर)

स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की कि इस खान पर अतिक्रमण हो रहा है, लोग अवैध खनन कर रहे हैं और उस शिकायत पर कई अधिकारियों ने उसकी बार-बार जांच की। पहली बार जांच टीम गई। उसने इस बात को माना कि अवैध खनन हुआ है। इतना घन मीटर पत्थर की चोरी हुई है। दूसरी बार एक टीम और गई और उसने अलग से रिपोर्ट पेश कर दी। उसने उसको और बढ़ा दिया। तीसरी बार एक टीम और गई, उसने उसको और कम कर दिया। चौथी बार जो टीम गयी, उसने उसको जीरो कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि खनिज विभाग के अधिकारी और बड़े-बड़े अधिकारी वहां मौके पर दो-दो, तीन-तीन, चार-चार बार गये और कभी कुछ कर दिया, कभी दुबारा और बढ़ा दिया, तीसरे ने उसको कम कर दिया और चौथे ने एकदम जीरो कर दिया। तो मुझे इस बात का समझ में नहीं आ रहा है कि बार-बार जो स्टेज बदली गई है, किस कारण से बदली गई है? या तो उन्होंने भारी रिश्वत ली होगी, बात यह है। रिश्वत के कारण ही उसको बदला होगा या उसको जीरो किया होगा। इसलिए मैं माननीय खनिज मंत्रीजी और अधिकारियों से यह चाहूंगा कि आप इसकी सम्पूर्ण जांच करायें और दोषी अधिकारी जो हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

एक बार मैं पुन: राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मकराना की जनता के लिए और मेरे लिए रायल्टी माफ करके जो तोहफा दिया है, उसके लिए धन्यवाद। मुख्य मंत्रीजी से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि सुराज संकल्प यात्रा के दौरान मैंने जो मांग की थी, मुख्य मंत्रीजी ने सौ प्रतिशत नहीं, उन्होंने हजार प्रतिशत हमारी समस्याओं का निराकरण किया है इसलिए मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को पुन: धन्यवाद।

एक बार पुन: मैं खान मंत्रीजी और मुख्य मत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा मकराना की भू-गर्भीय स्थिति को समझते हुए, वहां की स्थिति को देखते हुए आप राजस्थान से हटकर खनिज नीति बनाये ताकि वहां के खान मालिकों को सुविधा मिल सके और एक जो मैंने निवेदन किया है कि रायल्टी जो राजस्थान के अन्दर पत्थर पर ली जाती है और हमारे फिनिषड गुड्स पर ली जाती है, इसको आप समझकर के और राजस्थान में जिस तरह से रायल्टी ली जाती है, उसी प्रकार हमारी मकराना की खानों से रायल्टी खान पर ली जाए।

(श्री श्रीराम भींचर)

एक बार फिर राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आपको धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापतिजी, आज ऐसे सैक्टर पर वाद-विवाद हो रहा है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा निराश किया है। आजादी के पहले जो भारत का विकास हुआ वह कच्चा माल ले जाकर इंग्लैण्ड के उद्योगों को पनपाने के लिए हुआ और जब हम आजाद हो गये और पहली औद्योगिक नीति बनी 1949 में, तब यह आशा बंधी कि भारत अपना खुद का निर्णय करेगा, विकसित करेगा और सौभाग्य से भारत की प्रज्ञा का उदाहरण है डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी 33 साल की उम्र में वाइस चांसलर बन गये, उनके द्वारा रखी गई भारत की संसद में। उन्होंने तीन सैक्टर का माडल प्रस्तुत किया एक-एक आर्मी के नाते, एक कम्पनी के नाते और एक देश के नाते, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य था कि 1956 में समाजवादी नाम का एक भूत आ गया जिसको 40 साल तक कांग्रेस ढोती रही और 92 में आकर हमारी आंख खुली तब तक देश लुट चुका था। नेहरु माडल के नाम से पूरी दुनिया में हम कहते रहे कि नेहरु माडल लाये, नेहरु माडल लाये ...(व्यवधान) हां, पहली बार। रिकार्ड की बात कर रहा हूं, सुन लो थोड़ा सा। आप नयी पीढ़ी के आदमी हो। नेहरु माडल नाम दिया उसको और उसका आधार क्या था, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, डबल रोटी सरकार बनायेगी, रेल सरकार चलायेगी, उद्योग सरकार चलायेगी, सड़क सरकार चलायेगी, रोडवेज सरकार चलायेगी और 92 में आते-आते कांग्रेस के पूर्वज जो थे, उनकी आंखें खुली नरसिम्हारावजी के रूप में, तो उन्होंने कहा कि देश तो बर्बाद हो गया, अब थोड़ा इसको संभालो। तो 42 साल तक हम पिटते रहे। देश को निराश किया। यह अद्भुत क्षेत्र था। यह कहा जाता था। जब पहली योजना बनी तो एग्रीकल्चर पर 41 परसेंट खर्च हुआ और 56 में आकर दूसरी योजना में कहा, नेहरुजी ने कहा कि अब तो देश पूरी तरह सम्पन्न हो गया क्योंकि एक रुपये में एक मन अनाज आता था पहली योजना में, 56 के बाद 57 में जब ये औद्योगिक नीति लाये तो देश का पैसा उद्योगों की तरफ लगा दिया और उसने क्या दिया, देश की ग्रोथ रेट दी, हिन्दू ग्रोथ रेट। जिस गति से हिन्दू बढ़ता है 2 परसेंट, उतना विकास दर

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

पचास साल तक रही देश में। लेकिन जब अटलजी आये, उसके बाद से ग्रोथ रेट 5 परसेंट से ऊपर चल रही है। हमारा सौभाग्य है, देश का सौभाग्य है। हिन्दू ग्रोथ रेट इस कारण से थी, पहले यह कहते थे कि एग्रीकल्चर, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य, ये चार सैक्टर थे, जब आजादी हुई तो पांचवां सैक्टर जुड़ गया सेवा। सेवा की स्थिति तो हम सब जानते हैं, नौकरी की चिन्ता करते हैं, सब नौकरी में जाना चाहते हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र ने अकर्मण्यता पैदा की।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करूंगा कि आज जब एग्रीकल्चर की सब्सिडी की बात आती है तो सबको हा-हाकार, जलन होती है लेकिन एग्रीकल्चर पर सब्सिडी डेढ़ लाख करोड़ है जिसमें भोजन शामिल है, जिसमें सब्जी शामिल है, लेकिन इण्डस्ट्री को चुपचाप दी गई सब्सिडी पांच लाख करोड़ है लेकिन उसके बाद भी इण्डस्ट्री खाली पड़ी हैं, सारे औद्योगिक क्षेत्र खाली पड़े हैं, यह उसका परिणाम है। इस कारण से मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं कि इस देश में कांग्रेस का एक फोबिया पैदा हुआ, मार्डिनिटी, आधुनिकता, आधुनिकता, नेहरु माडल, लेकिन हकीकत में इस देश में कौटिल्य जैसे विद्वान पैदा हुए, इन्होंने उद्योग के बारे में कहा कि उद्योग के तीन सैक्टर चाहिए। व्यक्ति जहां चाहे, जहां चाहे लाइसेंस की जरूरत ही नहीं। यह कौटिल्य ने कहा है। उद्योग लगाओ व्यक्ति के नाते, जिसको मैं पर्सनल सैक्टर कहता हूं। पर्सनल सैक्टर को बिलकुल नजरअन्दाज कर दिया गया। किसी ने चिन्ता ही नहीं की कि व्यक्ति को छूट दो और चाहे जहां लगाओ उद्योग।

दूसरा उन्होंने कहा, दूसरा सैक्टर था डि-माडल। उन्होंने कहा कि परिवार जहां चाहे और सरकार जहां चाहिए। ऐसा नहीं किया सरकार 56 में जो माडल लायी, उसमें देश के उद्योगपतियों के सामने एक डर पैदा किया कि तीसरा सैक्टर जो राष्ट्रीयकरण का सैक्टर है, सरकार की सुरक्षा का सैक्टर है, इसके अलावा जब चाहेगी, किसी भी उद्योग का सरकार राष्ट्रीयकरण कर लेगी, यहीं हमारी मौत हो गयी। हमारे उद्योगों को प्रेरणा नहीं मिली। प्रेरणा इसलिए नहीं मिली कि कभी भी कांग्रेस के नेता आकर कह देंगे कि राष्ट्रीयकरण कर दो। किया भी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। क्या मिला? यह तो वर्तमान में जो प्रधान मंत्री हैं, उनके कारण से आज करोड़ों खाते खुल गये। इन्होंने क्या किया? इनसे पूछो, राष्ट्रीयकरण कब किया था और उसका परिणाम क्या निकला?

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

यह मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आज उद्योग की स्थिति दिखाने के लिए है क्योंकि राजस्थान में तो एक परसेंट उद्योग पर जो इन्वेस्टमेंट है, सरकार का तो एक परसेंट से भी कम है। फिर चाहते हैं कि उद्योग हमें रोजगार दें। रोजगार में हम आधुनिकता ले आये, 72 में एक कोर ग्रुप बना, स्टडी ग्रुप बना। उसने कहा कि साढ़े सात लाख रुपये में एक आदमी को रोजगार देगा बिग इण्डस्ट्री, लेकिन लघु इण्डस्ट्री सात हजार में से एक आदमी को रोजगार देगा। इसको नजरअन्दाज कर दिया गया। विदेशी कम्पनियां, ये कम्पनियां, वो कम्पनियां लाते रहे और देश बर्बाद होता रहा और बेराजगारों की फौज खड़ी हो गयी। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इस प्रकार का हो रहा है। यह क्यों हुआ, हमने खण्ड-खण्ड विचार किया।

एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं, इस देश की कल्चर में परिवार सैक्टर था जिसको हमने समाप्त किया और कम्पनी सैक्टर ले आये। इसका उदाहरण है पानी की बोतल। उस पर साठ पैसे का खर्चा है लेकिन वह 18 रुपये में मिलती है क्योंकि उसको कम्पनी सैक्टर बनाता है। दूध की थैली 40-45 रुपये की मिलती है। वह सस्ती क्यों मिलती है क्योंकि उसमें पुरुषार्थ है, उसमें शक्ति है। वह इसलिए मिलती है क्योंकि उसको परिवार सैक्टर बनाता है। वहां प्रोफिट की बात नहीं है लेकिन जिसको कम्पनी सैक्टर बनाता है, उसमें केवल और केवल प्रोफिट की बात होती है।

इसी कारण से सब्सिडी का जो क्षेत्र लाये हैं उसका क्या परिणाम है, सब्सिडी खैंचों भाग जाओ, सब्सिडी खैंचों भाग जाओ। यह इंडस्ट्री में चल रहा है, लोन लो भाग जाओ जब तक सब्सिडी मिले, पांच साल की छूट मिले तब तक करो। सैल्स टैक्स की छूट मिल जाए, बिजली में छूट मिल जाए, यह लेओ और फिर भाग जाओ, जब तक टैक्स भी फ्री है, यह सिद्घांत है। मैं आपको यह उदाहरण दूंगा। बाकी में तो उद्योग में सब्सिडी चाहिए। यह ढाबा उद्योग है, इसको देखो कि किस ग्रोथ रेट से कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सब्सिडी मांग रहे हैं क्या, बैंक से लोन मांग रहे हैं क्या? क्यों बढ़ रहा है? उसमें छोटी-मोटी प्रेरणा है। हमने यह प्रेरणा दी ही नहीं, इंडस्ट्री को प्रेरणा नहीं दी। इंडस्ट्री को कैसा किया, राजस्थान के लोग जानते हैं ऊंट को, एक तो ऊंट की नकेल होती है, आदमी ऊपर बैठकर के दौड़ाता है न, फ्री दौड़ता है जब जूतों से कंट्रोल कर लेता है। आपने ऐसा नहीं किया, ऊंट से सीखा नहीं। हमने उसके पैरों में दांवण लगा दिया, फिर उसको दौड़ाना चाहते हैं।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

मोनोपोली एक्ट ले आये। इधर एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्ट, हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे और उधर ले आये मोनोपोली एक्ट, कंट्रोल एक्ट। मोनोपोली एक्ट के माध्यम से कंट्रोल करना चाहते हो और एक्सपोर्ट को प्रमोशन भी देना चाहते हैं। कभी ऐसा हुआ है क्या, एक चीज को कंट्रोल करोगे एक को आप बरबाद करोगे।

इस कारण से मैं आपके माध्यम से कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। सौभाग्य से 1977 में पहली बार सरकार आयी।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): मैं माननीय सदस्य से एक बात कहना चाहता हूं। आपने जिस कौटिल्य साहब की बात की उन्होंने एक बात और भी कही कि स्वामी मत बनो, दास बनो, आप स्वामी बन गये। इसलिए आप दास बनो, तब जाकर जनता का भला होगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): वो उधर पड़ोसियों को कहो यह बात, स्वामी वो बने हैं हम नहीं बने।

1977 तक इस देश में स्माल इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और बिग इंडस्ट्री, पहली बार जनता पार्टी आयी तब एक नया सैक्टर लाये जिसका नाम था टिनी सैक्टर, अति लघु। सूक्ष्म कह दीजिए, अति लघु कह दीजिये या टिनी सैक्टर कह दीजिए। उसका क्या परिणाम हुआ? राजगढ़ वाले माननीय सदस्य, सुन लो। उस टिनी सैक्टर का क्या हुआ? आज आपकी कार में जो डीजल डलता है न वो उस टिनी सैक्टर के कारण से डलता है। एक बार कांग्रेस के बिहार के नेता ने टिप्पणी की थी कि ये क्या उद्योग नीति बनायेगा चौड़े पायजामे वाला। वो ऐसी नीति बनाकर गया जिसके कारण से सिलेसिलाये कपड़े की इंडस्ट्री की आज स्थिति है 80 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट देने वाली इंडस्ट्री है, जिसमें सबसे ज्यादा रोजगार है, वो जार्ज फर्नांडिस के द्वारा जनता पार्टी के द्वारा दी गयी नीति है, जिससे जिंदा हो आप।

इतना ही नहीं, राजनीति के पटल पर खूब हुआ मोरारजी में और चरण सिंहजी में झगड़ा है। एक बात पर सहमति थी कि सोने का डी-राष्ट्रीयकरण करो और गहना बेचकर के। कितना बड़ा सैक्टर है वो, रोजगार की क्या दर है? एक बार आकलन करो, अध्ययन करो। उसका एक लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है एक लाख करोड़ का, वो घर-घर में चलता है। कोई लाइसेंस, परमिट नहीं है जिसके बारे में कौटिल्य जी ने कहा, इसको पर्सनल

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

सैक्टर कहते हैं या परिवार सैक्टर करते हैं। आप तो कम्पनी सैक्टर लाये, कम्पनी सैक्टर ने बरबाद किया। आपको अधिकार नहीं है प्राइस तय करने का। पहले हमारे होता था इंक्लूडेड टैक्स और अब है एक्सक्लूडेड टैक्स। राजीव गांधी जी आये तो एक्सक्लूडेड टैक्स हो गया उस पर, जो पर्ची थी उस पर एक्सक्लूडेड टैक्स हो गया। यह झगड़े चलते रहे। यहां के उद्योगपतियों ने जिन्होंने फायदा उठाया, कम्पनी सैक्टर ने उनके द्वारा नीति तय होती रही जनता के लिए, बेरोजगारों के लिए, इंजीनियर्स के लिए जनता के लिए नहीं। मैं आज ही यह बात कह रहा हूं। राजस्थान में जितने औद्योगिक क्षेत्र बने, ये एग्रीकल्चर के किसी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपने कोई जोन बनाया था? यह तो मैं धन्यवाद दूंगा वर्तमान कृषि मंत्रीजी को, कम से कम वहां से एक पौधा लाकर के उसकी चाय बना रहे हैं। यह पहली बार है, प्रयास हुआ है, पहली बार प्रयोग हुआ है। यह सैक्टर, यह फैमिली सैक्टर पैदा होगा, खेत का सैक्टर पैदा होगा, लेकिन आज राजस्थान में लाखों बीघा, सभापतिजी, एग्री इंडस्ट्री के नाम से कन्वर्ट हो गयी। जहां ऐसी जमीनें कन्वर्ट होकर नाम हो गयीं, कितनी इंडस्ट्री लगी उसमें, इंडस्ट्री लगी क्या उसमें कोई? नहीं लगी, लग ही नहीं सकती। हम तो ऐसी इंडस्ट्री लगाते हैं जिसमें सब्सिडी मिले, लोन मिले और जमीन मिल जाए।

मैं आपको कह रहा हूं, मैंने एक बार उदाहरण दिया था एक सेमीनार में, कि आप एस.बी.आई. बैंक का डी-राष्ट्रीयकरण कर रहे हो, पहले बुक वैल्यू से मत करो, बाजार वैल्यू से करो और मैंने उस सेमीनार में खड़े होकर कहा था दिल्ली में नरीमन पाइंट है, उस पर जो एस.बी.आई. की ब्रांच है, वह बुक वैल्यू 5 लाख की थी, लेकिन उस समय वह 5 हजार करोड़ की थी। इस कारण से आज हम इसको बेच रहे हैं न पर्यटक वाली को, जो हम रोडवेज को बेच रहे हैं, नहीं बेचना चाहिये, बंद कर देना चाहिये, नहीं बेचना चाहिये। जमीन की प्रोपर्टी इतनी ज्यादा है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इस कारण से इंडस्ट्री वाले भी तो बंद करके कितना ज्यादा ले गये, उस जमीन को सरकार को वापस ले लेनी चाहिये और सरकार का नया प्लान बनाना चाहिये, आधुनिक प्लान बनाना चाहिये इसके लिये।

हमने एक तय किया आई डी सी, क्या है यह आई डी सी? इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट कौंसिल या कमेटी, क्या करती है वह? मेरे शाहपुरा में एक छोटा-सा इंडस्ट्रियल एरिया है, 25 साल से दुबारा सड़क ही नहीं बनती

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

वहां। वह इन्फ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता क्या। अगर इस प्रकार का जो सिस्टम है, इसको खण्ड-खण्ड करके हमने बर्बाद कर दिया। आज हमारे एन.जी.टी. लगा दिया, खनन के माध्यम से खजाना भरना चाहते हैं और उसका गला घोट रखा है। एन.जी.टी. के नाम पर खनिज का गला घोट रखा है। जब राजस्थान में खनिज है तो उनको खुला खेलने दो न। आने दो न इनकम। यह तो पहले ही मालूम है कि जब पत्थर घिसेगा तो धूल तो उठेगी ही, जब खान खुदेगी तो उसमें धूल तो उठेगी ही। लेकिन कितने प्रकार के नियन्त्रण, कितनी प्रकार की चीजें, यह दो बातें तय करके हमने देश को नष्ट कर दिया। न तो हमने खुला छोड़ा, न उसको भागने दिया और न उसको जीने दिया। इस प्रकार की जो नीतियां बनी हैं न इस देश में, उस कारण से इंडस्ट्री का, आज इंडस्ट्री के नाम से नहीं होता, कोई परिपत्र बनता है तो विनिवेश नहीं, विनिर्माण क्षेत्र, क्यों विनिर्माण क्षेत्र, उद्योग क्यों नहीं? एग्रीकल्चर तो वैसे का वैसा और विनिर्माण क्यों कर दिया उसका, क्योंकि इंडस्ट्री की तो 2 परसेंट से भी नीचे ग्रोथ रेट है विनिर्माण की, बिल्डिंग बार-बार जगह-जगह बन रही हैं, उस कारण से विनिर्माण उद्योग को जोड़ दिया, इस कारण से आज ग्रोथ रेट 10 परसेंट चली गयी। हकीकत तो नहीं है यह। रोजगार तो तब पैदा होगा जब इंडस्ट्री में उत्पादन होगा। हम कई बार लाते हैं, यह जोन लाये, अच्छा काम किया, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं जो दिल्ली और मुम्बई कोरिडोर में हम जापान जोन लाये, लेकिन जापान वालों से सीखो तो सही। जापान के राजा ने 1868 में घोषणा की एग्रीकल्चर को विकसित करने के लिये दुनिया में जहां भी ज्ञान प्राप्त होगा, मैं लाकर दूंगा। उसने यह घोषणा की कि मैं जहां भी ज्ञान मिलेगा, वह लाकर दूंगा और आज वहां 5 परसेंट एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वह 85 परसेंट को भोजन देता है। हम तो 85 परसेंट से 60 पर्सेंट पर आ गये फिर भी कई बार भोजन नहीं दे पाते। हमने इस प्रकार का किया न सारा का सारा।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कितनी दुर्गति हुई, राजस्थान का एक उदाहरण दूंगा 25 साल तक चार कम्पनियां गिड़गिड़ा रही थीं राजस्थान के चार मुख्य मंत्रियों के सामने, क्या? हमें सीमेंट प्लांट का आशय पत्र दे दो चित्तौड़ का, 25 साल तक आशय पत्र नहीं दिया, कितना नुकसान हुआ? आज तेल के रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, इनसे मैं यह कहूंगा आप तो बाकी मत देखो, उसमें इंटर रेट आफ रिटर्न कितना है? आपके टाइम में तो प्रपोज हो गयी थी, सवाई माधोपुर में तेल का कारखाना लगना

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

था, जब आपका नेतृत्व कमजोर हो गया तो दिल्ली की सरकार ने कहा नहीं, राजस्थान का नेतृत्व पंगु नेतृत्व है इसलिए वो मथुरा चला गया। वो मथुरा चला गया, प्रपोज हुआ था सवाई माधोपुर में।

और सुनो। इन्दिरा जी ने जब बीस सूत्री कार्यक्रम चलाया था, उसका पाइंट था, क्या, जीरो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट। पहली बार हमें जनता पार्टी के टाइम में सत्ता मिली, जिसमें हम शामिल थे, हमने कहा यह जीरो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट नहीं होता। जहां भी उपलब्ध होगा, सारी तहसील हैडक्वार्टर के जितने इंडस्ट्रियल एरिया बने हैं वो उस जनता पार्टी की देन है। क्या किया आपने? 50 साल तक शासन करते रहे, जीरो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट, जीरो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट। ऐसे बोलते थे आप लोग, आपने किया क्या?

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): धीरज जी, कुछ तो सीख लो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अब मेरा ही नम्बर है इनके बाद।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या करेंगे, इनको सीखना ही नहीं है।

कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। अभी बात आयी थी रोजगार की, दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। एक तो बिग इंडस्ट्री से पिछले 70 साल में यह साबित हो गया कि बिग इंडस्ट्री की कैपेसिटी रेट 40 परसेंट से ज्यादा कभी नहीं रही। 100 परसेंट पैदा कर सकते थे और 40 परसेंट से ज्यादा पैदा नहीं किया उन्होंने। स्माल इंडस्ट्री की जो कैपेसिटी रेट रही है वो 95 प्रतिशत रही। इसका भी आकलन करना चाहिए। हम कई बार कहते हैं बड़ा इंडस्ट्री, बड़ा इंडस्ट्री, छोटा इंडस्ट्री क्यों नहीं?

इसी प्रकार से हम कह तो देते हैं, हमने कैपिटल आउटपुट की चिंता की। कितने कैपिटल पर कितना पैदा होगा, इसकी चिंता तो की लेकिन आउटपुट रेट, लेबर आउटपुट रेशो की चिंता नहीं की हमने कि एक लेबर के कारण से कितना पैदा होता है, तब हम रोजगार देते हैं। होना यह चाहिए था कि कैपिटल आउटपुट रेशो नहीं, लेबर आउटपुट रेशो नहीं, लेबर कैपिटल रेशो होना चाहिए था, इसके आधार पर अगर नीति बनती तो निश्चित है देश में विकास होता और विकास की स्थिति होती।

इस कारण से जितने हमने प्रोत्साहन दिए, जितनी प्रेरणा दी उसके साथ ही हमने चाबुक लगा दिए, वह चाबुक नहीं लगने चाहिए थे क्योंकि

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

कौटिल्य ने ही नहीं कहा, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी अर्थ नीति में कह गए खुला छोड़ो, खुला छोड़ो, खुला छोड़ो, नियंत्रण का कहा, नियंत्रण जहां करना है वहां नियंत्रण करो किन्तु चाहे जब जिस चीज पर नियंत्रण? राजस्थान में इंडस्ट्री कम क्यों हैं? मेरे भाई बैठे हैं वह कहेंगे कि हमारी आलोचना कर रहे हैं, उसका कारण क्या है कि नौकरशाहों ने कभी जैसे गुजरात में किया पिछले 20 साल में, उदार बनाया उन्होंने, उनको निराश नहीं किया, बंगाल की वह छोटी कार का कारखाना, दो घंटे में मोबाइल पर तय हो गया। इस कारण से एक तो राजस्थान बिखरा हुआ है, बिजली की समस्या है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी ही बात करूं। मंत्रीजी, ध्यान देना इस पर। मेरे यहां जमीन दे दी मैंने, नेशनल ग्रिड बन गया, 132 के की ग्रिड भी हैं, जमीन भी है, 14 हजार जमीन भी है हमारे पास सिवाय चक, लेकिन अभी तक एक भी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। मैं चाहूंगा कि एक इंडस्ट्रियल एरिया हमारे यहां बने। चार-चार नेशनल हाईवे हैं हमारे पास, उनके बीच में जमीन है हमारी, विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में कोई न कोई विधि से इंडस्ट्रियल एरिया डवलप करें। हमारे यहां से दिल्ली भी नजदीक है, जयपुर भी नजदीक है और बाम्बे कोरीडोर है, वह भी नजदीक है। इस कारण से यह भी निवेदन मैं आपसे करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, एक बात कहूंगा कि हमें इंडस्ट्री को प्रेरणादायी छूट देनी चाहिए, केवल पैसे की छूट की बात नहीं है। प्रेरणादायी छूट, प्रेरणादायी छूट का मतलब, इससे सम्बन्धित तो नहीं है। देवीलालजी जब कृषि मंत्री थे उन्होंने सरसों का समर्थन मूल्य साढ़े आठ सौ कर दिया, मैंने 28 साल तक अर्थशास्त्र पढ़ाया है कालेजों में, कभी नहीं पढ़ा सका मैं कि राजस्थान में सरसों सीड एक नम्बर पर है। ज्यों ही सरसों पर समर्थन मूल्य साढ़े आठ सौ हुआ राजस्थान पहले नम्बर पर आ गया, आज भी पहले नम्बर पर है। ऐसी प्रेरणा होनी चाहिए। इंडस्ट्री को ऐसी प्रेरणा दी जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं रेलवे लाइन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि 57 हजार किलोमीटर रेल लाइन छोड़कर गए थे अंग्रेज, हमने केवल 13 हजार किलोमीटर बनाई है। (व्यवधान) 13 हजार किलोमीटर बनाई है केवल, 70 साल में। (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, एक विषय के बारे में कहूंगा, अभी कई

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

माननीय सदस्य कहेंगे कि अपनी ही अपनी बात कहते हो। दीनदयालजी उपाध्याय को पढ़ना, एक शब्द कहकर गए हैं उसको पढ़ना, क्या? उद्योग कैसे होने चाहिए? 'अपर मात्रिका उद्योग', जितना देश को चाहिए और थोड़ा सा अतिरिक्त, इसका नाम है अपर मात्रिक। तो अपर मात्रिक उद्योग की बात ध्यान में रखकर भी हमें अपनी नीति बनानी चाहिए जिससे उद्योगों का विकास हो।

माननीय सभापति महोदय, दो-एक बात मेरे विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहूंगा। एक तो औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो, जमीन भी है बियावास में, वैसे तो आठ जगह जमीन है लेकिन बियावास में जमीन है। खनिज के बारे में एक छोटी सी बात कहूंगा, खनिज पर मैं बोला भी नहीं लेकिन खनिज में अधिकारी काफी बैठे हैं, मंत्रीजी भी काफी सीरियस बैठे हैं। खनिज में आज एक प्रोब्लम तो अवैध की है और एक एनजीटी की है, इन दोनों के बीच में मैं तो कहता हूं कि दोनों सरकारें, दिल्ली की सरकार और राजस्थान की सरकार कोई न कोई इस तरह का रास्ता निकाले खनिज, क्योंकि खनिज प्रकृति की देन है, राजस्थान खजाना है, राजस्थान की स्वर्ण भस्म उसी में है, उसको बर्बाद भी न होने दें और विकास करके राजस्थान और देश का विकास करें। बहुत सी चीजें हैं, जैसे जापान ने किया, जापान में एग्रीकल्चर को विकसित करके उस पर टैक्स लगाकर उससे इंडस्ट्री को डवलप किया गया। इस कारण से मैं कहता हूं कि राजस्थान को विकसित करके इंडस्ट्री को डवलप किया जाए। इतना ही निवेदन है, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री धीरज गुर्जर।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में जहां से भिण्डा साहब ने बात अधूरी छोड़ी कि अधिकारी यहां बैठे हुए हैं, हमारा दुर्भाग्य यही रहा है कि इस लोकतंत्र में हमने कर्मचारियों को अधिकारी मान लिया। अधिकारी लोकतंत्र में जनता होती है, हम उनके सेवक और कार्यपालिका में जो लोग काम करते हैं वह कर्मचारी होते हैं लेकिन इस देश का दुर्भाग्य रहा कि हिन्दुस्तान के अन्दर आजाद भारत के ऊपर, गुलाम भारत के ऊपर शासन करने के लिए अंग्रेजों ने जो अफसरशाही की परम्परा चलाई उस अफसरशाही की परम्परा का अक्षरशः हम आजादी के 70 साल बाद भी पालन कर रहे हैं और इसलिए छोटे-छोटे कामों के लिए भी हम नेता लोग

(श्री धीरज गुर्जर)

सिफारिश करते फिरते हैं कि साहब, साहब, साहब। साहब जनता है जिसने हमें वोट देकर इस सदन में इसलिए भेजा कि यह जो कर्मचारी हैं, इनके ऊपर लगाम लगाएं। अभी राजस्थान में हम कांग्रेस वाले आपको कहते हैं कि आपने 45 हजार करोड़ रुपए का घोटाला किया, उस 45 हजार करोड़ के अन्दर तो आपके हाथ में 4-5 हजार करोड़ रुपए ही आए होंगे बाकी सब इन लोगों के हाथ में आ गया। यह लोक सेवक और जन सेवक मिलकर राजस्थान की जनता का भला नहीं कर सके तो हमारा इस सदन के अन्दर बैठना बेकार है इसलिए भिण्डा साहब, आप तो खुलकर बोला करो, इन अधिकारियों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान की जनता ने आपको और हमको इस सदन के अन्दर भेजा है और जिस तरह से राजस्थान को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। पहले इस गुलाम हिन्दुस्तान को अंग्रेजों ने लूटा और अंग्रेजों के जाने के बाद में ये अधिकारी, काले अंग्रेज बनकर इस हिन्दुस्तान पर शासन करना चाहते हैं, अगर इनके ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे तो आपका और हमारा इस सदन में आना बेकार हो जाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जो सदन का सदस्य नहीं है उस पर आरोप लगाने से बचें आप।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया।

श्री सभापति: जो आरोप लगाएं हैं उनको एक्सपंज तो कर दो। आप अपनी बात करो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): गोरे अंग्रेज कह देता हूं।

श्री सभापति: जो सदन का सदस्य नहीं है उस पर आरोप नहीं लगाएं आप। यह एक्सपंज कर दो आप।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, माइंस के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जमीन सरकार की है। जब लिखा हुआ है कि इस धरा के ऊपर जो भी जमीन है उस जमीन का पहला और आखिरी मालिक सरकार है या उस धरा पर रहने वाला आदमी, तो फिर क्यों हमने इस देश के अन्दर इस परम्परा को बदलने के लिए नहीं सोचा कि जो जमीन है उसका मालिक तो आज भी फटे हाल कपड़ों के अन्दर बैठा है, जिसकी जमीन में खनन हो रहा है, जिसकी जमीन से पैदाइश हो रही है, जिसकी जमीन से जो लोग मोटर साइकिलों से घूमते थे आज राल्स रायल्स और बड़े-बड़े विमानों के

(श्री धीरज गुर्जर)

अन्दर घूम रहे हैं, क्या कभी सरकार ने, किसी ने भी, इस राजस्थान में 70 साल में कभी किसी व्यक्ति ने इस बात की पहल की कि वह जो उद्योग है, वह जो खनन है, वह सरकार या तो खुद कर ले या उस क्षेत्र पर बसे हुए आदमी को करने का मौका दे दे। जो परम्पराएं चल पड़ीं उनके अनुसार एक बार जिसकी जेब में पैसा आ गया, अपने उसी पैसे का रोटेशन करते-करते हिन्दुस्तान, राजस्थान के अन्दर यह परम्परा बना ली कि उस खनन के ऊपर, खनन वह करेगा, जिस क्षेत्र में वह खनन करता है उस क्षेत्र का आसपास का किसान मारा जाएगा, उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी, उस क्षेत्र का पानी टूट जाएगा और सुख सुविधाओं से वह वंचित हो जाएगा और जिसने जमीन लेकर वहां खनन चालू किया है, वह खनन का उद्योगपति लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बन जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब उसके हिसाब से पालिसी बनने लग जाएगी और अगर ऐसा नहीं होता तो आज अम्बानी और अडानी की सरकार इस देश के अन्दर नहीं होती। आज जो सरकार इस देश के अन्दर है वह सरकार एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं होकर उद्योगपतियों की सरकार बनी हुई है और उसी का परिणाम है कि दाओस के अन्दर आपके प्रधान मंत्रीजी जिसको लेकर गए वह नीरव मोदी इस देश के गरीब आदमियों का 14 हजार करोड़ रुपया लेकर इस देश से भाग गया। जब तक उद्योगपतियों का गुलाम बनकर हम सत्ता चलाएंगे तब तक हमारा लोकतांत्रिक देश कहलाना गलत हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस सदन के अन्दर, जो भिण्डा साहब ने कहा उस बात को भी दोहराना चाहता हूं, हम उद्योगों की बात करते हैं, हमने राजस्थान में रिसर्जेंट राजस्थान किया, आपके रिसर्जेंट राजस्थान करने से राजस्थान में तो कुछ भी रिसर्जेंट नहीं हुआ उलटा उसका नाम डिटर्जेंट राजस्थान कर देना चाहिए था। रिसर्जेंट राजस्थान में जो कुछ माल था वह भी डूबता चला गया। न किसी के हाथ में कुछ आया, न कोई नया उद्योग लगा, न कोई नया स्टार्टअप हुआ, न कोई किसी नए व्यक्ति को मौका मिला और न कोई राजस्थान का गरीब आदमी पैसे वाला बन सका। हमने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि सरकार ऐसी शिक्षा दे, जिस शिक्षा के माध्यम से जो मोची का बेटा है, जो जूते बनाता है, वह बाटा जैसी कम्पनी खोल सके। हमने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि किसान को बेटा जो दूध बेचता है गली-गली के अन्दर हम उसको ऐसा काबिल बना दें कि वह खुद अपनी अमूल जैसी डेयरी लगा सके। हमने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि जो

(श्री धीरज गुर्जर)

छोटे-छोटे उद्योग धंधे करने वाले लोग हैं उनको सरकार इतना काबिल बना दे, उनको इतने संसाधन उपलब्ध कराए, हम घोषणाएं कर देते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो, हम घोषणाएं कर देते हैं कि इससे इस धंधे के लोग लोन लेंगे, वह पैसे वाले बनेंगे, मैंने तो आज तक बैंकों से लोन लेकर किसी छोटे आदमी को पैसे वाला बनता नहीं देखा है। हमें यह परम्परा शुरु करनी पड़ेगी कि हम ऐसे नए-नए छोटे-छोटे उद्योग धंधों के माध्यम से लोगों को काबिल बनाने का काम करें ताकि वह अपने स्तर पर जरूरी नहीं है कि जिसका बाप उस दुकान में बैठकर जूते गांठता था उसका बेटा भी उस दुकान के अन्दर बैठकर जूते गांठे, उस बच्चे का शोरूम लगना चाहिए तब हमारी लोकतंत्र की जो अवधारणा है वह पूरी हो पाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बिला नाम जमीनें सरकार की नाममात्र के पैसों पर सरकार उसको खनन मंत्रीजी, नाममात्र के पैसों पर, मंत्री महोदय।

श्री सभापति: आप तो बोलिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आसन से कह रहा हूं, मंत्रीजी को जगा रहा हूं।

श्री सभापति: मंत्रीजी जगे हुए हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मंत्रीजी के सोने से राजस्थान के अन्दर करोड़ों रुपयों की बजरी की लूट हो रही है।

श्री सभापति: आपके काम की हर बात को वह सुन रहे हैं, जो काम की होगी वह नोट कर ली जाएगी, आप तो बोलें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ...(व्यवधान) जिम्मेदारी सरकार की है।

माननीय सभापति महोदय, नाममात्र की दरों से जमीन सरकार ने खनन उद्योगपतियों को दे दी। खनन उद्योगपतियों को देने के बाद उन बिलानाम जमीनों पर कभी सरकार ने यह सोचा, सोचने ही नहीं दिया, जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका ने कभी इनको सोचने ही नहीं दिया, कभी यह सोचने का मौका ही नहीं दिया कि जो उद्योगपति वंडर सीमेंट या अम्बुजा सीमेंट उस जमीन पर जो नाम मात्र की दरों पर खनन करके सीमेंट के बड़े-बड़े उद्योग लगा रहे हैं, क्या राजस्थान सरकार या इस देश की किसी सरकार ने सोची कि इस तरह के कारखाने हम डाल दें।

(श्री धीरज गुर्जर)

जब वो करोड़ों-अरबों रुपया कमा सकते हैं तो कभी सरकार ने यह क्यों नहीं सोचा कि कुछ ऐसे उद्योग भी हों, जिनको सरकार संचालित करे, कुछ ऐसा खनन का काम भी हो, जिसको सरकार संचालित करे ताकि हमें कम से कम भारत सरकार के सामने बार-बार पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। हमने कभी यह सोचा ही नहीं कि जो हम उद्योगपतियों को दे रहे हैं, वह पैसा हमारी सरकार की जेब में भी आ सकता है और सरकार के पास आने के बाद वह पैसा गरीब जनता के विकास के काम में आ सकता है। अगर इस अवधारणा को लेकर हमने काम किया होता तो इस राजस्थान की तस्वीर कुछ दूसरी होती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे सदन के अन्दर कि 50 साल में यह हो गया, 60 साल में यह हो गया। हमने तो 60 साल राज कर लिया, सेवा कर ली। अब 60 साल के भूखों को राज यदि मिल गया तो 60 साल का अगर 5 साल में खाना चाहोगे तो राजस्थान की जनता आपको ठिकाने लगा देगी।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण दे दूं मैं आपको। भारत के इतिहास की पहली सरकार थी आपकी केन्द्र सरकार, जिसने विनिवेश मंत्रालय खोला। अपनी सरकारी संपत्तियों को उद्योगपतियों में बेचने का, रेगुलराइज करने का आपने सबसे बड़ा काम किया, ऐसा दूसरा उदाहरण इस देश में नहीं है। वे इस देश में कारपोरेट कल्चर लेकर आए नेता जी और उनके कारण विनिवेश मंत्रालय खुला और उसका सबसे बड़ा परिणाम है हिन्दुस्तान जिंक। हिन्दुस्तान जिंक को 400-500 करोड़ के अन्दर बेच दिया आप लोगों ने। इतने की तो 15 -16 हजार करोड़ की हिन्दुस्तान जिंक थी और उस हिन्दुस्तान जिंक को जितने रुपए में आपने बेचा, उतने रुपए का मलबा, स्क्रैप उसके अन्दर पाया गया। अब आप बताइए कि आपने हिन्दुस्तान को लुटवाने का काम किया है या हिंदुस्तान की रक्षा करने का काम किया है। यह मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं हिन्दुस्तान जिंक का, जिसका आज हजारों करोड़ रुपए का व्यापार मुनाफा आता है। अगर हिन्दुस्तान जिंक का मुनाफा हमारे देश को, प्रदेश को मिलता तो क्या वह सरकार की जेब में आने के बाद गरीब लोगों के काम नहीं आता? क्या उससे सड़कें नहीं बनतीं? क्या उससे विकास नहीं होता? हमने सोचा ही नहीं। हमने यह सोचा कि हमारी जेब में 10-12 करोड़ रुपए आ जाएं और उस लोभ में हमने ऐसे व्यक्तियों, माफियाओं को पनपने का मौका दे दिया और उसका सबसे बड़ा नुकसान भुगतना पड़ रहा है मेरे विधान सभा क्षेत्र को।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप क्या आरोप लगा रहे हैं? आप डिमाण्ड पर बोलो। आप बिना नियमों के कोई भी आरोप नहीं लगाएं, माननीय सदस्य।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हिन्दुस्तान जिंक के...अच्छा आपने पैसे नहीं खाए। जिसने भी खाए होंगे, लेकिन हिन्दुस्तान जिंक...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): राठौड़ साहब, भूत हो आप। सभापति महोदय ने क्या कहा था, जो बिना आज्ञा के बोलता है, भूत होता है वह। तो आप भी भूत बनने के बाद फिर यहीं...। हिंदुस्तान जिंक का सबसे ज्यादा नुकसान मेरे विधान सभा क्षेत्र को हुआ है। मैं आपके सामने पूछना चाहता हूं सदन से कि जनता ने हमें किसलिए चुनकर भेजा? आज मेरा विधान सभा क्षेत्र कोटड़ी की तहसील के ग्राम पंचायत कोठाज के अन्दर आशावरी में हिन्दुस्तान जिंक का एक संयंत्र लगा हुआ है पानी निकालने का। वह तब लगा, जब यह भारत सरकार का उपक्रम था और उसकी रेट चीफ सैक्रेटरी के समय, जो भी हमारी सरकार थी, उस समय तय हुई कि 77 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से 1 करोड़ 25 लाख लीटर पानी प्रतिदिन जमीन से दोहन करके 80 किलोमीटर पाइप लाइन के माध्यम से हिन्दुस्तान जिंक में ले जाया जाएगा और उस पानी से उस चांदी की धुलाई की जाएगी। अब आप सोचिए, 1 करोड़ 25 लाख लीटर पानी प्रतिदिन जब जमीन से दोहन होता है और उससे सरकार को जो मैंने ध्यानाकर्षण भी लगाया, मैंने सवाल भी उठाए कि जनता जो हमारी जनार्दन है, उसको हम पीने का पानी दे रहे हैं सवा 2 रुपए लीटर में और हिन्दुस्तान जिंक को हम पानी दे रहे हैं किस रेट पर, जब यह सरकारी कंपनी थी, उस समय 77 पैसे प्रति लीटर, जिसका दुष्परिणाम यह हो गया कि जिस कोटड़ी क्षेत्र में फसलें लहराया करती थीं, आज की तारीख में कोठाज, राशेड़, दांतड़ा, बोरड़ा ये जो पंचायतें हैं, इन ग्राम पंचायतों के लोगबाग खेती करना तो दूर की बात, पीने के पानी के मोहताज हो गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं हिन्दुस्तान जिंक को जिस रेट पर पानी दिया जा रहा है, उसका आप वापस रिव्यू करें। उससे कामर्शियल पैसा वसूल करें और अपने खजाने में वह पैसा आए और उससे आप लोगों को पीने का पानी पिलाएं। आप इस बात को भूल गए।

आज राजस्थान को आपने बजरी माफिया के हवाले कर दिया। अब

(श्री धीरज गुर्जर)

इसके अन्दर भी सभापति महोदय अगर आपको आब्जेक्शन हो तो इस बात का दु:ख नहीं होता। एक तरफ तो आपके पंचायती राज के लोग कहते हैं कि जिसके मकान में शौचालय नहीं बना, उसका राशन बंद कर दो। उनसे ये पूछो, 12 हजार रुपए नाममात्र का आप सहयोग प्रदान कर रहे हैं और 6 हजार रुपए में उस आदमी के रेत की ट्रोली आ रही है। जो आदमी 6 हजार रुपए में रेत की ट्रोली लेगा, जो 30 हजार रुपए में रेत का ट्रक लेगा, कैसे हम लोग उस व्यक्ति के लिए कल्पना कर सकते हैं कि वह अपना शौचालय बना लेगा, अपना मकान बना लेगा। मंत्रीजी ने कह दिया कि हमने सरकारी उपक्रमों को छूट दे दी है, सरकारी उपक्रम अगर कुछ निर्माण करना चाहे तो उससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमारा मकसद यह है कि जिस आदमी के मकान पर छप्पर नहीं है, उस मकान पर छप्पर कैसे डले। जिस गरीब आदमी के घर का निर्माण नहीं हो पा रहा है, उसका मकान कैसे बने। आज आपने गेहूं से महंगी रेत कर दी राजस्थान में। इसके लिए कौन दोषी है?

सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर जनता को राहत नहीं मिल रही है तो इसी सदन में बैठकर आपको नया नियम बनाकर लोगों को राहत देनी चाहिए, यह जिम्मेदारी भी आपकी है। हर बात के लिए हम माननीय न्यायालय का मुंह तो नहीं देख सकते हैं। इसी खान विभाग के लिए बताता हूं मैं आपको। पहले भी मैंने एक मुद्दा उठाया था इस सदन में कि डाबी सैकंड के अन्दर आज तो आप लोगों ने ऑनलाइन रेवेन्यू चालू कर दिया, लेकिन जो अन-पेड रेवेन्यू होते हैं, उन अन-पेड रेवेन्यू के माध्यम से बूंदी जिले में करोड़ों रुपयों की लूट आपके विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर करी और भुगतना पड़ा गरीब माइन्स ओनरों को। लोगों ने एप्लाई नहीं किया, लोगों ने आवेदन नहीं किया। उसके बावजूद उनकी बंद पड़ी खानों के नाम से रेवेन्यू जारी कर दिए और उन अन-पेड़ रेवेन्यू के माध्यम से इन्होंने अवैध खनन को बाहर निकलवा दिया अन-पेड़ रेवेन्यू से और जब शिकायत हुई, जांच हुई तो छोटे-मोटे बाबू को पकड़कर जेल भेज दिया। क्या इतने बड़े स्तर के जो घोटाले हैं, वे एमई, एसएमई या इससे ऊपर के अधिकारियों की मिलीभगत के बगैर हो सकते हैं? सवाल यह नहीं कि हम किसी पर आरोप लगा रहे हैं, किसी पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं, सवाल इस बात का है कि हमें यहां लोगों ने जवाबदेह बनाने के लिए भेजा है कि जो लोग गलत काम करते हैं, बेईमानी करते हैं, उनसे सवाल पूछने का काम हमारा है और अगर हम यहां पर

(श्री धीरज गुर्जर)

बैठकर...सत्तापक्ष वाले बचाव करेंगे, विपक्ष वाले आरोप लगाएंगे तो राजस्थान की जनता कभी आपको, कभी हमको सत्ता में भेजती रहेगी और उस जनता का कभी कल्याण नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर लोक-कल्याणकारी सरकार बनना है तो जो बेईमानी करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, जो अपने हाथ में कलम लेकर...कलम मंत्री नहीं चलाता है, मंत्री के मुंह से आदेश निकला, उस आदेश को मनमाने तरीके से तोड़-मरोड़कर उसके नीचे बैठे हुए जो अधिकारी हैं...और आपके खान विभाग में तो जितने घोटाले हैं, उससे पूरे राजस्थान का नाम बदनाम हुआ है। 45 हजार करोड़ रुपए का आपने खान घोटाला किया, जिसके कारण पूरे हिन्दुस्तान में आग लगी। आपके खान विभाग के जो आला अफसर थे, उनको एसीजी ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में जब एक जर्रे मात्र से आपकी इतनी जानकारियां लोगों के सामने आईं तो आप यह सोचिए कि आप लोगों ने क्या किया?

आज भी इसी बूंदी जिले के अन्दर एन्वायरनमेंट क्लियरेंस के नाम पर कभी आपकी कलक्टर और कभी आपका डीएफओ खान वाले आदमियों को भेज रहा है। एक तरफ तो सरकार यह कहती है कि तत्काल प्रभाव से हम ईसी जारी करवा देंगे। राजस्थान के अन्दर सिर्फ बूंदी जिले को छोड़कर सभी जगह जो भी रिजर्व फोरेस्ट एरिया हैं, मुकंदरा हिल्स या अरावली हिल्स, उनके 1 किलोमीटर बाद की माइनों को इन्होंने ईसी जारी कर दी, लेकिन बूंदी के अन्दर उनकी जेब में पैसा नहीं गया, इसीलिए 45 खान मालिकों की ईसी को ये रोककर बैठे हुए हैं, जो 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर और 9.5 किलोमीटर तक भी है। यही अधिकारी लोग लोगों को लूटने के लिए...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको पहले भी टोक चुका हूं। आप डिमाण्ड पर बात करें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माइन्स के माध्यम से आपने कितना घोटाला किया। आपने राजस्थान को कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं आपके सामने दर्पण लेकर आना चाहता हूं। लोगों ने आपको जिम्मेदार बनाकर भेजा। उस जिम्मेदारी का आप किस तरह से निर्वहन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप नियमों में आओ न। (व्यवधान) आप सदन में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री कैलाश वर्मा (संसदीय सचिव): दस बार ये इस मांग को उठा चुके हैं। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आप लोग जो काला कानून लाए हो ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) नहीं, असत्य मत बोलिए। आसन पैरों पर है, बैठ जाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): फरमाएं साहब।

श्री सभापति: कोई भी आरोप वाले शब्दों को आप हटा दें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): काले कानून तक नया रूप पहना दो इनको आप। कितना प्रताड़ित किया आपने राजस्थान की जनता को ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सदन में बोल रहे हैं, कहां बोल रहे हैं आप। सदन में सदन की मर्यादा से बोलें आप। (व्यवधान) आप सदन में बैठे हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हिन्दुस्तान जिंक जिन सेठों को बेचा, +++

श्री सभापति: यह भी अंकित नहीं हो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जो आपने विनिवेश मंत्रालय बनाया ... (व्यवधान)

श्री हीरालाल (निवाई): यह डिमाण्ड नहीं, चुनावी भाषण दे रहे हैं आप।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): यह चुनावी भाषण नहीं है। चुनावी भाषण तो जब आप जनता से वोट मांगने जाओगे, तब जनता आपको अहसास कराएगी। किस तरह से आपके राज के अन्दर घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं और +++ आपने काला कानून बनाया, मैं इस बात के लिए कह रहा हूं।

श्री सभापति: आसन द्वारा बार-बार आपको चेतावनी देने के बाद भी आप बिना नियमों के आरोप लगा रहे हैं। कोई भी आरोप अंकित नहीं होने चाहिए। आप डिमाण्ड पर अपनी बात करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, ये व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इसमें कहां हैं व्यक्तिगत आरोप?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस सदन में हमेशा इस तरह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

की बातें हुई हैं और अंकित भी हुई हैं, आप किसी सदस्य का विशेषाधिकार नहीं छीन सकते।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सभापति महोदय, मैंने किसी का नाम लिया क्या? भ्रष्ट अधिकारी को भ्रष्ट कहना पड़ेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मनमाने तरीके से आप सदन में नहीं बोल सकते। आप कोई भी नियमों में आ जाओ। नियमों में बोलो आप।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सभापति महोदय, मेरी तो कोई माइन्स हैं ही नहीं। मेरी न खान, न मेरा व्यापार, न मेरा उद्योग। मेरा तो सिर्फ एक काम है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है और इस सेवा करने की राह में जो बाधा बनेगा, उस भ्रष्ट आदमी के भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बोलेंगे।

मैंने सदन में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, मैंने एक व्यवस्था का नाम लिया भ्रष्ट व्यवस्था।

श्री सभापति: आपने तो पूरे सिस्टम को भ्रष्टाचार के दायरे में खड़ा कर दिया। यह क्या बात हो गई? पूरे सिस्टम को खड़ा कर दिया आपने।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सिस्टम करप्ट हो गया है तभी एक 80 साल के बुजुर्ग अन्ना हजारे को संघर्ष करना पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह क्या बात हो गई? यह बोलने का अधिकार आपको नहीं होगा, आसन आपको यह बोलने का अधिकार नहीं होगा। पूरे सिस्टम को आपने भ्रष्ट बता दिया, यह क्या बात हुई?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): रुको-रुको, मैं गेहूं के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं घुनों के लिए कह रहा हूं, गेहूं हमारा अच्छा है लेकिन जो घुन बनकर इस सिस्टम को खा रहे हैं उन घुनों की तरफ मैं आपकी नजर डालना चाह रहा हूं। अब तो जाने का समय आ गया है, अब तो आप लोगों का समय नजदीक आ चुका है, जाना है तो जाते-जाते कोई ऐसी मिसाल तो पेश कर जाओ कि राजस्थान की जनता आपको याद रखे। काला कानून आपने वापस लिया, क्यों लिया, दबाव में लिया। इसी लोकतंत्र के प्रहरियों के दबाव में आपने लिया।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): क्या बातें करते हो, ये भी उद्योग में है या खनिज में है, किसमें है यह?

श्री हीरालाल (निवाई): मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कौन जा रहा है

(श्री हीरालाल)

कौन आ रहा है यह तो बहुत बाद की बात है, गर्भ में है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मदन राठौड़ जी, आपकी पार्टी आज ही कोटड़ी के अन्दर सिम्बल लगाना भूल गई। मैं सीएजी रिपोर्ट का एक छोटा-सा हिस्सा पढ देता हूं। जो सीएजी ने रिपोर्ट पेश की कि सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार अजमेर, नागौर, पाली और भीलवाड़ा के अन्दर 31 माइनिंग लीजों को आनन-फानन में शुरु करने का अधिकार दिया और उसके नाम पर बड़ा घोटाला कैसे हुआ कि बन्द पड़ी हुई खानों को चालू करने के लिए उनके मालिकों ने नहीं कहा, पावर आफ अटार्नी लेकर कुछ व्यक्तियों ने एप्लीकेशन लगाई कि इन बन्द पड़ी हुई माइंस को चालू कर दिया जाए जिसके परिणामस्वरूप आप लोगों ने अप्रेल, 1992 से लेकर अगस्त, 2011 तक की जो खानें बन्द पड़ी हुई थीं उन खानों को आपने चालू कर दिया। उनको चालू करने के एक माह के अन्दर-अन्दर ही जिन लोगों ने पावर आफ अटार्नी लगाकर एप्लीकेशन लगाई थी उन लोगों के नाम पर आपने माइंस ट्रांसफर कर दी। माइंस ट्रांसफर कर दी इसका मतलब सौदा पहले हुआ और उसके बाद पावर आफ अटार्नी आई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह पुरा-संपदा आपकी और हमारी है। आज हम इधर बैठे हैं, कल हम उधर बैठ जाएंगे, आप इधर आ जाओगे लेकिन जो इधर-उधर का खेल चल रहा है उस इधर-उधर के खेल के अन्दर जनता बर्बाद नहीं होनी चाहिए, मुझे इस बात का दु:ख है। मैं किसी व्यक्ति को भ्रष्ट नहीं कह रहा, मैं पूरे सिस्टम को भ्रष्ट नहीं कह रहा लेकिन, सभापति महोदय, जो लोग सिस्टम का सहारा लेकर भ्रष्टाचार करते हैं उन भ्रष्टाचार करने वालों पर लगाम लगाने की मैं बात कर रहा था।

सभापति महोदय, दर्द इस बात का है कि आज भी गांवों के लोग हैं, जिनके गांवों में माइंस चल रही हैं, जिनके बड़े-बड़े उद्योग चल रहे हैं वो उद्योगपति कभी भी इस बात का प्रयास नहीं करते, डीएमएफटी के नाम पर अब एक जो फण्ड शुरु हुआ है उस फण्ड से जरूर पैसा आना शुरु हुआ है। लेकिन सोचो कि उनकी कमाई के दो परसेंट से पूरे राजस्थान के अन्दर 10-12 हजार करोड़ रुपये अगर प्रदेश में आ रहे हैं तो उस खनन उद्योग को आपने चालू किया होता, कभी सरकार ने यह सोच की होती कि वह खनन उद्योग हम चालू कर लें और उस खनन उद्योग के प्रोफिट से जो पैसा आता है उस पैसे को लोगों के विकास के लिए खर्च करें तो राजस्थान के ऊपर जो

(श्री धीरज गुर्जर)

कर्जे का भार बढ़ रहा है भारत सरकार का, यह कर्जे का भार हमारा नहीं बढ़ता। इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि कौटिल्य और चाणक्य की बातें करने से काम नहीं चलेगा और हमें इस बात से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो गोलेछा का मामला है, आप कहते हैं कि सिस्टम को भ्रष्ट नहीं कहूं पर न्यायालय ने आदेश कर दिये कि गोलेछा प्राइवेट लिमिटेड ने बिलानाम और चरागाह के 20 बीघा के अन्दर मलबा डाल रखा है उस मलबे को हटा दिया जाए और उसके ऊपर पैनल्टी लगाइये। उस पर पैनल्टी लगाने के न्यायालय के आदेश के छह महीने बाद भी आज तक, अब आप फिर कहेंगे पर मैं जाकर तो हटा नहीं सकता, जेसीबी मैं लगाऊं क्या वहां जाकर, जेसीबी तो वही लगायेंगे जो कार्यपालिका है तो आपकी कार्यपालिका पंगु होकर बैठी हुई है और पंगु क्यों हो रखी है यह आपको समझना है। इस सदन के अन्दर मैं इसलिए बात बोलता हूं क्योंकि मुझे पता है कि अधिकारियों के खिलाफ बोलने का परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है कि जब हम कोई काम लेकर जाएंगे तो ये कह देंगे कि सदन में यह हमारे खिलाफ बोला था इसलिए इस व्यक्ति का काम मत करो लेकिन हमारा न उद्योग है, न व्यापार है, न धन्धा है, न काम है, हमारा तो लोगों की जनसेवा करने का मकसद है इसलिए इन चीजों को हम जनता के सामने लाना चाहते हैं।

मैं आज आपका ध्यान वंडर सीमेंट की तरफ भी लेकर आना चाहता हूं। क्यों वंडर सीमेंट से आपको इतना लगाव हो गया? आपने नीति चालू की कि पहले आओ, पहले पाओ। वंडर सीमेंट ने एप्लीकेशन लगाई, उसके साथ में 49 और लोगों ने एप्लीकेशन लगाई। आपके विभाग के ही अधिकारी कह देते हैं कि 49 व्यक्तियों ने मुझे मना कर दिया। कोई साक्ष्य नहीं, कोई कागज नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं और एक मात्र अधिकारी के बयान लेकर आपने 10 वर्ग किलोमीटर जमीन वंडर सीमेंट को दे दी और उसकी पैरवी भी आप आज ढंग से नहीं कर पाये। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बार-बार हमारे मंत्रियों के जब अख़बार के अन्दर बयान छपते हैं कि फलां अधिकारी हमारी बात नहीं मान रहा है तो उससे पूरी विधायिका शर्मसार होती है, हम सब शर्मसार होते हैं इसलिए मैंने यह बात कही।

उद्योग के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इस बात के

(श्री धीरज गुर्जर)

ऊपर ध्यान दे कि हर जिले के अन्दर, जहां जिस जिले में जो व्यापार ज्यादा है, आप उद्योग की बात करते हैं तो जो भेड़पालक हैं उस भेड़पालक का गांव में जाकर दर्द सुनना कि उस भेड़पालक की एक भेड़ से 200 ग्राम ऊन उतरती है और 5 भेड़ से एक किलो ऊन उतरती है जो 30 रुपये किलो मार्केट में बिक रही है और जो कैंची लगाने वाला आता है वो कहता है कि हम तो देशी घी में हलवा खाएंगे, सीरा खाएंगे तो 30 रुपये की ऊन के लिए 60 रुपये का हलवा उसको खिलाया जाता है और 30 रुपये उसकी जेब से चले जाते हैं। कभी आपने सोचा कि जिस क्षेत्र के अन्दर ऊन ज्यादा मिलती है वहां ऐसे उद्योग-धन्धे लगाने के लिए छोटे-छोटे काश्तकारों को हम डाइरेक्ट ऋण दें। उनका चयन करें, उनका एग्जाम करायें और जो उनके होशियार बच्चे हों उनको हम पारंगत करें और सरकार उनको उद्योग-धन्धे लगाकर दे कि इस छोटे लोन से तुम यह धन्धा शुरु करो जिससे तुम्हारा बेटा पल जाएगा। न कभी हमने ऊन का रोजगार करवाया, न कभी जो जूते बनाते हैं उनके लिए रोजगार करवाया, न कभी जो दूध का व्यवसाय करते हैं उनके लिए रोजगार करवाया। आप लोगों से मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र के अन्दर जनता हमारी मालिक है, जनता हमारी भगवान है और जिसने हमें चुनकर भेजा है, अगर हम उसकी वफादारी नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी हमारा कभी ध्यान नहीं रखेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन नीचे वालों से डरना छोड़कर जो सबसे नीचे बैठे हुए गणेश हैं उनकी पूजा करना शुरु कर दीजिये ताकि राजस्थान की जनता आपकी पूजा करे। मुझे इतनी ही बात आपको कहनी थी। धन्यवाद, राम-राम, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री एवं श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, खनिज राज्य मंत्री वाद-विवाद का उत्तर देंगे। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जितने माननीय सदस्यों ने आज उद्योग की इस डिमाण्ड पर चर्चा में भाग लिया उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि सबने सजेस्टिव ढंग से उद्योग के क्षेत्र में क्या काम और होने चाहिए उसके बारे में चर्चा की।

हमारे विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य अभी चले गये हैं, ईएएफएम के प्रोफेसर हैं। मोहन लाल जी प्रोफेसरों के काका हैं। वो चर्चा कर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रहे थे हिन्दू ग्रोथ रेट की। माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है और हम सब जानते हैं कि इस सदी के शुरुआत से लेकर, फर्स्ट ए.डी. से लेकर 1700 तक दुनिया की जीडीपी में हिन्दुस्तान की जीडीपी का हिस्सा 35 से 40 परसेंट हुआ करता था। लेकिन कालोनियल राज में हिन्दुस्तान की इकोनॉमी का आर्किटेक्चर टूट गया। जब हिन्दुस्तान का हिस्सा 35 से 40 परसेंट होता था तो वो केवल एग्रीकल्चर के कारण नहीं हुआ करता था। हम मेटलर्जी में बहुत एडवांस थे, जिंक में, कापर में, आयरन में। टैक्सटाइल इण्डस्ट्री हमारी बहुत डवलप हुआ करती थी लेकिन अंग्रेजों के राज में हमारा स्ट्रक्चर पूरा टूट गया। 1947 में हमें आजादी मिली, हमें लगा कि अब देश फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, देश की अर्थव्यवस्था फिर से उन मजबूती के पिलर पर खड़ी होगी। इन मजबूती के पिलर के लिए अर्थव्यवस्थाओं की मजबूती जानी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य से, जैसा कि ईएएफएम के हमारे प्रोफेसर विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि 1947 में हमने एक रेजिमेंटेड इकोनोमी, क्लाज्ड इकोनोमी, हम 40-50 साल तो यह ही मालूम नहीं कर पाये कि हमें सोशलिस्ट इकोनोमी चाहिए या मिक्स्ड इकोनोमी चाहिए। लाइसेंस राज, कोटा राज, परमिट राज। हिन्दुस्तान की इकोनॉमी को एग्रीकल्चर के गिरवी इसलिए रखा गया कि गरीब हमेशा गरीब रहे। आज दुनिया बदली है, राजस्थान, हिन्दुस्तान बदला है, हिन्दुस्तान की नीतियां बदली हैं। अंग्रेजों के कारण हम फर्स्ट इण्डस्ट्रियल रिवोल्यूशन की अपॉर्च्युनिटी को खो चुके हैं और कांग्रेस के 40-50 साल के राज में जो उसके बाद रिवोल्यूशन हुई चाहे वो इलैक्ट्रिसिटी की इलैक्ट्रिक रिवोल्यूशन हुई चाहे इलैक्ट्रोनिक रिवोल्यूशन हुई, जो इण्डस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसका मौका भी हम खो चुके और तब तक खोते रहे जब तक कि हमारा सोना गिरवी नहीं रख दिया गया।

माननीय सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा कि चन्द्रशेखर जी के टाइम में, कांग्रेस का राज गया था और चन्द्रशेखर जी आए थे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की हालत इतनी कमजोर थी, इतनी खराब थी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अन्दर कुछ राहत प्राप्त करने के लिए हिन्दुस्तान को सोना गिरवी रखना पडा। ये कहते हैं नरसिम्हाराव जी ग्लोबलाइजेशन लेकर आए, ओपन इकोनोमी लेकर आए, ये कोई से ही राव जी होते, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बन गया था। लेकिन अब जो हम लगातार जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक जिस ओपन ट्रांसपेरेंट इकोनोमी की बात हम करते रहे...और ट्रांसपेरेंट इकोनोमी के

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माध्यम से हिन्दुस्तान की इकोनोमी को मजबूत करना और हिन्दुस्तान की इकोनोमी को मजबूत करने के माध्यम से हिन्दुस्तानी को मजबूत करना। उसकी दिशा में काम शुरु हुआ जो गये 3-4-5 साल में और थोड़ा-सा काम वाजपेयीजी के जमाने में शुरु हुआ। आज हिन्दुस्तान की इकोनोमी अंगड़ाई ले रही है। जिस हिन्दू ग्रोथ रेट इकोनोमी की बात विराटनगर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे, वह हाई ग्रोथ इकोनोमी में तब्दील हो गई है। माननीय सभापति महोदय, अब हिन्दुस्तान की इकोनोमी का वह फार्म ग्रेरियन इकोनोमी का फार्म बदल रहा है, बदलना भी चाहिए। आजकल पूरी दुनिया में इकोनोमी का स्केल बदल रहा है, स्कोप बदल रहा है, काम्प्लेक्सिटी बदल रही है। माननीय सभापति महोदय, पूरी डायनामिक्स में बदलाव आ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, जितनी भी रिवाल्विंग डवलपिंग इकोनोमी, डवलप्ड इकोनोमीज हैं, उन इकोनोमीज की जीडीपी की शेयर के बारे में थोड़ा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, दुनिया के अन्दर इवोल्युशन दुनिया की जीडीपी के अन्दर एग्रीकल्चर का एवरेज कंट्रीब्यूशन है 5.9 परसेंट। चाइना की जीडीपी में एग्रीकल्चर सैक्टर का कंट्रीब्यूशन है 6.9 परसेंट। यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका की इकोनोमी के अन्दर एग्रीकल्चर सैक्टर का शेयर है 1.12 परसेंट। जापान का शेयर है 1.2 परसेंट। यू.के. में शेयर है 7 परसेंट। जर्मनी में शेयर है 8 परसेंट। हिन्दुस्तान की इकोनोमी में एग्रीकल्चर सैक्टर का शेयर है 15 परसेंट और राजस्थान का है 26 परसेंट। राजस्थान का 70 परसेंट आदमी या तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है या रूरल इकोनोमी पर डिपेंडेंट है। 66-70 के आसपास, वह 26 परसेंट जीडीपी पर डिपेंडेंट हैं और जब तक एग्रीकल्चर सैक्टर की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहेगा, बना रहेगा, तब तक दो प्रकार की दिक्कत आएगी माननीय सभापति महोदय। एक तो इन्इक्विलिटी। जो गैप है, अमीर के बीच में और गरीब के बीच में जो गैप है, In-equivality is the distribution of income as well as wealth. इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, हमें क्या चाहिए था और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए था socially linked inclusive industrial and manufacturing driven service growth और यह हम अब इंतजार और नहीं कर सकते। हिन्दुस्तान की इकोनोमी तेजी से बढ़ने वाली इकोनोमी है, एक्सीलरेटेड

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इकोनोमी में तब्दील कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, एक्सीलरेटेड इकोनोमी, ऐसी इकोनोमी न केवल एक्सीलरेटेड, इन्क्लूसिव इकोनोमी, इक्वीटेबल इकोनोमी और उसमें एम्प्लायमेंट, जिसकी बड़ी चर्चा अलवर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे। किशनगढ़बास से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे। एम्प्लायमेंट सैक्टर की चर्चा कर रहे थे। अब यह एक्सीलरेटेड ग्रोथ भी हो। ग्रोथ हो, वह तेज गति से ग्रोथ हो। ग्रोथ इन्क्लूसिव हो और ग्रोथ एम्प्लायमेंट क्रिएट करने वाली हो। ये तीन डायमेंशन्स हैं। अब तीनों डायमेंशन्स किसी एक सैक्टर से कवर होते हैं माननीय सभापति महोदय, तो उस सैक्टर का नाम है इण्डस्ट्रियल सैक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर or manufacturing centre driven service sector. इन तीन डायमेंशन्स को इनकोरपोरेट करते हुए हिन्दुस्तान की इकोनोमी को, राजस्थान की इकोनोमी को तेज गति से आगे बढ़ाये। तेज गति से आगे बढ़ाने के साथ-साथ इकोनोमी की ग्रोथ को इन्क्लूसिव बनायें और एक्सीलरेटेड ग्रोथ को इन्क्लूसिव इकोनोमी में तब्दील करने के साथ-साथ हम एम्प्लायमेंट का जनरेशन करें।

माननीय सभापति महोदय, हम राजस्थान में सरकार में जब पहले आये, माननीया वसुन्धराजी पहली बार आईं और अब हमने इन तीनों डायमेंशन्स पर काम करने की कोशिश की है। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मुझे खुशी है कि आज हमारे प्रयासों से राजस्थान का इण्डस्ट्रियल ग्रोथ के कारण राजस्थान अब एक इम्पोर्टेन्ट रीजनल इकोनोमी में तब्दील हो चुकी है और हमारा इण्डस्ट्रियल जीएसडीपी दो लाख करोड़ से ज्यादा है और हम कंटीब्यूट कर रहे हैं 26.89 परसेंट जीएसडीपी के अन्दर और हमारा सीएजी आ रहा है 7.11 परसेंट...

(18.54 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के लोग गुजरात के बराबर तुलना करते हैं, आन्ध्र प्रदेश के बराबर तुलना करते हैं, महाराष्ट्र के बराबर तुलना करते हैं, तमिलनाडु के बराबर तुलना करते हैं। मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को कोट करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के साथ "Rajasthan has not only maintained its position among the first fastest growing State in manufacturing but have increased its share in India's or all manufacturing output." यह राजस्थान सरकार की रिपोर्ट नहीं है डोटासरा

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

साहब। यह वह वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जिसको लगातार आप गई बार राज में थे, तब उसकी चर्चा किया करते थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि 2020 के अन्दर हिन्दुस्तान दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनेगा। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते कि हाई ट्रेजेक्ट्री ग्रोथ के अन्दर पहुंचे। हम ग्रोथ की तेजी के अगले ओरबिट पर पहुंचे और इसीलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इस बात को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, हमने ध्यान से देखा कि पूरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग कल्चर बदल रही है, उसका कैरेक्टर बदल रहा है और एंड और डिमांड, सप्लाई और एंड और डिमांड के दोनों एंड पर बहुत तेजी के साथ में तब्दीली आ रही है। पूरी माइथोलोजी में तब्दीली आ रही है। आज हम बात कर रहे हैं जब मिडिल क्लास की बात करते हैं, लोग बात करते हैं स्मार्ट इण्डस्ट्रियल एरिया। आजकल वीकेआईए की बात नहीं कर रहे हैं लोग डोटासरा साहब। आज लोग बात कर रहे हैं स्मार्ट फैक्ट्रीज, इंटेलीजेंट फैक्ट्रीज, इंटेलीजेंट इण्डस्ट्रियल एरिया, स्मार्ट फाइनेंसिंग, इंटर्नल टैक्नोलोजी और यह सब पोसिबिलिटी, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, सारी चर्चा कर रहा हूं, यह मल्टीपल हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है जब टैक्नोलोजी का लगातार ब्रेक थ्रू आ रहा है दुनिया के अन्दर। अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, जिसकी बड़ी चिंता अलवर से आने वाले माननीय सदस्य रोबोटिक्स के बारे में बड़ी चिंता कर रहे थे। इंटरनेट आफ थिंक्स, नैनो टैक्नोलोजी, ग्रीन टैक्नोलोजी, क्वांटम कम्प्यूटिंग, क्राउड कम्प्यूटिंग, ये सब चीजों के बदलते वातावरण के अन्दर राजस्थान की इकोनोमी को रेजोल्यूट इकोनोमी में, एक एक्सीलरेटेड ग्रोथ की इकोनोमी में, एक इन्क्लूसिव इकोनोमी में और एक ऐसी इकोनोमी में जो राजस्थान के जीडीपी के सैक्टर को री-स्ट्रक्चर कर दे। उसके लिए जरूरत है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार मोटी चीजों की। पहली मोटी चीज है, क्या आपके पास में एक रोबस्ट पालिसी फ्रेमवर्क है?

दूसरी इम्पोर्टेन्ट चीज है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका एन्वायर्नमेंट इन्वेस्टर फ्रेंडली है क्या? वह डरता तो नहीं? कोई पकड़ लेगा, रोक लेगा, टोक देगा और तीसरी चीज है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस के एफर्ट्स गवर्नमेंट करती है क्या? और चौथी इम्पोर्टेन्ट चीज है, अल्ट्रा माडर्न इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर है या नहीं? मैं इन्वेस्टमेंट करना भी चाहूं, आना भी चाहूं, एन्वायर्नमेंट भी फ्रेंडली हो लेकिन इण्डस्ट्रियल

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इन्फ्रास्ट्रक्चर अगर दुनिया के बदलते हुए पैटर्न के साथ में संबंध नहीं रखता है तो भी मैं नहीं आऊंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा, 2014 में हम एक पालिसी लेकर आये रिप्स-14, वह फोर्टीन की पालिसी अपने आपमें कम्प्लीट नहीं थी इन्वेस्टमेंट के लिए, इसलिए हम स्पेसिफिक सैक्टर्स की पालिसी को भी साथ में लेकर आये। हम ट्यूरिज्म पालिसी लेकर आये, हम एग्रो प्रोसेसिंग पालिसी लेकर आये, एग्रो मार्केटिंग पालिसी लेकर आये, ई-गवर्नेंस, आईटी पालिसी लेकर आये, स्टार्ट-अप पालिसी लेकर आये, मिनरल पालिसी लेकर आये, बायो-टैक्नोलोजी पालिसी लेकर आये। हम एक ट्रांसपेरेंट पालिसी फ्रेमवर्क में काम करना चाहते हैं। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए आजकल ईओडीबी की चर्चा हम सब लोग करते हैं ईओडीबी। ईज आफ डूईग बिजनस की, जिसकी चर्चा आज मोहन लालजी गुप्ता कर रहे थे और कह रहे थे कि हम एस्पायरिंग लीडर से लीडर बन गये हैं। 2015 में हम एस्पायरिंग लीडर थे, उसके बाद में हम लीडर बन गये हैं और अब इस साल भी तय हो रहा है, लेकिन अभी फाइनली तय नहीं हुआ। 19 तारीख को मैंने नैट देखा था, उसके बाद में तो मैं नैट नहीं देख पाया, डायनामिक रैंकिंग है और डायनामिक रैंकिंग में 19 तारीख को राजस्थान की स्थिति हिन्दुस्तान में तीसरे नम्बर पर थी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम उन पांच टोप स्टेट्स में हैं जिन्होंने सेन्ट्रल से प्रेस्क्राइब 10 कोर रिफोर्म में से नौ कोर रिफोर्म के अन्दर हम पायनियर हैं। हमारी चार reform activities are recognized as national best practice.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेबर के बारे में रिफोर्म सिस्टम के बारे में पूरे हिन्दुस्तान को पता है कि हम लेबर रिफोर्म में पायनियर हैं, आगे हैं, सबसे आगे हैं।

सिंगल विंडो की बात मैं सुना करता था, जब मैं पढ़ा करता था। सिंगल विंडो, विंडो में विंडो, विंडो में दरवाजा, दरवाजे में कई दरवाजे, फिर दरवाजे में विंडो भी आ सकती है। पहली बार यह इफेक्टिव सिंगल विंडो सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की प्रूडेन्ट कोशिश कोई की गई माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो 2016 जून में की गई और 2016 जून में हमने 26 सर्विसेज को इंटीग्रेटेड किया। सिंगल विंडोज में सिंगल रजिस्ट्रेशन, इंटीग्रेटेड फार्म, पेमेंट गेट-वे, आनलाइन डोक्यूमेंट अपलोडिंग, आनलाइन एप्रूवल और अब 56 सर्विसेज

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

को हमने 15 डिपार्टमेंट को जोड़कर, हमने 87 सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया है और इसीलिए डोटासरा साहब, हमको अवार्ड मिला है स्काच का, स्मार्ट ई-गवर्नेंस अवार्ड 2017...

(19.00 बजे)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारी शंकाओं का समाधान तो आप कर रहे हैं, लेकिन आदरणीय मोहन लालजी गुप्ता की शंकाओं का समाधान भी करो। वो इंडस्ट्री का जिस प्रकार से संधि विच्छेद किया, वो क्यों किया, उसका भी करो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): ये विच्छेद करने का काम तो आपसे सीख गए। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमको स्मार्ट ई-गवर्नेंस अवार्ड, 2017 ही नहीं मिला, सिंगल विण्डो के लिए बल्कि हम टाप 200 स्मार्ट गवर्नेंस प्रोडक्ट इन इण्डिया में शामिल हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी चर्चा करते हैं डोटासरा जी, आर-आर। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बात करता हूं एक्सीलरेटेड ग्रोथ की। तीन मोटे डाइमेंशंस हैं इकोनोमी को ग्रो कराने के। पहला एक्सीलरेटेड ग्रोथ, ये एक्सीलरेटेड ग्रोथ कैसे होती है।

मोहन जी को जरूर पता है। जब तक इकोनोमी के अन्दर हैवी कैपिटल इंफ्यूजन नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट कैपिटल फार्मेशन की प्रोसेस को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहली चीज है कि क्या राजस्थान की इकोनोमी को, राजस्थान की इंडस्ट्रियल इकोनोमी को हम वायबल बना सकते हैं? क्या हम अल्ट्रा एक्टिव बना सकते हैं? क्या इसके अन्दर हम कैपिटल इंफ्यूजन बहुत बड़ी तादाद में कर सकते हैं? हमने यह प्रयास 2007 में भी किया था, डोटासरा जी। पर दुर्भाग्य से 2008 में हम नहीं आ पाये। 2007 में राजस्थान की इंडस्ट्रियल तकदीर को बदलने की जो कोशिश हमने की थी और जिसके तहत एम.ओ.यू. हुए थे, उन एम.ओ.यूज. को जमीन पर लाने का काम जनता ने और हमने आपको सौंपा था। आपने क्या किया?

आपने 2007 से रिसर्जेन्ट राजस्थान के जो प्रोमिसेज थे, जिनके बदौलत राजस्थान के आम आदमी की तकदीर बदल सकती थी, इस राजस्थान की तस्वीर बदल सकती थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से क्रेडिट वसुन्धरा जी को नहीं चला जाए, क्रेडिट बी.जे.पी. को नहीं चला जाए। रिसर्जेन्ट राजस्थान हमने किया, हमें रिसर्जेन्ट राजस्थान करने की जरूरत ही नहीं पड़ती,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रिसर्जेन्ट, रिसर्च करना पड़ा हमको, खो दिया राजस्थान आपने। 2007 में रिसर्जेन्ट राजस्थान, जो हमने किया फिर आपने खो दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए 2015 के अन्दर फिर रिसर्जेन्ट राजस्थान हमने किया। उसके अन्दर हमने लार्ज नम्बर आफ.... अभी कह रहे थे, कौन कह रहे थे, हमारे खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि बड़े-बड़े लोग आए थे। हवाई जहाज में बैठकर आए थे, आए और चले गये। आये और चले नहीं गये, 470 एम.ओ.यू. करके गये। पहली बार, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं साहब को पहली बार विधान सभा के अन्दर किसी आदमी को सही कहा तो है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपको तो हमेशा सही कहा है मैंने, ऐसे क्या कर रहे हो। आप लेकिन जो कहते हो, वह नहीं करते हो आप। वो मैटीरियल वाले के खिलाफ एफ.आई.आर. करा दोगे आप, जो लोकायुक्त ने दी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): होम बेसिस का मामला डी.ओ.पी.टी. कर रही है, इंडस्ट्री नहीं कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने 470 एम.ओ.यू. हमने एग्जीक्यूट किए, वर्थ 3.38 लाख करोड़ । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि इस ग्लोबल इकोनोमी में, इस ओपन इकोनोमी के दौर के अन्दर, हर स्टेट इन्वैस्टमेंट समिट कर रहा है, गुजरात कर रहा है, महाराष्ट्र कर रहा है, वैस्ट बंगाल कर रहा है, आन्ध्रा कर रहा है, यू.पी. का आज है। लेकिन एम.ओ.यू. का कन्वर्जन कितना है, यह महत्वपूर्ण है। डोटासरा जी सुबह कह रहे थे, कितने कमप्लीट हुए, कितने कमप्लीट हुए, 11 हजार करोड़ के कमप्लीट हुए, यह बात सही है। आपके नेहरु जी ने बोकारो का कारखाना 6 महीने में लगवा दिया था क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो यह कहा कि आपने 470 एम.ओ.यू. किये, 62 केवल आप स्वयं स्वीकार करते हैं, धरातल पर आये। इसके अलावा 289 का तो अता-पता ही नहीं है। यही तो कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी सीकर का हूं और डोटासरा जी भी सीकर से हैं, थोड़ा-सा फर्क है, मैं जयपुर जल्दी आ गया था। एम.ओ.यूज. के रैफरेन्स में टर्म यूज करते हैं

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कन्वर्जन। हम भी वही करते हैं, गुजरात भी वही करता है, वैस्ट बंगाल भी वही करता है। कर्नाटक, जहां आपका राज है, वो भी यही करते हैं। कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन को कैसे डिफाइन करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने कहा राजस्थान को हाई ट्रैजक्टरी आफ ग्रोथ में ले जाने के लिए, हमे मैसिव कैपिटल इंफ्यूजन की जरूरत है। कैपिटल इन्टेंसिव इंडस्ट्रीज को लाने की जरूरत है। ये मैसिव कैपिटल इंफ्यूजन की फैक्टरियां तीन-तीन महीने में नहीं लगतीं। यह कोई चांदपोल की परचूनी की दुकान नहीं है जो 6 महीने में आ जाए। जिसमें लार्जर जैस्टेशन पीरियड है, इन्होंने बोकारो के नाम की चर्चा की, इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। बोकारो हमने किया, छाती खड़ी करके कहते है, बोकारो हमने बनाया, भिलाई हमने बनाया। हां, लगे सालों साल लगे, 6-6, 7-7 साल लगे और बनाया। इंदिरा गांधी कैनाल, आप भी क्रेडिट लेते हो, कितने साल में बनी। सुरसा की तरह लम्बी होती चली गयी। हमने तो नहीं कहा, हमने आपको हमेशा इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि आपके मन में भी कभी-कभी कोई सोच उपजती तो है, जो इंदिरा गांधी कैनाल का काम आपने शुरु किया। ये जितने एम.ओ.यू. की चर्चा कर रहे हैं ये तो हम कम्पलीट कर चुके हैं, प्रोडक्शन में आ चुके हैं, लोगों को एम्प्लायमेन्ट दे चुके। लेकिन जहां पर फिजिकल एक्टिविटीज चल रही है, जो एम.ओ.यू. कन्वर्जन के प्रोसेस में है, इम्प्लीमेंटिंग स्टेज में हैं, उन सबको जोड़ेंगे, जैसा कि औरों ने जोड़ा है। वेस्ट बंगाल ने जोड़ा है, गुजरात ने जोड़ा है, कर्नाटक ने जोड़ा है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये फीगर आता है, 181 एम.ओ.यू. का और कन्वर्जन आता है, इसका अमाउण्ट है इन्वैस्टमेन्ट का, 2.20 लाख करोड़। अगर परसेंटेज में निकालूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो यह आता है 60% प्लस । हिन्दुस्तान में किसी भी स्टेट का कन्वर्जन इन्वैस्टमेंट की टर्म्स में 60 परसेंट नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

इस बात के लिए आप धन्यवाद नहीं देना चाहते। आप कहते हैं हम सब यहां पर बैठकर राजस्थान की जनता की भलाई सोचते हैं। अभी धीरज जी वैलफेयर गवर्नमेंट, वैलफेयर स्टेट की बात कर रहे थे। यह वैलफेयर स्टेट की डिमांड है, यह डेमोक्रेसी की सोल है, आत्मा है। जो अच्छा है, उसके लिए ताली बजाएं, उसके लिए मजबूती दें, और जो गड़बड़ है उसके लिए हमें खींचें।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हिन्दुस्तान के इतिहास में 60 परसेन्ट का इंवैस्टमेन्ट कन्वर्जन के बावजूद ताली बजाने के बजाय, आपको सांप सूंघ जाए, यह दुर्भाग्य है राजस्थान का।

मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से अगर मैं उन 48 प्रोजेक्टस की बात और करूं, जहां पर हमारे इंवेस्टर्स एक्टिवली अपने प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंटशन की स्टेज के अन्दर लाना चाहते हैं, उनको मैं और जोड़ लूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 14073 करोड़ और जोड़ लीजिए। और एम्प्लायमेन्ट जनरेट होगा, करीबन यह सवा लाख करोड़ का दोनों मिलाकर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मैं बात कर रहा हूं उसकी, हम हैवी कैपिटल इंवेस्टमेन्ट के एम.ओ.यूज. आर.आर. से करना चाहते थे। अभी मैं आर.आई.पी.एस. की चर्चा कर रहा था। आर.आई.पी.एस. के तहत हम सभी प्रकार के इंवेस्टर्स को इंसेन्टिव देकर, प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे। जिस प्रेरणा की बात माननीय गुरुजी कर रहे थे और आर.आई.पी.एस. के तहत, आर.आर. तो शामिल नहीं है। आर.आई.पी.एस. के तहत 1015 यूनिट्स with an investment of 45811 Crores, creating employment potential of 19000. ये रिप्स के तहत, इन्हीं चार सालों में और रिप्स के तहत पर आर.आर. से अलग कस्टमाइज्ड पैकेजेज, जो आर.आर. के नहीं हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको जोडूं मैं अगर तो ये आते हैं 16692 करोड़ के इंवेस्टमेन्ट मोबिलाइजेशन Creating the potential of 40140 employment. प्रभुलाल जी बैठे हैं, अभी प्रभुलाल जी की बड़ाई कर रहे थे आप । मेरे बगल में कर रहे थे, बदलो मत अब।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रभुलाल जी की माननीय मंत्री महोदय की, इनकी छोड़िए किसी की भी बुराई नहीं की।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): आपको, प्रभु राम नाम से एलर्जी क्यों है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आसाराम, राम रहीम, ऐसे नाम आने से हमें एलर्जी है, बाकी भगवान राम का हम सम्मान करते हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): धीरज रखो थोड़ा। माननीय उपाध्यक्ष महादेय, GRAM के तहत हमने 78 एम.ओ.यू. किये, इंवैस्टमेंट के वर्थ 5957 करोड़। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक्सिलरेटेड ग्रोथ को मैं

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इंक्लूजिव ग्रोथ में तब्दील करने की बात भी कर रहा था। मैं कह रहा था, ग्रोथ इम्पोर्टेन्ट है, ग्रोथ इंक्लूजिव हो, यह इक्वली इंपोर्टेन्ट है। मैं रजनीगंधा खाता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं, राठौड़ साहब जैसे, उन सबको इस बात की चिन्ता है, कहीं मुझको रजनीगंधा खाने से कैंसर नहीं हो जाए, यह कैंसर क्या है यह भी ग्रोथ है। यह ग्रोथ इंक्लूजिव होनी चाहिए, लेकिन ग्रोथ होनी चाहिए। आज हमारे सामने स्थिति है इंडिया इज ग्रोइंग, लोग कहते हैं इंडिया बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। Indian economy is one of the fastest growing economies in the world.

लेकिन लोग कुछ इकोनोमिस्ट हमारे गुरुजी जैसे कहते हैं कि ये इंडियन इकोनोमी की ग्रोथ तो है ये इंडियन की ग्रोथ क्यों नहीं है, जो इंडिया की ग्रोथ है वो इंडियन की ग्रोथ भी होनी चाहिए। भारत की वृद्धि और भारतीय की वृद्धि में तारतम्य होना चाहिए। एक सामंजस्य होना चाहिए, एक सम्बल होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तब तक सम्भव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि 2032 तक हिन्दुस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनोमी बनेगा और जहां तक परचेजिंग पावर का ताल्लुकात है, आप तो जानते हैं हिन्दुस्तान आलरेडी थर्ड इकोनोमिक पावर है। 2050 में हम दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनोमिक पावर होंगे इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हमारी यह तेजी से बढ़ती हुई वृद्धि इंडिया की ग्रोथ के साथ इंडियन की ग्रोथ में भी तब्दील हो, यह हमारी चिन्ता है। यह हमारा कन्सर्न है, यह हमारा कमिटमेंट भी है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सैक्टर है जो बड़ा वाईब्रेंट सैक्टर है। बड़ा इम्पोर्टेंट सैक्टर है और जिसके अन्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्रपोर्शन में एम्प्लायमेंट आउटपुट बहुत तेज आता है, वो है एमएसएमई सैक्टर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि दुनिया में एमएसएमई का टोटल कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड के टोटल नंबर आफ एंटरप्राइज में 90 परसेंट है। जापान में एमएसएमई एम्पलोई करता है 70 परसेंट आफ वेज रनर्स को, जितने लोग वेज रनर्स हैं वो 70 परसेंट एमएसएमई सैक्टर में हैं। थाईलेंड में एमएसएमई एम्प्लोई करता है 60.7 परसेंट आफ इट्स वर्किंग पापूलेशन, काम करने वाली उसकी जो पापूलेशन है। चाइना में 60 परसेंट का एक्सपोर्ट एमएसएमई से आता है और चाइना में जितने नंबर हैं एमएसएमई

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

के वो तो यूरोप और अमेरिका दोनों का जोड़ लें हम, उससे ज्यादा है। हमारे यहां 8 परसेंट इंडियन जीडीपी का एसएमई सैक्टर से आता है और जीडीपी और एसएमई सैक्टर से जो सर्विस सैक्टर ग्रो करता है, बनता है, पैदा होता है उसको अगर जोड़ लें तो 38 परसेंट आफ जीडीपी एसएमई और एसएमई ड्रिवन सर्विस सैक्टर से पैदा होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा 45 परसेंट मैन्युफेक्चरिंग और 40 परसेंट का एक्सपोर्ट एमएसएमई सैक्टर से आता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एमएसएमई सैक्टर की ग्रोथ में सबसे बड़ी एम्प्लोयमेंट की ग्रोथ छिपी हुई है, 25 परसेंट एम्प्लोयमेंट ग्रोथ एमएसएमई सैक्टर में है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधान मंत्रीजी ने एक मिशन दिया है हम सबको 'मेक इन इंडिया' हिन्दुस्तान को मैन्युफेक्चरिंग हब में तबदील कैसे करें। हिन्दुस्तान को मैन्युफेक्चरिंग हब में तबदील करने में सबसे ज्यादा और वाइब्रेंटली इफेक्टिवली और इम्पोर्टेंटली कोई सैक्टर काम करेगा तो वह एमएसएमई सैक्टर है, लेकिन इस सैक्टर की एक तकलीफ है कि ये सैक्टर अनआर्गेनाइज्ड है। सैक्टर के पास में नोन अवेलेबिलिटी आफ क्रेडिट है। क्रेडिट इतना आसानी से नहीं मिलता है। क्रेडिट मिलता है तो उसकी कोस्ट ऊंची है और अभी तक हमारे यहां पर नयी सस्टेनेबल टेक्नोलोजीज पर उसकी रीच मुश्किल है और हमारे यहां कल्चर है कि मेरे बाद मेरा बेटा, मेरा भाई, नोन प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसीलिए इसको ध्यान में रखकर इस एमएसएमई के सैक्टर को आर्गेनाइज्ड सैक्टर में कैसे तबदील किया जाए और एमएसएमई सैक्टर की प्रोब्लम को एडजस्ट करने का मैकेनिज्म कैसे डवलप किया जाए, इसके लिए हमने एमएसएमई पालिसी बनाई 2015 जिसके अन्दर रिहेबिलिटेशन स्कीम फोर सिक इंडस्ट्रीज दी। एमएसएमई असिस्टेंस स्कीम बनाई, भामाशाह रोजगार सृजन योजना बनाई। एमएसएमई सैक्टर के अन्दर जो प्रोडक्शन होता है उसकी परचेज प्रिफरेंस पालिसी बनाई उसकी परचेज की। उद्योग रत्न अवार्ड उसको मोटीवेट करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए उद्योग रत्न अवार्ड, बुनकर अवार्ड, एमएसएमईडी, ये हमने किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पहले इन यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन का कोई यूनिफार्म सिंगल प्लेटफार्म नहीं था। राजस्थान अपने

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

लेवल पर रजिस्ट्रेशन करता था। गुजरात अपने लेवल पर रजिस्ट्रेशन करता था। अब हमारा एक सिंगल प्लेटफार्म बना है जिसे कहते हैं UAM, उद्योग आधार मेमोरेंडम। ये उद्योग आधार मेमोरेंडम का डाक्युमेंट कोई राजस्थान सरकार का नहीं है और इस डाक्युमेंट का उपयोग केवल राजस्थान की सरकार करती है। ऐसा नहीं है। मैं केवल आपको निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2013-14 में राजस्थान में एमएसएमई सैक्टर में इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड थी 3 लाख 57 हजार 54, जब हम आये और आप पधारे तब तक। एम्प्लोयमेंट जनरेशन का क्लेम था 17 लाख 82 हजार 627 और इन यूनिट्स के अन्दर इन्वेस्टमेंट क्लेम्ड था 20 हजार 690 करोड़। आज क्या है, आज है रजिस्टर्ड है 6 लाख 37 हजार 468, एम्प्लोयमेंट जनरेशन क्लेम्ड है सेल्फ सर्टिफिकेशन सिस्टम है, 29 लाख 21 हजार 315, इन्वेस्टमेंट क्लेम्ड है 50 हजार 736 करोड़ रुपये। इसका मतलब यह है कि इन चार-सवा चार सालों में...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकेले सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ही बजा रहे हैं बाकी के किसी के समझ में नहीं आ रहा है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): आप तो मेरे पास बैठकर गये थे इसलिए समझ में आ रहा होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इन चार सालों में एमएसएमई सैक्टर में जिन यूनिट्स का रजिस्ट्रेशन हुआ उनकी संख्या है 2 लाख 40 हजार 414, एम्प्लोयमेंट जनरेशन क्लेम्ड है 12 लाख 50 हजार 921, एमएसएमई सैक्टर है केवल और इन्वेस्टमेंट जो इनकार हुआ क्लेम्ड वो है 32 हजार 718 करोड़ रुपये आर.आर. वाला नहीं ये अलग है। रिप्स भी नहीं है, रिप्स से अलग है, आर.आर. से अलग है। ये अभी आर.आर. में ही घूम रहे हैं। 'और भी कई गम हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा' मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस इन्क्लूजिव ग्रोथ की बात कर रहा था और जो हाई ग्रोथ रेट आफ एम्प्लोयमेंट आफ जनरेशन की मैं चर्चा कर रहा था उसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो है फूड, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग। प्रभु जी की कृपा है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): डेयरी किलक साहब के पास है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): किलक साहब और आप एक ही बात है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो मोहन लाल जी को समझा दो बाकी सब ठीक है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): मोहन जी आजकल समझ रहे हैं मेरे से।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और गुरुजी को।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): गुरुजी, जाट रह गये आपके जैसे, मैं ठाकर, समझे नहीं, ठाकर और जाट का मेल बड़ा मुश्किल है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये हाई एम्प्लोयमेंट जनरेशन सैक्टर है। आप जानते हैं राजस्थान की टोपोग्राफी के बारे में अरावली यहां, थार यहां, रीवर ड्रेन प्लेन यहां, वैट लेंड यहां। अभी चर्चा कर रहे थे सांभर की वैट लेंड की, रामसर वैट लेंड का एरिया। प्लेटू मालवा का, विंजा का प्लेटू यहां रहा। क्या नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पांच क्लाइमेटिक जोन है प्रभुलाल जी, आठ तरह की सोइल है। बीस सेंटीमीटर से लेकर के डेढ़ सौ सेंटीमीटर तक का रेनफाल स्प्रेड करता है और इसीलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम कई जगह फर्स्ट हैं। प्रभुलाल जी ने बताया मुझे। प्रोडक्शन आफ मस्टर्ड एंड रेपसीड में हम फर्स्ट हैं, प्रोडक्शन आफ ग्वारगम में फर्स्ट हैं, ईसबगोल में, मूंग में, मोठ में, कोरीएण्डर में, वूल में, हिना में नंबर-1, दूध में नंबर-2, फिनल में, क्युमल में नंबर-2, प्रोडक्शन आफ ऑयल सीड में नंबर-3, ग्राम में, पल्स में, सोयाबीन में नंबर-3, लेकिन इसका उपयोग जिस ढंग से हमें करना चाहिए था इकोनोमी को ग्रोथ देने के लिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अफीम में भी नंबर-1 हैं।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): हां।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): स्वाइन फ्लू में भी नंबर-1 आ गये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये क्या कह रहे हैं कि स्वाइन फ्लू में भी नंबर-1 आ गये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह प्रकृति का प्रकोप है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): आपके जमाने में जोधपुर मेडिकल कालेज में पेशेंट के कान चूहे कुतर गये थे, वो याद नहीं है क्या?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): स्वाइन फ्लू याद आ रहा है आपको।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि अगर हम रूरल इकोनोमी को तब्दील करना चाहते हैं और माननीय प्रधान मंत्रीजी जिस प्रकार से 2022 तक हिन्दुस्तान के किसान की इन्कम को डबल करना चाहते हैं, जब तक फूड प्रोसेसिंग, फूड केनिंग, डेयरी इन सैक्टर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं आयेगा काम नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि यह काम करना मुश्किल हो जायेगा इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नेशनल मिशन आफ फूड प्रोसेसिंग पर हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं चाहे मेगा फूड पार्क हो, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। बीकानेर में आप जिसकी मांग कर रहे हैं। फूड पार्क हो या कोल्ड चेन हो और ये इलाका हमारा स्वस्थ एरिया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो 540 करोड़ के एमओयू हमने अभी दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया, 2017 हुआ था, इसमें 540 करोड़ के एमओयू इस सैक्टर में किये हैं और रूपनगढ़ में हम एक बड़ा मेगा फूड पार्क डवलप करना चाह रहे हैं। आपने बीकानेर के लिये कहा कि बीकानेर में पोंटेंशल है, हम इस पोंटेंशल को एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करने के बाद इस दिशा में जो काम करने की जरूरत होगी, उस दिशा में हम काम करना चाहेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा सैक्टर है जो इन्क्लूसिव ग्रोथ पैदा करता है और वह इसलिए पैदा करता है कि एग्रीकल्चर के बाद स्किल्ड लेबर और अन-स्किल्ड लेबर को सब से ज्यादा एम्प्लायमेंट जिस सैक्टर में मिलता है उसका नाम है टैक्सटाइल। टैक्सटाइल सैक्टर हमारे 8 परसेंट इंडस्ट्रियल आउटपुट को शेयर करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान की टैक्सटाइल इंडस्ट्री में हम पूरी चेन में हैं, एक्रोस द एंटायर टैक्सटाइल वैल्यू एडिशन चेन में हम एग्जिस्ट करते हैं। फाइबर से फैब्रिक, हमें बीच में कहीं रुकना नहीं पड़ता। स्पिनिंग से लेकर गारमेंट तक, गारमेंट से लेकर एक टोटल वैल्यू एडिशन की चेन में हम कम्प्लीट हैं, इसलिए हमारी काम्पीटेटिव एज है और स्टेट के मुकाबले। हमारे फोरवर्ड लिंकेजेज हैं, बैकवर्ड लिंकेजेज हैं इसलिए हम काम्पीटेटिव स्टेज में हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं हम पालिस्टर में हिन्दुस्तान में नंबर एक पर है। डेनिम के लिये भी अब राजस्थान काफी जाना

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जाने लगा है। राजस्थान की टैक्सटाइल इंडस्ट्री की खास बात है कि यह सिंथेसिस है ट्रेडिशनल और टैक्नोलोजी का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाडा में हमारे लूम्स की मोर्डनाइजेशन की परसंटेज है 90 और हिन्दुस्तान का आल इंडिया एवरेज है 8 परसेंट। हमारे यहां निफ्ट है, आईआईसीडी है, इसलिए हम टैक्सटाइल इंडस्ट्री को किस प्रकार से तब्दील कर पायें, राजस्थान को हम टैक्सटाइल हैवन के रूप में, टैक्सटाइल हब के रूप में किस प्रकार से कन्वर्ट कर पायें, इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए आपको ध्यान होगा वस्त्रा के नाम से रीको एक एग्जीबिशन को आर्गेनाइज करता है और इस बार वस्त्रा में जो इंटरनेशनल टैक्सटाइल फेयर है जिसके मार्फत हम दुनिया के नक्शे पर राजस्थान को इम्पोज करना चाहते हैं, उसमें 13 स्टेट और 54 कंट्रीज के 306 बायर्स ने हिस्सा लिया और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए खुशी है कि इस टैक्सटाइल फेयर में 35 मिलियन डालर से ज्यादा का या तो ट्रेड हुआ या ट्रेड की इन्क्वायरी हुई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अभी कोई खादी की बात कर रहे थे, हमने खादी के बारे में भी अवेयरनेस, क्योंकि काटन खादी में छठा स्थान है और वूलन खादी में हमारा चौथा स्थान है। खादी का वीवर सीधा मार्केट तक कैसे पहुंचे, यह हमारे लिये इम्पोर्टेंट है और खादी को फैशन फाइबर के रूप में लोग एक्सेप्ट करें इसलिए हमने राजस्थान हैरिटेज फेयर किया और बी.बी. रसल जैसी डिजाइनर हमको इस काम में मदद कर रही हैं।

तीसरा इम्पोर्टेंट जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने चर्चा की है वह की है स्टोन के बारे में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपकी परमिशन हो तो एक बात पूछ सकती हूं?

श्री उपाध्यक्ष: पूछिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मंत्री महोदय ने इतने सारे एमओयू गिना दिये, पता नहीं कौन-कौन सी चीजें स्किल स्टार्ट, कौन-कौन से इंडिया, हम तो इतनी सी बात समझते हैं कि वह विंडो बता दें जिस पर राजस्थान के स्थानीय निवासी को रोजगार मिलता हो, वह कंपनी बता दें और जीएसटी बिल में इतनी राहत दे दें जिससे व्यापारी को राहत मिलती हो, यह दो ही हमें बता दो।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बेचैनी ठीक नहीं, धीरे-धीरे सब जगह आऊंगा मैं, एम्प्लायमेंट पर भी आऊंगा, राजस्थान की इंडस्ट्री पर भी आऊंगा, एम्प्लायमेंट सब्सिडी पर भी आऊंगा।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): मंत्री महोदय, एक निवेदन आसन की आज्ञा से मैं भी करना चाहूंगा। आपने काफी वर्ड का यूज किया है, फर्स्ट तो जेस्टेशन पीरियड यूज किया है आपने, जेसटेशन पीरियड की बात करें, आजकल बेबी ग्रोथ डे, टाइम और मंथ्स तय करके की जाती है, सभी को पता है किसका कितना जेस्टेशन पीरियड है। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिये आपने किया, आपने वन ईयर का जेस्टेशन पीरियड लिया 2007 में इनिशियेट किया, उसके लिये धन्यवाद। आपने इतने एमओयूज किये हैं, एम्प्लायमेंट की बात की, उसमें आपने एक्सीलरेटेड ग्रोथ की बात की, रिप्स, एमएसएमई सैक्टर और सारी चीजें कीं...

श्री उपाध्यक्ष: आप विषय पर आ जाओ।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): एक माननीय सदस्य ने जो बीटेक के स्टूडेंट हैं मैं स्किल्ड ओरिएंटेड एजुकेटेड मार्क्स की बात कर रहा हूं। किसी भी इंडस्ट्री में जब हम कह रहे हैं कि इसका मोर्डनाइजेशन हो रहा है, सब चीज हो रही है तो जो अनस्किल्ड लेबर है उसमें उसकी भागीदारी कम हो रही है पर स्किल्ड बीटेक की स्थिति हमारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य ने बताई, अगर इतने एमओयूज हो गये हैं और बीटेक की स्थिति यह है तो यह जो बीच में कान्ट्राडिक्टरी हो रही है ....

श्री उपाध्यक्ष: आप एक बार मंत्रीजी का पूरा वक्तव्य सुन लीजिए।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि मांडलगढ़ से आने वाले सदस्य ने एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जेस्टेशन पीरियड।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अंग्रेजी मंत्रीजी को ही नहीं आती, हमारे यहां भी आती है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): इसका मतलब आपको चिढ़ मेरे से ही नहीं, इनसे भी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सिंगुलर ढंग से चीजों को देखने से तस्वीरें कुछ अलग नजर आती हैं। मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, कांप्रेहेंसिव व्यू से देखने की कोशिश

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

करें तो उन्हें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आयेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लिये दूसरा इम्पोर्टेंट सैक्टर स्टोन है। हम सबसे बड़े स्टोन प्रोड्यूसर स्टेट हैं। हिन्दुस्तान के डाइमेंशनल स्टोन का 70 परसेंट प्रोड्यूस राजस्थान करता है। हमारे पास ज्यादा मार्बल, कोटा स्टोन, सेंड स्टोन का ताल्लुकात है, 90 परसेंट कोटा स्टोन, सैंड स्टोन और मार्बल हमारे पास है और तकरीबन 12 हजार करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर इस सैक्टर में है और 18 हजार से ज्यादा यूनिट्स इसमें काम कर रही हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान का स्टोन दुनिया के नक्शे पर सबको दिखे। इसलिए रीको स्टोन मार्ट के नाम से एक स्टोन एग्जीबिशन करता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि इस बार के स्टोन मार्ट की एग्जीबिशन में 500 ऐसे एग्जिबिटर्स आये, 156 ओवरसीज एग्जिबिटर्स आये, 60 कंट्री ट्रेड पेवेलियंस थे और 1700 करोड़ रुपये का बिजनेस आफ ट्रेड इन्क्वायरी इसके तहत जनरेट हुई। साथ में हम चाहते हैं कि इसको इंट्रीग्रेट कैसे करें तो हमने ग्लोबल स्टोन फोरम के नाम से एक टैक्नोलोजी अवेयरनेस, क्योंकि अभी धीरज जी कह रहे थे कि यह वैल्थ आपकी और मेरे अकेले की नहीं है। यह वैल्थ मेरी भी है, यह वेल्थ आपकी भी है, राजस्थान की भी है और उसके साथ हमारी आने वाली जनरेशन की भी है। इसलिए इस वैल्थ का ओप्टीमम यूटिलाइजेशन किस प्रकार से किया जाये और जब तक हम इस सैक्टर में टैक्नोलोजी का प्रोपर यूज नहीं करेंगे तब तक हम बहुत बड़ी तादाद में वेस्ट पैदा करेंगे। इसलिए मैन्युफेक्चरर्स को उस टैक्नोलोजी के साथ रूबरू कराया जाये, उनकी टैक्नोलोजी से दोस्ती कराई जाये, इसलिए हमने कांफ्रेंस की। आर्किटेक्चर्स के बीच में भी हमने अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश की, इसके लिये हमने जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल किया और एमएनआईटी में एक रिसर्च चेयर बनाई है जिसके माध्यम से हम वेस्ट को वैल्थ में कैसे बदलें।

मकराना से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे खंडे की, रायल्टी के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। लोग बात करते हैं स्लरी की, आप अभी कह रहे थे कि गोलछा ने बीस बीघा जमीन में डंपिंग यार्ड बना रखा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुनिया में कोई चीज वेस्ट नहीं है। हम वेस्ट उसको कहते हैं जिसको हम यूज नहीं कर पाते हैं। यह हमारा इनकैपेसिटेशन है कि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। स्टोन के कथित वेस्ट को वैल्थ में

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

तब्दील करने के लिये किस प्रकार से इसका यूज किया जाये, इस क्षेत्र में रिसर्च करने की हमने चिंता की। एमएनआईटी में एक चेयर एस्टेब्लिश की है और हम निश्चित रूप से आने वाले समय में इस स्टोन, 70 परसेंट हमारे पास स्टोन है, इसके माध्यम से हम निश्चित रूप से स्टोन सैक्टर को पूरी दुनिया के नक्शे पर राजस्थान को हम दिखा पायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं चर्चा कर रहा था चन्द्रशेखर जी के जमाने की। मेरा कहना था कि कांग्रेस के कुराज के कारण बैलेंस आफ पेमेंट की हालत इतनी खराब हो गई कि कुछ डालर लेने के लिये सोना गिरवी रखना पड़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी इवोल्विंग इकोनोमीज हैं उनके लिये इंटरनेशनल ट्रेड बहुत इंपोर्टेंट है। इंटरनेशनस ट्रेड न केवल ग्रोथ पैदा करता है, न केवल एम्प्लायमेंट पैदा करता है बल्कि फोरेन करेंसी पैदा करता है और बैलेंस आफ पेमेंट में कंट्री को हैल्प करता है। अभी हिन्दुस्तान के टोटल एक्सपोर्ट में राजस्थान का हिस्सा केवल 2 परसेंट है। इस 2 परसेंट हिस्से को बढ़ाया कैसे जाये, इन टर्म्स आफ वैल्यू, इन टर्म्स आफ वोल्यूम एण्ड इन टर्म्स आफ एन्लार्जिंग द बास्केट आफ एक्सपोर्ट, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये एक सोची समझी नीति की जरूरत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि अभी भी राजस्थान से तकरीबन 36 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट एन्युअली होता है वह अगले पांच साल में दोगुना कैसे हो जाए, मैं समझता हूं यह हम सबके लिये चिंता का विषय होना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी को ध्यान रखते हुए टैक्नोलोजी अपग्रेडेशन और स्किल डवलपमेंट के साथ-साथ एक इस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाएं, जिस पर हम काम कर रहें है जैसे होरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन, वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन और डाइग्नोल डाइवर्सिफिकेशन... हिन्दुस्तान में राजस्थान एक्सपोर्ट में पहला हो जाये। इसलिए हमने एग्जिम बैंक के साथ काम करके एक स्ट्रेटेजी पेपर को ड्राफ्ट किया है, जिसमें तब्दीली करने के लिए हम काम कर रहे हैं। उस तब्दीली के साथ मैं सोचता हूं कि आने वाले टाइम में एक महीने में हम एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए हमारी जो पालिसी है, उसको हम कैबिनेट के सामने लाएंगे और कैबिनेट के सामने लाने के साथ ही अगले पांच सालों में राजस्थान के एक्सपोर्ट को दोगुना करने की दिशा में काम करने की कोशिश करेंगे। अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। हमारे पास काफी स्ट्रांग इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सपोर्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेज है, सीतापुरा में

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

दो सेज हैं, महिन्द्रा सेज की चर्चा भी मोहन जी गुप्ता साहब कर रहे थे। महिन्द्रा सेज की में आप पूछ रहे थे कितना एम्प्लायमेंट जनरेट हुआ? महिन्द्रा सेज में 3457 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है और 9030 का डायरेक्ट एम्प्लायमेंट और इन-डायरेक्ट एम्प्लायमेंट 31605 को मिला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ईज आफ डूइंग बिजनस और इन्वेस्टर के एफर्ट के बारे में बात कर था। अगर आपका इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो भी इन्वेस्टर आयेगा नहीं और आयेगा तो रूकेगा नहीं। अभी रीको की बहुत चर्चा हुई। कुछ खामियां भी गिनाई गयीं। इसमें कोई दो राय नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमने कुछ साल पहले सोचा कि गवर्नमेंट का तरीका श्लगिस है, रैड टैपिज्म है। डिसीजन का मेकिंग का प्रोसेस बहुत ढीला है, कम्बरसम है। कार्पोरेट सैक्टर में काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। जिसमें एफिशिएंसी ज्यादा है, रफ्तार ज्यादा है। सरकारों ने भी सोचा, हमने भी सोचा कि हम खुद ही क्यों न कार्पोरेशंस पैदा करने लग जाएं। वे तो हमारे हों, पर काम करने का तरीका सरकारी नहीं हो। कंपनी हमारी हो, काम करने का तरीका कार्पोरेट का हो, इसलिए कार्पोरेशन बनाना शुरु कर किया। ज्यादातर कार्पोरेशंस का क्या हश्र हुआ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए ज्यादा चर्चा करने की मुझे जरूरत नहीं है। आटोनामी के नाम पर, आटोनामी कब आटोक्रेशी में बदल जाए, इसके लिए हमेशा विजिलेंट की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अन-अकाउंटेबल पावर, करप्शन और इन-एफिशियंसी दोनों को पैदा करता है। ज्यादातर कार्पोरेशंस, चाहे राजस्थान सरकार के कार्पोरेशन हों, चाहे और स्टेट गवर्नमेंट के कार्पोरेशंस हों, उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। उसमें कार्पोरेट सैक्टर की सारी कमियां भी आ गयीं और सरकार की कमियां तो शामिल ही थीं। मुझे याद आया माननीय राठौड़ साहब। सुकरात दिखने में मेरे जैसा खराब था। (व्यवधान) मुझे आप जैसे लोगों ने बताया। वाइफ खूबसूरत डांसर थी। उसने कहा, आप मुझ से शादी कर लें। सुकरात ने कहा मैं दिखने में खराब लगता हूं, आप मुझ से क्या शादी करोगी? उसने कहा, नहीं अच्छा होगा कि दिखने में तो आदमी मेरे जैसा खूबसूरत हो और ज्ञान में आपके जैसा होगा। सुकरात ने कहा ये उलटा हो गया तो। कार्पोरेशंस में सरकारों से उलटा हो गया। जितनी डी-मैरिट कार्पोरेट सैक्टर की थी, वह भी यहां एग्जिस्ट करती है और जितनी डी-मैरिट गवर्नमेंट सैक्टर की है, वह भी उसमें एग्जिस्ट करती है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इसलिए मुझे स्वीकार करने में कोई तकलीफ नहीं है। हमारे कंपनीज और कार्पोरेट के काम करने के तरीकों में बदलाव करने की जबर्दस्त गुंजाइश है। हम कंपनीज को ब्यूरोकैटिक मैनर में नहीं चला सकते। इसलिए निश्चित रूप से चाहे रीको हो, चाहे आरएफसी हो, चाहे कोई और कार्पोरेशन है, उसके ऊपर हक सरकार का है। यह कोई बाहर की कंपनी है, यह कोई धीरू भाई अंबानी की कंपनी या बिड़ला जी की कंपनी नहीं है, यह हमारी कंपनी है। हमारा 100 परसेंट है। इसमें 100 परसेंट पैसा सरकार का है यानी 100 परसेंट पैसा जनता का है। जनता के पैसे का इस्तेमाल प्रूडेंटली न हो, एफिशिएंटली नहीं हो, ओप्टिमम भी नहीं हो, यह कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से जो चिंता इस सदन के अन्दर माननीय सदस्यों ने उठाई है, उन चिंताओं का मैं निश्चित रूप से ध्यान रखूंगा और किस प्रकार से ये संस्थाएं सरकार के माध्यम से जनता के प्रति अकाउंटेबल बने, ट्रांसपेरेंट बने और एफिशिएंट बने, इस दिशा में काम करेंगे। (व्यवधान) शेखावत ठाकुर हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में बहुत तेजी के साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जमाना स्मार्ट इंडस्ट्रीज एरिया, ग्रीन इंडस्ट्रीज एरिया का है। हमारे 340 इंडस्ट्रियल एरिया हैं और हमारे यहां हिन्दुस्तान के सबसे बड़े लैंड बैंकों में एक लैंड बैंक है, वह है 21 हजार 9 सौ एकड़। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा था "The availability of an ease of access to industrial land is one of the state's most important comparative advises". माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2017-18 में एक साल में 1700 एकड़ लैंड को इंडस्ट्रियल लैंड में डवलप किया है, जो कि गये दो दशक में कभी भी नहीं हुआ। ज्यादातर माननीय सदस्य समझते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब है कि जमीन ले लो और जमीन लेकर सड़कें बना दो, नाली बना दो, प्लाट्स बना दो, बेच दो। ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया आजकल नहीं खुल रहे हैं।

पहले एनवायर्नमेंट क्लियरेंस में सालों लग जाया करते थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते खुशी है कि गए एक साल में हमें 11 इंडस्ट्रियल एरियाज की एनवायर्नमेंट क्लियरेंस मिली हैं। मैं समझता हूं कि जब से एनवायर्नमेंट क्लियरेंस शुरु हुई तब से 9 को मिली है, मुझे सही याद है तो। शुरु हुई तब से लेकर गए साल तक 9 और गए एक साल में 11, मैं

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

निवेदन करूं कि 19 इंडस्ट्रियल एरियाज की एनवायर्नमेंट क्लियरेंस पाइपलाइन में है, प्रोसेस में है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब हम जो नए इंडस्ट्रियल एरिया खोल रहे हैं या खोलने वाले हैं, जो कि न्यू एज इंडस्ट्रियल एरियाज, वीकेआई नहीं होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कई लोगों ने चर्चा व्यक्त की है। भिवाड़ी में लोग जाते हैं तो सी.ई.टी.पी. की बात करते हैं। जहां भी जाते हैं तो लोग सी.ई.टी.पी. की बात करते हैं। किसी इंडस्ट्रियल एरिया मोटोजोन पर हमने कभी व्यवस्था नहीं की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया खुलेंगे, सब में सी.ई.टी.पी. की पहले से व्यवस्था होगी, डम्पिंग यार्ड होगा, ग्रीन बैल्ट होगी, पैट्रोल पम्प होगा, वेबरेब्रिज होगा, हैल्थ फैसेलिटी होगी, एजुकेशन फैसेलिटी होगी, स्किल डवलपमेंट का सेंटर होगा, रेजिडेंशियल, कामर्शियल, प्लग एंड प्ले और सारे इंडस्ट्रियल एरिया में एल.ई.डी. लाइट, एल.ई.डी. लाइट मतलब स्मार्ट एल.ई.डी. लाइट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाई-मास्ट लाइट्स और हम सोच रहे हैं कि कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज के सर्टेन परसेंटेज में बिक जाने के बाद पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को, चाहे आई.टी. का इंडस्ट्रियल हो या स्पेसिफिक एरिया हो, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया को हम वाई-फाई इंडस्ट्रियल एरिया में तब्दील कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य मोहन जी गुप्ता कह रहे थे कि लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं। चप्पल घिसकर पैर घिसने लगने जाते हैं, रीको में जाते हैं। ट्रांसफर करवाने का मामला हो, लैंड यूज बदलने का मामला है, अपील का मामला हो, इनके लिए हमने कैम्प लगाए। कैम्प लगाकर बहुत बड़ी तादाद में लोगों की अपील का डिस्पोजल किया है, बहुत लोगों के ट्रांसफर के मामलों को सलटाया है। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि रीको का फेस डिफरेंट होगा। रीको का नाम वही होगा, काम नहीं होगा। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह इंडस्ट्रियल कैटेलिस्ट है, ऐसा कहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तब भी कहा था कि दो प्रकार के कैटेलिस्ट होता है। एक कैटेलिस्ट वह होता है जो क्रिया को तेज कर दे और एक है, होती हुई क्रिया को धीमा कर दे। बना तो, पता नहीं क्यों था? मोहन जी गुप्ता सही कह रहे थे कि मोटे तौर पर रीको एक रियल एस्टेट का ब्रोकर हो गया है, लेकिन रीको को बनाने के पीछे जो असली मंशा थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रीको निश्चित रूप से राजस्थान के

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

इंडस्ट्रियल कैटेलिस्ट के रूप में काम करेगा और रीको का नाम वही रहेगा, लेकिन रीको का काम पूरा बदल जाएगा। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

अभी थोड़ी देर पहले एनपीए की चर्चा कर रहे थे। पैसे लेकर भाग गए। बैंकों में बड़ा चलता है, एनपीए, एनपीए, एनपीए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि एनपीए की संख्या आर.एफ.सी. में काफी है। मैं कल ही देख रहा था। रीको एवं आर.एफ.सी. दोनों की एनपीए की हालत ठीक नहीं है। आर.एफ.सी. में हमने काम करना शुरु कर दिया है। 35 परसेंट एनपीए को हम 10-12 परसेंट के नीचे लाना चाहते हैं, ले आए हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि गये चार साल में हमने 1286 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन किये हैं और हमने 238 करोड़ रुपये तो केवल युवा उद्यमिता योजना के तहत दिये हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एनपीए की प्राब्लम होती है, रिकवरी नहीं होने के कारण होती है। गत दो-तीन साल में रिकवरी के अन्दर हमने रिकवरी के फिक्स टारगेट को एक्सीड किया है, बढ़ाया है। जिन चिंताओं के कारण और जिन कारणों से कारपोरेशन की हालत खराब हुई है, कमजोर हुई है, तकलीफदेह बनी है, उन सब कारणों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और ढूंढने के बाद टारगेटली हिट करके करेक्शन के पार्ट पर जाएंगे। हम करेक्शन के पार्ट पर हैं और करेक्शन के पार्ट से हम निश्चित रूप से इन कारपोरेशन को करैक्ट कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब रीको में भी आनलाइन जब मैं सिंगल विंडो की बात कर रहा था आपके डीआरटी के अन्दर, हम आरएफसी के अन्दर भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। आनलाइन एप्लीकेशन वगैरह शुरु की है। मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी जिस ई-गवर्नेंस की बात करते हैं जब मिनिमम ह्यूमन इंटरफियरेंस हो। आदमी से आदमी की मुलाकात कम हो। लगभग न हो तो ठीक है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसी दिशा में आरएफसी हो, रीको हो या हमारे और आर्गेनाइजेशन हों, हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं।

माननीय धर्मपाल जी ने डीएमआईसी पर बहुत चिंताएं की हैं। इनकी चिंताएं वाजिब हैं। कुछ चिंताओं में दम है लेकिन चिंताओं के कारण हम नहीं हैं। ये धर्मपाल जी भी जानते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

होगा कि दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरीडोर, दिल्ली-और मुम्बई के बीच में जापान के साथ हम काम कर रहे हैं और जापान के साथ काम करके हम डीएमएफसी बना रहे हैं। दिल्ली-मुम्बई फ्रैश कोरीडोर और 1438 किलोमीटर का हिस्सा इस फ्रैश कोरीडोर का हमारे राजस्थान में पड़ता है विच इज 39 परसेंट। जिसके दोनों साइड के अन्दर डेढ़-डेढ़ सौ किलोमीटर के अन्दर जो इंफ्लुएंस जोन है जिसे हम कहते हैं दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरीडोर और इस कोरीडोर की हम बात करें तो राजस्थान की 60 परसेंट पापुलेशन इस दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरीडोर के अन्दर आज जाएगी। यह कोई एक साल, दो साल या तीन साल का बजट नहीं है। ये डिकेड्स का है डेढ़ दशक, दो दशक। अगर इसको सही ढंग से, सही दिशा में प्लान किया गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो जितना मेरा अनुभव है, अपने उस अनुभव के आधार पर मैं इतना कह सकता हूं अगर इसको प्रूडेंटली यूज किया गया, इसको प्रोडक्टिवली प्लान किया गया और ढंग से इस दिशा में काम किया गया तो दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरीडोर राजस्थान की तकदीर बदलने वाली कोरीडोर आएगी। भले ही आज नहीं कल, कल नहीं परसों, दो दिन लग जाएं, तीन दिन लग जाएं। लेकिन डीएमआईसी की शुरुआत जिस ढंग से की गयी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि डीएमआईसी के तहत नार्थ के लिए एस.पी.वी. बनाना है। एसपीवी के अन्दर हमारा कंट्रीब्यूशन इक्विटी के रूप में होगा। वह हमारी इक्विटी लैंड के फार्म में होगी। लैंड हम एक्वायर करेंगे या देंगे। वह पार्ट हमारा इक्विटी के रूप में माना जाएगा। इसीलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरीडोर पर जो चर्चा और जो चिंता धर्मपाल जी कर रहे थे, मैं कह रहा था कि हमने लैंड एक्विजिशन एक्ट, 1894 के तहत 5 अप्रैल, 2012 को सैक्शन 4 का नोटिस जारी किया दस गांवों में। सैक्शन 6 का नोटिस किया हमने 15 मार्च, 2013 को 1425 हैक्टैयर जमीन के लिए। अब जब सैक्शन 4 हो गया, सैक्शन 6 हो गया तो अवार्ड होना ही था। ये अवार्ड की कीमत बनी तो 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत वह बनी 3204 करोड़ रुपए। यह 3204 करोड़ की सारी जमीन को मैं एक्वायर कर लूं और एक्वायर करने के बाद में एसपीवी को एज इक्विटी दे दूं और एसपीवी को पता है कि इक्विटी तो मेरी होगी लैंड के फार्म में लेकिन ये प्लग इन नहीं होगी, प्लग आउट नहीं होगी। इसका फायदा मुझे नहीं मिलेगा। वो इन्वैस्टमेंट के रूप में मानी जाएगी परपीचुअली, लगातार। अब सवाल है

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

एसपीवी कब आएगा? एसपीवी कब आकर काम करेगा? इलाके को बढ़ाएगा। एसपीवी कब कमाएगा? जब जमीन को बेचेगा। जमीन कब बिकेगी? जब वह रीजनेबल कीमत पर होगी। हमने नेशनल हाईवे के अलोंग की जमीनों को एक्वायर कर लिया जिनकी कीमतें बहुत ऊंची हैं। उस जमीन को मैं एक्वायर कर लूं, एक्वायर करने के बाद उसका डवलपमेंट करूं। डेढ़ हजार, दो हजार रुपए मैं डवलमेंट कास्ट लगाऊं, कास्ट लगाने के बाद मेरे घर में पड़ेगी वह दस हजार रुपए की, आठ हजार रुपए की, नौ हजार रुपए की। फिर एसपीवी उसको बेचेगा, कोई लेगा ही नहीं। गिलोठ पर जमीन साढ़े तीन हजार-चार हजार रुपए बिक रही है जो डीएमआईसी में है, एनसीआर में है। वहां जब मेरी जमीन नहीं बिक रही तो यहां 12 हजार, 13 हजार, 14 हजार पर स्क्वायर फीट पर कौन इंडस्ट्रियलिस्ट ले लेगा? न तो मेरा पैसा जाएगा। मेरा पैसा जाए कोई बात नहीं, एसपीवी फेल हो जाएगा। जिस डीएमआईसी की कल्पना आने वाले समय में राजस्थान की तकदीर बदलने वाले प्रोजेक्ट के रूप में हम देख रहे हैं। उसकी शुरुआत ही ठीक नहीं हुई। इसलिए हमने कहा भाई क्या करें? करेक्शन क्या हो सकता है? क्या ठीक हो सकता है? कैसे ठीक करें? इसलिए हमने तय किया कि जो जमीन महंगी है, जो वायबल नहीं है एसपीवी के लिए उस जमीन को छोड़ दें और जो रिमेनिंग जमीन है, उस जमीन को हम ले लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पांच गांव की जमीन जो हमने छोड़ी है, उसका भाव पड़ता था घर में अभी 3.01 करोड़ पर-हैक्टेयर। जो जमीन हमने ली है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह पड़ रही है 70 लाख रुपए पर-हैक्टेयर। जितनी जमीन हमने छोड़ी है, उतनी जमीन हम इसी कोस्ट में खरीदना चाहें अगर तो 915 करोड़ रुपए में खरीद लेंगे, उतनी जमीन जितनी हमने छोड़ी है। जिसके लिए हमें अदरवाइज देने पड़ते 2785 करोड़। इसलिए क्यों छोड़ दी जमीन, इतने साल बाद, उसका कारण धर्मपाल जी को मैंने पहले भी बताया था। कारण हम नहीं है। हम तो राजस्थान के खजाने के ट्रस्टी के रूप में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने उस जमीन को लिया जिसके माध्यम से एसपीवी का भला हो सकता हो, डीएमआईसी का भला हो सकता हो और ये प्रोजेक्ट किसी प्रकार से चल पाए। अपने पांवों पर खड़ा हो पाए। इसके बाद आपने कहा, पेमेंट कब होगा। आपने बजट का भाषण पढ़ा है। 400 करोड़ रुपए का बजट का प्रोविजन डीएमआईसी के अन्दर जिन पांच गांवों की जमीन को हमने एक्वायर किया है उनको कम्पनसेशन देने के लिए ही है।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

पेमेंट अभी नहीं किया है। बजट तो अभी आया है, पास ही नहीं किया आपने अभी तो। अभी तो बजट पास होने की प्रक्रिया में है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। जब बजट पास होगा, उसके बाद में जब कंसोलिडेटेड फंड में से इस पैसे को रिलीज करने की परमिशन देंगे हुकुम आप। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन पांच गांवों की जमीन और जमीन पर जाने की एप्रोच रोड की जमीन को हमने एक्वायर किया और बाकी जमीन को हमने छोड़ दिया है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्री महोदय, इधर। मैं कह रहा हूं, यह तो आपने बता दिया कि महंगी आ रही थी, सस्ती खरीद ली। लेकिन आपने जो किसानों से जमीनें बीस साल पहले ले ली सस्ती और आज भी वहां उद्योग नहीं लग रहे हैं, मेरी बात सुनो। उन जमीनों के भाव हो गये बीस लाख-तीस लाख रुपए बीघा, उनको क्यों फायदा पहुंचा रहे हो आप?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, किस संदर्भ में ये बात कर रहे हैं, उसकी मैरिट-डीमैरिट में नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मैंने बीस साल पहले जमीन खरीदी सस्ती जो आज के रेफरेंस में सस्ती है लेकिन पैसा भी मैंने दिया तब। पैसा मैने पहले दिया। बढ़ा है। अभी थोड़ी देर पहले कोई माननीय सदस्य कह रहे थे, धर्मपाल जी कह रहे थे जमीनों के भाव घट गए हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): नहीं, मेरा तो आपको यही कहना है कि पेमेंट आपको तीन साल पहले करनी थी और अब आप पेमेंट दे रहे हैं तो ब्याज उस पर देंगे या नहीं देंगे? आपने महंगी जमीन तो नहीं ली। यह जो सस्ती जमीन ली है क्योंकि आप रीको में जो भी जमीन आक्शन करते हैं, अगर उसमें बनाने में देरी होती है तो आप उससे कितना जुर्माना और पैनल्टी लेते हैं और जब देने की बात आती है तो अब क्या आप उसको ब्याज सहित पैसा देंगे?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): यह बात तो सही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब देने की बात आती है तो हम नहीं देते हैं और लेने की बात आती है हम लेते हैं। लेकिन मैं यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि यहां मैंने अभी जमीन ली नहीं है। अभी तक आपकी जमीन पर काश्त आप ही कर रहे हैं। आज भी फसलें आपकी ही लगी हुई हैं वहां।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ऐसा है मंत्रीजी, जमीन जो मेन रोड पर दो करोड़ रुपए बीघा की थी, उस जमीन को आपने बेचने नहीं दिया। उस समय जब दिल्ली की पार्टियां घूमती थीं और दो करोड़ रुपए बीघा में वह बिक रही थी। आज उस जमीन का भाव पचास लाख रुपए रह गया।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): पहला काम तो धन्यवाद दो आप मुझे कि मैंने किसानों की जमीन को दलालों के हाथ में जाने से बचा दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन फिर भी मैं आपकी चिंताओं की मैरिट के बारे में चिंता कर सकता हूं। आपने जो कहा है इस बात को मैं सरकार के अन्दर एप्रोप्रिएट जगह पर रखूंगा और मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि आपकी बात को सरकार स्वीकार करने की दिशा में आगे बढ़े।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इतना अच्छा काम कर रहे हो फिर ये मोहन लाल जी गुप्ता साहब बाहर मीडिया में बुराई क्यों कर रहे थे आपकी?

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): राजेन्द्र जी से मिलकर गए थे।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्यों भिड़ाते हो? मैं तो इनकी बड़ाई करके आया हूं। कमाल है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम एम्प्लायमेंट की चर्चा कर रहे थे। एम्पलायमेंट का मतलब क्या है? आप डिप्टी स्पीकर हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है आप अंडर एम्प्लाइड हैं। आप जितना काम कर सकते हैं, उतने का उससे कम काम है। सात हजार रुपये, आठ हजार रुपये, नौ हजार रुपये की नौकरी करने वाला आदमी ...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह अंडर एम्प्लाइड का जिम्मेदार कौन है? (व्यवधान) आप लोग।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): विराजो। मंत्री होते तो भी अंडर एम्प्लाइड होते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मंत्रीजी, अपने शब्द वापस ले लो, आसन पर कोई टीका टिप्पणी कर नहीं सकते अपन।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): ले लेते हैं अगर कहते हो तो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब सवाल है कि एम्प्लायमेंट कैसा हो। क्या

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

वह क्वालिटी एम्प्लायमेंट है। किसी को पांच हजार रुपये, किसी को छह हजार रुपये महीने मिनिमम वैजेज पर, क्या नरेगा वाले को एम्प्लायमेंट कहेंगे। क्या छह हजार रुपये में किसी के दरवाजा खड़ा करने का, खोलने का काम करने वाले व्यक्ति को क्या एम्प्लायमेंट कहेंगे। एम्प्लायमेंट और एम्प्लायमेंट क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी एम्प्लायमेंट मिलने के लिए जरूरी है स्किल्ड डवलपमेंट। जब तक वह स्किल्ड नहीं है तब तक उसको क्वालिटी स्किल एम्प्लायमेंट नहीं मिलेगा इसलिए स्किल डवलपमेंट हम सब लोगों के लिए चुनौती है। स्किल डवलपमेंट में दुर्भाग्य से हम बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए, लेकिन अब सही में हम सही स्टेज पर हैं। राजस्थान के लिए 120 इंजीनियरिंग कालेजेज हैं, 65 मैनेजमेंट के कालेजेज हैं, 197 पोलीटैक्निक, 2 डेडीकेटेड स्किल यूनिवर्सिटी है, 300 नये स्किल डवलपमेंट सेंटर्स हैं और 105 सेंटर एक्सीलेंस के पीपीपी मोड पर हैं जो कैटरपिलर, सैम्संग, पीडीलाइट, टोयोटा, इसरो, एल एंड टी, टाटा, बाश, रेमण्ड, एशियन पेंट के माध्यम से हम चला रहे हैं जिससे कि स्किल कौनसी इंण्डस्ट्री को, जिसकी स्किल की इंडस्ट्री में डिमांड में है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जापान के साथ और सिंगापुर के साथ, अभी हमने डाइकिन को जमीन दी है, डाइकिन वाले अपनी इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोगों को वहां ट्रेन कर सके। सिंगापुर के साथ हम उदयपुर में ट्रेनिंग सेंटर में काम कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जीएसटी की बड़ी चर्चा हुई। कई माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, आज डिबेट तो केवल इंण्डस्ट्री की थी। लेकिन रोजगार जो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, जसवंत जी का डिपार्टमेंट है। बार-बार कहा जीएसटी, जीएसटी। जीएसटी का हमको इंण्डस्ट्री में क्या फायदा, मैं इस संबंध में बात करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 47 में हमको आजादी मिली। आजादी इस रूप में मिली कि हिन्दुस्तान में एक पोलिटिकल एंटीटी एक बिग नेशन के रूप में खड़ा, सबके सामने आया लेकिन हमारा स्ट्रक्चर फैडरल है इसलिए हमारे अधिकार बंटे हुए हैं। दिल्ली के अधिकार और हर स्टेट के अधिकार बंटे हुए हैं इसलिए हिन्दुस्तान के अन्दर हर स्टेट की अपनी एक इकोनोमी काम करती रही अलग। हिन्दुस्तान की इकोनोमी एक, और

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

हिन्दुस्तान की इकोनोमी के लिए नम्बर आफ इकोनोमी फंक्शन करती रही। न केवल नम्बर आफ इकोनोमिकी फंक्शन करती रही बल्कि नंबर आफ इकोनोमिक एक दूसरे के साथ कम्पीट करती गई।

कोई भी इण्डस्ट्रियलिस्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है तो सबसे पहले यह पूछता था कि आप क्या टैक्स रिबेट देंगे, आप क्या टैक्स कन्सेशन देंगे। फलां स्टेट तो यह दे रहा है, आप क्या देंगे। Tax was an instrument of bargain. आज जीएसटी आने के बाद टैक्स इक्विलिटी है टैक्स बैसेज पर इंफेक्टिवाइज करना मुश्किल है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जीसएसटी रिजीम को जिसके कारण राजस्थान के इंण्डस्ट्रियल एनवायरमेंट को फायदा मिलेगा। अब जब टैक्स का कोई फायदा मिलना इतना आसान नहीं रहा तो कौन आदमी इण्डस्ट्री कहां लगाएगा यह टैक्स बेनिफिट के आधार पर नहीं लगाएगा। अब लगाएगा बैसिक इकोनोमिक फण्डामेंटल है उनके आधार पर लगाएगा। रॉ मैटेरियल है क्या, स्किल्ड मैनपावर है क्या, लोजिस्टिक एडवांटेज है क्या, कंड्यूसिव इंवेस्टमेंट एनवायरमेंट, ईको सिस्टम है क्या?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, एक जमाना हुआ करता था कि हिन्दुस्तान के सारे बड़े-बडे इण्डस्ट्रियल बिड़ला हो, बांगड़ हो, सिंघानिया हो, जे के हो, राजस्थान से गए हैं अब जीएसटी लागू होने के बाद में और जिस प्रकार का इण्डस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इण्डस्ट्रियल एनवायरमेंट राजस्थान में पैदा हुआ है। इसलिए अब हिन्दुस्तान के नोर्दन, सेंटर और वेस्टर्न मार्केट में जो भी आना चाहेगा उसे राजस्थान आना पड़ेगा। हमारे पास रॉ मैटीरियल है, स्किल मैनपावर हमारे पास है, कंड्यूसिव ईको सिस्टम हमारे पास है, फ्रैंडली एनवायरमेंट हमारे पास है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जीएसटी आने के बाद राजस्थान नोर्थ इंडिया के इन्वेस्टमेंट की कैपीटल के रूप में तबदील हो जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात को समाप्त करने से पहले, रिफाइनरी मेरा सब्जैक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी...

श्री यूनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बोलो कुछ तो बोलो, डोटासरा जी सुनना चाहते हैं। रिफाइनरी के बारे में।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): अभी कोई पूछ रहा था कि

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

वायबिलिटी क्या है, कितने हजार का फायदा कैसे हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकारी है 2013 के अन्दर हमने एक एमओयू किया था एचपीसीएल से।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह सज़ा जिसने आपको छेड़ा उसको दे देना हमें क्यों दे रहे हो आज।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा कि 2013 एचपीसीएल से जो एमओयू हुआ था उस एमओयू में प्रोजेक्ट कास्ट ओफकोर्स 37 हजार 229 करोड़ थी। डोटासरा जी का कहना सही है कि प्रोजेक्ट की कोस्ट हमारी रिफाइनरी की आ रही थी 37 हजार 229 करोड़ रुपये, और प्रोजेक्ट की कोस्ट आ रही है 43 हजार 129 करोड, बढ़ गया कैसे, आप कह रहे हो 40-50 करोड़ का फायदा हो गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पहले वाली आपकी इंडस्ट्री थी वह केवल रिफाइनरी थी, अब वाली के अन्दर अल्ट्रा माडल पेट्रो कैमिकल काम्प्लैक्स भी साथ है। दूसरा आप कह रहे थे कि हमारी इक्विटी उतनी की उतनी रह गई। हां उतनी की उतनी ही रह गई।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): रिफाइनरी का पत्थर जब सोनिया गांधी जी ने लगाया, पत्थर चोरी हो गया, रिपोर्ट दर्ज हुई, कम से कम उन चोरों को तो पकड़वाओ। (व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): कह रहा हूं न रिकवरी का है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम 37 हजार 229 करोड़ का प्रोजेक्ट लगवा रहे थे एचपीसीएल से 26 परसेंट की इक्विटी पर, तो हमको देना क्या पड़ रहा था, हमको देना पड़ रहा था 15 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन, कितने का, 3 हजार 736 करोड़ रुपये हर साल। यानी 37 हजार करोड़ की रिफाइनरी लगवाने के लिए केवल 26 परसेंट की इक्विटी में पैसा देना पड़ रहा था 56 हजार करोड़ रुपये। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, युनूस खां साहब को मैं कहूं कि आप अजमेरी गेट पर एक शोरूम खोल लो, यह पूछते हैं कि कितने रुपये का लगेगा, मैंने कहा दस लाख में खुल जाएगा, यह कहेंगे दस लाख का शोरूम तब खोलूंगा दोस्त तब आप मुझे बीस लाख रुपये दोगे, यह कौनसा बिजनिस माडल है । 37 हजार करोड़ की रिफाइनरी जिसमें मेरी इक्विटी चौथाई,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

प्रोजेक्ट आए 37 हजार करोड़ का, मुझे ब्याज मुक्त ऋण देना पड़े 56 हजार करोड का और Interest rate of return थोड़ा मुश्किल है। Interest rate of return केवल 6.3 परसेंट।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिफाइनरी है 43 हजार 129 करोड़ की पैट्रो कैमिकल काम्प्लेक्स कितने का 43 हजार करोड़ का। इक्विटी मेरी वही है। मुझे देना क्या पड़ रहा है मुझे देना पड़ रहा है 15 साल के अन्दर 16 हजार 845 करोड़, 37 हजार करोड़ के लिए मुझे देना पडा था 56 हजार करोड़, मुझे 43 हजार करोड़ के लिए देना पड़ता है 16 हजार करोड़, यह 40 हजार करोड़ से ज्यादा का लफड़ा है। (व्यवधान) घोटाला तो नहीं है। लफड़ा है। इसमें हमारा इंटरनल रेट आफ इंटरेस्ट क्या होगा, 12.2 परसेंट। आपके इंटरनल रेट आफ रिटर्न से लगभग दो गुणा। रिफाइनरी कैसी होगी उसका कान्फिगरेशन क्या होगा। कान्फिगरेशन टैक्नीकल है अपग्रेटेड रिफाइनरी के लिए, उसके मुकाबले पहले यूरो। रिफाइनरी की टैक्नोलोजी बदल गई है, पहले भी Slurry hydro advanced technology है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं हम सब लोग कस्टोडियन हैं। सब कहीं न कहीं राजस्थान की जनता का भला चाहते हैं। पर कभी-कभी चुनाव के लालच में भले को भूल जाते हैं, यह दुर्भाग्य है। रिफाइनरी राजस्थान में आनी चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं है। पर राजस्थान की रिफाइनरी राजस्थान और राजस्थान की जनता की शर्तों पर भी आनी चाहिए। राजस्थान और राजस्थान की जनता की शर्तों को भूलकर चुनाव जीतने की शर्त पर राजस्थान के संसाधन को गिरवी रख आए। (व्यवधान) बड़े -बडे फोटो छपाए रिफाइनरी के। इमेजनरी फोटो। बड़े सारे फोटो छपाए। नीचे लिखा छोटा-सा, इमेजनरी फोटो। भगवान करे ऐसी इमेजनर कोई नहीं करे, ऐसे सपने कोई नहीं देखे।

(20.00 बजे)

मुझे खुशी है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आने वाले टाइम में वेस्टर्न राजस्थान और न केवल वेस्टर्न राजस्थान, बल्कि राजस्थान की इकोनोमी को मजबूती देने की दिशा के अन्दर जो काम हमने किया है, यहां हिन्दुस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल इन्वेस्टमेंट आयेगा, जिसके तहत यहां एम्प्लायमेंट जनरेट होगा और राजस्थान की इकोनोमी, एक बायोमेट्रिक इकोनोमी में तब्दील होने में राजस्थान की इकोनोमी को मदद मिलेगी।

मैं चार साल की चर्चा नहीं करना चाहता। चार साल-चार साल की आम तौर पर सभी ने चर्चा की है। अगर डोटासराजी परमिट करें तो चार साल

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

की चर्चा भी कर दूं, चार साल बनाम पांच साल, या रहने दूं। मैं निवेदन इतना ही करना चाह रहा था।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आधा घण्टा और बोलना है, बस।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): हैं?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आधा घण्टा बोलना है। खींवसर विधायक पूरा सुनकर जाना चाहिये, आधा घण्टा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): चलो, छोड़ो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की इकोनोमी की जिस ट्रांसफार्मेशन की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, और यह ट्रांसफार्मेशन जो बहुत पहले हो जाना चाहिये था, और कम से कम हमारा राज जब पहले आया, जो काम हमने शुरु किया, कम से कम तब तो शुरु हो जाना चाहिए था। उस काम को आगे बढ़ाना तो दूर, उस काम के रास्ते में इम्पेडीमेंट बनकर खड़ा हो जाना, स्टम्बलिंग ब्लाक बनकर खड़ा हो जाना, मैं समझता हूं उसके लिये राजस्थान की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रीको के बारे में चर्चा आपने की तो रीको के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

आप जानते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाई कोर्ट ने भी एक निर्णय दिया है कि जो इण्डस्ट्रियल एरिया अरबन एरिया में आ गये हैं, जैसे सुदर्शनपुरा इण्डस्ट्रियल एरिया है, किसी जमाने में शहर से बाहर हुआ करता था। आज शहर के बीच में है। शहर के बीच में इण्डस्ट्रियल एक्टिविटी कोई करता है तो पड़ोसी को तकलीफ है। पड़ोसी इण्डस्ट्रियल एक्टिविटी करने देता नहीं है। मैं इण्डस्ट्रीज यहां लगा सकता नहीं, इण्डस्ट्री लगाने कहीं और जाऊं, उस जमीन पर मैं क्या काम करूं। इण्डस्ट्रियल लैण्ड है, न इसका रेजीडेंशियल काम कर सकता, न उसमें होटल बना सकता, न कुछ और बना सकता। तो हमने कर रखा है कि सेचुरेटेड इलाके के अन्दर 15 परसेंट इलाके को हम नोन इण्डस्ट्रियल यूज में परमिट करेंगे। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह काफी कम था। मैं समझता हूं कि उस 15 प्रतिशत इलाके को निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिये और हम इस 15 प्रतिशत इलाके को 15 परसेंट से बढ़ाकर 20 परसेंट करेंगे।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि रीको, आर.एफ.सी., ये रिफाइनेंसिंग आर्गनाइजेशंस हैं। इसलिये हमारी रेट आम तौर के ऊपर बहुत ज्यादा काम्पीटिटिव नहीं होती।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक चिंता दूसरी हो गई, उपाध्यक्ष महोदय, अभी आज हमारे मुख्य सचेतक महोदय ने बाहर मीडिया में कह दिया कि यहां पर रात को प्रेत आत्माएं और भूत आते हैं। तो कृपया उनकी बात का ध्यान रखते हुए थोड़ा जल्दी निपटा दें तो ठीक है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): भूत से बाकी को डर हो सकता है, आपको और मेरे को तो नहीं है।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): भूत अन्दर ही बैठे हैं यहां तो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): वह जो भूत हैं, वह केवल प्रतिपक्ष के सदस्यों को ही परेशान करेंगे, इसलिये आपको ही ज्यादा चिंता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): है तो सही न?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): है न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, आप कह कर आये हो बाहर मीडिया में कि इस विधान सभा में रात को भूत-प्रेत, आत्माएं आते हैं। आप कहकर आये हो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप सावधान रहना। मैंने तो यह नहीं कहा कि यहां हैं और मैंने देखे हैं, मैंने नहीं कहा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने कहा था।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मैंने कहा कुछ हो सकता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हो सकता है, यह तो कहा न। इसलिये रात बहुत है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): क्योंकि आपके ऊपर कहीं न कहीं असर जरूर है। इसलिये आप बिना बात के सीट से उछलते हो। ऐसा लगता है कि भूत जैसा व्यवहार आप करते हो। इसलिये कहीं न कहीं आपकी आत्मा में वह भूत जरूर आता है, आपके शरीर में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री के नाते मैं इस पूरी बात का जोरदार खंडन करता हूं। यह पुण्यात्मा की जगह है। यहां राजस्थान के विकास की बात होती है। भूत-प्रेत हमारे कहां लगेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, और अगर है, उपाध्यक्ष महोदय, तो आप एक समिति बनाओ और भूत कितने हैं, भूतनियां कितनी हैं, प्रेत कितने हैं, आत्माएं कितनी हैं, सबका एक बार, उपाध्यक्ष महोदय, जांच होनी चाहिए। ताकि उसका बाद में कोई इलाज किया जा सके।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उसका अध्यक्ष भी माननीय मुख्य सचेतक महोदय को बना दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह आसन का अधिकार है। आप इस जांच समिति का अध्यक्ष किसको बनाओगे, किसको नहीं बनाओगे। मेरे अलावा आप किसी को भी बना सकते हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): शकुंतलाजी को भूतनियों का बनाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सब जानते हैं कि लैण्ड एक्विजीशन एक्ट, 2013 के बाद में जमीनों को एक्वायर करना कितना एक्सपेंसिव और कम्बरसम काम हो गया है। अगर 2013 के लैण्ड एक्विजीशन एक्ट के तहत एक्विजीशन करने के बाद, डवलप करने के बाद, इण्डस्ट्रीज को अगर जमीन देने की कोशिश करेंगे तो कोई नहीं आयेगा। इसलिये इसके बर्डन को कम कैसे किया जाए, कैसे हम वायबल लैण्ड प्रोवाइड करा पाएं, इसके लिये हम सरकार से कोशिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि सरकारी जमीन हमें डी.एल.सी. के 25 परसेंट रेट पर मिल जाए, जिस पर 25 परसेंट रेट पर जमीन लेने के बाद उस पर डवलपमेंट की कोस्ट जोड़ने के बाद में हम जमीनें ले पाएं।

साथ ही, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि आजकल कई छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, छोटा-छोटा काम करना चाहते हैं। उसके लिये जमीन खरीदो। रीको से जमीन खरीदो, फिर बनाओ। बनाने के बाद प्राडक्शन शुरु करो। कई ऐसी चीजें हैं, जिनके बारे में अगर उनको किराये पर सीधा-सीधा इन्फ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो मैं समझता हूं कि रीको की जमीन पर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

एम.एस.एम.ई. सैक्टर में काम करने वालों की जमीन के लिये हम लीज रेण्टल पालिसी जमीन की लाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साथ में हम प्राइवेट सैक्टर के अन्दर जमीन उन लोगों को देंगे जो प्लग एण्ड प्ले के प्रोविजंस के साथ में बिल्डिंग बनाएं, बड़ी बिल्डिंग बनाएं। कई नये काम करने वाले, स्टार्ट-अप करने वाले बाकी लोगों को जमीन देने के लिये, बाकी लोगों को इन्फ्रास्ट्रक्चर की फैसेलिटी देने के लिये इस प्लग एण्ड प्ले की जगह पैदा कर पाएं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि रीको की इंटरेस्ट रेट पर हमने कटौती की है। जितने भी नये लोग अब कर्जा लेंगे, उनकी इंटरेस्ट रेट कम हैं, लेकिन रीको से जिसने पुराना कर्जा ले लिया, उसकी इंटरेस्ट रेट अभी भी ऊंची है। मैं घोषणा कर रहा हूं कि अब रीको की इंटरेस्ट रेट, चाहे अब आदमी बोरो करे या रीको से उसने पहले बोरो कर लिया है, दोनों की इंटरेस्ट रेट को हम एक ही इंटरेस्ट रेट के रूप में मानेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सब जानते हैं कि रीको के लैंड डिस्पोजल के रूल 1979 में बने थे। 1979 के रूल्स के बाद कई बदलाव आते गये, कई तब्दीलियां आती गईं। नये-नये डिसीजंस दिये गये। आई.डी.सी. ने डिसाइड कर लिया, कभी बोर्ड ने डिसाइड कर लिया, यह तब्दीली आ गई, वह तब्दीली आ गई। कई प्रकार के परिवर्तन, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि इण्डस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स में भी आ गये, लैण्ड अलाटमेंट्स के रूल्स में हो गये। हम चाहते हैं कि किस तरीके से रीको के रीको के लैण्ड अलाटमेंट्स रूल्स को सिम्पलीफाई किया जाये। इसकी कम्बरसमनेस को कम किया जाये और इसके साथ में रीडिफाइन किया जाए, जिससे राजस्थान के अन्दर लैण्ड अलाटमेंट की पॉलिसी ट्रांसपेरेंट बने और ट्रांसपेरेंट बनने के साथ में यह बहुत सिम्पलीफाई भी बने।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार चार साल के प्रयासों से राजस्थान के इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट को आगे बढ़ाने की दिशा में और राजस्थान को तेज गति से विकसित होने वाले राज्यों की कतार में लाकर खड़ा करने की कोशिश में हम सफल रहे हैं। मैं सोचता हूं कि जो हम 70 साल में राजस्थान के अन्दर राजस्थान के इण्डस्ट्रियल एन्वायरमेंट को, इण्डस्ट्रियल वर्ल्ड को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर पाये, उस

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसी तेजी के साथ हम आगे बढ़ते रहे। इसी प्रकार से उसी कमिटमेंट के साथ में आगे बढ़ते रहे तो आने वाले समय में निश्चित रूप से मैं तो आज आपको निवेदन करता हूं कि राजस्थान नार्थ इण्डिया का सबसे ल्युक्रेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टीनेशन बना है। मैं कह रहा हूं कि केवल नार्थ इण्डिया का नहीं, वह दिन दूर नहीं होगा जिस दिन राजस्थान हिन्दुस्तान का, वर्ल्ड का सबसे ल्युक्रेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टीनेशन के रूप में उभरेगा। राजस्थान और राजस्थान की जनता, दोनों का इससे भला होगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय खनिज राज्य मंत्री महोदय।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): गैस के सम्बन्ध में कुछ बातें हमने कही थीं तो ध्यान देंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बाद में एक साथ करेंगे। Let the Minister for Mines first speak.

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): एक मिनट। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान रामगढ़ के मामले में...(व्यवधान) सांभर वाली बात कर रहे हैं या रामगढ़ की बात कर रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सांभर की भी कर रहा हूं और रामगढ़ की गैस।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): सेरेमिक के बारे में तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आपको कि गैस के बारे में यह बात सही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): भगवान की मूर्तियों पर जी.एस.टी. का मामला ...(व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): आज मैं जी.एस.टी. का भाषण नहीं दे रहा हूं, आज इण्डस्ट्री पर दे रहा हूं।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कोई बात नहीं, एक बार आश्वासन दे दीजिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): फिर जी.एस.टी. पर यहां बोलने की जरूरत भी नहीं है कोई।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह जी.एस.टी. की बात नहीं है,

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

सर, यह आपकी बात है। आप खुद वहां उद्योग मंत्री के नाते इस बात को प्रजेण्ट करें।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं आपकी बात को वहां रखूंगा। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यस।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय मंत्री महोदय, कोलिला के बारे में भी मैंने कहा था। जो जमीन 25 प्रतिशत देनी है, वह किसान से पूछा नहीं, कहां देंगे और कौनसी लैण्ड देंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैंने भी कहा था।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): आपसे भी चर्चा करता रहता हूं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): रा-मैटीरियल के बारे में मैंने भी कहा था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने मोहनलालजी गुप्ता साहब की शंकाओं के निवारण के लिये कहा था।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): आपने निवारण के लिये किया था, जितना निवारण करता हूं उतनी ही आप पैदा करवा देते हो। इसका क्या इलाज है?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): लाखों मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, उनको बचाने के लिये आप ...(व्यवधान)

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि दो पाइप लाइन्स आ रही हैं। एक आ रही है गेल की पाइप लाइन, कवरिंग कोटा-भीलवाड़ा और चित्तौड़, और दूसरी आ रही है महसाणा-भटिण्डा-जम्मू-श्रीनगर, पाइप लाइन जी.आई.जी.एल. की। इसका आबू में हमने जमीन ले ली और सिरोही आबू रोड के ऊपर इसका नोड है। मैं समझता हूं कि यह दोनों पाइप लाइन बीकानेर के रास्ते में नहीं पड़ती लेकिन बीकानेर के अन्दर निश्चित रूप से यह बात सही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि सेरेमिक इंडस्ट्री का सारा रॉ-मैटीरियल राजस्थान का है। राजस्थान में रॉ-

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मैटीरियल होता है और मोरबी इसका हब बना हुआ है और मोरबी इस कारण से हब बना हुआ है कि जो फ्यूल है, जब तक गैस फ्यूल हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक यह वायबिलिटी पैदा नहीं होगी। हम घिलोट में पाइप लाइन के माध्यम से दे रहे हैं और जिन इलाकों से यह पाइप लाइन जा रही है, जहां-जहां पर भी हमारे सप्लाई नोड्स हैं, उन सप्लाई नोड्स के ऊपर नए इंडस्ट्रियल एरिया किस प्रकार से डवलप किये जा सकते हैं, उसको एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने के साथ में इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे जिससे निश्चित रूप से सेरेमिक इंडस्ट्री के लोगों को वहां पर सेरेमिक इंडस्ट्री लगाने का मौका मिलेगा।

और, जो ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य दो दिन पहले चिंता व्यक्त कर रहे थे, उन सब चिंताओं का समाधान हो पाएगा।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): सर, भीलवाड़ा में आल-रेडी गैस पाइप लाइन आ चुकी है और सेरेमिक जोन के लिए लैंड भी अलाट हो चुकी है।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने सांभर साल्ट का मुद्दा उठाया जहां पर चालीस प्रतिशत शेयर हमारा है। यह बात सही है कि सांभर साल्ट के, सांभर लेक के बाहर बहुत बड़ी तादाद के अन्दर लोगों ने पाइप लाइन लगाकर ब्राइन की चोरी कर रहे हैं और बेरोजगार हैं इसलिए वह चोरी करेंगे तो फिर समाज की जिम्मेदारी है कि उस चोरी को रोकने की कोशिश की जाए। निश्चित रूप से जो लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है कि ब्राइन की जिस तरह से रैम्पेन्ट चोरी सांभर में हो रही है और एन.जी.टी. के डाइरेक्शन के बावजूद उन लोगों के कनेक्शन अभी नहीं कटे हैं और आपने जिस कमेटी की चर्चा की, जिस कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा की, उस कमेटी की रिपोर्ट की दिशा के अन्दर बहुत बड़ा कारगर काम राजस्थान की सरकार की तरफ से अभी तक नहीं हुआ, यह बात सही है, कपूर कमेटी। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सांभर साल्ट के इलाके के अन्दर मैं खुद जाऊंगा, माननीय सदस्य यदि मेरे साथ जाना चाहेंगे तो माननीय सदस्य मेरे साथ चलें और निश्चित रूप से गैर-कानूनी काम करने का अधिकार किसी को भी नहीं है और सांभर साल्ट की मौत का कारण गैर-कानूनी रूप से ब्राइन की चोरी की जाए, उसको निश्चित रूप से हम रोकेंगे, इसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: State Minister for mines.

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-43 पर 64 सम्माननीय सदस्यों द्वारा 183 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मैं इन सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं और इन सबके जवाब तीन दिन में हम भिजवा देंगे और इन सुझावों पर विभाग की कार्य-प्रणाली में किस प्रकार से सुधार हो सकता है, उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे।

इस बजट सत्र के अन्दर बहुत से सम्माननीय सदस्यों ने पर्ची के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो ध्यान आकर्षित किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन सभी मामलों में जहां पर मुझे कमी दिखेगी, सुधार करने की भरपूर कोशिश करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान खनिज के मामले में बहुत सौभाग्यशाली है। बहुत अपार अमूल्य खनिज राजस्थान की धरा पर छुपा हुआ है। आज देश की कुल खनन उत्पादन क्षमता का 9 प्रतिशत हमारे प्रदेश का योगदान है। राज्य में अब तक 81 खनिज हमें खोज कर उपलब्ध हो गये हैं और 57 के खनन शुरु हो गये हैं। 33140 माइन्स के माध्यम से हम इनका खनन कर रहे हैं और राज्य की जी.डी.पी. में 7.04 प्रतिशत हमारे विभाग का योगदान है। 25 लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार हमारे विभाग के माध्यम से उपलब्ध हो रहे हैं।

बहुत से बहुमूल्य देश के अन्दर वोलेस्टोनाइट, जेस्पर, जस्ता, सीसा हंड्रेड परसेंट यह हमारे प्रदेश में खनिज होता है। जिप्सम, बाल-क्ले, राक-फास्फेट 95, 98 परसेंट तक हमारे यहां पर खनन होता है। हमारा विभाग राजस्व प्राप्ति का भी एक प्रमुख स्रोत है। 2016-17 में 4233 करोड़ के राजस्व की हमारे विभाग को प्राप्ति हुई और फरवरी, 2017-18 तक 7876 करोड़ राजस्व प्राप्ति हम कर चुके हैं। पांच साल में पिछले कांग्रेस की सरकार में 11076 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई थी इसके कम्पेरीजन में चार साल में हमने 16912 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया है जो इनसे 5836 करोड़ रुपया ज्यादा आया है और एक साल हमारा अभी बाकी है।

अभी जो हमने 2017 में नई नीति लागू की है इसके बाद अब राजस्व के अन्दर हम एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। ई-नीलामी के माध्यम से जो हमने पांच ब्लाक, मेजर मिनिरल्स के 18.15 वर्ग किलोमीटर

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

में अभी आक्शन की है, देश का सबसे बड़ा, पचास वर्ष में 51958 करोड़ का राजस्व इससे प्राप्त होगा और यह देश की सबसे बड़ी ई-आक्शन की नीलामी है। इससे प्रति वर्ष हमारे प्रदेश को 1048 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति होगी। अभी हमारे जो पांच ब्लाक और हमने आक्शन में डाल रखे हैं, जब इनका आक्शन हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि यह राजस्व प्राप्ति डबल हो जाएगी और राजस्थान आने वाले समय में, हमारा विभाग राजस्व के अन्दर एक नया इतिहास बनाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल हमने 2017 में जो नई खनन नीति लागू की, वर्षों से हमारे विभाग पर समय-समय पर अंगुली उठती थी। कभी 'पहले आओ, पहले पाओ', कभी आक्शन के माध्यम से हमने ऐसी ट्रांसपेरेंट नीति बनाई कि आज तक जितने हमने ई-आक्शन किये हैं चाहे मेजर मिनरल में या चाहे माइनर में, आज तक उस पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता और उसके अन्दर एक रिकार्ड राजस्व प्राप्ति हो रही है।

हमने पिछले साल जो नई नीति बनाई थी उसके अन्दर जिप्सम के अन्दर हमने, मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि हम उन किसानों को जिनके खेत में जिप्सम उपलब्ध है, उनको हम भूमि सुधार के अन्दर लेकर मालिक बनाएंगे और उनको हम खनन पट्टे जारी करेंगे। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 31.01.2018 तक 432 मंशा-पत्र जारी कर दिये गये हैं और इससे किसानों को एक बहुत बड़ा लाभ मिला है। वह किसान जिनकी जमीन जिप्सम के कारण दस हजार रुपये की भी जिसकी कीमत नहीं थी आज उस किसान की जमीन की कीमत पांच और दस लाख तक चली गयी है और इस कारण से जिप्सम के अन्दर जो अवैध खनन होता था, उसके ऊपर भी अंकुश लगा है। अब सीमेंट कम्पनियों को, पी.ओ.पी. फैक्ट्रियों को और जहां पर भी हमारे जिप्सम की जरूरत है वह ईजिली अवेलेबल है, ब्लैक में नहीं बिक रही और अवैध खनन पर भी उससे रोक लगी है और किसानों को भी इससे बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है। इससे सरकार को भी राजस्व प्राप्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत और मिल गया है।

मान्यवर, इसी तरीके से पिछले साल जब हमने 2017 में जो पालिसी बनाई, जब हमने उस पालिसी के रूल्स बनाए तो कुछ लोगों ने आपत्तियां कीं। हमने आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए हमारे तीन मंत्रियों की एक बैठक

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशन में हुई और उसके अन्दर हमने उद्यमियों से और सबसे बात करके, बहुत सारी रिलीफ देकर ईजी किया ताकि जो उसमें दिक्कतें आ रही थीं, वह दूर हो। मैं उसके अन्दर बताना चाहूंगा कि पहले खानों के पारिवारिक हस्तांतरण के लिए जो प्रीमियम राशि दस लाख रुपये थी उसको कम करके हमने पचास हजार किया ताकि परिवारों के अन्दर जो लीज का ट्रांसफर है, वह ईजिली हो सके।

उद्यमियों की सहूलियत ईज आफ डूइंग बिजनेस के लिये हमने ई-रवन्ना, ई-रिटर्न, ई-असेसमेंट यह सारे प्रावधान किये।

इसी के साथ ही ई.टी.पी. जारी करने के भी हमने जो घोषणा की थी, उसको लागू किया और विभाग द्वारा अक्टूबर, 2017 तक 31 हजार से ज्यादा ई-रवन्ना जारी हो चुके हैं और जो बार-बार ब्लेम लगता था कि एक ही पर्ची पर बार-बार खनन के अन्दर जो चोरी होती है, इस पर अंकुश लगा है। इससे हमारी आय बढ़ी है, ट्रांसपेरेंसी आयी है और अभी जिप्सम के अन्दर भी 800 ई-रवन्ना हमारे परमिटधारियों को हमने जारी किये हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम से हमने जो घोषणा की थी, उसको लागू किया है।

अप्रधान खनिजों के अन्दर हमने 572 प्लाट बनाये हैं, जो ई-नीलामी के लिये सूचित किये हैं। 383 प्लाटों पर हमने ई-नीलामी की कार्यवाही पूरी कर दी है और 243 प्लाटों पर बोली प्राप्त हुई है जिसमें खनन पट्टे आबंटन की कार्यवाही की जा रही है और ई-आक्शन के माध्यम से हमने 500 प्लाट और तैयार कर दिये हैं और आने वाले समय में हम इनको आक्शन करेंगे और ई-आक्शन के माध्यम से हमारे जो ट्रांसपेरेंट तरीके से यह सारी आक्शन होगी और कई सालों से हमारे खनन पट्टों को जारी करने की जो रोक लगी हुई थी, वह आपकी हमने खोल दी है।

इसी प्रकार से, 31 खनिज जो पहले प्रधान खनिज में आते थे, वर्तमान में अप्रधान खनिज घोषित किये गये हैं और इनमें भी ई-नीलामी के माध्यम से और इसके अन्दर भी रायल्टी के ठेके हम देंगे।

मान्यवर, पिछली डिमाण्ड के अन्दर हमने पोटाश खनिज के अन्दर भी घोषणा की थी और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने ड्रिप ड्रिलिंग करके 2014-15 में 4.62 मिलियन टन पोटाश फर्टिलाइजर का जो 10 हजार करोड़ रुपये का याट होता है और जो केवल सारे का सारा विदेशों से

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

आयात होता है, उसका कोई सोर्स हमारे पास नहीं था, लेकिन अब हमने गंगानगर, नागौर, बीकानेर और हनुमानगढ़ के अन्दर हमने ड्रिलिंग करायी है, जिसका विस्तार लगभग 50 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा पोटाश की खोज का कार्य 30 हजार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ही किया गया है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वे द्वारा राजस्थान के लक्खासर, गड़सीसर, हंसेरा, अर्जनसर, जैतपुरा, भैंरूसरी, सतीपुरा क्षेत्र में 470 मीटर से 700 मीटर की गहराई के विभिन्न परतों के रूप में पोटाश की खोज की गयी है। सतीपुरा और भैंरूसरी जिला हनुमानगढ़ व लक्खासर जिला बीकानेर सब-बेसिन में लगभग 2476 मिलियन टन खनिज पोटाश के भंडारों का आकलन किया गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे प्रदेश के लिये है, जो शत-प्रतिशत पोटाश आयात होती थी, उसको खोजकर हम इसको आने वाले समय में ई-आक्शन के माध्यम से इस खनिज का खनन करेंगे और राजस्थान को एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और राजस्थान एकमात्र पोटाश पैदा करने वाला प्रदेश बनेगा।

आगे भी मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में विनिवेशन को प्राथमिकता देते हुए हनुमानगढ़, बीकानेर में अब आगे 30 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पोटाश के भंडार होने के और संकेत मिले हैं तो इसके अन्दर भी मानक स्तर का अन्वेषण नहीं होने के कारण ई-नीलामी की कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं था। लेकिन राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हनुमानगढ़ जिले के सतीपुरा क्षेत्र व भारत सरकार के उपक्रम ई.एम.सी.एल. द्वारा बीकानेर जिले के जैतपुरा क्षेत्र में ड्रिलिंग कार्य करवाया जा रहा है, जो कि पूर्ण होने जा रहा है और इस कार्य को पूरा होने के पश्चात् इस क्षेत्र में भी नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

पिछली बार बजट की जो घोषणाएं थीं, उसके अन्दर हमने डी.एम.एफ.टी. की घोषणा की थी कि पहले जो मेजर मिनरल्स 32 प्रतिशत और माइनर मिनरल्स 10 प्रतिशत, जो हमारी रायल्टी लगती थी, उसको जिला लेवल पर हम जिले के हिसाब से करेंगे, इससे पहले जो हमारा सेंट्रलाइज था, जो पैसा सड़कों के लिये आता था, वह पहले जयपुर के अन्दर था, लेकिन अब हमने जिले पर कर दिया और मुझे यह प्रसन्नता है कि इसके अन्दर हमारे इस वर्ष में 1427.90 करोड़ रुपये एक साल में जिले के अन्दर यह पैसा इकट्ठा हुआ है और कुछ जिले जैसे भीलवाड़ा में 533 करोड़,

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

राजसमंद में 299 करोड़, अजमेर में 106 करोड़, उदयपुर में 103 करोड़ और चित्तौड़गढ़ में 93 करोड़, और इस पैसे के माध्यम से 772 करोड़ के 5230 कार्यों को विभिन्न विभागों द्वारा हमारे विभाग के साथ मिलकर आधारभूत सुविधाएं हेतु स्वीकृति दे दी गयी है। इसके अन्दर शिक्षा विभाग में 2500 कार्य, जो कमरों के लिये, कक्षा-कक्ष के लिये, बाउण्ड्री के लिये, पेयजल के लिये स्वीकृत कराये हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 1020 कार्य तथा सड़कों के लिये 300 कार्य हमने स्वीकृत किये हैं। अब जिले स्तर पर विधायक और जिला प्रमुख के साथ मिलकर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में हम यह सारा काम जिला स्तर पर निपटाते हैं। एक करोड़ तक के काम जिला कलक्टर ही मंजूर कर देता है और उससे बड़ी राशि होती है तो प्रदेश के पास आ जाती है और इस तरह से डिसेंट्रलाइज होकर जिस जिले का जितना भी खनन का काम है, उस हिसाब से उसे पैसा मिल जाता है और इस प्रकार से अगर एक-एक जिले में 533 करोड़ रुपया विधायकों को, जन प्रतिनिधियों को हर साल मिलेगा तो आने वाले समय में उस जिले के अन्दर विकास कार्यों के अन्दर कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में पैसा विकास के लिये मिलना उस जिले के लिये मिलेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मेरी क्वेरी थी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से, इसमें विधायकों को आपने उस कमेटी में तो रखा है, लेकिन आपके अधिकारियों द्वारा यह कहा जाता है कि जहां माइनिंग है, वहीं वह पैसा लगेगा। आप डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में या दूसरी जगह उस जिले में नहीं लगा सकते तो इसके ऊपर आपकी क्या पालिसी है, वह बताने का कष्ट करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरा भी है। मंत्रीजी मेरा भी इसके साथ ही बता दें। मेरे वहां सबसे ज्यादा रेवेन्यू खींवसर कांस्टीटूएंसी से आता है, पर अभी तक वहां पर एक रुपया भी खर्च नहीं हुआ। आप कह रहे हो कि इतना लगा दिया, 500 करोड़, 300 करोड़, किसके कहने से लगा दिया? ऐसे ही, कागजों में लगा दिया या वास्तव में लगा दिया? यह कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है न। किसके कहने से करा रहे हो वहां पर, कौन कह रहा है, किसकी सिफारिश पर करवा रहे हो? (व्यवधान) एक मिनट रूक जाओ, क्या बैठ जाओ, बैठ जाओ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): पांच जिले हैं, जिनमें ज्यादा रेवेन्यू आया है, उनके नाम बोले हैं। सब जिलों में पैसा आया है। (व्यवधान) हमने जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनायी है, उसमें विधायक है ...(व्यवधान) हमने तो डिसेंट्रलाइजेशन किया है, जिला का पैसा जिले में बांटने का प्रावधान किया है और जिला कलक्टर की अध्यक्षता में सभी जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर हम उस पैसे को वहां पर लगायेंगे। (व्यवधान)

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़): भीलवाड़ा में डी एम एफ टी, ...(व्यवधान) नोन माइनिंग वाले और पार्टी वर्कर्स को उसमें ले लिया गया है। (व्यवधान) क्वेश्चन माइंस है वहां पेपरबाजी हुई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, एक मिनट विराज जाओ। Ok. Start. One at a time. Come and ask questions.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पहले पूरा रिप्लाई हो जाये।

श्री उपाध्यक्ष: Let the Minister reply atleast there. Half way in between you are asking the questions. This is not a question hour.

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप इधर कहो, यह बार-बार पूछ रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2017 की जो हमारी पिछली नीति बनी थी, उससे पहले अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में हमारे खनन पट्टों के आबंटन पर कई सालों से प्रतिबन्ध लगा हुआ था और हमने 2009 से लेकर उस प्रतिबन्ध को हमने नई नीति के अन्दर जो हमने सोसायटियों के माध्यम से ट्राइबल क्षेत्र में पट्टे देने के नियम बनाये थे और इस कारण से जो सोसायटियां जनजाति क्षेत्रों में बनी हुई हैं, उन सोसायटियों के माध्यम से हमने खनन के पट्टे देने का काम शुरु कर दिया है और इसके अन्दर हमने तीन एल.ओ.आई. जारी कर दिये हैं और जितनी भी सोसायटियां अब ट्राइबल एरिये में जो भी उसमें लेना चाहेंगी, हम आगे भी एल.ओ.आई. जारी करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आरएसएमएमएल हमारा राजकीय उपक्रम है। राक फास्फेट, लाइमस्टोन, लिग्नाइट, जिप्सम आदि खनिजों के खनन और विपणन का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। उक्त खनिजों के अतिरिक्त जैसलमेर में 106 मेगावाट के पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट तथा पांच मेगावाट का एक सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट बीकानेर के नजदीक भी आरएसएमएमएल द्वारा लगाया

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

गया है। कम्पनी द्वारा 17-18 में खनिज राक फास्फेट के सम्बन्ध में एग्रेसिव मार्केटिंग की गयी है जिसके फलस्वरूप जनवरी, 17 तक 5.29 लाख टन खनिज की तुलना में इस वर्ष जनवरी, 18 तक 5.51 लाख टन राक फास्फेट बेचा जा चुका है, जो लगभग डबल है।

इसी तरह 20 फरवरी, 2018 तक 06 लाख टन से अधिक खनिज का बेचान हुआ है। मान्यवर, कम्पनी द्वारा वर्ष 2017-18 में गिरल, सोनड़ी एवं कसनऊ, मातासुख से जनवरी तक 7.31 लाख टन लिग्नाइट बेचा जा चुका है और उम्मीद है कि इस कम्पनी द्वारा इस वर्ष राज्य में विभिन्न उद्योगों के लिए 10.50 टन से अधिक लिग्नाइट खनन बेचा जा सकेगा। राज्य के विभिन्न उद्योगों तथा सीमेन्ट आदि के लिए लिग्नाइट राज्य के एक वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन के रूप में उपलब्ध है, जिसका अधिकाधिक उपयोग कर राज्य को समृद्ध बनाने में योगदान प्राप्त होता है।

माननीय उपाध्यक्षजी, कम्पनी की सानू खान से स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का खनन किया जाता है जो विभिन्न स्टील प्लान्ट तथा सेल, टाटा स्टील आदि नामी कम्पनियों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस वर्ष अभूतपूर्व वृद्धि के साथ स्टील ग्रेड लाइमस्टोन 30 लाख टन अधिक बेचे जाने का लक्ष्य है जिसके विरुद्ध अब तक 26.45 लाख टन बेचा जा चुका है जबकि किसानों को परमिट जारी होने से जिप्सम के खनन पर प्रभाव पड़ा है लेकिन गुणवत्ता के आधार पर कम्पनी इसमें आगे अपना और काम बढ़ायेगी और कम्पनियों को हाईटेक बनाने के लिए अभी डिजिटलाइजेशन के लिए विशेष 11 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर किया गया है।

मान्यवर, नीचे कितना खनिज है, इसकी खोज के लिए भी हमारा जियोलाजिकल डिपार्टमेंट काम करता है। हर्ष और गौरव की बात है कि खनिजों के अन्वेषण में 17-18 के आउटसोर्सिंग में 4200 मीटर ड्रिलिंग किया गया है। नागौर जिले के जायल में 370 मिलियन टन लाइमस्टोन और खींवसर में 500 मिलियन टन लाइमस्टोन का आकलन किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 17-18 में आउटसोर्सिंग से 7000 मीटर ड्रिलिंग से बेस मैटल, लिग्नाइट, लाइमस्टोन के भण्डारण का पता लगाया गया है। भारतीय भू सर्वेक्षण द्वारा पोटाश 100 परसेंट तैयार कर काफी गहराई तक 600 मीटर नीचे तक जाकर इस बार हमारे जियोलाजिकल डिपार्टमेंट ने अभूतपूर्व काम

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

किया है। नेशनल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट फण्ड से वर्ष 2017-18 में पांच प्रोजेक्ट ड्रिलिंग कर बांसवाड़ा में मैगनीज के दो, उदयपुर में बेस मैटल के दो, झुन्झुनूं में लाइम स्टोन का एक, इसी प्रकार सिरोही और पाली, बाड़मेर में इसी वर्ष खनिज रेयर अर्थ की अपार सम्भावनाओं को देखकर, ध्यान में रखकर खोज की जायेगी।

मान्यवर, जैसलमेर बेसिन में 30 लाख घन मीटर प्रतिदिन गैस की अतिरिक्त उपलब्धता, उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के माध्यम से 160 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन एवं विभिन्न औद्योगिक प्रयोजनार्थ जैसे कि फर्टिलाइजर बनाने में जैसलमेर एवं जोधपुर में शहरी गैस नेटवर्क विकसित करने तथा कम्पोस्ट नेचुरल गैस, सीएनजी में परिवर्तित कर गैस, किट के द्वारा बीकानेर स्थिति सेरेमिक इण्डस्ट्री को सप्लाई करने बाबत् फिजिबल स्टैडी करवाकर आगामी वर्ष में राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के माध्यम से उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा बजट में जो घोषणा बीकानेर में सेरेमिक हब विकसित करने तथा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भण्डारों का समुचित प्रयोग हेतु उल्लेख किया गया है। इस पर हम क्रियान्विति करेंगे।

माननीय उपाध्यक्षजी, बाड़मेर-सांचौर बेसिन में लगभग 30-40 लाख मैट्रिक टन प्रतिदिन गैस उपलब्ध है। इसके प्रयोग हेतु वर्तमान में बाड़मेर, पाली, पालनपुर पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है। हमारा प्रयास है कि पैट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार और पैट्रोलियम एवं नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के माध्यम से शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकसित करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर अजमेर, जयपुर, उदयपुर स्मार्ट सिटी को गैस उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जायेगा। साथ ही पाली, ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़ आदि को औद्योगिक गैस उपलब्ध हो सकेगी। यह कार्य आगामी वर्षों में राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अवैध खनन के सम्बन्ध में अनेक माननीय सदस्यों द्वारा बार-बार बात की गयी। मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने अवैध खनन रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। मान्यवर, हमने कठोर कानून बनाये हैं ताकि भय के कारण अवैध खनन पर रोक लगे। पांच वर्ष तक की सज़ा और पांच लाख रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

किया है। वैध खनन की राशि का दस गुना पैनल्टी लगाने का प्रावधान किया है। आईटी के माध्यम से हमारे डिजिटलाइजेशन, जियोटैग, जियोमैप ... (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सारे वोट टूट जायेंगे। क्या पढ़वा रहे हो आप बताओ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): अब 31.5 लाख रवन्ना जो जारी हुए हैं। इससे भी अवैध खनन पर रोक लगी है। जिप्सम का अवैध खनन रोकने के लिए किसानों को वर्क परमिट दिया जाना, रायल्टी ठेके, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स, अवैध खनन रोकने के लिए रेवेन्यू पुलिस, वन, खान परिवहन अधिकारियों का एक विशेष अभियान, 460 बार्डर होम गार्ड के जवान हमने तैनात किये हैं। पांच सौ पुलिस जवानों की विशेष तैनाती हम शीघ्र करेंगे। आधारभूत सुविधाओं को विकसित करेंगे। अगर कम्पेरेटिवली अवैध खनन के अन्दर की गई कार्यवाही का हम विवरण करें तो पिछली सरकार में 10148 प्रकरण पांच साल में बने थे, हमने चार सालों में 20639 प्रकरण बनाये हैं जो 103 प्रतिशत ज्यादा हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तालियां, बैठने के लिए बजा रहे हैं। वर्जन के लिए नहीं बजा रहे हैं। ये कह रहे हैं, बहुत हो गया, बहुत हो गया। इसके लिए बजा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): सुन लो, सुन लो। इसी प्रकार दर्ज करायी गयी एफआईआर, पिछली सरकार ने पांच साल में अवैध खनन रोकने के लिए 1860 दर्ज करायी थीं और हमने चार सालों में 2669 करायीं यानी कि हमने इनसे ज्यादा 43 परसेंट अधिक एफआईआर करायी हैं। इसी तरह जो औजार जब्त किये गये हैं, उनकी संख्या पांच साल में इनके समय में 8803 थीं और हमारे टाइम में 15615 हैं। जो कि 71 परसेंट अधिक हैं। वसूल की गयी राशि, इन्होंने पांच साल में 30.44 करोड़ रुपये की राशि वसूल की और हमारी सरकार ने चार सालों में 113.73 करोड़ की राशि वसूल की है जो कि 273 प्रतिशत अधिक है। इसलिए हमने प्रभावी ढंग से अवैध खनन को रोकने का प्रयास किया है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, एक मिनट।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): अभी मैं आपका बता देता हूं आपका भी।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): एक सैकिण्ड आप विराजिए। मैं मेरी बात कह लूं। हमारे यहां भिवाड़ी में बाबा मोहन राम को लोक देवता माना जाता है। रामदेवरा की तरह से वहां भी 40-40, 50-50 लाख उनके भक्त आते हैं और 15-15 दिन मेला भरता है। जनलेखा समिति भी गई और भी बहुत सारी कमेटियां गईं। आपको डायरेक्शन दिये, विभाग को दिया। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उस लोक देवता के स्थान को, पहाड़ी को कब तक आप बचा लेंगे? चारों तरफ अवैध खनन हो रहा है और जो यात्री हैं, वह अमावस्या या पूर्णिमा को रात को परिक्रमा करते हैं, अवैध खनन और विस्फोट के कारण लोग घायल हो जाते हैं। तीर्थयात्री घायल हो जाते हैं। उसके पुख्ता इन्तजाम की कोई बात हो तो बतायें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वह तो लोक देवता हैं, खुद ही बचा लेंगे।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): आदरणीय उपाध्यक्षजी, बजरी के सम्बन्ध में यहां खूब चर्चा हुई। मैं यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज प्रदेश की जनता को बजरी की कमी की जो स्थिति पैदा हुई है, अगर हम अध्ययन करें तो आपको, 2012 में जो पालिसी इन्होंने बनायी, आज उसकी वजह से हमारे प्रदेश की जनता बजरी की कमी के इस लूट के अन्दर फंसी हुई है। क्योंकि आपने यह बनायी और इसके कारण से यह सारा काम हुआ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य रामहेत जी ने छेड़ दिया, जो इतनी देर पढ़ा वो आप तो दोबारा से पढ़ने लग जाओ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): नहीं, नहीं।

देखिये, आपने सबसे बड़ा गलत, 2012 में जो पालिसी बनायी आपने जिस टेबल पर बैठकर बनायी शायद उस पर केवल आपने दस्तखत किये, ड्राफ्टिंग किसी और ने की होगी क्योंकि आपने जिन लोगों को लाभ देना था, ड्राफ्टिंग तो उन्हीं लोगों ने की होगी। इसलिए आपने सबसे बड़ी जो गलती की कि बड़े-बड़े ब्लाक बनाये। अगर हम अध्ययन करें तो 2000 हैक्टेयर से लेकर 5000 हैक्टेयर तक के आपने 22 बनाये। 5000 हैक्टेयर और इससे ज्यादा के

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

भी आपने तीन बनाये और 2000 तक के आपने 69 बनाये। तो कुल 105 में से आपने लगभग 70 प्लाट ऐसे थे जो 2000 वर्ग गज से ज्यादा थे और आज यही कारण है कि जो बड़े ब्लाक हैं उनकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट के अन्दर भी इसी की प्राब्लम आ रही है और बजरी खनन का काम कुछ लोगों के हाथ में आने से लोगों को पांच साल तक यह दुख भोगना पड़ेगा आपकी गलत नीति के कारण।

आप बार-बार कह रहे हैं, हमने प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभी 56 प्लाट बनाये हैं, वो सारे के सारे 56 प्लाट 50 हैक्टेयर के बनाये हैं, 50 हैक्टेयर के ऊपर कोई भी प्लाट नहीं बनाया। भविष्य में हम जो पालिसी बनायेंगे उसके अन्दर भी हम यह प्रावधान करेंगे कि प्रदेश स्तर पर जिसमें ई.सी. मिल सके, वो ही प्लाट उतने ही साइज के बनायेंगे ताकि केन्द्र के अन्दर अनावश्यक ई.सी. की देरी ना लगे और जो गलती आपने की है उसको हम इस पालिसी के माध्यम से सुधारेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और कागज आ गये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): अगर आप छोटे प्लाट बनाते तो और लोगों को रोजगार मिलता, काम्पिटीशन होता, प्रतिस्पर्धा से बजरी सस्ती होती। दूसरी बात, आपकी अगर उस पालिसी के समय अध्ययन करें तो आपने रिजर्व प्राइस केवल मात्र 51 करोड़ रुपये रखी। केवल मात्र 51 करोड़ रुपये रिजर्व प्राइस रखी और उसके अगेंस्ट 467 करोड़ प्रीमियम हुआ।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न पूछना था। एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। मंत्री महोदय, एक शंका है, एक शंका का समाधान कर दें। एक ही प्रश्न है। मंत्री महोदय, मेरा इतना आग्रह है ... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): 51 करोड़ रिजर्व प्राइस रखी और 467, इन्होंने इतनी लोएस्ट उसकी रिजर्व प्राइस 51 करोड़ रखी और बोलीदाता द्वारा 467 करोड़ लगाई गई और हमने उसमें 1200 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू अभी ले लिया। कहां 51 करोड़ और कहां 1200 करोड़। आपने किसको लाभ देने के लिए इतने प्राइस नीचे रखे यह तो आप ही बता सकते हैं क्योंकि आपने बनाई है पालिसी, हमने नहीं बनाई। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इनको सारा पता है, हाउस को बताओ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): और देखिये कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की कि प्राइस कंट्रोल के लिए उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं रखा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, यह आप सुबह पढ़ चुके, दुबारा पढ़ रहे हैं। रामहेत जी वाले सवाल का जवाब दे दो आप तो। माननीय रामहेत जी यादव ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दे दो। यह तो सारी बातें आप सुबह पढ़ चुके।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): इसके अन्दर प्राइस की आपने कोई व्यवस्था नहीं की इस कारण....

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): उपाध्यक्ष महोदय, हमने बजरी के अवैध कारोबार को रोकने के लिए 27 एलओआई तो सख्ती करते हुए निरस्त किये हैं और हमने बजरी के अन्दर रिप्लेसमेंट स्टडी एक टाइम बाउंड समय में कराई है और एक्सपर्ट कमेटी के साथ इसे प्रस्तावित कर दी है और 23 तारीख को हमें पूरी उम्मीद है कि हमें बजरी खनन की अनुमति मिल जाएगी तो यह जो समस्या उठ रही है इससे हमें लाभ मिलेगा।

अगर हम बजरी के अन्दर की गई कार्यवाही की बात करें तो अवैध बजरी खनन में आपकी सरकार ने 5 साल में 929 केस बनाये और हमने बजरी के अन्दर 9382 केस बनाये हैं जो 8453 ज्यादा हैं यानी 910 प्रतिशत ज्यादा केस बनाये हैं। इसी प्रकार से आपके पूरे पांच साल में बजरी में 2.68 करोड़ रुपये की राशि आपने वसूल की है जो हमने 41.61 करोड़ यानी 38.93 करोड़ और 1453 परसेंट ज्यादा आपसे हमने पैनल्टी लगाई है। अगर एफ.आई.आर. की बात करें तो आपने 5 साल में बजरी के अन्दर 151 एफ.आई.आर. दर्ज कीं और हमने 923 की हैं जो आपसे 772 यानी 511 परसेंट ज्यादा हैं। इसलिए आप नहीं कह सकते कि बजरी खनन में हमने किसी को छूट दी है, हमने किसी को लिहाज दिया है क्योंकि आपके आदमी हैं इसलिए आपको दु:ख हो रहा होगा कि इतनी बड़ी सख्त कार्यवाही क्यों की गई है। इसलिए हम किसी भी जगह बजरी के अवैध खनन के अन्दर किसी भी प्रकार की ढील नहीं देंगे और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि नई पालिसी के अन्दर हम जो प्लाट बनाएंगे, छोटे बनाएंगे और जहां ज्यादा खनन होता है वहां हैवी मशीनरी को भी रोकेंगे। यह सारी जो हमारी पालिसी बनेगी वो

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

ट्रांसपेरेंसी की बनेगी, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा लोगों को उसमें काम करने का मौका मिलेगा और किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप के हाथ में हम बजरी की कमान नहीं जाने देंगे, ऐसा मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं।

इसी प्रकार से बजरी के अन्दर हमें एक बड़ी दिक्कत आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो रिप्लेसमेंट स्टडी करा रहा है इसके अन्दर एक सीमा निर्धारित होने की आशंका है कि एक मीटर या ज्यादा बजरी का खनन नहीं हो सकेगा तो इसके विकल्प ढूंढने बहुत जरूरी हैं इसलिए हमने इस दिशा में भी कदम उठाये हैं। राज्य में बजरी की मांग की अधिकता को देखते हुए बजरी के विकल्पों को हमने ढूंढ़ना शुरु किया है। राज्य के बीकानेर और नागौर जिले में विलुप्त नदियों में पैलियो चैनल्स में बजरी काफी मात्रा में उपलब्ध है। ऐसे क्षेत्रों का भविष्य में चिन्हिकरण किया जाएगा और आबंटन की कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार जयपुर, दौसा, भरतपुर आदि जिलों में प्राचीन फ्लड प्लेस में भी मिट्टी के नीचे बजरी पाई है और इस बजरी का भी हम आबंटन करेंगे और इसके अन्दर भी हम बजरी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

इसी प्रकार से जो हमारे स्टोन क्रेशर हैं उनके अन्दर भी हम उसकी ड्रिलिंग कराकर उसकी पिसाई करके उसकी बजरी बने इसका भी हम विकल्प ढूंढ रहे हैं। इसी प्रकार से मैन्युफैक्चर्ड सैंड बजरी का एक अच्छा विकल्प बन जाएगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम नदियों की बजरी के ऊपर डिपेंड नहीं रहें, इसके विकल्प भी हम तैयार कर लें और जब ये विकल्प तैयार हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारी जो बजरी है उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं करेंगे।

वैसे रिफाइनरी पर काफी चर्चा माननीय उद्योग मंत्रीजी ने की है, केवल दो-तीन बातें हैं। मान्यवर, इन्होंने रिफाइनरी का शिलान्यास किया, वन एवर इसके अन्दर आपने परियोजना का पूर्व में न तो कोई तकनीकी वित्तीय विश्लेषण, भूमि का आबंटन नहीं किया, लीज डीड नहीं ली, पर्यावरण की अनापत्ति नहीं ली, पानी की स्वीकृति नहीं ली और एम.ओ.यू. में निर्माण की अवधि तय नहीं की और पत्थर लगा दिया और राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपने उद्घाटन करा दिया। यह जो प्राइमरी चीजें, आपने इन चीजों को इग्नोर करके यह कराया। मैं समझता हूं यह राजस्थान की जनता को आपने बहुत बड़ा धोखा दिया।

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

हमने 4800 एकड़ भूमि आबंटित कर लीज डीड निष्पादित की है, पर्यावरण की स्वीकृति ली है, चार वर्ष की अवधि में परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है, हमने बजट 90 करोड़ मन्जूर कराकर उसकी चारदीवारी बनानी शुरु कर दी, हमने उसमें सड़कें बनानी शुरु कर दीं और हम चार साल की अवधि में हमारी जो रिफाइनरी है वो चालू कर के दिखायेंगे। आप जो सपने ल रहे हो न, रावण को भी अहंकार हो गया था और जो रावण का हाल हुआ था वो हाल आपका होगा, यह मैं आपको आज कह रहा हूं। आपने रिफाइनरी के अन्दर जनता और प्रदेश को धोखा दिया है और जिस तरह बजरी के अन्दर जनता को बेवकूफ बनाकर आपने एम.ओ.यू. किया है, यह जनता आपको माफ नहीं करेगी। यह जनता आपसे इस सब का बदला लेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: कमप्लीट करने दें, मंत्रीजी को पूरी बात तो कमप्लीट करने दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कमप्लीट में ही कह रहा हूं। मंत्रीजी, एक मिनट।

मंत्रीजी बहुत अच्छे इन्सान हैं, मंत्रीजी, आप बहुत अच्छे हो लेकिन जिस किसी ने भी आपको ये सब चीजें लिखकर दी हैं उसने आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का काम किया है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): कोई बात नहीं। (व्यवधान)

आप बार-बार कहते हो कि रिफाइनरी की कीमत बढ़ गयी, मैं इस सम्बन्ध में भी आपको बताना चाहूंगा कि रिफाइनरी की कीमत 37,229 थी वह बढ़ कर 43,129, 6000 करोड़ बढ़ी है लेकिन यह कीमत इस कारण से बढ़ी है कि क्रूड ऑयल प्रोसेस करने के लिए इसमें एक्स्ट्रा मशीनरी लगायी गयी है और उसकी क्षमता बढ़ाई गयी है। इस कारण से हुई है, और क्वालिटी मेन्टेन करने के लिए हुई। हमने यह सारा पैसा लगा है, या इसमें कीमत की वृद्धि नहीं है इसलिए बार-बार जो आप कहते हो कीमत की वृद्धि हुई है, यह आप बिलकुल निराधार कह रहे हो और यह सारा केवल हमारी क्रूड आयल की क्षमता बढ़ाने और उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए पैसा खर्च किया है।

राज्य में रिफाइनरी जो हमारी होगी उसके अन्दर जो हमारा 34 हजार करोड़ का अतिरिक्त राजस्व उपलब्ध होगा, इसी प्रकार से लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और हमने जो एमओयू किया है,

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

यह राजस्थान के आने वाले समय में रेवेन्यू के लिए इतिहास बनेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यह 40 हजार करोड़ रुपए जो सेविंग हुई है, माननीय उद्योग मंत्रीजी ने जो बताया है, यह 40 हजार करोड़ रुपए 15 साल में, हर साल अगर आप बैंक में जमा कराओ तो 15 साल की 40 हजार की सेविंग 1 लाख करोड़ रुपए तक जाती है। यह 40 हजार नहीं, यह अगर बैंक में पूंजी जमा करा कर आकलन करो तो 1 लाख करोड़ तक का फायदा हमारी इस रिफाइनरी के कारण हमारे प्रदेश की जनता को माननीय मुख्य मंत्रीजी के वीजन के कारण और उनकी दूरदर्शिता के कारण हुआ है। आपने जिस तरीके से एमओयू करके नुकसान पहुंचाया है, तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता समय पर आपको जरूर जवाब देगी। मैं इतना ही कह सकता हूं। कुछ घोषणाएं करके, ...(व्यवधान) मैं सारा बताता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी, पीछे भी तो देखो, आप उधर ही उधर देख रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, एक मिनट विराज जाएं। अर्जुनलालजी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। कोई स्पेसिफिक पाइंट हो आपका तो पूछें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि एक तरफ हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी कह रही हैं जल स्वावलम्बन अभियान हम चला रहे हैं, एक तरफ नदियों का खनन कर रहे हैं, वाटर लेवल गिर जाएगा और मेरे क्षेत्र में तो दस फीट की जगह पर नियम तो दस फीट खोदने का, तीन मीटर से ज्यादा नहीं और मेरे यहां तो पच्चीस-पच्चीस मीटर तक खनन हो गया बजरी का और वाटर लेवल नीचे पहुंच गया, ऐसे स्थानों पर तो आप रोक लगाएं तो अच्छा होगा। यह आश्वस्त कर दो कि ऐसे स्थानों पर तो आप रोक लगा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: यह आप फरमा चुके हैं जो भी है उसको तीन मीटर का ही मिलेगा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): मंत्री महोदय। (व्यवधान) मंत्री महोदय। (व्यवधान) ऐसी-ऐसी जगह पर आप रायल्टी का नहीं बनाएं तो अच्छा है। जहां पर आलरेडी पचास मीटर से अधिक रेत का खनन हो चुका है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: फरमाइए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,, माननीय मंत्रीजी, एक तो आप हमारे को धन्यवाद देओ कि हम सब आपको सुनने के लिए आज सारी शादियों का प्रोग्राम कैंसिल करके यहां बैठे हुए हैं क्योंकि आपका इतना ओजस्वी उद्‌बोधन हो रहा है और हम सब सुन रहे हैं तो हमने कुछ एक-दो पर्चियां भी दी हैं उन पर भी आप घोषणा कर दो आज।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): मैं उन सबकी घोषणा देखिए, मैंने आपको बताया कि डीएमएफटी का जो पैसा है वह जिला स्तरीय कमेटी करेगी, उस कमेटी के अन्दर जितनी भी सड़कें आपने भेजी है वह सारी जिला कलक्टर को रिकमंड करके भिजवा देंगे और वह प्राथमिकता के आधार पर उन सड़कों का कहेंगे कि आप, जिस भी विधायक की सड़क आई है उसमें जो भी सड़क है वह प्राथमिकता के आधार पर जो हो सकती है उसको करो। डीएमएफटी की समिति कर देगी क्योंकि यह पावर डीएमएफटी की समिति के पास चली गई है। (व्यवधान) मैं बता रहा हूं आपकी बात।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्लरी खनन के लिए कहा था वह मैंने बता भी दिया और वर्तमान में शाहगढ़ फील्ड में, रामगढ़ फील्ड, जैसलमेर तक गेल की 60 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन है, इस पाइप लाइन को बीकानेर सेरेमिक क्षेत्र तक 280 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है इसकी फिजीबिलिटी का हम परीक्षण करवाकर इस काम को, चूंकि मुख्य मंत्रीजी की घोषणा है, हम आगे बढ़ाएंगे और वहां गैस उपलब्ध करवाएंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार माननीय सदस्य, श्रीराम भीचरजी ने मकराना में मार्बल पर अलग नीति के सम्बन्ध में कहा है, राज्य में केवल मकराना में ही मार्बल के quarry lisence हैं, इसके अन्दर जबकि हमने सब जगह खनन पट्टे हैं, खनन पट्टे में रायल्टी पट्टाधारी द्वारा रवन्ना जरिये खान से खनिज निकलते समय होती है लेकिन जो quarry lisence हैं इनमें इसको वहां नहीं देनी पड़ती बल्कि गुड्स जब बन जाता है उस मकराना के बाहर आकर जो नाके लगे हुए हैं उन नाकों के पार जब माल जाता है उस पर वह रायल्टी लगती है इसलिए हमने इसका परीक्षण करवाया है। इस सम्बन्ध में और परीक्षण करवा लेंगे। इसमें जो भी कोई संभावना निकलेगी उस पर भी जरूर विचार करेंगे। (व्यवधान)

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

खींवसरजी, आपको सड़कें दी हैं न। यह तो यहां वर्तमान में डीएमएफटी में निहित है अत: डीएमएफटी के माध्यम से सड़कों को स्वीकृत करवाएं तो मैं आपकी सड़कें भिजवा दूंगा। डीएमएफटी में मैं घोषणा करता हूं कि आपकी सड़कें भेजेंगे। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी, इतना तो ध्यान रखो, मेरा और आपका पुराना सम्बन्ध है। आप यह बोलो खींवसर विधायक ने जो मुझे दी है वह, ऐसे बोलो आप। खींवसरजी तो वह हैं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेवारामजी जैन, माननीय सदस्य ने रिफाइनरी को बजरी सप्लाई के लिए जो कहा था 4 एसटीपी हमने जारी कर दिए हैं और बजरी के कारण रिफाइनरी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वर्तमान में चार लोकेशंस पर boundary wall का निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्यों के लिए अब 90 करोड़ का टेंडर जारी कर दिए हैं, boundary wall के साथ-साथ सड़क निर्माण का कार्य शुरु हो गया है। देश की यह पहली परियोजना है जिसमें रिफाइनरी के साथ-साथ petro chemical complex integrately बनना शुरू हो गया है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): भूमि को अवाप्ति से मुक्ति करने की बात का क्या करोगे?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): चोरी के सम्बन्ध में एसओजी स्तर पर जांच की जा रही है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अवार्ड जारी हो गया, तीन साल हो गए, छोड़ो या लो, एक तो काम करो। तीन साल से किसान इंतजार कर रहे हैं, न तो आप छोड़ रहे हो और न आप ले रहे हो, कोई तो डिसीजन करो। इसका जवाब दो न?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, रामहेतसिंहजी ने जो कहा वह सारे ही कर दिए हैं। (व्यवधान)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अवार्ड जारी हो गया, तीन साल हो गए, साहब इसका जवाब दिलवाओ न, किसान क्या करे?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब कुछ घोषणाएं हैं जो मैं करने जा रहा हूं।

मुख्य मंत्री आवास योजना और प्रधान मंत्री आवास योजना हेतु कार्यकारी एजेंसी ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से एक छोटा-सा निवेदन है कि रा-मैटीरियल के लिए तो बता दो आप।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): बता दिया न इन्होंने। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): आप बता दो, घोषणा कर दो।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह (राज्य मंत्री, खान): raw material के अन्दर आपकी fesibility देख लेंगे और आपका वित्त विभाग से जुड़ा हुआ मामला है और वित्त विभाग से चर्चा करने के बाद ही इस पर कोई निर्णय हो सकता है। (व्यवधान) वह आ गई आपकी बात।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना हेतु कार्यकारी एजेंसियों को एसटीपी जारी करने का प्रावधान किया जाएगा ताकि कोई भी आवास उस बजरी के कारण उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। इसी प्रकार से बजरी खनन में भारी मशीनरी, आप कह रहे थे कि गहरी ज्यादा चली जाती है, एक्सीलेटर, या जेसीबी का प्रयोग प्रतिबंधित किया जाएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और नदी के पर्यावरण का संरक्षण हो सके, जो आप कह रहे थे, ठीक है न?

इसी तरह से बजरी के नवीन विकल्प ढूंढे जाएंगे। जिसमें manufacutre sand की विलुप्त हो चुकी नदियां, पहले चरण में बजरी विकल्प की तलाश, कापर सल्फेट का प्रयोग बजरी के रूप में करने का प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार जयपुर, दौसा, भरतपुर जिलों में प्राचीन फ्लड प्लेन से मिट्टी के नीचे उपलब्ध बजरी के प्लाट आबंटन किए जाएंगे। खातेदारी भूमि में खान आबंटन हेतु जो मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि 4 हैक्टेयर तक जो ई-आक्शन फ्री किया है उसके हम आनलाइन आवेदन लेंगे। प्राप्त आवेदनों पर 'फीफो', फस्ट इन फस्ट आउट का नियम लागू करेंगे और यह एक टाइम बाउंड के अन्दर यह सारे के सारे निस्तारण हो इसकी व्यवस्था की जाएगी। इसी प्रकार से विभागीय तुला यंत्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि जो शिकायत आती है कि ओवरलोडिंग है और कम रायल्टी मिलती है तो सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे और ई-कांटे हमने लगा दिए तो इस कारण से जो हमारा एक्सेस रायल्टी के कारण से नुकसान होता था वह रुकेगा। गंगानगर में खान विभाग का कार्यालय नहीं था, इस हेतु नया भवन बनाया जाएगा। ease of doing bussi-

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

ness, जो छोटी-छोटी समस्याएं आप बता रहे हैं, इनके लिए हम एक संयुक्त टीम बनाएंगे जिसमें उद्यमियों, खान धारकों, खान विभाग के अधिकारियों की टीम का संयुक्त गठन किया जाएगा जो समय-समय पर ease of doing bussiness के सम्बन्ध में सुझाव देगी और आगे कार्यवाही करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से राज्य में हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले में 30 हजार वर्ग किलोमीटर में पोटाश के जो भण्डार उपलब्ध हैं उनका भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा भारत सरकार के उपक्रम हनुमानगढ़ के सतीपुरा में एमईसीएल द्वारा बीकानेर जिले के जैतपुरा क्षेत्र में ड्रिलिंग का कार्य करवाया जा रहा है। ड्रिलिंग कार्य पूरा होने के बाद नियमानुसार कम्पोजिट लाइसेंस हेतु नीलाम किया जाएगा। इसी प्रकार से वर्तमान में खनन योजना, माइनिंग प्लान अनुमोदन करवाने के लिए विभाग के अधिकारी उसको पहले माइनिंग प्लान को अनुमोदन करते थे, भविष्य में पट्टाधारी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से प्रस्तुत खनन योजना को स्वत: ही अनुमोदित माना जाएगा और इसमें विभाग के अधिकारी से अनुमोदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसी प्रकार से जैसलमेर और जोधपुर में शहरी गैस वितरण नैटवर्क विकसित किया जाएगा तथा बीकानेर के लोगों को गैसनिल के माध्यम से compressed natural gas, CNG की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बजट घोषणा में बीकानेर में सेरेमिक्स विकसित करने तथा जैसलमेर की प्राकृतिक गैस भण्डारों के समुचित उपयोग हेतु उल्लेख किया गया है, जिसकी क्रियान्विति सम्भव की जाएगी। पैट्रोलियम मंत्रालय भारत सरकार और पैट्रोलियम एवं नेचुरल गैस रेगुलैटरी बोर्ड के माध्यम से शहरी गैस वितरण नैटवर्क विकसित करने हेतु स्वीकृति प्राप्त करके अजमेर, जयपुर, उदयपुर स्मार्ट सिटी को गैस उपलब्ध कराई जाएगी तथा पाली, ब्यावर, नसीराबाद किशनगढ़ आदि को औद्योगिक गैस उपलब्ध कराई जाएगी। जयपुर, कोटा, झालावाड़, देवास, मुम्बई अन्तरराज्यीय सीएनजी कोरिडोर विकसित करने के क्रम में कोटा के बाद अब बारां में भी सीएनजी स्टेशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें कोटा, झालावाड़ के साथ-साथ जयपुर, कोटा, इंदौर, मुम्बई तक वाहनों को सीएनजी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे राजमार्ग पर स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर पर्यावरण की सुरक्षा

(श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)

की जाएगी। विश्व में डीएमएफटी फंड के अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति, अनुमोदन तथा मानिटरिंग आनलाइन की जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में जो भी हम खनन नीति बनाएंगे और जो भी 2018 के बाद खनन की नीति आएगी, उसमें हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि भविष्य में खनन जो है, उसके ऊपर कभी प्रदेश के लोगों को पीड़ा नहीं सहनी पड़े। अंत में मैं निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 43 को पारित कराया जाए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंत्रीजी को कि इतने प्रयास देर से ही सही, लेकिन अच्छे प्रयास करने की जुगाड़ में ही लगे हैं। मेरे दो छोटे-छोटे सवाल हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो डीएमएफटी के रूप में रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है और उसको इन्होंने डिस्ट्रिक्टवाइज बांटा, तो क्या जो जिले प्रभावित नहीं हैं या जो ब्लाक प्रभावित नहीं हैं, जो पंचायत और गांव प्रभावित नहीं हैं, उस डीएमएफटी के पैसे को उन गांव, ब्लाक और जिलों में भी दिया जा रहा है? दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन्होंने लीजधारकों की लीज छोड़ दी और उन्होंने खनन कर लिया, जो भी उनके मापदण्ड हैं, उनके अनुसार और उसके बाद वो उसको छोड़कर चले जाते हैं, जैसे मेरे यहां पिछले दिनों केन्द्र का प्रोजेक्ट कापर है, उसके द्वारा खोदी गई खान में बच्चे जाकर गिर गए। पशु तो गिरते ही रहते हैं, तो क्या ऐसे लीजधारक जो मापदण्ड के अनुसार लीज को खोदने के बाद...और सरकार उसके लिए क्या उपाय करेगी कि वहां के स्थानीय निवासी और पशुओं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो।

मांग संख्या 42 का पारण

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42-उद्योग के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 6,84,71,88,000/- (छह अरब चौरासी करोड़ इकहत्तर लाख अठयासी हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 43 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43-खनिज के संबंध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 3,54,63,87,000/- (तीन अरब चौवन करोड़ तिरसठ लाख सतासी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2018 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.04 बजे शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी 2018 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में रोडवेज कर्मियों के बकाया वेतन व पेंशन का भुगतान

230. श्री रमेश (सपोटरा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कितना लाभ व हानि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा रोडवेज को नई बसें खरीदने हेतु राशि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कितनी एवं कितनी बसों हेतु?

(3) अप्रैल, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक रोडवेज द्वारा कितनी बसें क्रय की गई?

(4) क्या यह भी सही है कि गत दो वर्ष से रोडवेज द्वारा भारी संख्या में निजी बसों को अनुबंध पर लिया गया है? यदि हां, तो कितनी बसों को एवं किस दर पर?

(5) क्या यह भी सही है कि रोडवेज कर्मचारियों को नियमित वेतन एवं पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक वेतन एवं पेशन के बकाया भुगतान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा रोडवेज की सम्पत्ति को विक्रय एवं नीलाम किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों एवं कौन-कौन सी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में लाभ/हानि का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि सरकार ने रोडवेज को नई बसें खरीदने हेतु राशि आबंटित की है।

विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) अप्रैल, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक राजस्थान परिवहन निगम द्वारा 498 ब्लू लाइन एवं 17 स्केनिया बसें क्रय की गई।

(4) राजस्थान परिवहन निगम द्वारा विगत दो वर्षों में वर्षवार

(परिवहन मंत्री)

अनुबंध पर ली गई वाहनों का मय दर के विवरण परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(5) निगम की रोकड़ तरलता की स्थिति ठीक नहीं होने से वेतन/पेंशन भुगतान में विलम्ब हुआ है। वर्तमान में निगम के सभी कार्यरत कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन का भुगतान माह जनवरी 2018 तक का किया जा चुका है।

जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2017 तक निगम कर्मचारियों को दिये गये वेतन एवं पेंशन का राशि सहित विवरण परिशिष्ट "4" पर संलग्न है।

(6) राज्य सरकार रोडवेज की जमीनों को बेचने का विचार नहीं रखती है। वर्तमान में सिर्फ एक भूमि, ग्राम हथरोई में स्थित खसरा नम्बर 151/443 की कुल 19390.55 वर्गमीटर भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से खुली नीलामी प्रक्रिया अपनाकर विक्रय किया जाना प्रस्तावित किया गया था। इस हेतु दिसम्बर 2017 में जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से खुली बोली का आयोजन भी किया गया था जिसमें किसी भी बोलीदाता द्वारा भाग नहीं लिया गया। नीलामी के समाचार पत्र में जारी विज्ञापन की प्रति परिशिष्ट "5" पर संलग्न है।

भूमि को विक्रय एवं नीलामी की कार्यवाही निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति परिलाभों के बकाया भुगतानों हेतु की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में दलहनों की समर्थन मूल्य पर खरीद

232. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दलहनों की कीमतों में वृद्धि के पश्चात् केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दलहनों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था तथा दलहनों के प्रमाणित बीज भी उपलब्ध करवाये गये थे? यदि हां, तो किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या-क्या योजनाएं चलाई गई तथा किस-किस फसल का कितना-कितना प्रमाणित बीज किस मूल्य पर दिया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर उड़द और मूंग की बुवाई की गई? यदि हां, तो कितने रकबे में व गत खरीफ में कितनी पैदावार हुई?

(3) क्या यह भी सही है कि समर्थन मूल्य घोषित करने तथा खरीद केन्द्र स्थापित करने में हुए विलम्ब के कारण अधिकांश किसानों को उड़द व मूंग की अपनी फसल आधी कीमत पर बाजार में बेचनी पड़ी? यदि हां, तो खरीफ की फसल कब आने लगी, समर्थन मूल्य कब घोषित हुआ, खरीद केन्द्र कब प्रारम्भ हुए व विलम्ब के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत खरीफ की फसल के लिए कोटा संभाग में उड़द व मूंग की खरीद के लिए कितने स्थानों पर कितनी अवधि के लिये कांटे लगाये गये व इन पर कितने किसानों की कितनी फसल बिकने आई एवं कितनी पास होकर समर्थन मूल्य पर खरीदी गई और उसके पेटे किसानों को कितना भुगतान किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि तत्समय समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए किसानों का ई-मित्र पर आनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर फिर उसे टोकन जारी करने की व्यवस्था लागू की गई थी? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को बार-बार पंजीकरण से बचाने के लिए किसान कार्ड जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा दलहनी फसलों की खेती करने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन योजना में कृषकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गतिविधिवार अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(कृषि मंत्री)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-दलहन योजना में कृषकों को दलहनी फसलों के प्रमाणित बीज अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं यथा आत्मा, आरएसीपी, राज्य योजना आदि के तहत भी दलहनी फसलों का प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाया जाता है। वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं अन्य योजनाओं के तहत किसानों को मिनिकट एवं प्रदर्शन आयोजन हेतु तथा सामान्य बुवाई के लिये अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाये गये विभिन्न दलहनी फसलों के प्रमाणित बीज का विवरण मय विक्रय दरों सहित परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। खरीफ 2017 में उड़द का रकबा 8 लाख 39 हजार 289 हैक्टेयर एवं अनुमानित उत्पादन 5 लाख 08 हजार 619 टन तथा मूंग का रकबा 22 लाख 49 हजार 619 हैक्टेयर एवं अनुमानित उत्पादन 10 लाख 16 हजार 414 टन है।

(3) जी नहीं।

(4) गत खरीफ में कोटा संभाग में मूंग की खरीद नहीं हुई थी।

खरीफ 2017 में कोटा संभाग में 22 क्रय केन्द्रों पर उड़द खरीद के कांटे लगवाये गये थे। प्रारम्भ में पीएसएस गाइडलाइन के अनुसार क्रय केन्द्र 90 दिवस की अवधि के लिये लगाये गये थे। परन्तु किसान हित में राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृति देने पर खरीद अवधि 90 दिवस के स्थान पर 120 दिवस कर दी गयी थी।

इस दौरान 53,378 किसान फसल विक्रय हेतु क्रय केन्द्रों पर आये, जिनमें से 53,251 किसानों से 8,83,328.40 क्विंटल राशि 476.99 करोड की उडद खरीदी गई। जिसके पेटे 39,389 किसानों को 394.46 करोड का भुगतान किया जा चुका है।

जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(5) जी हां। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर टोकन जारी करने की व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में किसान कार्ड जारी करने की कोई योजना नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को राजकीय सेवाओं में नियुक्ति

233. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जनजाति उपयोजना क्षेत्र के प्रतिभावान खिलाड़ियों को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने के लिये शैक्षिक योग्यता के प्रतिशत में खेल का प्रतिशत जोड़कर उन्हें प्रोत्साहित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। युवा मामले एवं खेल विभाग में टीएसपी क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिये वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

चित्तौड़गढ़ जिले के डार्क जोन क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति

234. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा समय-समय पर भू-जल के गिरते स्तर के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों को डार्क जोन घोषित किया जाता है? यदि हां, तो चित्तौड़गढ़ जिले में किस-किस क्षेत्र को भू-जल स्तर के आधार पर कब-कब डार्क जोन घोषित किया गया? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि डार्क जोन घोषित होने से संबंधित क्षेत्र में पेयजल हेतु ट्यूबवैल अथवा बोरवेल खुदाई पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है? यदि हां, तो सरकार ऐसे क्षेत्र में स्थानीय निवासियों को पेयजल किस माध्यम से उपलब्ध कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार चित्तौड़गढ़ में डार्क जोन घोषित क्षेत्र का पुन: परीक्षण कर जिन क्षेत्रों में जलस्तर बढ़ा है उन्हें डार्क जोन क्षेत्र से बाहर निकालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भूजल आंकलन समिति 1997 की निर्देशिका के अनुसार "डार्क

(भू-जल मंत्री)

जोन" शब्द वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। इसके स्थान पर सुरक्षित, अर्द्धसंवेदनशील, संवेदनशील व अतिदोहित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भूजल दोहन एवं पुनर्भरण के अनुसार भूजल विकास दर की गणना की जाती है। क्षेत्र की भूजल विकास दर 70 प्रतिशत या इससे कम होने पर सुरक्षित श्रेणी, 70 से 90 प्रतिशत होने पर अर्द्धसंवेदनशील, 90 से 100 प्रतिशत होने पर संवेदनशील तथा 100 प्रतिशत से अधिक होने पर अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। भूजल आंकलन प्रतिवेदन पंचायत समितिवार तैयार किया जाता है।

भूजल विकास दर के आधार पर चित्तौड़गढ़ जिले में भूजल आंकलन प्रतिवेदन वर्ष 2004 मे 13 पं.स., 2009 में 11 पं.स., 2011 में 11 पं.स. एवं 2013 में 11 पं.स. को अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) अतिदोहित क्षेत्रों में पेयजल हेतु ट्यूबवैल अथवा बोरवेल की खुदाई पर प्रतिबंधित नहीं है। नलकूप/हैण्डपम्प खुदाई हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.5(1)पी.एच.ई./2010-पार्ट-प्रथम दिनांक: 14.07.2011 के द्वारा (परिशिष्ट-2) संबंधित जिले में जिला कलक्टर को सक्षम स्वीकृति जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है। संबंधित जिला कलक्टर द्वारा जिला स्तर पर नलकूप निर्माण हेतु स्वीकृति जारी करने के लिए गठित कमेटी की अनुशंसा पर नलकूप/हैण्डपम्प निर्माण की स्वीकृतियां समय-समय पर जारी की जाती हैं।

(3) राज्य भूजल आंकलन प्रतिवेदन 31.03.2017 तैयार किया जा रहा है। नवीन प्रतिवेदन के तैयार होने एवं केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण, नई दिल्ली के स्तर से अनुमोदन के उपरान्त ही चितौड़गढ़ जिले की पंचायत समितियों का भूजल दोहन दर अनुसार श्रेणियों का पुन: वर्गीकरण हो सकेगा, तत्पश्चात ही सुरक्षित, अर्द्धसंवेदनशील, संवेदनशील व अतिदोहित श्रेणियों का निर्धारण किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में रिफाइनरी लगने से रोजगार के अवसर

235. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के बाड़मेर जिले में रिफाइनरी लगाई जा रही है? यदि हां, तो किन-किन शर्तों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामलाल शर्मा)

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में भी सरकार द्वारा रिफाइनरी लगाने का एम.ओ.यू. किया गया था? यदि हां, तो किन शर्तों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि रिफाइनरी लगाने से प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे? यदि हां, तो कितने?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान के बाड़मेर जिले में पचपदरा के पास रिफाइनरी लगाने हेतु माननीय प्रधान मंत्रीजी द्वारा 16 जनवरी, 2018 को कार्य का शुभारम्भ किया गया है। इस बाबत राज्य सरकार द्वारा एच.पी.सी.एल. के साथ दिनांक 18.04.2017 को एम.ओ.यू. किया गया है, जिसकी मुख्य शर्तें परिशिष्ट-क पर संलग्न हैं।

(2) जी हां। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा रिफाइनरी लगाने के लिए दिनांक 14.03.2013 को एम.ओ.यू. किया गया था, जिसकी मुख्य शर्तें परिशिष्ट-ख पर संलग्न हैं।

(3) जी हां। बाड़मेर जिले में रिफाइनरी निर्माण कार्य के दौरान तथा रिफाइनरी निर्माण के उपरान्त सहायक उद्योग (Ancillary Industries) स्थापित होने से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष हजारों लोगों को रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर के भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

236. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी व आंगनबाड़ी

(श्रीमती सोना देवी)

सहायिका के वेतन तथा मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के अन्तर्गत दो परियोजनाएं क्रमश: रायसिंहनगर व अनूपगढ़ संचालित हैं। जिसमें परियोजना रायसिंहनगर के 18 व अनूपगढ़ के 08 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के एवं अन्य भवनों में संचालित है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में मिशन मोड के अन्तर्गत 04 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई। वर्ष 2016-17 में नरेगा कन्वर्जेन्स योजना में 01 तथा वर्ष 2017-18 में 12 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई।

(3) वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा में मानदेयकर्मियों का मानदेय बढ़ाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 6000 रु., मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 4500 रु. एवं आशा सहयोगिनी का 2500 रु. मानदेय करने की घोषणा की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयसागर से बागोलिया बांध को भरने की योजना

237. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार उदयसागर से बागोलिया बांध को भरने के लिए 32 कि.मी. लम्बी नहर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो इससे कितने गांवों को पीने का पानी मिलेगा?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के गांवों को भी इस योजना का लाभ दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयसागर बांध की बायीं मुख्य नहर की चैन 480 से बागोलिया बांध को भरने हेतु फीडर निर्माण का परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निविदा स्वीकृत की जा चुकी है, परियोजना का क्रियान्वयन जल उपलब्धता के मध्यनजर गुणावगुण आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। पेयजल हेतु वर्तमान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा कोई मांग नहीं की गई है।

(2) इस क्षेत्र के लिए वर्तमान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल हेतु कोई मांग नहीं की गई है।

रेलवे स्टेशन बनिया सांडा धोरा के पास रेलवे अण्डरपास का निर्माण

238. श्री कैलाश चौधरी (बायतू): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रेलवे स्टेशन बनिया सांडा धोरा, बायतू बाड़मेर के पास कोई रेलवे समपार स्वीकृत नहीं है?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा गत वर्ष बजट घोषणा में उक्त रेल्वे स्टेशन के पास रेलवे अण्डरपास बनाने की घोषणा की गई थी?

(3) क्या सरकार उक्त रेल्वे स्टेशन के पास रेलवे अण्डरपास स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। बनिया सांडा धोरा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे अण्डरपास निर्माण हेतु रु. 200.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। जिसका विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लूणी में खाद्य सुरक्षा में वितरित सामग्री

239. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जोगाराम पटेल)

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणी की पंचायत समिति लूणी व मण्डोर की ग्राम पंचायतों में कितने श्रेणी के कुल कितने पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए हैं तथा प्रतिमाह उन्हें कितना खाद्यान्न कितनी-कितनी मात्रा में क्या-क्या वितरित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र की उक्त ग्राम पंचायतों में गत चार वर्षों में खाद्य सुरक्षा के पात्र परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? यदि हां, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र की उक्त ग्राम पंचायतों में गत चार वर्षों में खाद्य सुरक्षा की सूची में नाम कटवाने व जुड़वाने के लिए कितने आवेदन/अपीलें प्राप्त हुई तथा उनमें से कितनों का निस्तारण किस प्रकार से हुआ व कितने प्रतिशत परिवार खाद्य सुरक्षा से जुड़े हैं? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणी में कुल 52434 परिवार खाद्य सुरक्षा में चयनित हैं, जिसमें 1254 अन्त्योदय परिवार सम्मिलित हैं। खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार प्रतिमाह एवं अन्य पात्र परिवारों को 05 किलोग्राम गेहूं प्रति यूनिट प्रतिमाह गेहूं वितरण किया जाता है।

खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवारों की ग्राम पंचायतवार संख्या एवं उनको प्रतिमाह खाद्यान्न वितरण की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र लूणी की ग्राम पंचायतों में खाद्य सुरक्षा में चयनित परिवारों की संख्या में बढोतरी हुई है। पूर्व में ई-मित्र के माध्यम से सीडिंग का कार्य किया जा रहा था एवं अगस्त, 2015 से पात्रता की श्रेणी में वंचित रहे परिवारों को अपीलीय प्रक्रिया के माध्यम से जोडा जा रहा है।

(3) विधान सभा क्षेत्र लूणी में खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जुड़वाने हेतु 2878 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 826 पात्र परिवारों का चयन किया गया।

लूणी विधान सभा क्षेत्र में 121299 परिवारों में से 52434 परिवार खाद्य सुरक्षा सूची में चयनित हैं, जिनकी पंचायतवार सूची प्रतिशत के साथ परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झाड़ौल की गौण मण्डी का कृषि मण्डी में क्रमोन्नयन

240. श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ौल): क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल की गौण मण्डी झाड़ौल कृषि मण्डी होने के सभी निर्धारित मानदण्ड पूरे करती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गौण मण्डी को कृषि मण्डी बनाकर विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में 10 वर्षों में किन-किन व कितनी लम्बाई की सड़कों का निर्माण किया व उक्त सड़कों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई तथा वर्तमान में उक्त सड़कों की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कें वर्तमान में जर्जर अवस्था में हैं? यही हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जिला मुख्यालय उदयपुर की तर्ज पर झाड़ौल में किसानों की सुविधा हेतु किसान भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.03.12 के द्वारा नई कृषि उपज मण्डी समिति के गठन हेतु 40 लाख रुपये वार्षिक आय के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। उक्त निर्धारित मानदण्ड पूर्ण नहीं करने के कारण झाडौल को स्वतंत्र मण्डी बनाया जाना सम्भव नहीं है।

(2) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल (फ) के अन्तर्गत गत 10 वर्षों में किसी भी सड़क का निर्माण नहीं करवाया गया है।

(3) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा गत 10 वर्षों से पूर्व निर्मित सभी सड़कें राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.6.10 की अनुपालना में सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित कर दी गई हैं। आदेश की प्रति

(कृषि विपणन मंत्री)

परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। उक्त सड़कों का रखरखाव व मरम्मत का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा सम्भाग एवं जिला मुख्यालय पर किसान भवन निर्माण का नीतिगत निर्णय लिया हुआ है। इसलिए विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय झाड़ौल में किसान भवन का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में किसानों के हितार्थ संचालित योजनाएं

245. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कृषकों के हितार्थ कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में दो वर्षों में कितने किसानों को किस-किस योजना से लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कृषकों के हितार्थ संचालित कृषि एवं उद्यान विभाग की योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 एवं देय सुविधाओं का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा दो वर्षों (वर्ष 2016-17 एवं 2017-18) में योजनावार लाभान्वित कृषकों की सूची क्रमश: परिशिष्ट-3 व 4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में संचालित कृषि विकास योजना

246. श्री नवीन पिलानिया (आमेर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में कृषि विकास योजना कितने जिलों में संचालित है? वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक उक्त योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान था व कितनी राशि व्यय की गई तथा कितनी राशि शेष रही? राशि कम व्यय करने के क्या कारण रहे? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना प्रदेश में सभी जिलों में लागू की गई है। वर्ष 2015-16 से अब तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए प्रावधान राशि, खर्च की गई राशि, शेष रही राशि एवं खर्च करने के कारण का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर जिले में उद्यान योजना के लाभार्थी

247. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले में उद्यान योजना के तहत कितना बजट आबंटित किया गया एवं कितना व्यय किया गया? 2013 से फरवरी, 2018 तक वर्षवार व विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में उद्यान योजना के तहत लाभान्वित काश्तकारों के नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में उद्यान योजना के तहत बजट का आबंटन एवं व्यय परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में उद्यान योजना के तहत लाभान्वित काश्तकारों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान वन्य जीव मंडल के सदस्यों के अधिकार

248. श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान वन्य जीव मंडल के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान वन्य जीव मंडल के सदस्यों के क्या अधिकार व कर्तव्य हैं और इनका कार्यकाल अवधि का होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य वन्य जीव मंडल का गठन वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 6 में इंगित है, जिसकी प्रति संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार है।

उपरोक्त के अनुक्रम में राज्य वन्य जीव मंडल में अधिकारियों के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की सूचना संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार है।

(2) राज्य वन्य जीव मंडल के सदस्यों के कर्तव्य वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 8 में विनिर्दिष्ट है, जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में समाहित है।

(वन मंत्री)

राज्य वन्य जीव मंडल के सदस्यों के अधिकार वन्यजीव नियम 1977 में नियम 7 पर उल्लेखित है। नियमों की प्रति संलग्न परिशिष्ट 3 अनुसार है।

वन्यजीवों से संबंध गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा प्रमुख संरक्षण विद आदि सदस्य वर्गों में मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के वन क्षेत्रों को बढ़ाने की योजना

249. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वन क्षेत्रों में लगातार कमी हो रही है? यदि हां, तो गत 4 वर्षो में प्रदेश के किस-किस जिले के कितने भू-भाग पर वन भूमि की कमी हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वन क्षेत्रों को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य के वर्ष 2013-14 में 32744.48 वर्ग कि.मी. वन भूमि एवं वर्ष 2016-17 में 32828.37 वर्ग कि.मी. वन भूमि है। इस प्रकार इस अवधि में 83.89 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

उल्लेखनीय है कि किसी भी वन भूमि का गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रत्यावर्तन किया जाने के उपरान्त भी भूमि का वर्गीकरण वन भूमि ही रहता है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र की भूमि एक बार वन भूमि घोषित होने के बाद वन भूमि की किस्म में कोई परिवर्तन नहीं होने के कारण वन भूमि में कोई कमी होने की संभावना नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्थिति में वन विभाग को प्राप्त समतुल्य गैर वन भूमि के कारण ही वन क्षेत्र में वृद्धि सम्भव है।

(2) वन क्षेत्रों में सामान्यत: वृद्धि सम्भव नहीं है अपितु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के प्रत्यावर्तन या अन्य कारणों से

(वन मंत्री)

वन विभाग को भूमि प्राप्त होने के कारण कुल वन क्षेत्र में वृद्धि सम्भव है। वन भूमि को बढ़ाने की अलग से कोई योजना नहीं है, अपितु राज्य में वन आच्छादन (Forest Cover) में वृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य कराये जा रहे हैं।

बांदीकुई में सड़क एवं भवन निर्माण पर व्यय राशि

250. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा गत 4 वर्षो में विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में कितनी सड़कें/भवन कितनी-कितनी राशि के व कब-कब व कहां-कहां एवं किस-किस योजनान्तर्गत कहां-कहां स्वीकृत किये गये हैं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है एवं कब तक पूर्ण हो जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत 4 वर्षो में विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में जिन सड़कों व भवनों की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। उनमें से सड़क कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर व भवन कार्यो का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त कार्यों की प्रगति एवं पूर्ण होने की सम्भावित तिथि सहित पूर्ण विवरण परिशिष्ट-1 व परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पी.पी.पी. मोड पर सड़कों का निर्माण

251. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में पी.पी.पी. मोड पर सड़कें बनाने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो गत तीन वर्षो में कब-कब कितनी-कितनी किलोमीटर सड़कों की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षो में किन-किन कम्पनियों को पी.पी.पी. मोड पर सड़क निर्माण करने के कब-कब कार्यादेश दिये गये एवं उन सड़कों का कार्य कब पूर्ण हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(3) क्या यह भी सही है कि कार्यादेश जारी होने के बाद निर्धारित अवधि में सड़कों का निर्माण पूरा नहीं किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कों का किन कम्पनियों द्वारा निर्माण कार्य कब पूर्ण करना था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत तीन वर्षो (वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18) में पी.पी.पी. योजना से सम्बन्धित की गई बजट घोषणाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) गत तीन वर्षो में पी.पी.पी. (वी.जी.एफ.) पद्धति पर तीन सड़कों एवं एशियन विकास बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण लेकर पी.पी.पी. (एन्यूटी एवं ई.पी.सी.) पद्धति पर 16 सड़कों के विकास हेतु कार्यादेश दिये गये हैं, दिये गये कार्यादेशों का विवरण, सड़क कार्यों की प्रगति विवरण परिशिष्ट-2 पर एवं कार्य आबंटन आदेशों की प्रति परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं।

(4) उपरोक्तानुसार कोई कार्यवाही करना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत शहर में फ्लाईओवर बनाने की योजना

252. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच. 162 ब्यावर से पिण्डवाड़ा का निर्माण कार्य करवाया गया है? यदि हां तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि एन.एच. 162 निर्माण कार्य के बाद तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विशेष बजट आबंटित किया गया था? यदि हां, तो सोजत रायपुर से जाडन तक कितना बजट किस कार्य के लिए, कब-कब आबंटित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संजना आगरी)

(3) क्या यह भी सही है कि राशि आबंटित होने के पश्चात् भी बर ग्राम से रायपुर, झुठा, चण्डावल सोजत शहर व जाडन तक का कार्य अधूरा है? यदि हां, तो कौन-कौनसे स्थान का? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 162 सोजत शहर के मध्यभाग से गुजरने से सोजत शहर दो भागों में बंट गया है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए सोजत शहर विश्वकर्मा मन्दिर निम्बली नाडी से गंगा पंप तक फ्लाईओवर या अण्डरपास बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) (राजस्थान), जयपुर के पत्रांक भा.रा.रा.प्रा./21011/2/2016-क्षे.का.ज./वि.स./3833 दिनांक 15.02.2018 द्वारा प्राप्त उत्तर के अनुसार ब्यावर से पिण्डवाडा सड़क एन.एच. 162 का 2 लेन से 4 लेन में चौड़ाईकरण डी.बी.एफ.ओ.टी. योजना के अन्तर्गत किया गया है तथा यह प्रोजेक्ट 11.06.2015 से पूर्ण होकर ऑपरेशन में है।

(2) जी नहीं। ब्यावर से पिण्डवाड़ा सड़क एन.एच.-162 के दो लेन से चार लेन चौड़ाईकरण के बाद खामियों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कोई बजट आबंटित नहीं किया गया है, क्योंकि स्वीकृत ड्राइंग के अनुसार ही कार्य पूर्ण किया गया था। स्थानीय लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ कार्य चेन्ज आफ स्कोप के अन्तर्गत किया जा रहा है।

सोजत रायपुर से जाडन के बीच कराये जाने वाले कार्यों की सूची, कार्यों की वर्तमान स्थिति, आबंटित राशि के साथ विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। बर ग्राम से रायपुर, झूठा, चण्डावल, सोजत शहर जाडन में परियोजना कार्य के अलावा स्थानीय निवासियों की मांग अनुसार चेन्ज आफ स्कोप के अन्तर्गत स्लिप रोड, सर्विस रोड, ड्रेन कवरिंग का कार्य तथा एक अतिरिक्त अण्डरपास के निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसकी सूची परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। कार्य को 31.05.2018 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

(4) जी हां। राष्ट्रीय राजमार्ग-162 के दोनों तरफ सोजत शहर में

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

आबादी स्थित है। सोजत शहर विश्वकर्मा मन्दिर निम्बली नाडी से गंगा पम्प तक फ्लाई ओवर या अण्डर ब्रिज बनाने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है। आवागमन की सुविधा हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सोजत शहर में दो पीयूपी बनाने का प्रस्ताव तैयार कर वर्ष 2016-17 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया था, किन्तु इसकी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बेगूं में स्वीकृत सड़कें

253. श्री सुरेश धाकड (बेगूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में वर्ष 2013 से 31 दिसम्बर, 2017 तक कितनी सड़कें स्वीकृत हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समितियों में वर्ष 2013 से 31 दिसम्बर 2017 तक कुल कितने कार्य स्वीकृत किये? पंचायतार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं में वर्ष 2013 से 31 दिसम्बर, 2017 तक कुल 168 सड़कों की स्वीकृति जारी की गई। विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बेगूं की तीनों पंचायत समितियों गंगरार, बेगूं एवं भैंसरोडगढ़ में वर्ष 2013 से 31 दिसम्बर, 2017 तक कुल 196 कार्य स्वीकृत हुये हैं। पंचायतवार स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किरावल सागर से डिग्गी टोरडी सागर क्षतिग्रस्त पेयजल परियोजना का जीर्णोद्धार

254. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की किरावल सागर से डिग्गी व अम्बापुरा-टोरडी सागर की पूर्ण क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं जीर्णोद्वार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कन्हैयालाल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परियोजनाओं के जीर्णोद्धार के कार्य उच्च स्तर पर लम्बित हैं? यदि हां, तो उन पर कब तक निर्णय लिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्णित दोनों पेयजल योजनाओं के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित ग्राम डिग्गी के जल स्रोत ग्राम किरावल से डिग्गी के मध्य राइजिंग मुख्य लाइन के पुराने एवं क्षतिग्रस्त आंशिक भाग को बदलने की योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 25.01.2018 को राशि रुपये 65.76 लाख की जारी हो चुकी है। योजना की तकनीकी स्वीकृति दिनांक 15.02.2018 को राशि रुपये 56.43 लाख की जारी की जाकर निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है।

(ब) उक्त क्षेत्र के पाइप्ड जल योजना से लाभान्वित ग्राम अम्बापुरा टोरडी की योजना में राइजिंग एवं वितरण पाइप लाइन, पम्पिंग मशीनरी, सिविल कार्यों इत्यादि का प्रावधान लेते हुए संवर्धन जल योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 25.05.2017 को राशि रुपये 179.65 लाख तथा तकनीकी स्वीकृति दिनांक 06.12.2017 को राशि रुपये 154.24 लाख की जारी हो चुकी है। इस योजना के कार्यों के निष्पादन हेतु निविदा दिनांक 02.02.2018 को आमंत्रित कर ली गई है।

(2) जी नहीं। उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से दोनों पेयजल योजनाओं हेतु आवश्यक स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

डूंगरपुर के कस्बों में उच्च जलाशयों का निर्माण

255. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के संगठित आबादी के कस्बे मेवाड़ा, घूघरा, माथुगामडा खास, गडा मोरेया, मेताली, सुन्दरपुर रेम्बा (माडा) में पेयजल के लिए क्या-क्या योजनाएं बनाई गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री देवेन्द्र कटारा)

(2) क्या सरकार उक्त कस्बों में उच्च जलाशयों का निर्माण कराकर पेयजल की आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित वर्णित 7 ग्रामों में से 6 ग्राम हैण्डपम्प योजना से एवं 1 ग्राम पम्प एवं टैंक जल योजना (जनता जल योजना पैटर्न पर संचालित एवं संधारित) से लाभान्वित हैं।

ग्रामवार पेयजल आपूर्ति का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभागीय नीति निर्धारण समिति की 197वीं बैठक दिनांक 25.04.2016 में जनजाति उपयोजना (टी.एस.पी.) क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 3000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को, पाइप्ड जल योजना अन्तर्गत उच्च जलाशयों के माध्यम से घरेलू जल संबंधों द्वारा जोड़ने हेतु योग्य माने जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त नीति के अनुसार विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के वर्णित 7 ग्रामों में से 3000 से अधिक जनसंख्या वाले 2 ग्राम क्रमश: घूघरा एवं माडा की वर्ष 2011 की जनगणनानुसार क्रमश: 4204 एवं 3557 है।

मुख्य ग्राम घूघरा एवं इसकी 5 ढाणियों की जनसंख्या क्रमश: 502 एवं 3702 (कुल 4204) तथा मुख्य ग्राम माडा एवं इसकी 8 ढाणियों की जनसंख्या क्रमश: 1821 एवं 1736 (कुल 3557) है। इस प्रकार इन दोनों ग्रामों की अधिकांश जनसंख्या मुख्य ग्राम में न होकर इनकी ढाणियों में बिखरी होने के कारण इनकी पाइप्ड जल योजनाओं के प्रस्ताव बनाये जाने से पूर्व विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक है।

सर्वेक्षण उपरान्त योजनाओं की तकनीकी संभाव्यता, उपादेयता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विस्तृत योजना बनाई जाकर इनकी स्वीकृति पर विचार सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फुलेरा में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

256. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री निर्मल कुमावत)

(1) प्रदेश में अधिशासी अभियंता का नया कार्यालय खोलने के वर्तमान में क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में विभाग का अधिशासी अभियंता का कार्यालय कहां-कहां पर कब से स्थापित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के सांभरलेक कस्बे में विभाग का अधिशासी अभियंता कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सहित राज्य के अभियांत्रिकी विभागों में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय के सृजन/स्थापित करने के नोर्म्स/मानदण्ड वित्त विभाग के पत्र दिनांक 23 जुलाई, 1985 के द्वारा स्वीकृत किये गये थे। पत्र की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के 3 कस्बों (क्रमशः फुलेरा, सांभर एवं किशनगढ़-रेनवाल) एवं 165 ग्रामों की पेयजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण कार्य अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला खण्ड-प्रथम-जयपुर, मुख्यालय जयपुर के अधीन है।

उक्त के अतिरिक्त क्षेत्र के कस्बों एवं ग्रामों को वृहद् पेयजल परियोजनाओं से लाभान्वित करने के लिये परियोजनाओं के कार्यों के निष्पादन हेतु सांभर लेक मुख्यालय पर विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता, परियोजना खण्ड कार्यालय का सृजन वर्ष 2013-14 में किया गया।

(3) उपरोक्तानुसार, विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की वृहद् पेयजल परियोजना के कार्यों के निष्पादन हेतु सांभर लेक मुख्यालय पर विभाग द्वारा अधिशासी अभियन्ता, परियोजना खण्ड कार्यालय वर्ष 2013-14 से कार्यरत होने के कारण इस मुख्यालय पर अधिशासी अभियन्ता का नया कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीलीबंगा में पक्के खालों का पुनः निर्माण

257. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती द्रोपती)

(1) क्या यह सही है कि चक 45 NDR, 46 NDR व 47 NDR के खाले लम्बे समय से बने हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार जर्जर हालात के पक्के खालों का पुन: निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसान हित में क्षतिग्रस्त एवं टूटे हुए पक्के खालों का पुन: निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के कितने खालों का निर्माण 31 दिसम्बर, 2018 तक कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि चक 45 NDR, 46 NDR व 47 NDR के खाले बने हुए लम्बा समय हो गया है। जर्जर हालत के पूर्व निर्मित खालों का पुन: निर्माण के सम्बन्ध में वर्तमान में सिंचित क्षेत्र विकास विभाग में कोई योजना विचाराधीन नहीं है, परन्तु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के माध्यम से ऐसे कार्य जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृति देने पर करवाये जा सकते हैं।

(2) उपरोक्तानुसार।

कोलायत में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में कराये गये कार्य

258. श्री भंवरसिंह (कोलायत): क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

विधान सभा क्षेत्र कोलायत में गत चार वर्षों में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में करवाये गये निर्माण कार्यों का लागत सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

गत चार वर्षों में विभाग द्वारा कोलायत विधान सभा क्षेत्र में करवाये गये निर्माण कार्यों की सूची मय लागत परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में नदियों को जोड़कर पानी उपलब्ध कराने की योजना

259. श्री रमेश (सपोटरा): क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रमेश)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो कब एवं कितनी लागत की?

(2) दिसम्बर, 2017 तक उक्त योजनान्तर्गत कितना-कितना कार्य कितनी-कितनी राशि का कहां-कहां किया गया?

(3) दिसम्बर, 2017 तक सरकार द्वारा कितनी नदियों को आपस में जोड़ा गया एवं नहीं, तो क्यों?

(4) दिसम्बर, 2017 तक राज्य में कितने क्षेत्र को नदियों को जोड़कर पानी उपलब्ध कराया गया एवं नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश की नदियों को जोड़ने हेतु दो योजनाओं की डीपीआर बनाई गई है तथा तीसरी योजना की डीपीआर बनाने का कार्य प्रगतिरत है, विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार द्वारा नदियों को जोड़ने के अन्तर्गत डीपीआर तैयार किये जाने के कार्य हेतु करवाये गये कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) दिसम्बर, 2017 तक नदियों को जोड़ने के अन्तर्गत डीपीआर तैयार करने का कार्य किया गया/जा रहा है। डीपीआर के अध्ययन उपरांत फिजीबल पाये जाने पर संसाधनों की उपलब्धतानुसार इन नदियों का जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(4) दिसम्बर, 2017 तक राज्य में किसी भी क्षेत्र को नदियों से जोडकर पानी उपलब्ध नहीं किया गया है। परियोजना की डीपीआर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृति उपरांत संसाधन उपलब्धतानुसार क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मीसा व डी.आई.आर. बंदियों के लम्बित पेंशन आवेदन

260. श्री रामपाल (बारां-अटरू): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मीसा एवं डी.आई.आर. बंदियों के लिए सरकार ने पेंशन योजना स्वीकृत की है, लेकिन इस हेतु आवेदनकर्ताओं का

(श्री रामपाल)

रिकार्ड जेल तथा पुलिस थानों से गायब होने के कारण आवेदकों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है तथा बड़ी संख्या में आवेदन वर्तमान में जिला कलक्टरों के पास लम्बित हैं? यदि हां, तो पुलिस अधीक्षक एवं जेल अधीक्षक कार्यालयवार लम्बित आवेदनों का कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिकार्ड की अनुपलब्धता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था व नियमों में संशोधन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार साधारण धाराओं 107, 116 व 151 सी.आर.पी.सी. आदि में बंदी रहे लोगों को भी पेंशन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि नियम, 2008 के तहत 25 जून, 1975 से मार्च 1977 तक लागू आपातकाल के दौरान देश के कारागारों में मीसा एवं डी.आई.आर. के तहत निरुद्ध रहे राज्य के मूल निवासियों को पेंशन एवं चिकित्सा सहायता दी जा रही है। जिन आवेदनकर्ताओं का रिकार्ड जेल तथा पुलिस थानों में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उनके पेंशन आवेदनों का निस्तारण सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.12.2017 द्वारा नियमों में किये गये संशोधन के तहत किया जा रहा है। (अधिसूचना दिनांक 28.12.2017 की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न)

(2) सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.12.2017 द्वारा नियमों में किये गये संशोधन के तहत रिकार्ड की अनुपलब्धता संबंधी प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। सीआरपीसी की धाराओं 107, 116, 151 आदि में बंदी रहे लोगों को पेंशन देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में पोस मशीनों के साथ सामग्री वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था

261. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य पोस मशीनों के माध्यम से करा रही है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पोस मशीनें 60 वर्ष से अधिक आयु वाले उपभोक्ताओं के फिंगरप्रिन्ट स्वीकार नहीं कर पाती है?

(3) क्या यह भी सही है कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में पोस मशीनों को नेटवर्क नहीं मिल पाता है? यदि हां, तो सरकार उक्त दोनों परिस्थितियों में किस आधार पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य पोस मशीनों के माध्यम से कराया जा रहा है।

(2) कुछ परिस्थितियों में अधिक आयु के उपभोक्ताओं/श्रमिकों के फिंगरपिन्ट्स पोस मशीन द्वारा स्वीकार नहीं किये जाते हैं।

(3) पोस मशीनें 2जी डेटा नेटवर्क पर कार्य करती हैं, जो कि दूर-दराज के क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। कुछ दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत कम है। राज्य में ऐसे 102 स्थान चयनित हैं। इन क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को राशन वितरण की वैकल्पिक (मैन्यूअल) व्यवस्था है। इन स्थानों पर आफलाइन राशन वितरण करने तथा उसके पश्चात नेटवर्क वाले क्षेत्र में राशन वितरण के डैटाबेस की प्रविष्टि का प्रावधान है।

फिंगरप्रिन्ट्स स्वीकार नहीं करने की स्थिति में उपभोक्ताओं के भामाशाह/आधार कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्रेषण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता प्राधिकृत अधिकारी से अपने एनएफएसए लाभार्थी होने का प्रमाण प्रस्तुत कर बाईपास सिस्टम द्वारा राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है।

मावली में राशन कार्ड की संख्या के आधार पर दुकानों का आबंटन

262. **श्री दलीचन्द डांगी** (मावली): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में राशन की दुकानें खोलने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? विधान सभा क्षेत्र मावली में कितने राशन कार्ड पर कितनी दुकानें संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री दलीचन्द डांगी)

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में जितने राशन कार्ड हैं उसके अनुसार राशन की पर्याप्त दुकानें हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार और राशन की दुकानें आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 500 राशन कार्ड अथवा 2000 यूनिट पर नई उचित मूल्य दुकान खोले जाने के मापदण्ड निर्धारित हैं। इस संबंध में जारी पत्र दिनांक 07.04.2010 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र मावली में कुल 93484 राशन कार्ड एवं 116 उचित मूल्य दुकानें स्वीकृत हैं। सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मावली में कुल 116 उचित मूल्य दुकानें हैं, जिन पर 93484 राशन कार्ड सम्बद्ध है। जिन उचित मूल्य दुकानों पर अधिक राशन कार्ड हैं उनसे संबंधित ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन क्षेत्रों में नवीन उचित मूल्य की दुकान सृजित कर दी जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कठूमर में राशन डीलर नियुक्त करने की योजना

263. श्री मंगल राम (कठूमर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में निजी डीलर, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां व ग्राम सेवा सहकारी समितियां कहा-कहां कार्यरत हैं? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2009 से 2017 तक कितनी नई राशन की दुकानें किस-किस नाम से स्वीकृत की गईं एवं कितनी राशन की दुकानें वर्तमान में रिक्त हैं? स्वीकृति के मानदण्ड सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्रों की नवसृजित राशन की दुकानों एवं रिकत क्षेत्रों में डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में कार्यरत निजी डीलर, क्रय विक्रय सहकारी समिति एवं ग्राम सेवा सहकारी समिति की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वर्ष 2009 से 2017 तक 22 नई राशन की दुकानें स्वीकृत की गई हैं, सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में 07 राशन की दुकानें रिक्त है।

राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य में उचित मूल्य दुकान आबंटन हेतु जारी नवीन दिशा निर्देश दिनांक 17.03.2016, 26.04.2016, 04.07.2017 एवं 26.09.2017 की प्रति परिशिष्ट-3 पर एवं मानदण्ड दिनांक 21.07.2009 तथा 07.04.2010 की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवसृजित एवं रिक्त राशन की दुकानों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। कठूमर विधान सभा क्षेत्र में रिक्त 07 दुकानों में से 04 दुकानों एवं 21 नवसृजित उचित मूल्य दुकानों की विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं, जिनके साक्षात्कार दिनांक 13.03.2018 को आयोजित किए जाकर उचित मूल्य दुकान आबंटन की प्रक्रिया दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण कर ली जाएगी तथा शेष 03 रिक्त दुकानों को आगामी विज्ञप्ति में शामिल कर उचित मूल्य दुकान आबंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जावेगी। 07 रिक्त एवं 21 नवसृजित दुकानों का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सलूम्बर में प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार

264. श्री अमृतलाल (सलूम्बर) : क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के प्राचीन मंदिर "चामुंडा माता मंदिर बलुआ" हाडीरानी से सम्बन्धी "सोनार माता सलूम्बर" "टीकम बावजी" मंदिर सुरखण्डखेडा, वाराह माता मंदिर केन्द्र खेडादेव का पुन: निर्माण/जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के प्राचीन मंदिर श्री चामुन्डा माता जी बलुआ हाडीरानी से संबंधी सुनार माता सलूम्बर, टीकम बावजी मंदिर

(राज्य मंत्री, देवस्थान)

सुरखण्डखेडा एवं वाराह माता मंदिर केन्द्र खेडादेव देवस्थान विभाग के प्रतिबन्धित एवं नियंत्रित मंदिर नहीं होकर अराजकीय मंदिर हैं, इनके पुर्ननिर्माण/जीर्णोद्धार कराये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मेहन्दीपुर बालाजी (दौसा) में यात्रियों की सुविधा के कार्य

265. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): क्या देवस्थान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दौसा जिले के मेहन्दीपुर बालाजी में यात्रियों की सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा गत चार वर्षों में क्या-क्या कार्य स्वीकृत किए गए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रतिदिन तथा विशेष मेलों एवं त्यौहारों पर मेहन्दीपुर बालाजी में आने वाले श्रद्धालुओं की तुलना में वर्तमान सुविधाएं अपर्याप्त हैं?

(3) क्या सरकार अन्य प्रमुख मन्दिरों एवं धार्मिकों स्थलों पर कराए गए जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य की तर्ज पर मेहन्दीपुर बालाजी में भी सड़कों का चौड़ाईकरण एवं सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दौसा जिले में तीर्थस्थली मेहन्दीपुर बालाजी में यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्वीकृत किये गये कार्यो का विवरण परिशिष्ट-1 संलग्न है।

(2) जी हां। प्रतिदिन तथा विशेष मेलों एवं त्यौहारों पर मेहन्दीपुर बालाजी में आने वाले श्रद्धालुओं की तुलना में कुछ वर्तमान सुविधाएं अपर्याप्त हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं।

(3) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग को यह कार्य आबंटित किया गया है। उक्त कार्य प्रगति पर है विवरण परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर में आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों की स्वीकृति

266. श्रीमती अमृता मेघवाल (जालोर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती अमृता मेघवाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र जालोर में कुल कितनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? पंचातय समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्दों में से कितने आंगनबाड़ी केन्द्र के भवन बने हुए हैं व कितने आंगनबाड़ी केन्द्र दूसरे विभाग के भवनों में संचालित हो रहे हैं? आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्थानों के नाम व भवनों की स्थिति सहित पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जालोर के अन्तर्गत 02 परियोजनाएं क्रमश: जालोर एवं सायला संचालित है। परियोजना जालोर में 81 आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना सायला में 297 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। पंचायत समितिवार आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की स्थिति का पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-अ में ही समाहित है।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

विधान सभा क्षेत्र जालोर के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में मिशन मोड योजना के अन्तर्गत 10 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण एवं वर्ष 2016-17 में नरेगा कन्वर्जेसन योजना के अन्तर्गत 10 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी, जिनका कार्य प्रगतिरत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राजकीय सेवा में सम्मिलित करने की योजना

267. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा सहयोगिनी के मानदेय तथा सुविधाओं में वृद्धि की गई है? यदि हां, तो कब और कितनी? विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा अपने घोषणा-पत्र में उक्त सभी को राजकीय सेवा में सम्मिलित का प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त सभी को राजकीय सेवा में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा में मानदेयकर्मियों का मानदेय बढ़ाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 6000 रु., मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का 4500 रु. एवं आशा सहयोगिनी का 2500 रु. मानदेय करने की घोषणा की है। इसके पूर्व 1 जून, 2016 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में 400 रु., मिनी कार्यकर्ता के लिए 300 रु. एवं सहायिका व आशा सहयोगिनी के मानदेय में 250 रु. की मासिक वृद्धि की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में मानदेय के अतिरिक्त कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि 250 रु. से 500 रु. मासिक देने की योजना भी लागू की गई है। इसके अतिरिक्त इन मानदेयकर्मियों को पूर्व में देय अवकाश के अतिरिक्त 10-10 दिवस का ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन अवकाश दिये जाने की सुविधा भी 30 अगस्त, 2017 से लागू की गई है। बजट वर्ष 2018-19 में मानदेय कर्मियों के लिए संचालित सामूहिक एवं बीमा बचत योजना का सम्पूर्ण वार्षिक प्रीमियम (कार्यकर्ता के लिए 600 रु. व अन्य के लिए 300 रु.) राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने की घोषणा की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा सहयोगिनी को दी जाने वाली सुविधाओ का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी स्वेच्छिक भावना से कार्य करने वाली मानदेय कर्मी है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर जिले में अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

268. डा. फूल चन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार प्रदेश में अवैध खनन रोकने में विफल रही है? यदि हां, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर जिले में विगत 4 वर्षों में अवैध खनन रोकने हेतु सरकार द्वारा कहां-कहां क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में विगत 4 वर्षों में अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कितने मुकदमे दर्ज हुए व पेनल्टी के रूप में कितनी राशि सरकार को प्राप्त हुई एवं कितने लोगों को सजा हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार प्रदेश में अवैध खनन को रोकने में विफल नहीं रही है। प्रदेश में अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु विभाग द्वारा पृथक-पृथक एवं राजस्व, वन एवं पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की गई है।

(2) जयपुर जिले में गत 4 वर्षों में अवैध खनन/निर्गमन के विरुद्ध 857 पंचनामें बनाये गये, 420 मुकदमे दर्ज किए गए तथा अवैध खनन के संबंध में 547 वन अपराध दर्ज किए जाकर संवेदनशील क्षेत्रों में 45319 रनिंग मीटर पक्की दीवार बनाई गई व 4338 रनिंग मीटर दीवार निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं, विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1, 2 व 3 पर उपलब्ध है।

(3) जिला जयपुर में गत 4 वर्षों में अवैध खनन/निर्गमनकर्ताओं के विरुद्ध कुल 420 मुकदमें दर्ज किये गये, 1170.97 लाख पेनल्टी के रूप में वसूल किये गये तथा दर्ज मुकदमों में 159 व्यक्तियों को सजा हुई, विवरण परिशिष्ट-1, 2 व 3 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई में संचालित खानें

269. श्री हीरालाल (निवाई): क्या खान राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्तमान में कितनी खानें किन-किनके नाम से संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त क्षेत्र में अवैध खनन भी हो रही है? यदि हां, तो क्या

(श्री हीरालाल)

सरकार अवैध खनन रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में वर्तमान में कुल 11 खनन पट्टे स्वीकृत होकर प्रभावशील हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई में गत पांच वर्षों में अवैध खनन एवं निर्गमन के कुल 16 प्रकरण सामने आये हैं, अवैध खननकर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है। विभाग द्वारा अवैध खनन/निर्गमन के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट 1

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख की सूचनाएं जो पढ़ी हुई मानी गयीं

कोटा शहर में हवाई अड्डे का निर्माण

महोदय,

कोटा सम्भाग मुख्यालय पूरी दुनिया में शिक्षा नगरी के नाम से विख्यात है, यहां पर देश के कोने कोने से 2 लाख बच्चे उत्कृष्ट कोचिंग प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष कोटा आते हैं। कई दूसरे देशों के छात्र भी वर्तमान में कोटा में अध्ययनरत हैं, इनके परिजन भी वर्षपर्यन्त इनसे मिलने के लिए कोटा आते-जाते रहते हैं।

इसके अतिरिक्त कोटा में कोटा स्टोन का बड़ा व्यवसाय है, इन्हें खरीदने वाले व्यापारी कोटा आते हैं, वहीं विश्वप्रसिद्ध कोटा डोरिया साड़ी की बुनाई व कारीगरी देखने के लिए भी विदेशी सैलानियों के दल का भी आवागमन कोटा में लगा रहता है। इसके साथ कोटा के पास स्थित बूंदी के सैण्ड स्टोन, चावल व कई अन्य उद्योगों के सिलसिले में भी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्तर के उद्योगपति कोटा आते रहते हैं।

राज्य सरकार द्वारा मुकुन्दरा अभयारण्य को टाईगर सैंक्चुअरी घोषित कर दिया गया है और शीघ्र ही यहां पर बाघ छोड़ दिये जायेंगे जिसके बाद कोटा भी सवाई माधोपुर की तरह एक बड़ा ट्यूरिस्ट हब बन जायेगा लेकिन कोटा में आने वाले देशी-विदेशी सैलानियों और उद्योगपतियों के लिए वर्तमान में रेल यात्रा ही एकमात्र साधन है, जबकि कोटा के लिए हवाई यात्रा करने वाले अनेकानेक यात्री हैं और इसके लिए वर्तमान में चल रही 6 सीटर प्लेन की अन्तरराज्यीय हवाई सुविधा ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हो रही है कोटा के यात्रीभार को वहन करने में पूर्णतया असमर्थ इस सेवा में 6 माह की बुकिंग चल रही है।

इस हेतु कोटा शहर के मास्टर प्लान 2031 में शम्भुपुरा ग्रोथ सेंटर के पास रामपुरिया गांव में 750 एकड़ भूमि हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित की गई है, यह सारी भूमि सरकारी होने के कारण अवाप्ति और मुआवजे की समस्या भी नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि अविलम्ब कोटा के शम्भूपुरा में नये हवाई अड्डे की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जाए

ताकि अनुमोदन के पश्चात् कोटा में राष्ट्रीय स्तर के बड़े हवाई अड्डे का निर्माण हो सके। उपरोक्त सभी अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद कोटा मे नये हवाई अड्डे का निर्माण नहीं करना कोटा वासियों के साथ अन्याय होगा।

भवानी सिंह राजावत

(लाडपुरा)

राजस्थान विश्वविद्यालय और निजी कालेजों में शुल्क बढ़ोत्तरी

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं एक अत्यन्त ही लोक महत्व एवं छात्र हित से जुड़े विषय की ओर राज्य सरकार एवं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार ने अपने अधीनस्थ कालेजों की विभिन्न फीसों में बिना किसी न्यायसंगत आधार के इतनी बढ़ोतरी कर दी है कि वह अप्रत्यक्ष रूप से छात्र-छात्राओं पर बोझ बन रही है। एफिलिएशन शुल्क के साथ ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के नाम पर शुल्क बढ़ाया गया है जबकि प्रदेश के 92 प्रतिशत विद्यार्थी निजी कालेजों में अध्ययन करते हैं और निजी कालेज सरकार से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या अनुदान भी नहीं लेते हैं। शिक्षा को सेवा का दर्जा देने वाली लोक कल्याणकारी सरकार का यह दायित्व बनता है कि अनावश्यक रूप से शिक्षण शुल्क में बढ़ोतरी नहीं करें और अध्ययन करने वाले छात्रों व उनके अभिभावकों को राहत प्रदान करें, जबकि राज्य में हो इसके उलटा रहा है। निजी कालेजों की एफिलिएशन फीस, अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क, एंडोमेंट फण्ड एवं निरीक्षण आदि के नाम पर लिये जा रहे शुल्कों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी कर दी गई है। यह बढ़ोतरी नितान्त असंगत एवं अन्यायपूर्ण है क्योंकि विश्वविद्यालय द्वारा निजी कालेजों के शैक्षणिक उन्नयन पर कोई खर्चा नहीं किया जाता है।

अत: प्रकिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये मेरी पुरजोर शब्दों में मांग है कि प्रदेश के विद्यार्थियों के हित में निजी कालेजों से वसूले जा रहे शुल्क में युक्तियुक्त कटौती की जाये और छात्रों तथा अभिभावकों को राहत दिलाने का श्रम करें।

धन्यवाद, जय हिन्द।

राजेन्द्र सिंह यादव

(कोटपूतली)

पंचायत समिति साबला (आसपुर) में सोनार माता पाल निढाऊवा नदी पर एनीकट निर्माण एवं राइका लिफ्ट परियोजना की स्वीकृति

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में सोनार माता एनिकट व रायकी की लिफ्ट परियोजना दोनों विकास के कार्यों की मांग पिछले चार साल से विधान सभा में सदन की बैठक में रख रहा हूं लेकिन अभी तक इनकी स्वीकृति प्रदान नहीं हुई है। अतः महोदय मेरे विधान सभा क्षेत्र की यही मांग चलती आ रही है। इस संबंध में संबंधित विभाग के मंत्री महोदय को लिखित में कई बार अवगत कराया गया। लेकिन इस कार्य की किसी भी प्रकार की स्वीकृति जारी नहीं हुई। मगर अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में दोवड़ा पंचायत समिति आती है यदि देव सोमनाथ एनिकट बन जाए तो 12 पंचायत के किसान भाइयों को फायदा होगा। पंचायत समिति सावला में सोनार माता पाल निढाऊवा नदी पर एनिकट बनता है तो चार पंचायत के लोगों को फायदा होगा।

राम की लिफ्ट योजना की डी.पी.आर. बन चुकी है व स्वीकृति नहीं निकली है यदि यह लिफ्ट स्वीकृत होती है तो 18 गांवों को फायदा होगा। अत: कृपा कर इन तीनों कार्यो की स्वीकृति प्रदान कराये ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र का काश्तकार अपने पैरों पर खड़ा हो जायेगा स्वावलंबी बन जायेगा। अत: आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि वर्षों से चल रही विकट समस्या का इसी बजट में स्वीकृति प्रदान करवाने की कृपा करावें।

धन्यवाद।

गोपी चन्द मीणा

(आसपुर)

झाड़ोल की उप तहसील फलासिया को तहसील का दर्जा

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल (फ.) जो कि एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ व आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, की पंचायत समिति मुख्यालय फलासिया जो कि तहसील मुख्यालय झाड़ोल से

लगभग 30-35 किमी. दूर है। आवागमन के साधनों की कमी तथा दुर्गम रास्तों के कारण फलासिया क्षेत्र की जनता को अपने राजस्व प्रकरणों व अन्य राजस्व कार्यों के निस्तातरण में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा धन व समय का भी अपव्यय होता है।

अतः मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि यथाशीघ्र पंचायत समिति मुख्यालय फलासिया स्थित उप तहसील फलासिया को पूर्ण तहसील का दर्जा प्रदान कर मुझे और क्षेत्र की जनता को अनुग्रहित करें।

हीरालाल दरांगी

(झाड़ोल)

गुलाबपुरा (आसींद) में महाविद्यालय की स्थापना

महोदय,

आपने मुझे नियम 295 के तहत बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

आसींद विधान सभा क्षेत्र के गुलाबपुरा में सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल (छात्र) नहीं है। यह बड़ा क्षेत्र है। यहां पर नगरपालिका उपखण्ड कार्यालय भी है। आबादी भी बहुत ज्यादा है। यहां पर सैकेण्डरी स्कूल पुराना जोरावरपुर गुलाबपुरा में है। इस माध्यमिक विद्यालय को क्रमोन्नत कर रा.उ.मा.वि. में करने या आदेश करवाकर छात्रहित में करने का कष्ट करावें।

साथ ही गुलाबपुरा के अन्दर महाविद्यालय नहीं है, जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से छात्र-छात्राएं वंचित रह जाते हैं जो पढ़ाई के लिए जाते हैं, उनको दूर भीलवाड़ा जाना पड़ता है, जो बहुत दूर है। इधर अजमेर, ब्यावर भी दूर है। उक्त स्थानों की गुलाबपुरा से दूरी 60 किमी से भी ज्यादा है। आये दिन बस से टैक्सी से छात्र-छात्राएं पढ़ाई के लिए जाते रहते हैं। जिससे एक्सीडेंट की घटनाएं आयें दिन होती रहती हैं। इससे छात्र-छात्राओं की असुरक्षा बनी रहती है।

अतः छात्र-छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए गुलाबपुरा में महाविद्यालय नया खोलने का आदेश प्रदान करवाएं और सैकेण्डरी विद्यालय, पुराना जोरावरपुरा गुलाबपुरा को क्रमोन्नत करने का आदेश करवाने का कष्ट करें।

सादर।

रामलाल गुर्जर

(आसींद)

बागोड़ा व जसवंतपुरा तहसील की 11 पंचायतों का भीनमाल तहसील में विलय

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भीनमाल तहसील क्षेत्र जो कि छोटा रह गया है, के संबंध में कहना चाहूंगा कि मेरी तहसील भीनमाल में एसडीएम कोर्ट बना हुआ है, जिसमें पूर्व में भीनमाल, बागोड़ा, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा एवं सांचोर शामिल थी, जिसमें अब मात्र 13 पंचायत ही रह गई हैं।

अध्यक्ष महोदय निम्न ग्राम पंचायतों को तहसील भीनमाल में शामिल किये जाने से आमजन को लाभ होगा। 1 कवलरा, सणावास जो वर्तमान में तहसील बागोड़ा में और बागोड़ा से दूरी 38 किमी जब कि भीनमाल 12 किमी ही है।

अतः इन दोनों पंचायतों को तहसील भीनमाल में मिलाया जाए। साथ ही जसवंतपुरा तहसील की निम्न पंचायतें जिनकी भीनमाल एवं जसवंतपुरा से पंचायतों की दूरी बताना चाहूंगा :-

धानसा से भीनमाल 25 किमी एवं जसवंतपुरा 75 किमी
सरेणा से भीनमाल 23 किमी एवं जसवंतपुरा 70 किमी
मोदरा से भीनमाल 20 किमी एवं जसवंतपुरा 68 किमी
तवाब से भीनमाल 12 किमी एवं जसवंतपुरा 60 किमी
भरूडी से भीनमाल 10 किमी एवं जसवंतपुरा 58 किमी
खानपुर से भीनमाल 4 किमी एवं जसवंतपुरा 54 किमी
गाजीपुरा से भीनमाल 3 किमी एवं जसवंतपुरा 51 किमी
बासड़ा धनजी से भीनमाल 20 किमी जसवंतपुरा 69 किमी है।

अत: सदन के माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है कि 11 पंचायतें जो 2 बागोड़ा व 9 जसवंतपुरा तहसील की हैं, को भीनमाल तहसील में शामिल किया जाए, ताकि जनहित में आमजन के कार्य हो सकें।

सादर।

पूराराम चौधरी
(भीनमाल)

ग्राम पंचायत डूंगरी (रेनवाल) में अवैध खनन

महोदय,

ग्राम पंचायत डूंगरी खुर्द तहसील रेनवाल जिला जयपुर में लगातार चल रही अवैध खानों को बंद करवाने के संबंध में विगत कई वर्षो से निरीह ग्रामीण जनता द्वारा किये जा रहे भरसक प्रयासों एवं पुरजोर विरोध के बावजूद भी अवैध खनन कार्य लगातार जारी है। जिस पहाड़ी में खनन कार्य हो रहा है वह गैर कानूनी एवं नियम विरुद्ध है। इस पहाड़ी पर हजारों वर्ष पुराना संत बाबा का मंदिर तथा श्री हनुमान जी एवं श्री गणेश जी के मन्दिर के साथ ही पीढ़ियों पुराना सती माता एवं दुर्गा माता के मंदिर स्थित हैं। पहाड़ी से लगते हुए मात्र 20 मीटर की दूरी पर 15-20 काश्तकारों के खेत हैं जिन पर काश्तकारों द्वारा खेती का कार्य किया जाता रहा है। साथ ही पहाड़ी से 300 मीटर की दूरी पर ग्राम डूगरी खुद की बसावट है। जिससे ग्रामवासियों का जन जीवन प्रभावित होता है।

खनन कार्य के दौरान विस्फोटकों का प्रयोग किये जाने से पहाड़ के पत्थर गांव की बस्ती में आकर गिरते हैं। विस्फोटकों के लगातार प्रयोग से गांव के अधिकतर मकानों में दरारें आ चुकी हैं। जिससे जान एवं माल की हानि सदैव बनी रहती है।

उक्त संबंध में दिनांक 26 जुलाई, 2001 को खनिज विभाग द्वारा लीज धारकों को खनन कार्य बंद करने हेतु पाबंद किया । दिनांक 15 जून, 2008 को थानाधिकारी रैनवाल ने अत्यधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की दिनांक 05 सितम्बर, 2011 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर खान मालिकों को अवैध खनन के लिए पाबंद किये जाने के बावजूद भी आज दिनांक तक माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना एवं अवैध खनन कार्य लगातार जारी है। अत: निवेदन है कि ग्रामवासियों की धार्मिक एवं मानवीय भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए एवं पर्यावरण को दूषित होने से बचाने की परम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अवैध खनन कार्य को शीघ्रातिशीघ्र बंद कराया जाकर सभी ग्रामवासियों को अनुग्रहीत करने की कृपा करें।

निर्मल कुमावत
(फुलेरा)

कोटा स्मार्ट सिटी के कार्यों में हो रहे विलम्ब और नगर निगम कोटा में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर कार्यवाही

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर ये निवेदन करना चाहता हूं केन्द्र सरकार द्वारा कोटा शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया जा चुका है जिसके तहत 1387 करोड़ रूपये के 26 प्रोजेक्टों पर कार्य होना है कोटा शहर को स्मार्ट बनाने का कार्य नगर निगम व यू.आई.टी. मिलकर कर रही हैं लेकिन 1 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद कोटा स्मार्ट सिटी का कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा है। नगर निगम द्वारा दशहरा मैदान का विकास कार्य, ग्रीन वाल का निर्माण कार्य ही आरम्भ हुआ है। पेयजल, सीवरेज सहित बहुत सारे कार्य अभी टेन्डर प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। दशहरा मैदान का प्रोजेक्ट 77 करोड़ रुपए का था, लेकिन बढ़ते-बढ़ते वह 88 करोड़ रुपए का हो गया। नगर निगम और नगर विकास न्यास के अधिकारियों ने बिना जनप्रतिनिधियों की राय लिये अपने हिसाब से शहर के विकास का खाखा तैयार कर दिया। पूरे कोटा शहर को स्मार्ट सिटी की कार्य योजना को शामिल नही कर कुछ ही वार्डों में स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव तैयार करवाये गये हैं। कोटा शहर में वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट लगाया जाना काफी समय से प्रस्तावित है लेकिन अभी तक वेस्ट टू एनर्जी प्लान्ट नहीं लग पाया है। राज्य सरकार ने कोटा जिले को ओ.डी.एफ. घोषित कर दिया है लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनन्तपुरा, संतोषी नगर और कोटा शहर के वार्ड न. 32 की लुहार बस्ती के कई परिवार आज भी खुले में शौच करने के लिए विवश हैं। निगम क्षेत्र में अभी लक्ष्य से आधे शौचालय भी नहीं बन पाये हैं नगर निगम द्वारा दिसम्बर तक 4680 शौचालयों का ही निर्माण किया गया है जबकि कोटा शहर में अभी भी लगभग 12 हजार परिवार शौचालय विहीन हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने मिलीभगत कर जल्दबाजी कर कई वार्डों को ओ.डी.एफ. दिखा दिया जबकि अभी भी वार्डों में शौचालय निर्माण का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। कचरा पोइंन्टों से कचरा नहीं उठ रहा है कचरा परिवहन के नाम बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। कोटा शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण लागू हो चुका है लेकिन शहर के वार्डों में सफाई कर्मी पर्याप्त संख्या में नहीं लगाये गये हैं सफाई कर्मचारियों की भर्ती अटकी हुई है। अतः मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन है कि कोटा शहर में स्मार्ट सिटी, अमृत योजना के तहत जो कार्य किये जा रहे हैं उनकी जांच की

जाए, कचरा परिवहन में भ्रष्टाचार और स्मार्ट सिटी के कार्यो में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जावे, साथ ही नगर निगम कोटा में सफाई कर्मचारियों की भर्ती शीघ्र करवायी जाए।

संदीप शर्मा

(कोटा दक्षिण)

विराटनगर की राजनौता व मेड़ पी.एच.सी. का सी.एच.सी. में क्रमोन्नयन

महोदय

उपरोक्त विषय में प्रार्थना निम्न प्रकार है :-

राजस्थान में चिकित्सा सेवाएं राष्ट्रीय मापदण्ड से कम हैं तथा ग्रामीण क्षेत्र चिकित्सा सेवाओं की अधिक कमी है। वर्तमान सरकार ने पद भरने, शहरों में और अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने जैसे सराहनीय कार्य किया, परन्तु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अभाव है।

विराटनगर विधान सभा क्षेत्र जनसंख्या अनुरूप सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं होने से जनता को पड़ौसी विधान सभा क्षेत्र जैसे कोटपूतली, शाहपुरा, जाना पड़ता है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र दो पंचायत समिति अर्थात दो विकास खण्ड पावटा एवं विराटनगर हैं, जिनकी 2011 की जनगणना अनुसार क्रमशः 188 लाख तथा 166 लाख जनसंख्या एवं 29 ग्राम पंचायतें एवं 27 ग्राम पंचायतें हैं। भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मापदण्ड के अनुसार एक लाख की ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। जनसंख्या अनुरूप पावटा विकास खण्ड दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होने चाहिए जबकि पावटा में एक ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। जनसंख्या वितरण एवं क्षेत्र अनुरूप राजनौता के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को कमोन्नत किया जावे।

इसी प्रकार विराटनगर विकास खण्ड में भी जनसंख्या अनुरूप दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होने चाहिए। वर्तमान केवल विराटनगर विकास खण्ड अरावली से घिरा क्षेत्र एवं विशेष पिछडा वर्ग का बहुल वाला कूण्डला क्षेत्र जिसमें 10 ग्राम पंचायतें आती हैं तथा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला गांव मेड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों को क्रमोन्नत करके सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाया जावे। मेड़ क्षेत्र में प्रतिवर्ष विशेष महामारी से लोग मरते हैं।

सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि राजनौता तथा मेड़ पी.एच.सी. को कमोन्नत कर सी.एच.सी. बनाने की कृपा करें।

डा. फूलचन्द भिण्डा

(विराटनगर)

सब्जियों के रेफ्रीजरेशन की व्यवस्था के अभाव में दामों में उतार-चढ़ाव

महोदय,

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा जिले को किसानों की धीरे-धीरे सब्जी उत्पादन में आ रही कमी पर मैं अपनी चिन्ता व्यक्त करता हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कोटा जिला कभी आलू, कद्दू, की टमाटर, मटर प्याज व लहसुन उत्पादन के बहुत बडे केन्द्र के रूप में जाना जाता था एवं किसानों को उनकी सब्जियों का उचित भाव मिलता था, वहीं सब्जी माफियाओं के कारण उसे अपनी सब्जियां औने पौने दामों पर बेचनी पड़ रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां माह जुलाई में टमाटर के 80-100 रुपये प्रति किलो के भाव रहे, वहीं माह जनवरी व फरवरी में यही टमाटर 10-5 रुपये प्रति किलो के बीच बिक रहा है जिससे किसानों की लागत राशि भी नहीं निकल रही है । सरकार द्वारा कोटा मण्डी को अन्यत्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, यदि इसी के साथ मण्डी यार्ड में कोल्ड स्टोरेज बनाने एवं प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापित की जाती है तो किसानों को आने पौने दामों पर अपनी सब्जियां बेचने पर विवश नहीं होना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां हम लहसुन की बात करें तो गत वर्ष कोटा जिले में 30,915 हैक्टेयर में लहसुन की बुआई की गई व इस बार 25,570 हैक्टेयर में लहसुन की बुआई की गई। वहीं कोटा संभाग में जहाँ गत वर्ष 1,38,268 हैक्टेयर में बुआई की गई वहीं इस वर्ष 1,11,840 हैक्टेयर में इसकी बुआई हुई है। गत वर्ष किसान को मोटी लागत लगाने के बाद भी उचित बाजार भाव नहीं मिल पाया जिसके कारण किसान को काफी संघर्ष करना पड़ा और बाद में राजफैड द्वारा 32/- रुपये प्रति किलो से लहसुन की खरीद की गई व इस बार लहसुन वर्तमान में 5-10 रुपये प्रति किलो के मध्य मंडी में बिक रहा है। मैं आपका ध्यान हाड़ौती क्षेत्र में लहसुन उत्पादन में किसानों की बढ़ रही रुचि पर दिलाना चाहूंगा विगत वर्षों में लहसुन का उत्पादन मूल्य बढ़ता जा रहा है और वर्तमान समय में इसके बाजार भाव निरन्तर गिरते जा रहे हैं जिसके कारण किसानों में बड़ी चिन्ता व्याप्त है एवं पिछले वर्षों में कई अप्रिय घटनाएं भी हुईं।

माननीय मंत्री महोदय, किसानों को लहसुन का सही मूल्य मिले इसके लिये हमें अभी से विचार करना होगा व राजफैड द्वारा यदि इसकी खरीद की जा सकती हैं तो खरीद की व्यवस्था भी जल्द कराने के लिये मैं सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं।

विद्याशंकर नन्दवाना

(पीपल्दा)

ग्राम पंचायत मोंगेपुरा (करौली) में हैण्डपम्प लगाने में अनियमितता

महोदय,

ग्राम पंचायत मोंगेपुरा, पंचायत समिति मण्डरायल, जिला करौली की सरपंच एवं सचिव द्वारा पिछले काफी समय से अनियमितताएं करने की शिकायतें राज्य सरकार को की जा रही है। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। ग्राम पंचायत मोंगेपुरा में हैण्डपम्प लगाने में भी जानबूझकर और निजी व्यक्तियों एवं परिचितों को लाभ पहुंचाने के लिए गम्भीर अनियमितताएं की गई हैं। इसकी शिकायत किये जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली द्वारा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली की अध्यक्षता में हैण्डपम्प लगाने में की गई अनियमितताओं की जांच हेतु समिति का गठन किया गया । समिति द्वारा बार-बार रिकार्ड एवं सूचना मांगे जाने पर भी सरपंच एवं सचिव द्वारा रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके बाद रिकार्ड मांगे जाने पर सरपंच, ग्राम पंचायत मोंगेपुरा द्वारा रिकार्ड उपलब्ध कराया गया। रिकार्ड की जांच करने पर पाया गया कि अधिकांश हैण्डपम्पों की स्वीकृति सार्वजनिक उपयोग हेतु की गई लेकिन भौतिक सत्यापन में पाया गया कि हैण्डपम्प स्वीकृत स्थान के बजाय अन्य स्थानों पर लगाये गये। अधिकांश हैण्डपम्प निजी खातेदारी की भूमि पर, भवन के अन्दर, बाई में, खेत में लगा दिये गये। सार्वजनिक उपयोग के स्थान पर अधिकांश हैण्डपम्प निजी उपयोग हेतु लगा दिये गये जिनका निजी उपयोग होता भी पाया गया। इस प्रकार सरपंच द्वारा अपने पद का एवं राजकीय राशि का दुरुपयोग किया लाखों रुपये की राशि का उपयोग निजी लाभ पहुंचाने हेतु किया गया जो गम्भीर अनियमितता और अपराध की श्रेणी में आता है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपना प्रतिवेदन नवम्बर, 2017 में प्रस्तुत कर दिये जाने के बाद भी आज दिनांक तक अनियमितता में दोषी पाये गये सरपंच एवं

सचिव के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिससे अनियमितता करने वालों के हौसले बुलन्द हो रहे हैं।

मेरा आपके माध्यम से राज्य सरकार से अनुरोध है कि लाखों रुपयों की गम्भीर अनियमितता करने के दोषी सरपंच और सचिव एवं के विरुद्ध तुरन्त नियमानुसार कार्यवाही की जावे एवं उसके पूरे कार्यकाल में हुये कार्यों की भी जाचं कराई जावे।

रमेश

(सपोटरा)

पचपदरा से गोपड़ी-चंपाबेरी तक नई सड़क का निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बाड़मेर में रिफाइनरी का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। रिफाइनरी का सम्पूर्ण भाग मेरे विधान सभा क्षेत्र की पाटोदी पंचायत समिति की सांभरा ग्राम पंचायत में पड़ता है। सांभरा ग्राम पंचायत के मध्य भाग में रिफाइनरी का निर्माण करवाया जा रहा है और सांभरा के अधिकांश राजस्व गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क रिफाइनरी के अन्दर आ रही है जिसके कारण यहां आस पास के निवासियों को अनेक प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा पचपदरा से पचायत समिति मुख्यालय, पाटोदी का जोड़ने वाली सड़क सिंगल सड़क है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा दुर्धटनाएं भी बहुतायत से होती हैं।

पाटोदी पंचायत समिति के सांभरा और आसपास की ग्राम पंचायतों के निवासियों को सुचारु सड़क सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता है। यहां के निवासियों की सड़क की मांग को मध्यनजर रखते हुए पचपदरा से गोपड़ी-चंपाबेरी नई सड़क का निर्माण और पचपदरा से पाटोदी तक के सड़क मार्ग को डबल सड़क मार्ग की स्वीकृति करवाकर आमजन को राहत प्रदान करावें।

अत: आप से निवेदन है कि पंचायत समिति, पाटोदी की ग्रामीण जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए पचपदरा से गोपड़ी-चंपाबेरी नई सड़क का निर्माण और पचपदरा से पाटोदी तक के सड़क मार्ग को डबल सड़क मार्ग की स्वीकृति करवाकर अनुग्रहीत करावें।

धन्यवाद।

कैलाश चौधरी

(बायतू)

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 42-उद्‌योग पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 42-मुख्य शीर्षक उद्‌योग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में स्वरोजगार सृजन हेतु भामाशाह एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजनान्तर्गत ऋण वितरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में व्यापक स्तर पर कुटीर उद्‌योग स्थापित करने, पंचायत समिति शेरगढ़, बालेसर व सेखाला मुख्यालय पर उद्‌योग शिविर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उपखण्ड बालेसर में सैण्ड स्टोन पार्क औद्‌योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

4. विधान सभा क्षेत्र लूणी में नवीन औद्‌योगिक क्षेत्र दईजर में औद्‌योगिक इकाइयां स्थापित करवाने एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र लूणी में उद्‌यमियों व लघु उद्‌यमियों की अनेक समस्याओं, स्टोन पार्क मण्डोर को सभी उद्‌यमियों के लिए खुला करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. जोधपुर शहर एवं आस-पास क्षेत्रों की औद्‌योगिक इकाइयों एवं अवैध रंगाई-छपाई की लघु इकाइयों का केमिकल युक्त प्रदूषित पानी जो जोजरी नदी में जाकर इस नदी के किनारे के गांवों की भूमि को बर्बाद कर रहा है, को रोकने सी.टी.पी.टी. सालावास, नान्दड़ी व सांगरिया की क्षमता बढ़ाने, पुरा उपयोग करने व निर्माणाधीन सी.टी.पी.टी. नान्दड़ी व सालावास को शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र लूणी के औद्‌योगिक क्षेत्र के ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं में रीको के योगदान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

8. राजस्थान में नये लगाये जा रहे उद्योगों में मानव श्रमिकों के स्थान पर Robotic Plants लगाये जाने से रोजगार का संकट उत्पन्न होने की स्थिति पर चर्चा के लिये।

9. अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में नवीन उद्योग स्थापित करने के लिए पूर्व में चिन्हित भूमि जो कि मास्टर प्लान अलवर 2031 में उद्योग हेतु आरक्षित है, को अवाप्ति कर नये उद्योग स्थापित करने के अवसर उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

10. अलवर में सरकारी स्तर पर कौशल विकास केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन) :

11. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में रीको द्वारा नमक की रिफाइनरी लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

12. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर, सराड़ा एवं सेमारी में रीको की तर्ज पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में लघु एवं कुटीर उद्योग हेतु विशेष अनुदान देने के संबंध में चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में युवाओं के उद्यमिता कौशल हेतु विशेष फण्ड उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में लकड़ी, कांच एवं मसाले आदि लघु उद्योगों हेतु विशेष अनुदान उपलब्ध करवाकर उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में उद्योग स्थापना हेतु कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

17. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में रीको क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

18. जिला मुख्यालय टोंक पर औद्योगिक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिये।

19. जिला मुख्यालय टोंक में रोजगारोन्मुखी इकाइयों की स्थापना किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा) :

20. अलवर जिले की औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. 2011-12 में ग्राम टपूकड़ा, करौली, कमालपुर, लाडमका, धीरियावास, सलालपुर, खुशखेड़ा, कर्मपुर, बनबीरपुर एवं शाहपुर के किसानों की अवाप्त भूमि का मुआवजा रीको द्वारा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

22. जिला उद्योग केन्द्र सुजानगढ़ के लिये जमीन लेकर भवन निर्माण करवाने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. जिला उद्योग केन्द्र सुजानगढ़ में महाप्रबन्धक के रिक्त पद को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. सुजानगढ़ औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. सुजानगढ़ एवं बीदासर के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा) :

26. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के पीपाड़ शहर में चूना/सीमेन्ट उद्योग क्षेत्र को रीको औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्राम बोरून्दा, हरियाठाणा रणसीगांव, झाक, खरिया मीटापुर एवं बरना में प्रचुर मात्रा में लाइम स्टोन/चूना/सीमेन्ट उद्योग वाले क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

28. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में दिल्ली-मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर के लिए अधिग्रहण की गई भूमि के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

29. जैसलमेर क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध पीले पत्थर के भण्डार हैं अत: पत्थर उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. जैसलमेर जिले में सीमेन्ट उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

31. डूंगरपुर जिला मुख्यालय तथा उपखण्ड बिछीवाड़ा में रीको औद्योगिक क्षेत्र में आबंटित भूखण्डों पर उद्योग लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर वन आधारित उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के गामड़ी अहाडा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

34. विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ (सीकर) में औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. प्रदेश में रिसर्जेन्ट राजस्थान के MOU से लगने वाले उद्योग एवं उनसे मिलने वाले रोजगार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

36. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में लघु व कुटीर उद्योग खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में घड़साना-रावला एवं अनूपगढ़ में रीको क्षेत्र में भूखण्डों की रेट प्रति वर्ग गज कम करने के संबंध में चर्चा के लिये।

38. अनूपगढ़-घड़साना-रावला के औद्योगिक क्षेत्र (रीको) में 31.3.2019 तक धारण शुल्क में विशेष छूट देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

39. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पोल्यूशन मुक्त उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

40. राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. राज्य में खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

43. विधान सभा क्षेत्र जायल में रीको इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

44. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिणधारी उपखण्ड के गांवों में दरीपट्टी, ऊंट एवं बकरी की ऊन को कुटीर उद्योग में लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. बाड़मेर में रिफाइनरी के आधार पर लगने वाले विभिन्न उद्योगों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. प्रदेश में शिल्प उद्योग के तहत सिवाना क्षेत्र के मोकलसर क्षेत्र में कुम्हार (कुंभकार) द्वारा निर्मित मटकी उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में अनार को औद्योगिक श्रेणी में लेकर क्षेत्र में अनार पर आधारित उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के सिणधारी क्षेत्र (उपखण्ड) पर पुरानी ग्वार गम की औद्योगिक इकाइयों के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

49. आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम (जिसमें राज्य की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है) के विधिक विद्युत कनेक्शनों को दिनांक 9.10.2017 को काटे जाने के आदेशों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) :

50. धौलपुर जिले में पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. धौलपुर जिले में सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

52. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में रीको द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. चूरू जिले को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अति पिछड़ा जिला घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. चूरू में रीको का कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

55. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में उद्योगों को विद्युत एवं भूमि सुविधा न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में कृषि उद्योगों के लिए पर्याप्त भूमि के बाद भी कृषि उद्योग न लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के जाजकला एवं शाहपुरा औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के खेलना-लाडाका बास विद्यावास में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में मूर्तिकारों के लिए अतिलघु औद्योगिक क्षेत्र की मान्यता एवं सुविधाएं न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़ अलवर)) :

60. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में रीको द्वारा उद्योगों के लिए भूमि चयनित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

61. विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में रीको द्वारा उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. प्रदेश में उद्योगों द्वारा निकलने वाली प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में चर्चा के लिये।

63. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उद्योग लगाने वाले व्यक्ति को देय अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. प्रदेश के किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि भूमि पर छोटे उद्योग लगाने पर अनुदान राशि 50 प्रतिशत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

65. बाड़मेर जिले के युवाओं को स्वरोजगार के लिये लघु उद्योग के लिए दी जाने वाली राशि की प्रक्रिया को आसान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. बाड़मेर रिफाइनरी में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए संभावित क्षेत्रों की तलाश करके उसी अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. बाड़मेर जिले में विकसित किये जा रहे नमक उद्योग में तेजी लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

68. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) स्थित सिलोरा रीको औद्योगिक क्षेत्र में मूलभूत आवश्यक सुविधाएं नहीं होने से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक बजट प्रावधान स्वीकृत करने की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

69. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) स्थित पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई के पास रघुनाथपुरा गांव में स्वीकृत नवीन रीको औद्योगिक क्षेत्र को शीघ्र विकसित कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) स्थित सिलोरा एवं उदयपुरकलां आदि औद्योगिक क्षेत्रों में सेरेमिक्स का जोन बनाकर सेरेमिक

उद्योगों को प्रोत्साहन देने की प्रभावी नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में कार्यरत लाखों श्रमिकों को समुचित आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निजी एवं सार्वजनिक सहभागिता योजना की प्रभावी योजना की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में विश्व विख्यात मार्बल मण्डी, टैक्सटाइल्स पार्कों, पावरलूम उद्योगों एवं पावडर प्लांटों आदि की भरपूर उपलब्धता को मध्यनजर रखते हुये एक "विशेष आर्थिक जोन" (सेज) की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

73. सांचौर मुख्यालय पर रीको फेज-II चालू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

74. जिला बारां में शाहाबाद के मझारी में रीको को जमीन आबंटन कर नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

75. कोटा में नया रीको एरिया डैवलप करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

76. मारवाड़ जंक्शन औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

77. विधान सभा क्षेत्र कपासन के सोनियाना रीको एरिया को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र कपासन के भोपाल सागर में रीको एरिया आरक्षित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

79. कपासन में रीको एरिया के विस्तार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

80. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) :

81. जोधपुर में गत 15 वर्षों में कोई नया औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

82. विश्व प्रसिद्ध जोधपुरी पत्थर उत्खनन एवं संलग्न व्यवसायिक गतिविधियों को उद्योग का दर्जा दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में सौर, बायो एवं नवीनीकृत ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. प्रदेश में उद्योग अपशिष्ट से बिगड़ रहे पर्यावरण एवं प्रदूषण की समस्याओं के ठोस समाधानों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. जोधपुर के हैण्डीक्राफ्ट एवं ग्वार गम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सी.एस.आर. कोष के व्यय को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिकता निर्धारण के मानक तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" (चित्तौड़गढ़) :

87. चित्तौड़गढ़ में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

88. विधान सभा क्षेत्र फलौदी के लवण उत्पादन क्षेत्र बाप रिण में नमक उत्पादन भूखण्डों के मध्य उत्पादित नमक के परिवहन हेतु सड़क का निर्माण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

89. बीकानेर में सिरेमिक व सोलर हब स्थापित करने की बजट घोषणा के संबंध में चर्चा के लिये।

90. वर्ष 2015 में आयोजित रिसर्जेंट राजस्थान में हुए निवेश के संबंध में चर्चा के लिये।

91. प्रदेश में युवाओं को उद्योगों में रोजगार देने हेतु कार्ययोजना के संबंध में चर्चा के लिये।

92. कोलायत में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. कोलायत तहसील के गजनेर औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :

94. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के जैतापुरा, कालाडेरा व मण्डा-भिण्डा रीको एरिया में काम करने वाले लोगों का भौतिक सत्यापन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र चौमू में कालाडेरा व मण्डा-भिण्डा रीको में भूखण्ड आबंटन के बाद भी निर्माण नहीं करने वाले भूखण्डधारियों के भूखण्ड निरस्त कर, अन्य को आबंटन करने के संबंध में चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के जैतपुरा-कालाडेरा स्थित औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी से आमजन व जानवरों के जीवन को हो रहे खतरे के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

97. विधान सभा क्षेत्र चाकसू जयपुर में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

98. विधान सभा क्षेत्र निवाई में पीपलू उपखण्ड मुख्यालय पर औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर विकास करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

99. बाड़मेर में चल रहे हस्तशिल्प, कुटीर उद्योगों, विख्यात अजरक प्रिंट उद्योगों के संवर्धन हेतु सरकारी प्रयासों के संबंध में चर्चा के लिये।

100. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित रीको क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण, रोड लाइटें लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

101. बाड़मेर जिले में रिफाइनरी के कार्यों को गति देने एवं पेट्रोकैमिकल्स यूनिवर्सिटी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

102. बाड़मेर जिला मुख्यालय पर उद्योगों के लिए ट्रांसपोर्ट नगर हेतु जमीन अवाप्त कर ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

103. बाड़मेर जिले में कवास इत्यादि क्षेत्रों में स्थापित प्लास्टर लघु उद्योगों के संवर्धन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

104. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में बेरोजगारी की समस्या के समाधान एवं विकास को मध्यनजर रखते हुये नवीन उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

105. विधान सभा क्षेत्र जायल में जिप्सम आधारित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

106. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में स्थित चम्बल फर्टिलाईजर्स एण्ड कैमिकल्स फैक्ट्री में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में फूड प्रोसेसिंग यूनिट एवं कुटीर उद्योग खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. कोटा जिले में जन सहभागिता योजना की तर्ज पर उद्योगों के विकास एवं नये उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

109. जयपुर में आई.टी. क्षेत्र का हब बनाने की समुचित कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

110. बांसवाड़ा जिले में छोटे-छोटे उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

111. बीकानेर शहर के पास खाद्य वस्तुओं के निर्माण के सैकड़ों उद्योग स्थापित करने के लिए ग्राम खारा व कानासर के मध्य के क्षेत्र में फूड पार्क स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. लूणकरणसर में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. भारत सरकार के उपक्रम सांभर साल्ट्स लि. जिसमें राज्य सरकार की

40 प्रतिशत हिस्सेदारी है, के प्रति उद्योग विभाग के आदेश 9.10.17 के द्वारा उनके विधिक विद्युत कनेक्शनों को काटे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

114. बीकानेर के विकास हेतु स्वीकृत ड्राईपोर्ट का कार्य पूर्ण किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

115. बीकानेर के नमकीन एवं खाद्य आधारित उद्योग के विकास हेतु मेगा फूड पार्क तथा एग्रो एवं फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

116. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर में स्थित सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा/डाक बंगले/गेस्ट हाउस एवं चिकित्सालय का व्यवसायिक उपयोग करने के संबंध में चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में सांभर स्थित सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार द्वारा विकसित की गई सम्पत्ति का दुरुपयोग करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) :

119. नागौर में टूल्स के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

120. नागौर में रीको द्वारा नया औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़) :

121. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में बिजौलिया तहसील मुख्यालय पर रीको क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी एवं स्ट्रीट लाइटों की सुविधा के संबंध में चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को सड़क, बिजली एवं पानी की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में औद्योगिक विकास हेतु विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

124. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम सीवाना में नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. अलवर जिले के उद्योगों में अलवर जिले के युवाओं को रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में भिवाड़ी खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले प्रदूषित पानी की निकासी के संबंध में चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के औद्योगिक क्षेत्र खैरथल में मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर) :

128. टाइल्स के कच्चे माल को गुजरात भेजने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर) :

129. जिला सिरोही के बेरोजगारों को स्वीकृत ऋणों को बैंकों द्वारा जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

130. जिला सिरोही के सभी श्रेणी के उद्यमियों के जिला उद्योग केन्द्र सिरोही में पिछले 4 वर्षों से लम्बित प्रकरणों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

131. सरकार द्वारा लान्च की गई नई नीतियों की योजनाओं के तहत जिला सिरोही में तय लक्ष्य सीमा तक बेरोजगारों को लाभान्वित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

132. जिला सिरोही के बेरोजगारों को रोजगार हेतु सरकार द्वारा देय ऋण स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

133. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण एवं ऋण उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में नये उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

135. प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में एनजीटी एक्ट की पालना करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. जिला उद्योग केन्द्र कोटा द्वारा विभिन्न ऋण योजनाओं में बेरोजगारों को लघु उद्योग लगाने के लिये ऋण दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

137. जिला उद्योग केन्द्र कोटा में रिक्त चल रहे पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. कोटा जिले की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को हो रहे नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये विशेष कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. प्रेमचन्द बैरवा (दूदू) :

140. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में छोटे उद्योग लगाने वाले व्यक्ति को देय अनुदान राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र दूदू में उद्योग स्थापना के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र दूदू में सरकारी स्तर पर कौशल विकास केन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) :

143 रिसर्जेन्ट राजस्थान में हुये उद्योगों के करार के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा) :

144. रीको औद्योगिक क्षेत्र टोडारायसिंह के बजट आबंटन के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

145. क्षेत्रीय औद्योगिक विकास हेतु नसीराबाद वाया केकड़ी, जहाजपुर, शक्करगढ़ से माण्डलगढ़ रेलवे लाइन का सर्वे कराकर उसकी स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

146. जहाजपुर कोटड़ी तहसील में पानी की उपलब्धता वाले स्थानों पर सेरेमिक इण्डस्ट्रीज की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. जहाजपुर उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित रीको इण्डस्ट्रियल एरिया के रिक्त पड़े भूखण्डों पर मिनरल, ग्राइण्डिंग यूनिटों की स्थापना कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

148. जहाजपुर व कोटड़ी तहसील में उत्पादित संतरा, अनार, आंवला बाहुल क्षेत्रों में एग्रो प्रोसेसिंग व फूड प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. जहाजपुर एवं कोटड़ी तहसील में उपलब्ध बिलानाम भूमियों में से औद्योगिक क्षेत्र हेतु उपयुक्त भूमियों पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

150. दौसा शहर स्थित बावड़ियों, छतरियों एवं नीलकण्ठ महादेव मंदिर, भवानी क्लब एवं गेटोलाव धाम को पर्यटन सर्किट से जोड़कर पर्यटन उद्योग विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

151. दौसा में जूट एवं दरी उद्योग स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

152. विधान सभा क्षेत्र दौसा में रीको एरिया बापी में भौतिक सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. दौसा स्थित हाट बाजार में सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. जयपुर दौसा इन्वेस्टमेंट रीजन का विकास DMIC के प्रथम चरण में प्रस्तावित था उसे पुन: स्वीकृत कर विकसित करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

155. कोटा जिले में काफी समय से बन्द पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित कर प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज एरिया में स्थित फैक्ट्रियों में पाइप लाइन से कनेक्शन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कोटा स्टोन सेलरी (डस्ट) से ग्रीन सीमेन्ट उद्योग स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. कोटा स्टोन के रफ मैटेरियल के लिए डम्पिंग यार्ड हेतु भूमि आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाडा-आबू) :

159. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाडा-आबू में आदिवासी एरिया में लघु उद्योग खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

160. प्रदेश में आबंटित भूखण्डों पर उद्योग नहीं लगने व खाली भूखण्डों का आबंटन निरस्त कर दुबारा आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में स्थित रीको की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में रोजगार हेतु कुटीर उद्योग चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में रीको औद्योगिक क्षेत्र में सड़क एवं नालियों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. रिसर्जेंट राजस्थान में आए प्रस्ताव (एमओयू) शुरु नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

165. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के खेतड़ी में कुटीर व लघु उद्योग लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

167. विधान सभा क्षेत्र मावली में नया रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

168. विधान सभा क्षेत्र मावली में जिला उद्योग केन्द्र उदयपुर द्वारा बेरोजगारों को उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण दिलाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र मावली में स्थापित उद्योगों में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र मावली में रीको औद्योगिक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त

सड़कों, नालियों के निर्माण, रोड लाइटें एवं पेयजल की समस्या के निराकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र मावली में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

172. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के जहाज में जिस क्षेत्र में यूरेनियम की खोज चल रही है, को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी के पहाड़ी क्षेत्र में रीको की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

174. कोटा शहर में टैक्सटाइल्स उद्योगों की संभावनाओं को देखते हुये कोटा में टैक्सटाइल्स उद्योगों की स्थापना हेतु विशेष कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. कोटा स्टोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निर्णय लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. कोटा रीको इण्डस्ट्रियल एरिया में अधिकारियों की लापरवाही से लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

177. विधान सभा क्षेत्र भीम में बग्गड़ रीको प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र भीम में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग धन्धों को बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नाना लाल अहारी (खेरवाड़ा) :

179. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा में उद्योग लगाकर लोगों को रोजगार देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. उदयपुर जिले के जनजाति क्षेत्र में उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा में ग्रीन मार्बल व सोप स्टोन्स के उद्योग धन्धों को पनपाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के पंचायत समिति सेमारी, ऋषभदेव, खेरवाड़ा में अचार, मुरब्बा, आंवला पाउडर, आंवला रस के उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र खेरवाड़ा के मछ्छारों की ओबरी, ओडवास, ढेलाणा, रोहनवाड़ा में ग्रीन मार्बल के व्यर्थ पत्थरों को क्रेशर लगाकर उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ौल) :

184. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के वनोपज पर आधारित उद्योग स्थापित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के पंचायत समिति मुख्यालय कोटड़ा पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल के मुख्यालय पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

187. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में औद्योगिक विकास हेतु भूमियों का चयन किया जाकर उद्योग धन्धों को स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में सरसों, चना व अन्य फसलों व आधारित एग्रो प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. बालूराम चौधरी (सहाड़ा) :

189. विधान सभा क्षेत्र सहाडा़ की ग्राम पंचायत दरिबा में कार्यरत "मैं. जिन्दल शॉ लि." द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की तहसील हमीरगढ़ में कार्यरत उद्योगों को विकास हेतु प्रदान की जा रही राजकीय सुविधाओं में बढ़ोतरी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

191. नागौर के खींवसर में रीको के लिए जमीन आबंटित कर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. नागौर जिले के पारम्परिक टूल्स उद्योग को पुनर्जीवित करने हेतु कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. प्रदेश में स्टार्टअप हेतु 1 करोड़ रुपये तक के ऋण बिना गारंटी के प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) :

194. विधान सभा क्षेत्र लालसोट में रीको की भूमि इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रियल एरिया कोटा में नियम विरुद्ध आबंटन एवं निर्माण की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

195. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में प्रचुर मात्रा में क्वाटस, सोडा, जिप्सम को देखते हुये मसूदा में रीको पार्क की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र मसूदा की पंचायत समिति मिनाय में लघु उद्योगों हेतु रीको एरिया का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के सथाना, विजयनगर में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व बजट में सेरेमिक टाइल पार्क स्थापना की घोषणा की क्रियान्विति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 3

मांग संख्या 43 - खनिज पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 43- मुख्य शीर्षक खनिज के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याणार्थ पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, दिव्यांग एवं वृद्धजनों के कल्याण, कौशल विकास, सड़क निर्माण एवं नवीनीकरण के संबंध में चर्चा के लिए।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के उपखण्ड मुख्यालय बालेसर में खनिज अभियन्ता (एम.ई.) कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
3. प्रदेश में नवीन खनिज नीति में सरलीकरण/संशोधन कर क्वारी लाइसेंस का आबंटन वर्गवार आरक्षित कर लॉटरी से आबंटित कर लीज देने के संबंध में चर्चा के लिए।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में खान विभाग के सड़क निर्माण बजट से बालेसर क्षेत्र में खनिज सैण्ड स्टोन के खनन पट्टा क्षेत्र में खनिज सड़क की चौड़ाईकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
5. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में सिंहादा (बालेसर) विस्तार क्षेत्र में 1117 क्वारी लाइसेंस एवं भोमियाजी का थान (बालेसर) विस्तार क्षेत्र में 180 क्वारी लाइसेंसों का विभाग की लापरवाही के चलते क्वारी लाइसेंस फार्म 8 (स्वीकृति फार्म) जारी करने में विलम्ब के चलते सफल आवेदकों का आबंटन निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

6. विधान सभा क्षेत्र लूणी के खान क्षेत्र में खानधारियों व मजदूरों के लिये सड़कों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।
7. जोधपुर जिले में अनेक ग्रामों व ढाणियों में खानधारियों व अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से खनन कार्य करने, सरकार को रॉयल्टी

के रूप में मिलने वाली हर माह की करोड़ों रुपयों की राशि का नुकसान पहुंचाने, खान माफियों के पनपने व इस कारण अपराधों में बढ़ोतरी होने के संबंध में चर्चा के लिए।

8. खनिज क्षेत्रों में काम करने वाले खण्डवालियों, मजदूरों व अन्य व्यक्तियों का श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाने, उनकी हितों की सुरक्षा करने, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोकने के संबंध में चर्चा के लिए।

9. विधान सभा क्षेत्र लूणी के खान क्षेत्र में खनिज सैण्ड स्टोन के खनन पट्टा क्षेत्रों में विभिन्न सम्पर्क सड़कों का निर्माण कार्य करवाने एवं प्रदेश में खनिज रायल्टी से वसूली गई राशि से संबंधित ग्राम पंचायत में अंशदान देकर विकास के कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. जोधपुर जिले में ओवरलोडिंग व लापररवाही से ट्रकों व ट्रबों द्वारा अवैध रूप से बजरी का परिवहन करने, ट्रकों व ट्रबों को तीव्रगति व लापरवाही से चलाने से दुर्घटनाएं घटित होने, ग्रामीण सड़कों को भारी क्षति पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

11. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में अवैध बजरी खनन पर पूर्णतया रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में अवैध खनन से छोटी-छोटी मगरियों से चरागाह समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

13. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पुलिस विभाग, खनन विभाग एवं राजस्व विभाग की मिली-भगत से हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में विभाग के संसाधन, अधिकारी और कर्मचारी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

15. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, सेमारी में खनन क्षेत्रों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

16. प्रदेश में खनन से प्राप्त राजस्व में स्थानीय खनन क्षेत्र की हिस्सेदारी

बढ़ाकर मूलभूत सुविधाओं के विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुनलाल (बिलाड़ा) :

17. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में DMFT योजनान्तर्गत खनिज क्षेत्र की सड़कें रणसी गांव से सोवणिया, मुरकासनी से कुरड़ाया वाया देवनगर, खोजानगर, पटेल नगर, बोरूंदा सड़क का निर्माण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

18. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की लूनी नदी, जोजरी नदी, मिठड़ी नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन को बढ़ावा देने पुलिस द्वारा अवैध वसूली को विभाग द्वारा नहीं रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

19. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्राम भागासनी, सम्बड़िया कालाऊना स्थित हाईग्रेड लाइम स्टोन को रिजर्व ब्लॉक घोषित करने से किसानों की खातेदारी भूमि को रिजर्व ब्लॉक सीमा से बाहर नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में खनिज दोहन से मिलने वाली रायल्टी से सी.एस.आर. के तहत सड़क निर्माण, स्कूली शिक्षा, पेयजल संबंधित कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

21. प्रदेश में बजरी खनन पर लगी रोक से राज्य सरकार को मजदूरों को कार्य नहीं मिलने से होने वाली हानि को रोकने के लिए बजरी खनन पर लगी रोक को हटाने एवं छोटी-छोटी लीज आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अजीत सिंह (टोंक) :

22. टोंक जिले में हो रहे अवैध खनन को रोकने के संबंध में चर्चा के लिए।

मास्टर मामनसिंह यादव (तिजारा) :

23. शहर भिवाड़ी में बाबा मोहनराम मन्दिर काली खोली पहाड़ में अवैध खनन को रोकने के लिए सुरक्षा दीवार का निर्माण कराने व अवैध अतिक्रमण हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

24. अलवर जिले में चल रही अवैध खानें एवं क्रेशरों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

25. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जावर माइन्स से टेलींग डेम द्वारा कानपुर गांव की जमीन बंजर होने व जल प्रदूषण से खराब होने के संबंध में चर्चा के लिए।

26. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जावर माइन्स में कानपुर के माइन्स से प्रभावित परिवारों को नौकरी दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

27. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में झामर कोटड़ा माइनिंग से टेलिंग से आम जनता व मवेशियों को हो रहे नुकसान के संबंध में चर्चा के लिए।

28. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में झामर कोटड़ा माइन्स से प्रभावित परिवारों को नौकरी दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

29. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के किसानों के खेतों में उपलब्ध होने वाला खनिज के नियमों में संशोधन कर उसका सरलीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

30. जैसलमेर स्थित खनिज की खानों से आने वाला मलबे को सड़क निर्माण कार्य के उपयोग में लेने के संबंध में चर्चा के लिए।

31. जैसलमेर स्थित खनिज क्षेत्र में बारूद से ब्लास्ट से स्थानीय निवासियों के मकान व टाकों में आयी दरारों को विशेष पैकेज देकर पुन: निर्माण कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

32. डूंगरपुर जिले के बाहर के निवासियों की खान लीज अवधि नहीं बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. डूंगरपुर जिले के मूल निवासियों को खानों का आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. डूंगरपुर जिले में खनन हेतु आबंटित पट्टों के क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्र में खनन करने वालों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35. अनुसूचित क्षेत्र में संविधान की पांचवी अनुसूची तथा समता जजमेन्ट, सुप्रीम कोर्ट का, पी. रामी रेडी के फैसले के अनुरूप खनन नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

36. प्रदेश में खनिज पट्टों में हुये घोटालों की जांच लोकायुक्त द्वारा कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

37. घड़साना में खनिज विभाग का कार्यालय भवन खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना) :

38. मकराना की मार्बल खानों को सुरक्षित करने हेतु खान के पास सरकारी भूमि को खान मालिक को आबंटन करने के संबंध में चर्चा के लिए।

39. मकराना की मार्बल खानों की भूगर्भीय स्थिति अनुसार राजस्थान की खनिज नीति से हटकर अलग से नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

40. खानों से निकलने वाले मार्बल पत्थर पर ली जाने वाली रायल्टी में मकराना व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

41. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

42. राज्य में हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

43. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में मेसेनरी स्टोन की खानों की आबंटन प्रक्रिया के संबंध में चर्चा के लिए।

44. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में विभिन्न खनिजों की रायल्टी से प्राप्त आय से खनन क्षेत्र के आस-पास सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45. विधान सभा क्षेत्र सिवाना की राखी (खारा बेल्ट) में उत्तम क्वालिटी लिग्नाइटस और कोयला की खोज के संबंध में चर्चा के लिए।

46. राज्य में बजरी खनन हेतु छोटे-छोटे खनन पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

47. किसानों के स्वयं के ट्रैक्टर से स्वयं के खेत एवं घर में निर्माण कार्य किये जाने पर लगने वाली रायल्टी दरों को कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

48. राजस्थान में बजरी खनन की सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) :

49. धौलपुर जिले में खनिज मजदूर के स्वास्थ्य में हो रही गिरावट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

50. धौलपुर जिले में चम्बल नदी से घड़ियाल क्षेत्र को चिन्हित कर बकाया क्षेत्र में बजरी खनन की मंजूरी प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरतगढ़) :

51. प्रदेश में हो रहे अवैध बजरी खनन पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

52. प्रदेश में हो रहे अवैध खनन को रोकने के संबंध में चर्चा के लिए।

53. प्रदेश में बजरी की स्थिति सामान्य करने के संबंध में चर्चा के लिए।

54. चूरू जिले में जिप्सम के पट्टे किसानों को जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

55. अजमेरी (सीकर) में स्थित पाउडर फैक्ट्रियों के कारण त्रिवेणी सड़क के टूटने से सायवाड़-बाड़ी जोड़ी की जनता की बढ़ रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

56. विराटनगर शहर के आस-पास खनन पट्टे न होने से अन्य क्षेत्रों से आ रहे अवैध चेजा पत्थर से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम पंचायत आतेला, बूचारण, छापूड़ा, बजरंगपुर में आबंटित खानों के साथ-साथ अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

58. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में प्रागपुरा-पाछूडाला सड़क पर स्थित ईट भट्टों, खनन पट्टों तथा क्रेशरों से टूटी सड़कों के लिए माइनिंग कल्याण फण्ड से राशि आबंटन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में खनिज खानों तथा क्रेशर के कारण टूटी सड़कों के सुदृढ़ीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़ (अलवर)) :

60. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में अवैध खनन एवं क्रेशर पर तुरन्त प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली) :

61. प्रदेश में खान विभाग द्वारा आबंटित खानों में काम करने वाले मजदूरों को होने वाली सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों को विशेष इलाज व आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

62. कोटपूतली क्षेत्र में अवैध बजरी खनन को रोकने के लिए कृषि भूमि के मालिकों को पट्टा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

63. कोटपूतली क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन व ब्लास्टिंग पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

64. प्रदेश में अवैध खनन करने वालों से प्राप्त दण्ड राशि (जुर्माना राशि) को स्थानीय विकास कार्य में खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65. प्रदेश में कृषि भूमि में उपलब्ध खनिज निकालने हेतु किसानों को शीघ्र पट्टे आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

66. प्रदेश में सभी प्रकार के खनिज पदार्थों की लीजों का आबंटन एक निश्चित सीमा तक किया जाता है। उसी अनुरूप आगामी समय में बजरी की लीज भी अधिकतम 20 हैक्टेयर की सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. जिले के डीएमएफटी फंड से संबंधित जिलों में सभी प्रकार के विद्यालयों में आई.सी.टी. लैब की स्थापना करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. प्रदेश में ग्रेवल सड़कों के निर्माण के लिए ग्रेवल क्वारी की लीज या संबंधित ग्रेवल सड़क का निर्माण करने वाली फर्म से सीधे ही रायल्टी वसूली की कार्यवाही करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

69. प्रदेश में खान विभाग में लम्बित सभी प्रकार की फाइलों का निस्तारण कर आबंटन करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

70. प्रदेश में बजरी खनन के लिए नदी के अप्रवाह क्षेत्र में स्थित किसानों की खातेदारी जमीन में बजरी की लीज उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

71. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में स्थित अराई क्षेत्र में स्थित खनिज क्षेत्रों के गांवों में एवं खनन क्षेत्रों तक सुलभ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) के अराई परिक्षेत्र में बहुतायत पाये जाने वाले फैलापार, ग्रेनाइट, क्वाटर्स एवं माई का आदि खनिजों के लिये एक "मिनरल पार्क" औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में स्थापित कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

73. बाड़मेर-सांचौर बेसिन में तेल के कुएं खोदने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

74. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में सालरीया ग्राम में बिना पर्यावरण NOC के खनन को तुरन्त प्रभाव से रोक लगाने के संबंध में चर्चा के लिए।

75. प्रदेश में बजरी खनन का ठेका प्रदेश स्तर से न होकर हर ग्राम पंचायत क्षेत्र में अलग-अलग ठेकेदारों के पट्टे जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

76. विधान सभा क्षेत्र कपासन में अवैध खनन को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने के संबंध में चर्चा के लिए।

77. विधान सभा क्षेत्र कपासन में खनन क्षेत्रों की सड़कों को खनिज विभाग द्वारा निर्मित कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र कपासन के खनन क्षेत्रों में हेवी ब्लास्टिंग कार्य से हो रही लोगों को परेशानी के समाधान हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

79. विधान सभा क्षेत्र कपासन में 20 वर्षों से अधिक समय से जिन स्थानों/नदियों/नालों से बजरी निकासी 03 मीटर से अधिक बजरी निकालने वाले स्थानों को नवीन ब्लाकों में नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

80. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में बंद पड़ी खानों को पुन: चालू करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) :

81. विधान सभा क्षेत्र जोधपुर के खान मजदूरों में सिलिकोसिस बीमारी फैलने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) :

82. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में विश्व प्रसिद्ध जोधपुरी पत्थर उत्खनन हेतु दक्ष तकनीकी स्टाफ एवं श्रमिक उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. सिलिकोसिस पीड़ितों को नि:शुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविरों के माध्यम से रोग निर्मूलन में विधायक सूरसागर के प्रस्ताव पर कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

84. प्रदेश में बजरी खनन पर रोक से उत्पन्न जन समस्याओं के निराकरण हेतु बजरी खनन के लिए नई नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

85. प्रदेश में खनन विद्या से संबंधित तकनीकी पाठ्यक्रमों को आईआईटी, इंजीनियरिंग कालेजों, पालिटेक्निक कालेजों, आईटीआई और कौशल विकास केन्द्रों पर आरम्भ करवाने के लिए विभागीय प्रयासों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. प्रदेश के पचपदरा में नवीन रिफाइनरी के संशोधित एम.ओ.यू. से प्रदेश को हुए लाभों की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

87. कोलायत में सहायक खनिज अभियंता कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

88. बीकानेर संभाग मुख्यालय पर खनिज भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

89. कोलायत तहसील के कायमवाला गांव में आबादी भूमि में विभागीय संरक्षण में हो रहे अवैध खनन को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

90. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में बजरी, जिप्सम आदि खनिजों के अवैध खनन के संबंध में चर्चा के लिए।

91. कोलायत तहसील के विभिन्न ग्रामों में ओरण, गोचर, पायतन, आबादी व राजकीय भूमि पर हो रहे बजरी व जिप्सम के अवैध खनन को विभाग द्वारा नहीं रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

92. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में खनन वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई) :

93. विधान सभा क्षेत्र निवाई में उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित खतांचल पर्वत के पीछे हो रहे अवैध खनन को रोके जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

94. विधान सभा क्षेत्र निवाई-पीपलू में तहसील निवाई के गांव बस्सी, मण्डालिया, किवाड़ा, नोहटा की पहाड़ियों में हो रहे अवैध खनन को रोके जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

95. प्रदेश में बजरी बंद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

96. बाड़मेर जिले के तेल क्षेत्र में कार्य कर रही कैयर्न एनर्जी कम्पनी द्वारा अपने सीएसआर फंड का आम जनता के हित में उपयोग नहीं कर दुरुपयोग करने के संबंध में चर्चा के लिए।

97. कुड़ला शिवकर लिग्नाइट परियोजना में अवाप्त जमीन का मुआवजा देने अथवा अवाप्ति से मुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

98. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम लाखेटाली में बसे आबादी क्षेत्र को अवाप्ति से मुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

99. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम चक धोलका में लिग्नाइट अवाप्ति क्षेत्र में आई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुम्हारों की बस्ती चक धोलका को अन्यत्र शिफ्ट नहीं कर ग्राम चक धोलका में ही रखने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

100. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में खनिज मजदूरों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

101. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में बजरी एवं पत्थर के अवैध खनन पर विभागीय एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के संबंध में चर्चा के लिए।

102. कनवास एवं सांगोद तहसील को खनन अभियन्ता कार्यालय रामगंजमण्डी से हटाकर खनन अभियन्ता कार्यालय कोटा में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. सांगोद एवं कनवास तहसील में खनन हेतु उपलब्ध सरकारी भूमि पर ई-आक्शन के माध्यम से खनन पट्टे जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा) :

104. प्रदेश में बजरी की उत्पन्न समस्या के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर) :

105. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के कोटड़ी क्षेत्रों में कार्यरत खनन इकाइयों द्वारा बिलानाम व चरागाह भूमियों पर मलबा डाले जाने, लीज क्षेत्र से बाहर जाकर सड़क सीमा आबादी व प्राचीन जलाशयों के साथ अवैध छेड़छाड़ करने से उत्पन्न समस्याओं के संबंध में चर्चा के लिए।

106. जिला बून्दी के डाबी में लीजधारकों को पर्यावरण की EC देने में DFO व जिला कलक्टर द्वारा की जा रही टालमटोल के कारण खनिज व

माइन्सधारकों को हो रहे नुकसान के निराकरण के संबंध में चर्चा के लिए।

107. जहाजपुर तहसील में स्वीकृत/प्रस्तावित "इस्पात इण्डिया लिमिटेड" की खनन योजना को त्वरित गति से स्वीकृति प्रदान कराई जाकर खनन प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

108. जहाजपुर व कोटड़ी तहसील में गारनेट व बजरी के अवैध खनन एवं परिवहन से उत्पन्न समस्याएं एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा आपसी मिलीभगत से इन्हें बढ़ावा दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

109. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर व कोटड़ी तहसील में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउण्डेशन ट्रस्ट, भीलवाड़ा द्वारा जारी विकास कार्यो/प्रशासनिक स्वीकृतियों संबंधी सभी निर्माण कार्य त्वरित प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) :

110. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के गोमावाली ग्राम पंचायत के ग्राम धाधड़ा में अवैध जिप्सम की जांच करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

111. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कोटा स्टोन खदानों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के परिवारों के श्रमिक कार्ड बनवाकर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कोटा स्टोन की बन्द पड़ी खदानों को डम्पिंग यार्ड घोषित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

113. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कोटा स्टोन की खदानों में कार्य करने वाले श्रमिकों के परिवारों के लिए आवासीय योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में खनन क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू) :

115. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में आदिवासी एरिया में अलग से स्थानीय लोगों के लिए खनिज पट्टे जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

116. प्रदेश में खनन क्षेत्रों में पर्यावरण NOC देने के नियमों का सरलीकरण करने के संबंध में चर्चा के लिए।

117. सीकर जिले में चेजा पत्थर पर रॉयल्टी प्रदेश के अन्य जिलों से ज्यादा होने के संबंध में चर्चा के लिए।

118. प्रदेश में महंगी बजरी बेचने वालों पर कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

119. प्रदेश में स्पष्ट खनन नीति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

120. प्रदेश में बजरी की सही नीति नहीं होने के कारण उत्पन्न हो रही अव्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

121. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में खनन श्रमिकों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में खनन क्षेत्रों की सड़कों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

123. विधान सभा क्षेत्र मावली के खनिज क्षेत्रों में सड़कें, पेयजल, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

124. विधान सभा क्षेत्र मावली में खनिज की खानों पर कार्यरत श्रमिकों की कार्य करते समय आकस्मिक दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उन्हें उचित मुआवजा दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

125. विधान सभा क्षेत्र मावली में बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर खनिज पट्टे दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126. विधान सभा क्षेत्र मावली में खनिज क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़कों को डामरीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

127. विधान सभा क्षेत्र मावली में स्थित माइन्सों में स्थानीय मजदूरों को मजदूरी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी) :

128. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में खान विभाग के अन्तर्गत आने वाली सड़क छापोली से कोट खनिज सड़क का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

129. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में खान विभाग के अन्तर्गत आने वाली नेवरी मोड़ से चवरा कैम्प वाया ककराना सड़क का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

130. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में खान विभाग के अन्तर्गत आने वाली सड़क गुढ़ा से चौपुल्या वाया नेवरी का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में खनिज विभाग के अन्तर्गत आने वाली सड़क का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी में खान विभाग के अन्तर्गत आने वाली सड़क चवरा से पंजी का बास का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा-दक्षिण) :

133. विधान सभा क्षेत्र कोटा (दक्षिण) के कोटा शहर में वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन को रोके जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

134. प्रदेश में बजरी की समस्या को ध्यान में रखते हुए बजरी माफियों द्वारा मनमानी ढंग से पैसे वसूले जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा) :

135. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा के बंजारिया करनउआ, खानपीन, सेमारी पंचायत समिति में चेजा पत्थर के पट्टे देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136. विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में एक खान से दूसरे खान की बीच गेप (खाली एरिया) की नीलामी करके खनिज को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137. उदयपुर संभाग के खैरवाड़ा, सलूम्बर के लोगों को बजरी के छोटे-छोटे पट्टे आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138. उदयपुर जिले के खैरवाड़ा सलूम्बर सेमारी ऋषभदेव के क्षेत्र में भू-माफिया द्वारा अवैध क्रेशरी गीट्टी निकालकर बेचने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हीरा लाल दरांगी (झाड़ौल) :

139. विधान सभा क्षेत्र झाड़ौल में बजरी खनन रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

140. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में खनन श्रमिकों को देय सभी लाभों व परिलाभों का श्रम कानूनों के तहत भुगतान व सुरक्षा योजनाओं, इक्यूमेंट प्रदान कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में DMFT से स्वीकृत सभी कार्यों को तुरन्त प्रारम्भ कराने के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. बालू राम चौधरी (सहाड़ा) :

143. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में संचालित खानों से उत्खनित खनिजों से हो रहे पर्यावरण असंतुलन के संबंध में चर्चा के लिए।

144. सहाड़ा (जिला भीलवाड़ा) में तहसील सहाड़ा, रामपुर, भीलवाड़ा, हमीरगढ़ में खनन किये जा रहे खनिजों के प्रकार व खनिज लीज के संबंध में चर्चा के लिए।

145. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कार्यरत खानों को नियमित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर) :

146. प्रदेश में किसानों को उनकी खातेदारी की भूमि में लाइम स्टोन के पट्टे जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

147. प्रदेश में किसानों को उनकी खातेदारी की जमीन पर बजरी की खानें आबंटित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

148. डीएमएफटी (DMFT) ट्रस्ट नागौर में जमा राशि का उपयोग तत्काल विकास कार्य हेतु विद्यालयों की अनुशंसा पर स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिए।

149. बाड़मेर जिले में विभिन्न श्रेणी के खनिजों व तेल से प्राप्त रॉयल्टी का हिस्सा जिले के विकास हेतु खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

150. नागौर जिले में खनन क्षेत्र को हरा क्षेत्र विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

151. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में अवैध खनन को रोकने के लिए खनिज विभाग की एक छोटी शाखा की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :

152. प्रदेश में बजरी की समुचित आपूर्ति नहीं होने से निर्माण कार्य ठप्प होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी) :

153. बांसवाड़ा जिले में खनिज दोहन के लिए स्थानीय आदिवासियों को प्राथमिकता से पट्टे उपलब्ध न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

154. बांसवाड़ा जिले में बजरी के पट्टे स्थानीय बेरोजगार आदिवासियों को आबंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

155. बांसवाड़ा जिले के मार्बल्स क्षेत्र में लाइम स्टोन की खदानें स्थानीय आदिवासियों को आबंटन नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

156. बांसवाड़ा जिले के त्रिपुरा माइन्स क्षेत्र एवं पालोदा माइन्स क्षेत्र में निकलने वाले मार्बल्स की रॉयल्टी स्थानीय ग्राम पंचायतों को उपलब्ध नहीं से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

157. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में खनन क्षेत्र विकसित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

158. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में अवैध खनन को रोकने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री विवेक धाकड़ (माण्डलगढ़) :

159. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ की खनन इकाइयों की मूलभूत समस्याओं के समाधान के संबंध में चर्चा के लिए।

160. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में DMFT के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास) :

161. अलवर जिले में बढ़ते अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में अवैध खनन के ओवरलोड वाहनों के कारण ग्रामीण सड़कों को हो रही क्षति के संबंध में चर्चा के लिए।

163. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में खनिज विभाग की मिलीभगत से फर्जी खानों के आधार पर अवैध खनन करके ले जाते वाहनों पर कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

164. विधान सभा क्षेत्र सोजत में खनन विभाग के अन्तर्गत आने वाली सड़कों की मरम्मत व रख-रखाव व डामरीकरण करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर) :

165. खनिज का क्वाटर्स, फैल्सपार का कच्चा माल सीधा गुजरात जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर) :

166. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के खनन क्षेत्रों एवं खनन परिवहन क्षेत्र की सड़कों की बदतर स्थिति से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

167. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के खनन क्षेत्र में पेड़-पौधों, वृक्षों की निरन्तर हो रही कमी से उत्पन्न पर्यावरण असंतुलन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

168. विधान सभा क्षेत्र रेवदर के खनन क्षेत्रों में लीज एरिया से बाहर अवैध खनन को संबंधित अधिकारियों के संरक्षण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

169. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में खनन क्षेत्र से प्रभावित सड़कों का नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

170. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में खनन क्षेत्र से प्रभावित सड़क ए/आर तैजपुरिया की ढ़ाणी पंचायत समिति भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ की खराब हालात को देखते हुए नवीनीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की पंचायत समिति भदेसर में नन्नाणा से मानजी कागुदा तक खनन प्रभावित सड़क का पुन: निर्माण कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

172. कोटा जिले में खनिज विभाग को गत एक वर्ष में रायल्टी से प्राप्त राजस्व एवं विभाग के नाकों व चौकियों का अन्य कार्यों में उपयोग न लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

173. कोटा जिले में खनिज विभाग में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश में बजरी खनन पर रोक लगाये जाने के बाद भी कोटा जिले में हो रहे अवैध बजरी खनन के संबंध में चर्चा के लिए।

175. प्रदेश में बजरी खनन पर रोक लगाये जाने से आम जनता को आ रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

176. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

177. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के शाहाबाद में खनिज के सर्वे करने के संबंध में चर्चा के लिए।

डा. बालू राम चौधरी (सहाड़ा) :

178. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के लाखोला (तहसील सहाड़ा) कोट (पंचायत समिति रामपुर) में खनिज प्रोसेसिंग यूनिट को उपलब्ध सुविधा के संबंध में चर्चा के लिए।

179. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कार्यरत खनिज प्रोसेसिंग यूनिट्स को एकीकृत कर मिनरल्स प्रोसेसिंग हब बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़ बास) :

180. औद्योगिक क्षेत्र किशनगढ़, सिलोरा, रूपनगढ़ (अजमेर) एवं परबतसर (नागौर) आदि क्षेत्रों में स्थित मार्बल पाउडर उत्पादित इकाइयों के कच्चा माल को ट्रैक्टर द्वारा परिवहन कर लाये जाने पर वसूली जाने वाली रॉयल्टी को भी औद्योगिक क्षेत्र मकराना (नागौर) की तरह रॉयल्टी समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) :

181. धौलपुर जिले में निकलने वाले पत्थर (सैण्ड स्टोन) पर खनिज रॉयल्टी समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

182. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में निकलने वाले खनिज सोफ्ट स्टोन को रायल्टी से मुक्त करने के संबंध में चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

183. कोटा स्टोन पर रॉयल्टी की दर कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।